त्रयोदश माला, खंड 11, अंक 1

सोमवार, 20 नवम्बर, 2000

29 कार्तिक, 1922 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पाँचवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

51
11/9/2001

(खण्ड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

यशपाल कृष्ण अबरोल
मुख्य सम्पादक

डॉ॰ राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खण्ड 11, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)

[अंक 1, सोमवार, 20 नवम्बर, 2000/29 कार्तिक, 1922 (शक)]

विषय					कॉलम
तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची					(iii)–(xiii)
लोक सभा के पदाधिकारी					(xiii)
मन्त्रिपरिषद					(xiii)–(xv)
राष्ट्रगान					1
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण					1
मंत्रियों का परिचय					1
निधन सम्बन्धी उल्लेख					2-12
अध्यक्ष महोदय					2-5
श्री अटल बिहारी वाजपेयी					5-7
श्रीमती सोनिया गांधी					7-8
श्री सोमनाथ चटर्जी					8-10
श्री के. येरननायडू					10-11
श्री मुलायम सिंह यादव					11-12
प्रश्नों के लिखित उत्तर					
तारांकित प्रश्न संख्या	1	से	20		12-57
अतारांकित प्रश्न संख्या	1	से	230		57-392

तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी. (कन्नानौर)

अमीर आलम, श्री (कैराना)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुराई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आ

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता (करोलबाग)

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इ

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम (बारपेटा)

ए

ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी. (नामनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी. डी. (धर्मपुरी)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन (हैदराबार)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कन्नपन, श्री एम. (तिरूचेन्गोड़े)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के. के. (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)

किन्डिया, श्री पी. आर. (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री अरूण (जहानाबाद)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्णदास, श्री एन. एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम (ओंगोले)

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई. (कुरनूल)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुम्बुदुर)

कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बैतूल)

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री अंबुल हसनत (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खाबरी, श्री बृजलाल (जालौन)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

खूंटे, श्री पी. आर. (सारंगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद) (महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी. एस. (कच्छ)

गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदाबाद)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)

गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)

गामलिन, श्री जारबोम (अरुणाचल पश्चिम)

गालिब, श्री जी. एस. (लुधियाना)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरी)

गुढे, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री तरूण (कलियाबोर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी (हसन)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)

चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर) (उत्तर प्रदेश)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर) (हिमाचल प्रदेश)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया) (उत्तर प्रदेश)

चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)

चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)

चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पद्मसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री समर (त्रिपुरा पश्चिम)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, श्रीमती रेणूका (खम्माम)

चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)

चौधरी, श्रीमती निशा (साबरकांठा)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)

चौहान, श्री बालकृष्ण (धोसी)

चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा. एस. (अर्कोनम)

जगन्नाथ, डा. मन्दा (नगर कुरनूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयशीलन, डा. ए. डी. के. (तिरूचेंदूर)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)

जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर. एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावीया, श्री जी. जे. (पोरबंदर)

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)

जोस, श्री ए. सी. (त्रिचूर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन, बी. (वडोदरा)

ठाकुर, डा. सी. पी. (पटना)

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)

डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिरुनावकरसू, श्री (पुडुक्कोट्टई)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)

तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डा. रमेंश चंद (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थामस, श्री पी. सी. (मुवत्तुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी. (पेरियाकुलम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)

दुराई, श्री एम. (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)

न

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागमणि, श्री (चतरा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी (आस्का)

पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)

पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)

पटेल, श्री आत्माराम भाई (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)

पटेल, श्री दहयाभाई बल्लभभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री दिनशा (कैरा)

पटेल, श्री दीपक (आनंद)

पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)

पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठार्णे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)

पांजा, डा. रंजीत कुमार (बारासाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

पांडियन, श्री पी. एच. (तिरुनेलवेली)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)

पाटिल, श्री आर. एस. (बागलकोट)

पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड (यत्नाल) (बीजापुर)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड़)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री शिवराज वि. (लाटूर)

पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्रीमती रमा (दौसा)

पार्थसारथी, श्री बी. के (हिन्दुपुर)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, डा. संजय (नवादा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पासी, श्री सुरेश (चायल)

पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर. (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री जितेन्द्र (शाहजहांपुर)

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (घामराजनगर)

प्रेमाजम, प्रो. ए. के. (बडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फारूक, श्री एम. ओ. एच. (पांडिचेरी)

फूलन देवी, श्रीमती (मिर्जापुर)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह (जलेसर)

बघदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल (टोंक)

बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)

बराड़, श्री जे. एस. (फरीदकोट)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बलिराम, डा. (लालगंज)

बसवनागौड, श्री कोलूर (बेल्लारी)

बसवराज, श्री जी. एस. (तुमकुर)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बालयोगी, श्री जी. एम. सी. (अमालापुरम)

बालू, श्री टी. आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन (नवद्वीप)

बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)

बेगम, नूर बानो (रामपुर)

बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)

बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्रीसानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्री सत्यनारायण (बोब्बिली)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भ

भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)

भाटिया, श्री आर. एल. (अमृतसर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)

मरांडी, श्री बाबू लाल (दुमका)

मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)

मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)

मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई. जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)

मांझी, श्री रामजी (गया)

मांझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

मान, श्री सिमरनजीत सिंह (संगरूर)

माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मायावती, कुमारी (अकबरपुर)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाई माधोपुर)

मुखर्जी, श्री एस. बी. (कृष्णनगर)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनि लाल, श्री (सासाराम)

मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)

मुरुगेसन, श्री एस. (तेनकासी)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)

मूर्ति, श्री ए. के. (चेंगलपट्टू)

मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस. (विशाखापत्तनम)

मेहता, श्रीमती जयवंती (मुंबई दक्षिण)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

य

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)

यादव, डा. जसवंतसिंह (अलवर)

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला असम)

रमण, डा. (राजनांदगांव)

रमैया, डा. बी. बी. (एलूरू)

रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)

राजवंशी, श्री माधव (मंगलदाई)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालवाड़)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी. पी. (कोयम्बटूर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)

राम सजीवन, श्री (बांदा)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन. (टिंडिवनाम)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलू, श्री एच. जी. (कोप्पल)

रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

राय, श्री सुबोध (भागलपुर)

रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)

राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)

राव, श्री डी. वी. जी. शंकर (पार्वतीपुरम)

राव, श्री वाई. वी. (गुंटूर)

राव, श्री सीएच. विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)

रावत, प्रो. रासासिंह (अजमेर)

रावत, श्री प्रदीप (पुणे)

रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)

रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एन. आर. के. (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री चांडा सुरेश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री बी. वी. एन. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेनु कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)

ल

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

लेपचा, श्री एस. पी. (दार्जिलिंग)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरुणाचल पूर्व)

वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाडियार, श्री एस. डी. एन. आर. (मैसूर)

विजयन, श्री ए. के. एस. (नागापट्टिनम)

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम. (भद्राचलम)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)

वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी (तेनाली)

वेंकटस्वामी, डा. एन. (तिरुपति)

वेंकटेस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)

वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)

वेत्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरि)

वैको, श्री (शिवकाशी)

व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू)

शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)

शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री वी. एस. (तिरुअनन्तपुरम)

शुक्ल, श्री श्यामा चरण (महासमुन्द)

शेरवानी, श्री सलीम आई. (बदायूं)

श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी. (चिकमंगलूर)

श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षणमुगम, श्री एन. टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)

संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)

संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)

संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)

सईद, श्री पी. एम. (लक्षद्वीप)

सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फर नगर)

सनदी, प्रो. आई. जी. (धारवाड़ दक्षिण)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरकार, डा. बिक्रम (पंसकुरा)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)

सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)

सांगतम, श्री के. ए. (नागालैंड)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाडा)

साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)

साहू, श्री अनादि (बरहामपुर)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज) (उ.प्र.)

सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)

सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)

सिंह, डा. रामलखन (भिण्ड)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिधी)

सिंह, श्री चन्द्र भूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)

सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)

सिंह, श्री टी एच. चाओबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज) (बिहार)

सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)

सिंह, श्री बहादुर (बयाना)

सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)

सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)

सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)

सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)

सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)

सिंह, श्री रामजीवन (बलिया) (बिहार)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री रामानन्द (सतना)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री साहिब (बाहरी दिल्ली)

सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)

सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद) (बिहार)

सिंह, सरदार बूटा (जालौर)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिकदर, श्री तपन (दमदम)

सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सिंह देव, श्री के. पी. (ढेंकानाल)

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम. (शिवगंगा)

सुधीरन, श्री वी. एम. (अलेप्पी)

सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)

सुब्बा, श्री एम. के. (तेजपुर)

सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)

सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)

सेल्वागनपति, श्री टी. एम. (सेलम)

सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)

सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह (गोधरा)

स्वाइं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)

हक, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)

हमीद, श्री अबदुल (धूबरी)

हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)

हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)

हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री जी. एम. सी. बालयोगी

उपाध्यक्ष

श्री पी. एम. सईद

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री पी. एच. पांडियन

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

श्री के. येरननायडू

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधानमंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किया गया है अर्थात् : (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, (2) योजना, (3) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, (4) परमाणु ऊर्जा (5) अंतरिक्ष
श्री लाल कृष्ण अडवाणी	गृह मंत्री
श्री अनन्त कुमार	पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री टी. आर. बालू	पर्यावरण और वन मंत्री
कुमारी ममता बनर्जी	रेल मंत्री
कुमारी उमा भारती	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री जार्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री जगमोहन	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री
श्री अरूण जेटली	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री

डा. सत्यनारायण जटिया	श्रम मंत्री
श्री मनोहर जोशी	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
डा. मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री प्रमोद महाजन	संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री मुरासोली मारन	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री एम. वैंकय्या नायडू	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री राम नाईक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री नीतीश कुमार	कृषि मंत्री
श्री जुएल उराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री राम विलास पासवान	संचार मंत्री
श्री सुन्दर लाल पटवा	खान मंत्री
श्री सुरेश प्रभु	विद्युत मंत्री
श्री काशीराम राणा	वस्त्र मंत्री
श्री शांता कुमार	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री जसवन्त सिंह	विदेश मंत्री
श्री यशवन्त सिन्हा	वित्त मंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज	सूचना और प्रसारण मंत्री
डा. सी. पी. ठाकुर	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री शरद यादव	नागर विमानन मंत्री
श्री अर्जुन सेठी	जल संसाधन मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

श्रीमती मेनका गांधी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री एम. कन्नप्पन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री
श्री एन. टी. षणमुगम	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री अरूण शौरी	विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री रमेश बैस	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल–संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीराम चौहान	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. चमन लाल गुप्त	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. वल्लभभाई कथीरिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कृष्णमराजू	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. धनंजय कुमार	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष महरिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती मेहता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सत्यव्रत मुखर्जी	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुनि लाल	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उमर अब्दुल्ला	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजित कुमार पांजा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. देबेन्द्र प्रधान	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई. पोन्नुस्वामी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पोन राधाकृष्णन	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. राजा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ओ. राजगोपाल	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. रमण	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सीएच. विद्यासागर राव	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री
श्री तपन सिकदर	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री टीएच. चाओबा सिंह	कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. रीता वर्मा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बालासाहिब विखे पाटील	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हुकमदेव नारायण यादव	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 20 नवम्बर, 2000/29 कार्तिक, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

राष्ट्र गान

(राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्रीमती रमा पायलट (दौसा)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

मंत्रियों का परिचय

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं नए मंत्रियों से परिचय कराना चाहता हूं।

श्री अरूण जेटली : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री

श्री एम. वैंकय्या नायडू : ग्रामीण विकास मंत्री

कुमारी उमा भारती : युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री श्रीपाद येसो नाईक : कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री पोन राधाकृष्णन : युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री कृष्णमराजू : विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री

पूर्वाह्न 11.05 बजे

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, जैसा कि हम आज लगभग तीन माह के अन्तराल के बाद समवेत हो रहे हैं, तो यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं सभा को श्रीलंका की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती सीरीमाओ भंडारनायके और हमारे पांच अन्य भूतपूर्व सहयोगियों के दुखद निधन की सूचना दूं।

यह सभा श्रीलंका की भूतपूर्व प्रधान मंत्री सीरीमाओ भंडारनायके के 10 अक्तूबर, 2000 को हुए निधन पर शोक व्यक्त करती है।

श्रीमती भंडारनायके ने हमारे युग में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और लोकतान्त्रिक परिवर्तन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विकासशील राष्ट्रों में सहयोग और गुट निरपेक्षता को बढ़ावा देने में अभूतपूर्व योगदान दिया। इस देश की जनता और सरकार उनकी मित्रता को सदैव याद करेगी।

यह सभा, श्रीलंका की जनता, वहां की सरकार और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

श्री सी. सुब्रमणियम जिन्हें प्यार से सी. एस. कहते थे, 1946 से 1952 तक संविधान सभा और अंतरिम संसद में मद्रास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य थे। तीसरी लोक सभा में 1962 से 1967 तक उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य के पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1971 से 1979 तक उन्होंने पांचवीं और छठी लोक सभा में तमिलनाडु के क्रमशः कृष्णागिरि और पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सी. सुब्रमणियम एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री के रूप में इस्पात और खान, कृषि और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों का पदभार संभाला।

कृषि मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हरित क्रांति आन्दोलन शुरू हुआ और इससे देश में खाद्यान्नों का बहुतायत में

उत्पादन हुआ और भारत अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देशों की श्रेणी में आया तथा इसी कारण वे हरित क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय हुए।

वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत में ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरूआत की।

वह संयुक्त राष्ट्र पौष्टिकता संबंधी पैनल के अध्यक्ष थे और उन्होंने कुपोषण का मुकाबला करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए व्यापक योजना संबंधी एक नीतिगत पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं और बाजरा सुधार केन्द्र, मैक्सिको की शासी परिषद और मनीला स्थित अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के शासक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया।

इससे पूर्व श्री सुब्रमणियम 1952 से 1962 तक मद्रास विधान सभा के सदस्य रहे और उन्होंने वित्त, शिक्षा और विधि मंत्री के रूप में राज्य की सेवा की। तत्कालीन मद्रास राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और गरीब बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रारम्भ किए।

वर्ष 1990–1993 तक श्री सुब्रमणियम ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के गरिमामय पद को सुशोभित किया और 1971 में वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे।

श्री सुब्रमणियम को राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवाओं हेतु वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने हेतु उन्होंने वकालत छोड़ दी थी। सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा।

श्री सुब्रमणियम एक विद्वान एवं प्रतिभावान व्यक्ति थे उन्होंने तमिल तथा अंग्रेजी भाषाओं में अनेक पुस्तकें लिखीं।

श्री सी. सुब्रमणियम स्वामी के निधन से राष्ट्र ने एक सक्रिय राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा एक सच्चे देशभक्त को खो दिया है।

श्री सी. सुब्रमणियम का निधन 7 नवम्बर, 2000 को 90 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ।

श्री नानासाहिब बोंदे महाराष्ट्र के अमरावती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे।

पेशे से अधिवक्ता श्री बोंदे, सन् 1967–68 के दौरान अमरावती बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। एक सक्रिय संसदविज्ञ श्री बोंदे सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री बोंदे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से संबद्ध थे। छुआछूत को समाप्त करने एवं दलितों के उत्थान कार्यों में उन्होंने विशेष रुचि ली।

श्री नानासाहिब बोंदे का निधन 21 अगस्त, 2000 को 86 वर्ष की आयु में अमरावती, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री मानधाता सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1989 से 1991 तक नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

इससे पूर्व श्री सिंह 1974 से 1989 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे।

एक सक्रिय सांसद श्री सिंह वर्ष 1990 में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सभापति थे तथा लोक सभा की विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

व्यवसाय से शिक्षक श्री सिंह ने शिक्षक संगठन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा वे शिक्षण कार्यों एवं शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना से जुड़े हुए थे। वे एक विद्वान और प्रतिभावान व्यक्ति थे। अनेक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित हुए।

वे एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। दलित एवं पीड़ितों के उत्थान हेतु वे अथक प्रयासरत रहे और उन्होंने श्रमिक संगठन के कार्यकलापों में गहरी रुचि ली।

श्री मानधाता सिंह का निधन 23 सितम्बर, 2000 को 77 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ।

श्री सीता राम केसरी 1967 से 1970 तक चौथी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने बिहार के कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री केसरी 1971 से 1986 और 1988 से 2000 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के रूप में विभिन्न पदों पर राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा की। कुशल संसदविज्ञ श्री केसरी 1979 में लोक लेखा समिति सहित अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रहे।

एक सक्रिय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के रूप में श्री केसरी स्वतन्त्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। वे गांधीवादी विचार–धारा और कार्यक्रमों में अटूट विश्वास रखते थे और धर्मनिरपेक्षता में उनकी गहरी और अटूट आस्था थी। 1930 में जब महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया तो उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिए अपना घर और पढ़ाई छोड़ दी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान उन्हें दो साल की सजा मिली।

एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री केसरी अनेक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों से जुड़े रहे। उन्होंने समाज के पददलित और कमजोर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया।

श्री केसरी ने अनेक देशों की यात्रा की। वे 1979 में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में पोलैण्ड की यात्रा पर गए और 1972 में उन्होंने सैटियागो, चिली में आयोजित "अंकटाड" सम्मेलन में भी प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

श्री सीता राम केसरी का निधन 24 अक्तूबर, 2000 को 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री गदाधर शाह पांचवी से आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने 1971 से 1989 तक पश्चिम बंगाल के बीरभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

व्यवसाय से अध्यापक श्री शाह अनेक शैक्षिक संगठनों से जुड़े रहे।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री शाह समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और ग्रामीण विकास के लिए अथक कार्य करते रहे। वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास और किसानों के संगठनात्मक कार्य से भी घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे।

श्री गदाधर शाह का निधन 25 अक्तूबर को 66 वर्ष की आयु में बीरभूम में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, जिन दिवंगत आत्माओं के प्रति आपने अभी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उस श्रद्धांजलि में सारा सदन अपना स्वर मिलाना चाहेगा।

श्रीमती भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधान मंत्री थीं। प्रधान मंत्री का पद उन्हें उत्तराधिकार या दहेज में नहीं मिला था। उसके पीछे परिश्रम था, अश्रु थे और रक्त की कुछ बूंदें भी थीं। उन्होंने अपने पति की हत्या के बाद मैदान संभाला और एक वीरांगना की तरह से कर्तव्य के स्थल में काम किया। उन्होंने कभी सिंहासन पाया तो कभी निर्वासन भी पाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उनके जमाने में सीलोन श्रीलंका हो गया, अलग राज्य के रूप में उभरा। उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों की कमान संभाली और नयी अर्थव्यवस्था प्रदान की। उनकी ओर विकासशील देश बड़ी आशा और अपेक्षा से देखते थे। वे अंत समय तक श्रीलंका की जनता और इस भूखंड की भलाई में लगी रहीं। मैंने कुछ महीने पहले उनके दर्शन किए थे, उस समय वे प्रधान मंत्री के पद पर आरूढ़ थीं। वहां बाद में चुनाव हुए और नया परिवर्तन हुआ। श्रीमती सीरीमाओ भंडारनायके एक महान महिला के नाते विश्व में जानी जाएंगी और इस भूखंड में आदर का स्थान पाएंगी।

जहां तक सी. सुब्रमणियम जी का सवाल है, वे सचमुच में भारत के रत्नों में से एक थे। वे जीवनभर परिश्रम करते रहे, जुटे रहे। उनके पास चिन्तन भी था, कर्मण्यता और कर्मठता भी थी। उन्होंने अलग-अलग मंत्रालयों को इतनी कुशलता से कैसे संभाला, ये सचमुच में उनकी क्षमता को प्रकट करने वाली बात है और हमारे लिए पाठ लेने वाली बात है। उनके साथ राजनीतिक मतभेद हुए, लेकिन भारत को भूख से मुक्त देखने का उनका जो सपना था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने बड़ी मात्रा में सारे देश और विदेश का सहयोग लेकर कृषि के क्षेत्र में विचारधारा बदलने में सफलता पाई। खेती के लिए आधुनिक विज्ञान की भी आवश्यकता है और परंपरागत तरीकों के साथ नये तरीकों द्वारा उत्पादन में वृद्धि बहुत आवश्यक है। नये विचार, उसके साथ नये बीज और बीजों की नयी लहलहाती फसल, इसके लिए सुब्रमणियम जी हमेशा याद किए जाएंगे। मैंने कहा कि वे एक चिन्तक थे, आखिरी वक्त तक कर्म में लगे रहे। उन्होंने मृत्यु से कुछ दिन पहले विज्ञान के बारे में एक आयोग बनाने का सुझाव रखा था, वे इस पर विचार कर रहे थे। वे चाहते थे कि विज्ञान की जितनी शाखाएं फैली हुई हैं, उन सबको समन्वित और एकत्र करके कोई ऐसा आयोग बनाया जाए, जो विज्ञान के विकास में और विज्ञान के आगे बढ़ने में सहायक हो। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने ग्वालियर में अपने छोटे-से मकान में कम्प्यूटरों का एक केंद्र बच्चों को सिखाने के लिए आरंभ किया। मैंने उनसे यह अनुग्रह किया कि वे इस छोटे से घर में आकर कम्प्यूटर का केंद्र आरंभ करने का कष्ट करें, उन्होंने इसे सहज रूप से मान लिया।

ग्वालियर की गलियां देखकर उन्हें ग्वालियर के राज-घराने की भी याद आई होगी। गलियां बड़ी अच्छी, सुंदर और साफ हैं। आप ऐसा न समझें कि जब हम गलियों की बात कह रहे हैं तो गालियों की बात कह रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। वे वहां आये, काफी देर रुके और उन्होंने उसमें रुचि ली। अब तक सैंकड़ों बच्चे उसमें से कम्प्यूटर की शिक्षा प्राप्त करके निकले हैं। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया।

मेरे से शायद एक गलती हो गयी। मैंने उनके एक पत्र का उत्तर नहीं दिया, जिसका उलाहना मुझे उनके जाने के बाद मिला। एक मित्र ने बताया कि श्री सुब्रमणियम कहते थे कि स्वर्गीय नेहरू जी तो हरेक पत्र का उत्तर दिया करते थे लेकिन आजकल के नेता ऐसे हैं कि एक-आध पत्र उन्हें लिख भी दें तो उसका भी उत्तर नहीं

देते हैं। हो सकता है कि यह भूल हो गयी हो। मैं सार्वजनिक रूप से उसका प्रायश्चित व्यक्त करता हूं। लेकिन उन्होंने यह कभी विचार नहीं किया कि यह किस विचारधारा का है या जब दलबंदी के आधार पर लोकतंत्र के ढांचे में देश चलता था तब भी उन्होंने इस आधार पर विचार नहीं किया। वह एक अलग कहानी है लेकिन चिंतन में उनके विराटता थी, सभी को समेटकर ले चलने की भावना थी। इसलिए विद्या भवन के कर्ता–धर्ता के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया, वह अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और वह हमारे लिए एक अक्षय धरोहर के रूप में काम करेगा।

श्री मानधाता सिंह जी मेरे लखनऊ के मित्र थे और अध्यापन के कार्य में बड़ी रुचि लेते थे। उनका निधन हमारे लिए सचमुच एक बड़ी क्षति है।

श्री सीताराम केसरी जी के बारे में मैं क्या कहूं। वे एक विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि उनके अनेक रंग और रूप थे। सिपाही से सिपहसलार हो गये लेकिन उन्होंने तरीके नहीं बदले। लोगों के संपर्क में आना, उनकी सहायता करना, सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करना, चाहे उसमें सफलता मिले या न मिले, लेकिन इसके लिए उनका प्रयास जरूर रहता था। उनके निधन से भी हम लोग दुःखी हैं।

श्री नानासाहिब बोंदे हमारे साथ नहीं रहे। उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम लोग आशा करेंगे कि हमारे श्रद्धा के सुमन इन सभी दिवंगत आत्माओं के परिवारजनों तक पहुंचा दें।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर श्रीमती सीरीमाओ भंडारनायके को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ी हुई हूं। इतिहास में उनका स्थान सुनिश्चित है। अपने पति की हत्या के बाद 1959 में वे विश्व की पहली प्रधान मंत्री बनीं।

तत्पश्चात वे तीन बार प्रधान मंत्री चुनी गईं। उनकी विशिष्ट उपलब्धि नया संविधान प्रवर्तन करना था जिसमें देश को गणतंत्र घोषित किया गया और देश का नाम बदलकर 'श्रीलंका' किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वे गुट–निरपेक्ष आंदोलन की एक सम्मानित नेता थीं। उन्होंने 1976 में कोलम्बो में गुट–निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में एक संकल्प प्रस्तुत किया था जिसमें हिन्द महासागर को 'शांति क्षेत्र' बनाने का आग्रह किया गया था।

विदेश नीति के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत–श्रीलंका मैत्री को सुदृढ़ करना था। पंडित जी, इंदिरा जी और मेरे पति उनसे अत्यधिक स्नेह रखते थे। मैं कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारतुंगा, श्रीमती भंडारनायके के परिवार और श्रीलंका की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

श्री सीताराम केसरी के निधन से कांग्रेस पार्टी में और उनसे परिचित लोगों के हृदय में एक रिक्तता उत्पन्न हो गई है। स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी केसरी जी गरीबों और पिछड़े वर्गों के प्रबल पक्षधर थे।

अंतिम सांसों तक उनकी धर्मनिरपेक्षता में अटूट आस्था थी। उन्होंने साम्प्रदायिक ताकतों का सक्रियता से सामना किया।

अनेक वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में उन्हें इंदिरा जी और राजीव जी का विश्वास प्राप्त था। उनका गहन अनुभव तथा कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों में उनकी लोकप्रियता ने उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंचाया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी बुद्धिमत्ता–पूर्ण सलाह को महत्व दिया।

कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्री केसरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा उनके परिवार के सदस्यों, मित्रों, प्रशंसकों तथा समर्थकों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रेषित करती हूं।

श्री सी. सुब्रमणियम ने राष्ट्रीय जीवन के अनेक क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है। एक युवा स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के सक्रिय सदस्य, तमिलनाडु में राजाजी और कामराज मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण मंत्री, पंडित जी और इंदिरा जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री के रूप में श्री सुब्रमणियम ने सदैव राष्ट्र की आवश्यकताओं और संभाव्यताओं के बारे में दूरदृष्टि, बुद्धिमत्ता और गहन सूझबूझ का परिचय दिया। वे भारत में हरित क्रांति के प्रणेताओं में से एक थे जिससे देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ और लाखों किसानों के जीवनस्तर में सुधार आया। उन्हें हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में पथ–प्रदर्शक की भूमिका और योगदान के लिए याद किया जाएगा। मैं उनकी पत्नी और परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं।

मैं स्व. श्री नानासाहिब बोंदे, स्व. श्री गदाधर शाह और स्व. श्री मानधाता सिंह जो क्रमशः छठी, आठवीं और नौवीं लोक सभा के सम्मानीय सदस्य थे, के परिवारों को भी अपनी हार्दिक संवेदना प्रेषित करती हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैं स्वयं को आपके द्वारा, सदन के नेता द्वारा और विपक्ष के नेता द्वारा व्यक्त विचारों के साथ जोड़ता

हूं। हम इस सभा के सम्मानित पूर्व सदस्यों और विशेष रूप से श्रीलंका की प्रधान मंत्री के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि श्रीमती सीरीमाओ भंडारनायके ने श्रीलंका, जिसे उस समय सीलोन के नाम से जाना जाता था, की कठिन स्थिति में शासन की बागडोर संभाली थी। उन्होंने महान देश सीलोन और वहां की जनता को कुछ जटिल समस्याओं से उभरने में नेतृत्व प्रदान किया। अपने प्रयासों से वे न केवल श्रीलंका की नेता बनी अपितु तीसरी दुनिया और विकासशील देशों की नेता बनीं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि उन्होंने हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की वकालत की थी।

भारत के सच्चे मित्र के रूप में वे अपने देश की श्रेष्ठ परंपराओं और महान मूल्यों की प्रतीक थीं जिन्हें श्रीलंका की जनता सदैव दिल से चाहती है। हम न केवल पहली महिला प्रधान मंत्री अपितु तीसरी दुनिया के महान नेता के रूप में भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

श्री सुब्रमणियम ने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मुझे याद है कि मुझे इस देश के योग्यतम मंत्रियों में से एक श्री सुब्रमणियम को यहां देखने का सौभाग्य मिला था। उनमें कार्यकुशलता के साथ विनम्रता और उपलब्धि के साथ पारदर्शिता का समावेश करने के गुण थे।

उनके समय में भारत ने कृषि विकास के क्षेत्र में विश्व में अपना स्थान बनाया। बाद के वर्षों में वे वरिष्ठ राजनेता बन गए थे जिनसे लोग मार्गनिर्देशन लेते थे। कलकत्ता में एक छोटा–सा कम्प्यूटर केन्द्र खोलने के बारे में मेरा भी वैसा ही अनुभव है जैसा कि प्रधान मंत्री ने यहां बताया है। हो सकता है कलकत्ता में यह गली से कुछ अधिक चौड़ी सड़क हो। भारतीय विद्याभवन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उस केंद्र को आम जनता को समर्पित किया जहां पर कम्प्यूटर सीखने के इच्छुक युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले भी मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। उनका मित्रता व स्नेह का ऐसा आभामंडल था कि लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे और उन्होंने इन गुणों को कभी नहीं छोड़ा।

श्री सीताराम केसरी बहुरंगी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके उत्साह, मैत्री और कांग्रेस पार्टी व देश के लिए योगदान के लिए हम उन्हें सदैव याद रखेंगे।

महोदय, मैं हमारे कामरेड श्री गदाधर शाह के निधन पर भी शोक व्यक्त करता हूं। वे पांचवीं से आठवीं लोक सभा तक चार बार इस सभा के लिए चुने गए। वे किसानों के हितों के प्रति समर्पित थे। वे अपने क्षेत्र व जिले के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और शिक्षाविद थे। अपनी सेवा भावना के कारण वे उस क्षेत्र के लोगों के पूज्य बन गए थे। इस सभा में और बाहर उनके साथ काम कर मुझे उन्हें निकट से जानने का सौभाग्य मिला और महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि ऐसे समर्पित व्यक्ति का स्थानापन्न मिलना कठिन है जिसकी अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं होती है और सदैव उन साधारण लोगों की भलाई करने का प्रयास करते हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के अनेक वर्षों बाद भी अनेक कठिनाइयों और समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

मैं अन्य माननीय सहयोगियों के निधन पर भी शोक व्यक्त करता हूं। अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी भावनाओं को उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंचाएं। मैं उनके बारे में व्यक्त विचारों के साथ स्वयं को जोड़ता हूं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीलंका की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती सीरीमाओ भंडारनायके और इस सम्मानीय सभा के पांच पूर्व सदस्यों के निधन पर इस सभा में व्यक्त विचारों से सहमत हूं। श्रीमती भंडारनायके सार्वजनिक मामलों में पुरुषों व महिलाओं की समान भागीदारी की प्रतीक थीं। उन्होंने यह बताया कि नेतृत्व प्रदान करने के मामले में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। गुट–निरपेक्ष आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। उनके निधन से भारत ने एक सच्चा मित्र खो दिया है। मेरी पार्टी उनके निधन पर शोक व्यक्त करती है।

भारत रत्न श्री सी. सुब्रमणियम अनुभवी और दूरदर्शी थे। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, कथनी, करनी से हमारे देश के सार्वजनिक जीवन को समृद्ध किया। हरित क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के एक अरब लोग उनके आभारी हैं।

श्री केसरी ने हमारी राजनीति में लगभग पचास वर्षों तक सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कमजोर वर्गों विशेष रूप से हरिजनों, गिरिजनों और अल्पसंख्यकों के लिए सदैव कार्य किया। पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से वह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनकी मृत्यु से देश ने एक वरिष्ठ सांसद और एक अनुभवी नेता खो दिया है।

यह सभा पूर्व सदस्यों सर्वश्री मानधाता सिंह, नानासाहिब बोंदे और गदाधर शाह के योगदान की साक्षी है। उन्होंने अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जनता का ईमानदारी व निष्ठा से प्रतिनिधित्व किया।

मैं इन छह प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने में इस सम्मानीय सभा को नेताओं और सदस्यों के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं। कृपया तेलुगु देशम पार्टी और मेरी ओर

से इन सदस्यों के शोक संतप्त परिवारों तक मेरी संवेदनाएं प्रेषित करें। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्रीमती सीरीमाओ भंडारनायके, जिनके संबंध में सभी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं अपने दल को भी उनसे संबद्ध करता हूं। भंडारनायके जी ने श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ाया और श्रीलंका को मजबूत देश बनाने का महान प्रयास किया, आज भारतवासी उनको इसलिए नहीं भुला सकते क्योंकि जब 1962 में एक ऐसा अवसर आया, तो भंडारनायके जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्ध कर दिया था कि भारत का सच्चा मित्र कोई देश है, तो वह श्रीलंका है। उस समय उन्होंने भारत के पक्ष में अपनी आवाज बड़ी मजबूती से रखी। उसके लिए प्रत्येक भारतवासी उनका ऋणी रहेगा। जितने भी गरीब, विकासशील देश थे, उन सबको उन्होंने एक साथ खड़ा करने का प्रयास बड़ी खूबी से किया। इसलिए आज हम लोग इस महान सदन में उनको याद कर रहे हैं। हमारे दल की संवेदना भी महोदय उनके परिवारजनों, उनके सगे-संबंधियों तथा श्रीलंका की जनता तक पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय श्री सीताराम केसरी जी, जिनसे मेरा काफी समय तक संपर्क रहा, आखिरी समय तक रहा, वे भले ही कांग्रेस दल में रहे, लेकिन अपने दल के मंचों से भी हमारे पक्ष में, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में उन्होंने हमें समर्थन देकर अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त लोग हमारा नाम लेने से भी डरते थे। बहुत सारे दल और नेता यह समझते थे कि यदि वे हमारे साथ होंगे, तो वे किसी वर्ग विशेष के विरोधी बन जाएंगे, लेकिन स्व. श्री सीताराम केसरी जी ने देश के हित में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में हमें समर्थन देकर अहम भूमिका निभाई। अपने विचारों पर बड़ी मजबूती से अड़े रहने के कारण ही वे कांग्रेस पार्टी के संगठन के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। हमें अफसोस है कि ऐसा नेता हमारे बीच से सदा के लिए चला गया। मैं समाजवादी पार्टी एवं अपनी ओर से उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि उनके परिवारजनों तक आप हमारा संवेदना संदेश पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय मानधाता सिंह जी और मैंने शिक्षक के नाते भी साथ-साथ काम किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी हम लोग साथ-साथ रहे। दल में भी साथ-साथ रहे और लोक सभा के सदस्य भी वे लखनऊ से ही चुने गए। जहां पर वे शिक्षक थे या प्रधानाचार्य थे, उस कॉलेज में भी जाने का मुझे शुभ अवसर मिला।

मानधाता सिंह जी से हमारे निजी संबंध थे, निजी रिश्ते थे। कई कार्यक्रमों में, कई संघर्षों में हम साथ-साथ रहे। उनके निधन से हम और हमारा दल दुखी है। आप उनके मित्रों, संबंधियों तक हमारी भावनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

श्री सी. सुब्रमणियम, नानासाहिब बोंदे और गदाधर शाह भी महान नेता थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर देश की, समाज की सेवा की है। वे इस सदन में और बाहर भी लोकप्रिय हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने मंत्री तथा अन्य पदों पर रहकर भी देश और समाज की सेवा की है, जिनको हम कभी भूल नहीं सकते। उनके प्रति हमारी संवेदनाएं कृपया आप उनके पारिवारिक संबंधियों तथा मित्रों तक पहुंचाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

खेल प्रशिक्षकों का स्तर

*1. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेल संस्थान और भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपनी स्थापना के बाद से ओलंपिक स्पर्धाओं के फाइनल दौर में पहुंचने वाले कितने खिलाड़ी और कितने खेल-प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरुष और महिला खिलाड़ी तैयार करने में इनका क्या योगदान रहा है;

(ख) क्या ये प्राधिकरण अच्छे खेल-प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने में विफल रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला की स्थापना (1961) के समय से ओलंपिक प्रतियोगियों की सूची निम्नलिखित है-

1964	—	ओलंपिक खेल	(क)	हाकी पुरुष टीम (स्वर्ण पदक)
			(ख)	एथलेटिक्स
				श्री जी. एस. रन्धावा—110 मीटर, हर्डल्स—5वां स्थान
1976	—	ओलंपिक खेल	—	श्री श्रीराम सिंह—800 मीटर—7वां स्थान
1984	—	ओलंपिक खेल	—	पी. टी. उषा—400 मीटर हर्डल्स—चौथा स्थान
				4 × 400 मीटर रिले महिला टीम—7वां स्थान
1980	—	ओलंपिक खेल	—	हाकी पुरुष टीम (स्वर्ण पदक)
2000	—	ओलंपिक खेल	—	(क) भारोत्तोलन—(महिला)·
				— के. मल्लेश्वरी—तीसरा स्थान
				— सनमाचा चानू — 6वां (ज्वाइंट 4वां)
				(ख) निशानेबाजी
				— अंजली वेदपाठक — 8वां स्थान

लिएंडर पेस ने 1996 के ओलंपिक खेलों में एक कांस्य पदक जीता था, वह अपने सेमी फाइनल मैच में हार गए तथा तीसरे स्थान के लिए खेले और वह जीत गए।

1961 में स्थापित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला ने अब तक 12837 प्रशिक्षकों को तैयार किया है जिनमें विभिन्न खेल विधाओं में विभिन्न देशों के 447 प्रशिक्षक शामिल हैं।

उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के अलावा, प्रशिक्षकों का योगदान राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहयोग से दीर्घावधिक विकास कार्यक्रमों को तैयार करने एवं ऐसे खिलाड़ियों जिनका राष्ट्रीय शिविरों के लिए चयन होता है, के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने में होता है।

(ख) और (ग) यद्यपि, अधिकांश खेल–विधाओं में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षक बहुत ही अच्छे स्तर के हैं, तथापि विशेषकर मुक्केबाजी, निशोनबाजी, भारोत्तोलन तथा एथलेटिक्स जैसी कतिपय खेल–विधाओं में जिनमें भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अंतर है। इन खेल–विधाओं के लिए विदेशी प्रशिक्षकों की सीमित अवधि के लिए नियुक्ति की गई है। खिलाड़ियों और भारतीय प्रशिक्षकों के कौशल का उन्नयन करने के लिए भारतीय प्रशिक्षकों को भी उनके साथ संबद्ध किया जाता है।

प्रशिक्षकों के कौशल का उन्नयन करने के लिए, सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशिक्षकों को विदेश भेजा जाता है। भारतीय प्रशिक्षकों के कौशल का उन्नयन करने की दृष्टि से देश में विदेशी विशेषज्ञों की मदद से निदानशालाओं (क्लीनिकों) की स्थापना की जाएगी।

वैज्ञानिकों को उन्नत प्रशिक्षण के लिए भेजकर तथा उन्हें नवीनतम उपस्कर एवं प्रदर्शन उपलब्ध कराकर खेल वैज्ञानिकों के कार्य–कौशल का भी उन्नयन किया जाएगा।

[हिन्दी]

पत्रों का विलम्ब से वितरण

***2. श्री मानसिंह पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पत्रों के विलम्ब से वितरण, पत्रों का वितरण नहीं किए जाने या इनके गलत वितरण से संबंधित अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) विलंब या गलत वितरण कभी–कभार हो जाता है, किन्तु, निपटाई गई डाक की कुल मात्रा की तुलना में ऐसे उदाहरण अत्यंत कम हैं। 1999–2000 के दौरान डाक का विलंब से वितरण, वितरण न होने एवं गलत वितरण के संबंध में 10346 शिकायतें थीं, जबकि विभाग द्वारा 1550.56 करोड़ डाक मदों का निपटान किया गया। कुल परियात की तुलना में शिकायतों की प्रतिशतता 0.00007 प्रतिशत रही।

डाक वितरण में विलंब के अनेक कारक हैं जो विभाग के नियंत्रण से बाहर हैं। ये कारक हैं--डाक ढोने वाले हवाई जहाजों, रेलगाड़ियों एवं बसों का रद्द होना/विलंब से चलना; बंद आदि जैसी सार्वजनिक बाधा और डाक की मात्रा में, खासकर त्यौहारों के दौरान् अचानक अप्रत्याशित वृद्धि। जहां तक डाक का वितरण न होने/गलत--वितरण का संबंध है, अपूर्ण/गलत पता, पिन कोड का लिखा न होना, पाने वाले की अनुपलब्धता, पाने वाले द्वारा निवास बदल लेना आदि भी महत्वपूर्ण कारक हैं। विभागीय कर्मचारियों की ओर से की जाने वाली मानवीय चूकों से विभाग समुचित तरीके से निपटता है।

डाक वितरण सेवा को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं और इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए विशेष कदम नीचे दिए गए हैं :

(i) मुंबई तथा चेन्नई में स्वचालित मेल प्रोसेसिंग केंद्रों की संस्थापना।

(ii) प्रमुख मेल केंद्रों में पंजीकरण छंटाई कार्य का कम्प्यूटरीकरण।

(iii) चरणबद्ध रूप में ट्रांजिट मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण।

(iv) डाक को तीव्रता से अलग--अलग करने और पारेषण तथा शीघ्र वितरण के लिए ग्रीन चैनल, मैट्रो चैनल, राजधानी चैनल, बिजनेस चैनल आदि जैसे विभिन्न चैनलों में डाक का विभाजन।

(v) परीक्षण पत्रों और परख कार्डों को डाक में डालकर मेल रूटिंग और इसके वितरण की नियमित मानीटरिंग।

(vi) उपयुक्त क्षेत्रों में डाक वितरण के लिए पोस्टमैनों को मोपेड देकर डाक वितरण का उत्तरोत्तर यांत्रिकीकरण।

(vii) बढ़ रहे शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मानवशक्ति लगाने के विचार से डाक वितरण का यौक्तिकीकरण एवं पुनर्गठन करना।

(viii) पर्यवेक्षक स्टाफ और अधिकारियों द्वारा डाक वितरण की आकस्मिक जांच करना।

(ix) कमजोर संपर्कों का पता लगाने तथा डाक पारेषण और वितरण प्रणाली को कारगर एवं बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर लाइव मेल सर्वे करना।

(x) डाक पारेषण से संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए एयर लाइंस, रेलवे और राज्य सड़क परिवहन प्राधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें करना।

(xi) बहुत अधिक संख्या में डाक भेजने वालों (बल्क मेलरों) को डाक टिकटों में छूट के रूप में प्रोत्साहन देकर डाक की पहले ही छंटाई करने के लिए प्रोत्साहित करना।

(xii) बहुमंजिले भवनों के भू--तल पर डाक--बॉक्स संस्थापित करने हेतु ग्राहकों को जानकारी देना।

(xiii) वितरण डाकघरों के कार्यभार को कम करने और ऐसी डाक का शीघ्र वितरण करने के लिए बल्क मेलरों हेतु गंतव्य मेल कार्यालयों की तीन प्रतियों में पंजीकृत सूची बनाना।

[अनुवाद]

सूखा-पीड़ित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त फसल

*3. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री थावर चन्द गेहलोत :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान और कई अन्य राज्यों में अकाल जैसी स्थिति बनने के प्रबल आसार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षति का आकलन करने के लिए केन्द्र सरकार के किसी दल ने अकाल से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों का दौरा किया है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान के सूखा--पीड़ित क्षेत्रों और अन्य राज्यों में फसलों को कितनी क्षति पहुंची है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक वर्षवार तथा राज्यवार सूखे से पीड़ित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक सूखा--पीड़ित राज्य द्वारा मांगी गई केन्द्रीय राहत/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है, तथा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उन्हें राज्य--वार कितनी--कितनी राहत सहायता उपलब्ध कराई गई?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) अभी अकाल की कोई

स्थिति नहीं है। बहरहाल, दक्षिण–पश्चिम मानसून 2000 के दौरान कम वर्षा के कारण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों के कुछ क्षेत्रों में विभिन्न परिमाण में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है।

(ख) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में एक केंद्रीय दल भेजा गया है। उड़ीसा और राजस्थान में भी केन्द्रीय दल भेजने का निर्णय लिया गया है। गुजरात सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने पर वहां भी केंद्रीय दल भेजा जाएगा।

(ग) सूखा प्रभावित राज्यों में वर्तमान खरीफ फसल की चौपट हुई मात्रा निम्नवत् है–

राज्य	लाख मीटरी टन में उत्पादन–हानि	
	अनाज	तिलहन
राजस्थान	– 12.10	– 2.04
गुजरात	– 14.30	– 12.84
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	– 7.22	– 9.73
उड़ीसा	– 0.26	– 0.02

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस समय सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

(घ) और (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परिमाण के सूखे की स्थिति वाले राज्यों, आपदा राहत निधि से जारी केंद्रीय अंश, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्यों द्वारा मांगी गयी सहायता तथा इस संबंध में उन्हें जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सूखा प्रभावित राज्यों में फसलों को हुआ नुकसान

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	आपदा राहत निधि (केंद्रीय अंश)	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष	
			मांगी गई राशि	जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1997-98				
1.	आंध्र प्रदेश	98.29	813.33	30.00
2.	कर्नाटक	33.12	326.00	22.00
3.	केरल	46.08	537.50	शून्य*
4.	मध्य प्रदेश	42.49	251.34	शून्य*
5.	उड़ीसा	40.77	445.59	शून्य*
6.	राजस्थान	148.92	959.62	21.98
1998-99				
1.	आंध्र प्रदेश	107.69	720.36	75.36
2.	गुजरात	121.05	722.16	54.58
3.	हिमाचल प्रदेश	23.37	259.42	शून्य*
4.	जम्मू व कश्मीर	17.09	214.47	73.42
5.	कर्नाटक	36.29	249.95	17.09
6.	मध्य प्रदेश	44.29	361.61	शून्य*
7.	मणिपुर	1.61	24.00	4.93
8.	मिजोरम	1.10	35.08	6.00
9.	राजस्थान	155.25	1144.40	102.93
10.	त्रिपुरा	3.90	108.95	5.34
11.	पश्चिम बंगाल	44.50	शून्य	शून्य*
1999-2000				
1.	आंध्र प्रदेश	107.69	720.36	75.36
2.	गुजरात	121.05	722.16	54.58
3.	हिमाचल प्रदेश	23.37	259.42	शून्य*
4.	जम्मू व कश्मीर	17.09	214.47	73.42
5.	कर्नाटक	36.29	249.95	17.09
6.	मध्य प्रदेश	44.29	361.61	शून्य*
7.	मणिपुर	1.61	24.00	4.93
8.	मिजोरम	1.10	35.08	6.00
9.	राजस्थान	155.25	1144.40	102.93
10.	त्रिपुरा	3.90	108.95	5.34
11.	पश्चिम बंगाल	44.50	शून्य	शून्य*

*सूखे को विरल गंभीर नहीं माना गया और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता की पात्रता नहीं थी, अतः कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

विद्युत परियोजनाओं हेतु गारंटी

*4. **श्री जी. एस. बसवराज :**
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गैर–सरकारी क्षेत्र के विद्युत उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रति गारंटी देने हेतु कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना की क्या–क्या मुख्य विशेषताएं हैं तथा तत्संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने ऐसी गारंटियों से जुड़ी हुई देनदारी के बारे में आपत्ति की है और उन्हें अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रारंभ में केवल आठ 'फास्ट ट्रैक' विद्युत परियोजनाओं के लिए गारंटी की ही पुष्टि की है;

(च) यदि हां, तो क्या उक्त व्यवस्था गैर–सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रत्यक्षतः लागू करने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की गारंटी दिए जाने के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व में लिस्बन में दिए गए वचन के अनुरूप विचार किया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ), (छ) और (ज) प्रधान मंत्री ने 27 जून, 2000 को लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित भारतीय–यूरोपीय संघ व्यापार शीर्ष सम्मेलन में दिए गए भाषण में यह घोषणा की थी कि सरकार बड़ी पारेषण परियोजनाओं तथा विद्युत क्रय प्रणालियों के लिए एक नये गारंटी ढांचे पर विचार करने के साथ–साथ देश की विद्युत उत्पादन कंपनियों के नवीकरण और आधुनिकीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक (आईसीबी) प्रक्रिया पर विचार करने के लिए तैयार है। नई गारंटी स्कीम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) भारत सरकार काउंटर गारंटी स्कीम को एक अस्थायी उपाय के रूप में विद्युत उत्पादन में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था एवं 1994 में उन 8 आरंभिक परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा काउंटर गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वीकृति दी गई थी। इन आठ निजी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में से भारत सरकार काउंटर गारंटी मै. जीवीके इंडस्ट्रीज लि. के जेगरूपाडु संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन परियोजना (216 मे.वा.) इब वैली ताप विद्युत परियोजना (500 मे.वा.), इब वैली पावर प्रा.लि. तथा मै. डाभोल कंपनी की डाभोल संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन परियोजना चरण–I 740 मे.वा. को पूर्व संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत जारी की गई है। मै. स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि. ने आंध्र प्रदेश में 208 मे.वा. की गोदावरी संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन परियोजना के लिए काउंटर गारंटी के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। आंध्र प्रदेश में मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कंपनी (एचएनपीसीएल) विशाखापत्तनम विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.) महाराष्ट्र में मै. सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी (सिपको) की भद्रावती ताप विद्युत परियोजना (1082 मे.वा.) तथा तमिलनाडु में मै. एसटी–सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी की 250 मे.वा. वाली एकल यूनिट लिग्नाइट आधारित नैवेली ताप विद्युत परियोजना को संशोधित प्रक्रिया के जरिए अगस्त, 1998 में भारत सरकार की काउंटर गारंटी जारी कर दी गई है। इब घाटी परियोजना पर निर्माण शुरू होने के पूर्व उड़ीसा सरकार ने पुनः वार्ता की अतः इस परियोजना के लिए 26.2.1999 को पुनः तकनीकी आर्थिक स्वीकृति जारी की गई। इसी परियोजना एवं मै. मंगलौर पावर कंपनी की मंगलौर ताप विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा काउंटर गारंटी को संशोधित प्रक्रिया से जारी करने की 22.12.1999 को मंजूरी दी गई।

[हिन्दी]

सड़कों के लिए विराट परियोजना

***5. श्री जोरा सिंह मान :**
श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी कोनों को सड़कों से जोड़ने के लिए कोई विराट परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अंतर्गत अनुमानतः कुल कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण करने की जरूरत है;

(ग) मार्च, 2000 के अंत तक चार या अधिक लेनों वाली सड़कों की संख्या कितनी थी;

(घ) क्या बाकी चार लेन वाली सड़कों के निर्माण के लिए कोई समय सीमा तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) चार महानगरों और उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम महामार्गों को जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) शुरू की गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का चार/छह लेन मानकों में उन्नयन करना शामिल है। ब्यौरे इस प्रकार हैं–

(i) दिल्ली, कलकत्ता, चैन्नै और मुंबई को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज (जी क्यू) घटक : 5,952 कि.मी.

(ii) जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर–दक्षिण महामार्ग जिसमें सालेम–कोचीन खंड तथा सिल्चर को पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्व–पश्चिम महामार्ग भी शामिल है। : 7,300 कि.मी.

जोड़ 13,252 कि.मी.

(ग) पूरी की जा चुकी चार–लेन को संख्या से नहीं बल्कि लंबाई से अभिहित किया जाता है। मार्च, 2000 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की 1016 कि.मी. लंबाई में चार/छह लेन बनाई जा चुकी हैं।

(घ) और (ङ) स्वर्णिम चतुर्भुज को 2003 के अंत तक और उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम महामार्गों को 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

सड़क सुरक्षा परिषद का गठन

*6. **श्री ए. ब्रह्मनैया :**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक पृथक सड़क सुरक्षा परिषद गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन–कौन होंगे और इस परिषद में ऐसे सदस्यों के चयन के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसी परिषद को कोई अतिरिक्त दायित्व सौंपे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना के स्तर पर सड़क के डिजाइन में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित सड़क सुरक्षा के आवश्यक उपाय शामिल किए गए हैं। प्राप्त होने वाले सुझावों पर यथोचित ध्यान दिया जाता है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) एक लेन से चौड़ा करके 2 लेन बनाना।

(ii) चुनिंदा 2 लेने वाले खंडों को चौड़ा करके 4/6 लेन बनाना।

(iii) सड़क भू–ज्यामिति का सुधार।

(iv) बाइपासों का निर्माण।

(v) कमजोर और तंग पुलों और पुलियाओं का पुनर्निर्माण।

(vi) पेव्ड शोल्डर्स का प्रावधान करना।

(vii) कमजोर पेवमेंटों को मजबूत बनाना।

(viii) सड़क संगम स्थलों का सुधार।

(ix) भूतलीय चौराहों के स्थान पर पुलोपरि सड़कों का निर्माण।

(x) प्रति परावर्तक सड़क संकेत।

(xi) थर्मोप्लास्टिक से सड़क चिह्न लगाना।

(xii) वाहन खड़े करने के लिए अनुषंगी सड़कों का प्रावधान।

(xiii) सर्विस सड़कों का प्रावधान करना।

(xiv) अधिक सघन यातायात कारीडोरों पर मार्गस्थ सुविधाएं।

(xv) विभिन्न श्रेणी के सड़क प्रयोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना।

[हिन्दी]

राज्य बिजली बोर्डों में घाटा

*7. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ राज्य बिजली बोर्ड भारी घाटे में चल रहे हैं और भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्य बिजली बोर्डों में घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) आज की तारीख के अनुसार राज्य-वार प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड के घाटे और उन पर ऋण बोझ का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि घाटे को पूरा करने के लिए ये राज्य बिजली बोर्ड बिजली दर में बार-बार वृद्धि करके गरीबों का शोषण कर रहे हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इन बोर्डों द्वारा वित्तीय घाटे पर काबू पाने में सहायता के लिए कोई रणनीति तैयार करने के बारे में विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (छ) अपनी निवल निर्धारित परिसंपत्तियों पर 3 प्रतिशत की न्यूनतम लाभांश दर अर्जित करने की बजाए, जो विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा-59 के अंतर्गत एक सांविधिक आवश्यकता है, लगभग सभी राज्य बिजली बोर्ड ऋणात्मक लाभांश दिखा रहे हैं। वे सीपीएसयू की ओर बकाया अपनी राशियों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। रा.वि. बोर्डों के लाभ/घाटे को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है। रा.वि.बो. की सीपीएसयू की देय बकाया राशियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

रा.वि.बो. की हानियों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों में व्यापक ऊर्जा की चोरी एवं दुरुपयोग सहित उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां, असंगत टैरिफ ढांचा और अस्थायी क्रॉस सब्सिडी और असंतोषजनक बिलिंग एवं वसूली शामिल है जिसके कारण आपूर्ति की लागत और राजस्व वसूली में बहुत अंतर आ गया है। चोरी की वजह से होने वाली वार्षिक हानि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। विद्युत की चोरी के खिलाफ कारगर कदम उठाने से टैरिफ में वृद्धि करने की आवश्यकता कम होगी जिससे आपूर्ति की लागत और वसूली के मध्य के अंतर को कम किया जा सकेगा।

भारत सरकार ने क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 26 फरवरी, 2000 को मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में निरंतर गिरावट के कारण देश में विद्युत आपूर्ति के सामने आ रही कठिन स्थिति का जायजा लिया गया। यह संकल्प किया गया कि इन सुधारों को दृढ़ता, उत्साह और इसकी महत्ता के साथ आरंभ किया जाना चाहिए। सुधार नीति के प्रमुख घटक निम्नवत हैं-

(क) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

(ख) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

(ग) एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विद्युत की चोरी में कमी और अंततः इसका खात्मा।

(घ) उपकेंद्र को प्राथमिकता आधार पर एक यूनिट के रूप में लेकर उप-पारेषण और वितरण प्रणाली का सशक्तीकरण/उन्नयन।

वितरण के निगमीकरण/सहकारिताकरण/निजीकरण पर विचार करना होगा।

भारत सरकार ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन/करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं जिसमें सुधारों को एक समयबद्ध रूप में करने की राज्यों और केन्द्र की संयुक्त वचनबद्धता की पुष्टि की गई है। केंद्र सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से अतिरिक्त विद्युत का आबंटन, विद्युत वित्त निगम से वित्तीय सहायता और पावरग्रिड द्वारा पारेषण लाइनों में निवेश की वचनबद्धता की है।

विवरण-I

रा.वि.बो. की वाणिज्यिक लाभ/हानि
(बिना आर्थिक सहायता)

(करोड़ रुपये)

रा.वि.बो.	1992-93 वास्तविक	1993-94 वास्तविक	1994-95 वास्तविक	1995-96 वास्तविक	1996-97 वास्तविक	1997-98 अनंतिम	1998-99 (आरई)	1999-2000 (ए.पी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	-4	-23	-981	-1255	-939	-1376	-2263	-2703

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. असम	−205	−197	−255	−281	−225	−411	−306	−336
3. बिहार	−280	−190	−189	−211	−442	−496	−514	−548
4. दिल्ली डीवीबी	−207	−	0	−578	−626	−760	−961	−794
5. गुजरात	−519	−493	−550	−1003	−1069	−1274	−1440	−1498
6. हरियाणा	−404	−507	−468	−554	−625	−765	−532	−502
7. हिमाचल प्रदेश	2	−51	19	11	17	10	−33	−4
8. जम्मू एवं कश्मीर	−225	−293	−347	−363	−507	−662	−643	−347
9. कर्नाटक	−19	−2	−164	−502	−652	−331	−604	−365
10. केरल	−65	−75	−129	−183	−208	−199	−162	−451
11. मध्य प्रदेश	−493	−377	−594	−602	−464	−941	−1288	−1966
12. महाराष्ट्र	162	189	276	−408	−92	−11	115	214
13. मेघालय	−8	−3	−21	−20	158	286	105	204
14. उड़ीसा	−85	−196	−136	−231	−344	−287	−405	−186
15. पंजाब	−626	−693	−681	−644	−606	−979	−1381	−1223
16. राजस्थान	−260	−415	−412	−430	−269	−386	−577	−882
17. तमिलनाडु	−258	−302	−2	−77	−257	−318	−885	−709
18. उत्तर प्रदेश	−808	−1202	−1152	−1136	−1821	−1853	−1991	−2142
19. पश्चिम बंगाल	−258	−231	−339	−332	−387	−492	−692	−675
कुल	−4560	−5060	−6125	−8770	−9357	−11246	−14458	−14913

स्रोत : योजना आयोग दस्तावेज

विवरण-II

30 सितम्बर, 2000 को केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों को देय शेष भुगतान
(सरचार्ज सहित)

क्र.सं.	रा.वि.बो	नीपको	एनटीपीसी	पीएफसी	डीवीसी	एनएचपीसी	आरईसी	पीजीसीआईएल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	321.16$	2.00	0.00	0.00	4.04	24.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.84	0.00	0.00	0.00	2.44	0.12	5.44
3.	असम	467.94	42.49	0.00	1.70	0.00	143.88	124.64
4.	बिहार	0.00	2678.30	0.00	1773.36	37.81	420.83	196.49
5.	गुजरात	0.00	454.30*	5.00	0.00	0.00	4.68	34.70
6.	गोवा	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.01	–0.80
7.	एचवीपीएनएल (एचएसईबी)	0.00	398.04	0.00	0.00	940.64	0.00	27.61
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	27.45$$	6.00	0.00	69.19	0.00	0.85
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	472.74	0.00	0.00	782.04	0.03	137.68
10.	कर्नाटक	0.00	258.05	0.00	0.00	0.00	0.09	48.61
11.	केरल	0.00	363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
12.	मध्य प्रदेश	0.00	835.83	9.00	0.00	0.00	1153.45	45.44
13.	महाराष्ट्र	9.26	579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	–2.59
14.	मणिपुर	83.69	0.00	0.00	0.00	16.92	7.06	30.71
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	31.50	2.51
16.	मिजोरम	22.11	0.00	2.00	0.00	3.53	0.64	6.11
17.	नागालैंड	45.41	0.00	0.00	0.00	7.24	0.03	15.56
18.	उड़ीसा (ग्रिडको)	0.00	776.58	22.00	0.00	19.17	0.00	19.04
19.	पंजाब	0.00	72.96	0.00	0.00	307.23	0.05	5.04
20.	राजस्थान	0.00	378.51	0.00	0.00	112.81	0.08	46.68
21.	सिक्किम	0.00	32.11	0.00	0.00	5.33	0.02	12.29
22.	तमिलनाडु	0.00	388.17	0.00	0.00	0.00	1.05	–22.33
23.	त्रिपुरा	38.90	0.00	0.00	0.00	5.44	0.46	7.06
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	2374.81	0.00	0.00	889.55	222.59	307.87
25.	डब्ल्यूबीएसईबी	4.25	1336.39@	2.00	742.37	17.73	477.48	83.33
26.	डीवीबी (डेसू)	0.00	2665.13	0.00	0.00	492.06	0.00	162.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	डीवीसी	0.00	695.42	0.00	0.00	1.76	0.00	4.50
28.	डीएनएच	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	−1.18
29.	चंडीगढ़	0.00	0.04	0.00	0.00	10.06	0.00	−0.08
30.	नीपको	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51	5.81	0.00
31.	दमन एवं द्वीप	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	−1.35
32.	पांडिचेरी	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
33.	कोरपोरिटिव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76	0.00
34.	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
35.	पावर ग्रिड	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	अन्य (वाईन्ड)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	10.92	0.00
37.	निजी (जेपीएचपीसीएल)	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	683.41	15194.68	52.01	2517.43	3731.35	2507.81	1334.68

30 सितम्बर, 2000 को संचित कुल राशि रु. 26021.37 करोड़

*से प्राप्त

$अपग्रिन्को का 2 करोड़ रु. सहित

$$एचपीजीसीएल का 6 करोड़ रु. सहित

@डीपीएल का 2 करोड रु. सहित

[अनुवाद]

कपास के जहरीले बीजों की आपूर्ति

***8. श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहरीले कपास के बीजों का आयात किया है और उनकी विभिन्न राज्यों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के किसानों को आपूर्ति की है जिसकी वजह से किसानों के जीवन को खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने जहरीले/मिलावटी बीजों की आपूर्ति करने वाली कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे कपास उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है, जिन्होंने ऐसे जहरीले बीजों का इस्तेमाल किया है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने न तो कपास के विषाक्त बीज आयात किए हैं, और न ही देश में किसानों को ऐसे बीजों की आपूर्ति की है। पिछले तीन सालों में कपास के बीजों के आयात के लिए कोई परमिट जारी नहीं किए गए।

(ग) और (घ) बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 किसानों को गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कानूनी विधियां हैं। इन कानूनी विधियों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। आंध्र प्रदेश सरकार नकली बीजों के खतरे के प्रति जागरूक है। उन्होंने एक विशेष समिति का गठन किया है तथा बीज आपूर्ति पर नजर रखने और वितरकों

के परिसरों में निरीक्षण करने के लिए मौसम की शुरूआत से काफी पहले ही कृषि विभाग के अधिकारियो की तैनाती कर दी है। विशेष दल के निरीक्षण के दौरान 71 मामले दर्ज किए गए 1.72 करोड़ रु. कीमत के 5759 क्विंटल बीज पकड़े/निरुद्ध किए गए।

वर्ष 1999–2000 के दौरान, आंध्र प्रदेश सरकार ने 907 बीज निरीक्षक अधिसूचित किए। इन निरीक्षकों द्वारा राज्य में इन कानूनी विधियों को लागू करने के उद्देश्य से बीज अधिनियम और बीज (नियंत्रण) आदेश के तहत क्रमशः 10,629 नमूने तथा 2302 नमूने लिये गये।

[हिन्दी]

केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना

*9. **डा. जसवंतसिंह यादव :**
श्री रामशकल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़कों के रख–रखाव के लिये केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निधि के संबंध में कोई नियम या मानदंड बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) जी, हां। केंद्रीय सड़क निधि का क्रमशः 2.6.1998 और 1.3.1999 से पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 1/– रु. प्रति लीटर का उपकर उसमें जमा कराके नवीकरण कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क निधि के नवीकरण को सांविधिक दर्जा देने के लिए 1.11.2000 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। यह अध्यादेश केंद्र सरकार को इस तरह जमा हुई राशि का निम्नलिखित प्रकार से संचालन, प्रबंधन और आबंटन करने का अधिकार देता है–

1. हाई स्पीड डीजल तेल पर वसूल किए गए उपकर का 50 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए।
2. हाई स्पीड डीजल पर वसूल किए गए उपकर का 50 प्रतिशत और पेट्रोल पर वसूल किया गया समस्त उपकर इस प्रकार आबंटित किया जाएगा–
   (i) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए 57.5 प्रतिशत।
   (ii) मानवरहित रेलवे फाटकों पर रोड अंडर/ओवर ब्रिज तथा सुरक्षा कार्यों के निर्माण के लिए 12.5 प्रतिशत, तथा
   (iii) राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण पर शेष 30 प्रतिशत।

बजट 2000–2001 में 5800 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

दूध के नमूने लेना

*10. **श्री साहिब सिंह :**
डा. एस. वेणुगोपाल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी निजी डेरियों से दूध के नमूने लेने और दोषी पाए गए डेयरी मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने हेतु सरकार को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन डेरियों का ब्यौरा क्या है जिनसे दूध के नमूने लिए गए थे और उनमें से कितने मामलों में मिलावट पाई गई है;

(ग) दोषी पाई गई डेरियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार दूध के पैकेटों पर पंजीकरण संख्या अंकित करने हेतु दिशानिर्देश तैयार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 (एम एम पी ओ) के पैरा 26(2) में आदेश के तहत पंजीकरण संख्या को प्रदर्शित

करने की व्यवस्था है। एम एम पी ओ के तहत पंजीकरण संख्या के समुचित प्रदर्शन के लिए दिशानिर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे।

नारियल की खेती करने वाले किसानों के समक्ष आ रही कठिनाइयां

*11. **श्री वी. एम. सुधीरन :**
श्री टी. गोविन्दन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नारियल और इसके उत्पादों के घटते मूल्यों के कारण नारियल की खेती करने वाले किसानों द्वारा व्यक्त की गई भारी कठिनाइयों से अवगत है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो किसानों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार ने अपने शीर्ष अभिकरण भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत खोपरे की खरीद के लिए मूल्य समर्थन प्रचालन शुरू करने का निर्देश दिया है। अब तक नैफेड ने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मिलिंग खोपरे की कुल 1.37 लाख मीटरी टन मात्रा की खरीद की है। अभी खरीद चल रही है। सरकार ने खोपरे का मूल आयात शुल्क बढ़ाकर 35 प्रतिशत तथा नारियल के हेतु (कच्चे तथा परिष्कृत) का मूल आयात शुल्क 45 प्रतिशत कर दिया है।

पुराने विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

*12. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक पुराने पन बिजली संयंत्र और ताप विद्युत संयंत्र उत्पादन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पुराने/वर्तमान विद्युत संयंत्रों को कम लागत पर नवीकृत करने और उन्हें आधुनिक बनाकर उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) 31.10.2000 की स्थितिनुसार देश में कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता 1,00,077.35 मे.वा. थी जिसमें ताप विद्युत क्षमता 71,245.36 मे.वा. और जल विद्युत क्षमता 24,712.26 मे.वा. है। ताप विद्युत यूनिटों की डिजाईन 25 वर्ष के मितव्ययी जीवन काल के लिए की गई है। 28 ताप विद्युत स्टेशनों ने, जिनमें कुल 5952 मे.वा. क्षमता के लिए 80 यूनिटें निहित हैं, अपना उपयोगी मितव्ययी जीवनकाल पूरा कर लिया है और अधिक पुराने हो जाने के कारण वे अपनी पूर्ण क्षमता पर विद्युत उत्पादन करने में समर्थ नहीं हैं और इनके लिए नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार अपेक्षित है। पुराने होने के अतिरिक्त कोयले की खराब गुणवत्ता, पुराने उपस्करों के लिए स्पेयर्स की अनुपलब्धता और संयंत्रों का खराब अनुरक्षण भी संयंत्रों के कम कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी है। अधिक पुराने हो जाने के कारण जिन ताप विद्युत स्टेशनों के लिए आर एंड एम और जीवन विस्तार की आवश्यकता है उनकी सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

इसी प्रकार जल विद्युत संयंत्र का सामान्य प्रचालन जीवन 30–35 वर्ष है जिसके बाद संयंत्र के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के जरिए जीवन विस्तार करने की आवश्यकता होती है अन्यथा यूनिटें लक्षित विद्युत उत्पादन प्राप्त नहीं कर पायेंगी। देश में कुल 24712.26 मे.वा. जल विद्युत क्षमता में से 35 विद्युत स्टेशन, जिनमें कुल 3541.25 मे.वा. क्षमता के लिए 106 यूनिटें निहित हैं, 30 वर्ष पुरानी हो गए हैं और उनके लिए नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार करने की आवश्यकता है। 30 वर्षों से अधिक पुराने वे जल विद्युत केंद्र, जिनके लिए जीवन विस्तार अपेक्षित है उनकी आरएलए अध्ययन के आधार पर सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने नवीकरण और आधुनिकीकरण के महत्व को समझते हुए काफी समय पहले वर्ष 1984 में एक कार्यक्रम (चरण–1 आर एंड एम) आरंभ किया था जिसमें देश में कुल 163 यूनिटों वाले 34 ताप विद्युत स्टेशनों को शामिल किया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 10,000 मि.यू. प्रति वर्ष का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हुआ हैं चरण–2 आर एंड एम के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु कुल 198 यूनिटों वाले 44 स्टेशनों को शामिल किया गया है। वर्तमान में पावर फाइनेंस कार्पोरेशन विद्यमान विद्युत स्टेशनों के आर एंड एम हेतु रा.वि. बोर्डों को ऋण सहायता प्रदान कर रहा है और सरकार त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत 4 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

देश में ताप और जल दोनों विद्युत स्टेशनों के आर एंड एम और जीवन विस्तार कार्यक्रम के महत्व पर विचार करते हुए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में लगभग 63422 मे.वा. क्षमता (47600 मे.वा. ताप विद्युत और 15822 मे.वा. जल विद्युत) के लिए ताप और जल विद्युत स्टेशनों के आर एंड एम, जीवन विस्तार और उच्चीकरण के लिए सन् 2012 तक के लिए एक राष्ट्रीय संदर्शी योजना (एनपीपी) तैयार की है।

रा.वि. बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति और आर एंड एम एवं जीवन विस्तार कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम नामक एक स्कीम तैयार की है जिसके तहत उप–पारेषण प्रणाली और मीटरिंग समेत वितरण नेटवर्क के उच्चीकरण और पुराने घिसे विद्युत संयंत्रों में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। वित्त पोषण के तरीके और स्कीम क्रियान्वयन हेतु रूपात्मकताओं को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

विवरण-I

ताप विद्युत यूनिटों के आरएलए/एलईपी का विवरण

क्र.सं.	राज्य/यूटिलिटी	टीपीएस का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा)
1	2	3	4
1.	डीवीसी	बोकारो 'क' (यू 1–4)	247.50
2.	–वही–	चन्द्रपुरा (यू 1–5)	660.00
3.	–वही–	दुर्गापुर (यू–3)	140.00
4.	एमपीईबी	अमरकंठक (यू 1 व 2)	60.00
5.	–वही–	कोरबा–II (यू 1–4)	200.00
6.	–वही–	सतपुड़ा (यू 1–5)	312.50
7.	जीईबी	धुवण (यू 1–6)	534.20
8.	एएसईबी	नामरूप जीटी (यू 1–3)	69.00
9.	एएसईबी	चन्द्रपुर (यू–1)	30.00
10.	एपीजीईएनसीओ	नॅल्लूर (यू–1)	30.00
11.	–वही–	रामागुण्डम (यू–1)	62.50
12.	–वही–	कोटागुण्डम (यू 5 व 6)	220.00
13.	डब्ल्यूबीएसईबी	बाण्डेल (यू 1–4)	330.00
14.	–वही–	संथालडीह (यू 1 व 2)	240.00
15.	बीएसईबी	पतरातु (यू 1–6)	350.00
16.	–वही–	बरौनी (यू 4 व 5)	100.00
17.	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा (यू 1–8)	550.00
18.	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज (यू 1, 3 व 4)	170.00
19.	–वही–	पनकी (यू 1 व 2)	64.00
20.	डीवीबी	इन्द्रप्रस्थ (यू 2–5)	247.50
21.	एमएसईबी	भुसावल (यू–1)	62.50
22.	–वही–	पारस (यू–2)	62.50

1	2	3	4
23.	–वही–	नासिक (यू 1 व 2)	280.00
24.	–वही	परली (यू 1 व 2)	60.00
25.	–वही–	कोराडी (यू 1 व 2)	240.00
26.	एनटीपीसी	बदरपुर (यू 1, 2 व 3)	300.00
27.	पीएसईबी	भटिण्डा (यू 1 व 2)	220.00
28.	एचपीजीसीएल	फरीदाबाद (यू 1)	60.00

विवरण-II

लगभग 30 वर्ष पुरानी उन परियोजनाओं की सूची जिनके संबंध में आरएलए अध्ययन कार्य/जीवन विस्तार कार्यक्रम पर विचार किया गया है।

क्र.सं.	विद्युत केंद्र का नाम/ चालू होने का वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	क्या आरएलए अध्ययन आवश्यक है	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	तुंगभद्रा बांध/आ.प्र. 1957–64	2 × 9 + 2 × 9	हां	
2.	हम्पी/आ.प्र. 1958–64	2 × 9 + 2 × 9	हां	
3.	अपर सिलेरू–1/आ.प्र. 1967–68	2 × 60	हां	
4.	निजाम सागर/आ.प्र. 1956	2 × 5	हां	
5.	भाखड़ा एलबी/बीबीएमबी 1960–61	5 × 108	नहीं	मै. हिताची द्वारा आरएलए अध्ययन कार्य/उच्चीकरण कर लिया गया है जिन्होंने इसका उच्चीकरण 108 मे. वा. से 120 मे.वा. करने की सिफारिश की है।
6.	शिमशा/केपीटीसीएल 1940	2 × 8.6	हां	
7.	पन्नियार/केएसईबी 1963–64	2 × 15	नहीं	बड़े आर एम एंड यू कार्यों को किया जा रहा है जिसमें टरबाईन रनर का प्रतिस्थापन, सी एंड आई उपस्कर, गवर्नस, एक्साइटर्स, जेनरेटरों का प्रतिस्थापन/रिवाइंडिंग शामिल है।
8.	पल्लीवसन/केएसईबी 1948–51	3 × 5 + 3 × 7.5	नहीं	–वही–.

1	2	3	4	5
9.	सेंगुलम/केएसईबी 1954	4 × 12	नहीं	–वही–
10.	शोलायार/केएसईबी 1966–68	3 × 18	हां	
11.	इडुक्की चरण–I/केएसईबी 1976	3 × 130	हां	
12.	कुटियाडी/केएसईबी 1972	3 × 25	हां	
13.	गांधी सागर/एमपीएसईबी 1960–64	5 × 23	हां	
14.	धकरानी/उ.प्र. 1965–70	3 × 17	हां	
15.	धालीपुर/उ.प्र. 1965–70	3 × 17	हां	
16.	खटीमा/उ.प्र. 1955–56	3 × 13.8	हां	
17.	पथरी/उ.प्र. 1955	3 × 6.8	हां	
18.	रिहन्द/उ.प्र. 1962–66	6 × 50	हां	आरएलए अध्ययन कार्य कर लिया गया है। यूनिट की क्षमता 50 मे.वा. से 60 मे.वा करके उच्चीकरण का प्रस्ताव किया गया है।
19.	ओबरा/उ.प्र. 1970–71	3 × 33	हां	यद्यपि स्टेटर/रौटर बाईंडिंग का रिजेन्सूलेशन, शाफ्ट सील गवर्नर्स का नवीकरण, स्लिप रिंगों, एम्पलिडेनिस की प्रतिस्थापना आरंभ की जा रही है। फिर भी डी/डीपम्पों टरबाईन घटकों का आरएलए अध्ययन कार्य किया जा सकता है।
20.	राणाप्रताप सागर/राजस्थान 1968–69	4 × 43	हां	केएफडब्ल्यू जर्मनी द्वारा एक सर्वेक्षण अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसमें निम्न सिफारिश की गई हैं। 1. आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक घटकों और न्यूनतम कार्यों का नवीकरण करने के लिए। आरपीएस–जेन सेटों के लिए वैद्युत उपस्करों का प्रतिस्थापन, एबीआर समेत नये स्टेटिक एक्साइटर। जेएस–नये स्टेटिक एक्साइटर्स, टेल एनरों का संशोधन, जेन सेटों के लिए वैद्युत उपस्करों का प्रतिस्थापन।

1	2	3	4	5
				2. जीवन विस्तार आरपीएस–टेल–रेस ड्राप आउट ढांचे, व जे.एस. नये रनरों का सुधार, एल्टरनेटरों, नये 0.4 के.वी., 11 के.वी., 132 के.वी. के स्विचगियर और आनुषांगिकों की पुनर्स्थापना।
21.	जवाहर सागर/राजस्थान 1972–73	3 x 33	हां	
22.	शोलायार–1/तमिलनाडु 1971	2 x 35	हां	टीएनईबी द्वारा आरएलए अध्ययन कर लिया गया है।
23.	पेरियार/तमिलनाडु 1958–65	4 x 35	हां	–वही–
24.	शोलायार–2/तमिलनाडु 1971	1 x 25	हां	–वही–
25.	अलियार/तमिलनाडु 1970	1 x 60	हां	
26.	सरकारपथी/तमिलनाडु 1966	1 x 30	हां	
27.	कोडायार–1/तमिलनाडु 1970	1 x 60	हां	
28.	कोडायार–2/तमिलनाडु 1960–64	1 x 40	हां	टीएनईबी द्वारा आरएल अध्ययन कर लिया गया है।
29.	कुण्डा–1/तमिलनाडु 1960–64	3 x 20	हां	
30.	कुण्डा–2/तमिलनाडु 1960–64	5 x 35	हां	
31.	कुण्डा–3/तमिलनाडु 1966–78	3 x 60	हां	
32.	कुण्डा–4/तमिलनाडु 1964–88	2 x 50	हां	
33.	कुण्डा–5/तमिलनाडु	2 x 20	हां	

1	2	3	4	5
34.	मोयार पीएच/तमिलनाडु 1952–53	3 × 12	हां	
35.	मेत्तूर सुरंग*/तमिलनाडु 1965–66	4 × 50	हां	

*टीएनईबी द्वारा सामना की गई समस्याओं के आधार पर टीएनईबी द्वारा तैयार किया गया आर एम एंड यू प्रस्ताव जिसमें इनटेक गैट्स, ट्रेश रेक स्क्रीन, पेनस्टॉक पाईप और स्पाइरल केसिंग की मरम्मत, स्टेटिक एक्साइटेशन सिस्टम, गवर्नरों का आधुनिकीकरण श्रेणी–एफ इंसुलेशन के साथ स्टेटर/रोटर वाईंडिंग की पुनर्स्थापना, ऑटो सिंकरोनाइजेशन, जेनरेटर्स ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत और स्विचगियर प्रतिस्थापना।

नोट–टीएनईबी न मद 25 से 36 में सूचीबद्ध अपने विद्युत स्टेशनों में से 4 स्टेशनों पर भी आरएलए अध्ययन कार्य कर लिया है।

राष्ट्रीय कृषि नीति

*13. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की गहराई से जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार का किन–किन क्षेत्रों में इन नीतिगत सिफारिशों को गंभीरता से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि नीति लोक सभा के पटल पर दिनांक 28 जुलाई, 2000 को रखी गयी थी। इस नीति में प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग के आधार पर कृषि के सतत् और मांग आधारित विकास को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गयी है जिससे आज भारतीय कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का सामना किया जा सके। उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस नीति में नौ सूत्रीय नीतिगत कार्यक्रमों को दर्शाया गया है यथा–कृषि का सतत् विकास, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सृजन और अंतरण, आदानों के प्रबन्धन में सुधार, कृषि हेतु प्रोत्साहन, कृषि निवेश को बढ़ावा, छोटे और सीमांत किसानों की ऊर्जा को सरणीकृत करने हेतु (चैनलाइज) संस्थागत संरचना का सुदृढ़ीकरण, जोखिम के प्रति बेहतर प्रबंध और प्रबंधपरक सुधार शुरू करना।

राष्ट्रीय कृषि नीति की कई सिफारिशें पहले ही क्रियान्वयनाधीन हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति के कारगर क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित लोगों के साथ परामर्श करके एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य योजना को तैयार करने में समन्वय स्थापित करने और जरूरी नेटवर्क स्थापित करने के लिए कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति से दिसम्बर 2000 तक कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

सरकार राष्ट्रीय कृषि नीति में निहित सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रति गंभीर है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट

*14. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
प्रो. दुखा भगत :

क्या कृषि मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के मूल्यों में अत्यधिक कमी आई है और किसानों को अपने कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष और गत वर्ष के दौरान कृषि फसलों के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं; और

(ग) किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) कृषि उत्पादों के मूल्य कुछ स्थानों पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे चल रहे हैं। नामित केंद्रीय शीर्ष अभिकरणों को किसानों द्वारा बेची जाने वाली जिंसों की खरीद करते समय किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं। सरकार, जहां आवश्यक है, आयात को नियंत्रित करने हेतु आयात शुल्क को एक साधन के

रूप में प्रयोग कर रही है तथा निर्यात को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि कृषि जिंसों की आपूर्ति तथा मांग के बीच संतुलन कायम किया जा सके। चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण कृषि जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राज्य सरकारों से चालू वर्ष के दौरान खेतों पर कटाई मूल्यों संबंधी जानकारी भी एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

जिंस	28.10.2000 की स्थिति के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक प्रतिशत विचलन	
	1999 की तुलना में 2000	1998 की तुलना में 1999
1	2	3
कृषि जिंस	1.0	−1.5
चावल	−7.6	20.9
ज्वार	−23.3	30.8
बाजरा	−17.1	36.8
रागी	−9.3	22.7
मक्का	−3.3	13.1
गेहूं	−1.8	20.7
जौ	−23.8	46.9
चना	11.7	2.4
अरहर	−25.2	−14.3
मूंग	−2.2	3.9
उड़द	16.5	18.4
गन्ना	0.0	12.2
कपास	8.1	−10.7
छिलका युक्त मूंगफली	−3.6	−0.7
जूट	20.9	0.0
तोरिया/सरसों	−21.6	−20.5
सूरजमुखी बीज	11.0	−29.2
सोयाबीन	16.5	−9.4
कुसुम	−16.2	−13.7
तम्बाकू	5.4	−18.3
खोपरा	−42.5	21.6
तिल	−31.4	9.1

[अनुवाद]

भूख से मौतें

*15. **डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर पश्चिमी उड़ीसा में अभी भी भूख से मौतें होने की खबरें आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सूखा प्रभावित राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राज्य सरकारों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केंद्र सरकार द्वारा सूखे की स्थिति खत्म करने के लिए किए गए उपाय संक्षेप में निम्नवत् हैं—

(i) सूखा प्रभावित राज्यों में सूखा आकस्मिकता कार्य योजना परिचालित की गई है।

(ii) केंद्र सरकार सूखे की स्थिति का निरंतर मानीटरन तथा समीक्षा कर रही है तथा राज्यों को समय पर उचित उपाय शुरू करने की सलाह दे रही है।

(iii) सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल भेजने का निर्णय लिया गया है।

(iv) आपदा राहत कोष का देय केंद्रीय अंश सूखा प्रभावित राज्यों को निर्मुक्त किया जा चुका है।

(v) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में समी परिवारों को 20 कि.ग्रा. प्रति परिवार इकाई की दर से गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) की दर पर अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

(vi) रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू करने के लिए संबंधित केंद्रीय स्कीमों के तहत धनराशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

(vii) राज्यों को 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम शुरू करने की सलाह दी गई है।

(viii) पेयजल आपूर्ति विभाग पेयजल संबंधी कार्यों को शीघ्रता से अंजाम देने के लिए पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का निरंतर मानीटरन कर रहा है।

(ix) केंद्रीय भूजल बोर्ड को राज्यों को पेयजल के लिए अन्वेषणात्मक नलकूप सौंपने की सलाह दी गई है।

(x) राज्यों को जल की कमी के प्रति किसानों को जागरूक बनाने तथा कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है।

(xi) राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि जहां आवश्यक हो, चारा डिपो तथा मवेशी शिविर खोले जाएं।

[हिन्दी]

नदियों में प्रदूषण

***16. श्री पदम सेन चौधरी :**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन नदियों की सफाई करवाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) इन नदियों के जल को कब तक स्वच्छ किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 16 राज्यों में 14 बड़ी नदियों के प्रदूषित भागों का पता लगाया गया है। नदियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने 452 करोड़ रुपये की लागत से गंगा कार्य योजना चरण–1 को 1985 में शुरू किया था जो 31.3.2000 को पूरा हो गया है। तत्पश्चात् सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अनुमोदित की थी जिसमें 2504.92 करोड़ रुपये की लागत से गंगा कार्य योजना चरण–2 शामिल है। कार्य योजना में ये कार्य शामिल हैं–1. अशोधित मलजल को नदी में बहने से रोकने और सफाई हेतु उसे डाइवर्ट करने हेतु अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन कार्य, 2. डाइवर्ट किए गए मलजल की सफाई हेतु मलजल शोधन संयंत्र, 3. नदी किनारों पर खुले में शौच करने को रोकने हेतु कम लागत के सफाई कार्य, 4. काष्ठ के संरक्षण तथा नदियों में अधजले शवों को फेंकने के कारण नदियों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए विद्युत एवं उन्नत काष्ठ आधारित शवदाहगृह, 5. नदी मुहाना विकास कार्य जैसे स्नान घाटों आदि का सुधार तथा 6. अन्य विविध कार्य। औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी एवं नियंत्रण विद्यमान पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन नदियों की सफाई पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है–

वर्ष	(करोड़ रुपये में)
1997–1998	99.44
1998–1999	107.76
1999–2000	157.31
2000–2001 (31.10.2000 तक)	25.63

(ङ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को 2005 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नदियां

संख्या	नदी	राज्य संख्या	राज्य
1	2	3	4
I	आद्यार	1.	तमिलनाडु
II	बेतवा	2.	मध्य प्रदेश
III	भद्रा	3.	कर्नाटक

1	2	3	4
IV	ब्राह्मिणी	4.	उड़ीसा
V	कावेरी		कर्नाटक
			तमिलनाडु
VI	क्यूम		तमिलनाडु
VII	चम्बल	5.	राजस्थान
			मध्यप्रदेश
VIII	दामोदर	6.	झारखंड
		7.	पश्चिम बंगाल
IX	गंगा	8.	उत्तर प्रदेश
		9.	बिहार
		10.	उत्तरांचल
			पश्चिम बंगाल
X	गोदावरी	11.	आंध्र प्रदेश
		12.	महाराष्ट्र
XI	गोमती		उत्तर प्रदेश
XII	खान		मध्य प्रदेश
XII	कृष्णा		महाराष्ट्र
XIV	क्षिप्रा		मध्य प्रदेश
XV	महानदी		उड़ीसा
XVI	नर्मदा		मध्य प्रदेश
XVII	साबरमती	13.	गुजरात
XVIII	सतलज	14.	पंजाब
XIX	सुवर्णरेखा		झारखंड
XX	ताप्ती		मध्य प्रदेश
XXI	तुंगा		कर्नाटक
XXII	तुंगभद्रा		कर्नाटक
XXIII	वैनगंगा		मध्य प्रदेश
XXIV	यमुना	15.	दिल्ली
		16.	हरियाणा
			उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

गुजरात में डाकघर

*17. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामों में डाकघरों को खोलने के लिए कौन से मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गुजरात के कितने गांवों में डाकघर–सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या कतिपय राज्यों में ऐसे अनेक गांव हैं जहां डाक लाने ले–जाने की सुविधा तो उपलब्ध है, परंतु अभी तक जहां किसी भी डाकपेटी अथवा पोस्ट–कार्डों, लिफाफों और डाक–टिकटों आदि के विक्रय की व्यवस्था नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो स्वतंत्रता की स्वर्ण–जयंती मना लेने के पश्चात् भी इन गांवों को ऐसी सुविधा से वंचित रखने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं–

	सामान्य क्षेत्र	पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्र
1. जनसंख्या	3000 (गांवों के समूह की, जिसमें वह गांव भी शामिल है, जहां डाकघर खोला जाना है)	एक अकेले गांव की आबादी 500; अथवा गांवों के समूह की आबादी 1000
2. दूरी	मौजूदा निकटतम डाकघर से 3 कि.मी.	3 कि.मी. सिवाय इसके कि विशेष मामलों में निदेशालय द्वारा दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है।
3. प्रत्याशित आय	लागत का 33.3%	लागत का 15%

(ख) गुजरात में 8090 गांवों में डाकघर हैं।

(ग) और (घ) देश के सभी गांवों को डाक सुविधा प्रदान की गई है तथा वहां दैनिक आधार पर डाक वितरण सुविधा भी उपलब्ध है। अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट जब डाक वितरित करने की ड्यूटी पर गांवों में जाता है, तब वह डाक–टिकट और डाक–लेखन सामग्री भी बेचता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री के लिए पोस्टकार्ड, लिफाफे तथा डाक–टिकट और साथ ही डाक वितरण सहज रूप से उपलब्ध कराने के लिए, हाल में पंचायत संचार सेवा केंद्र योजना शुरू की गई है तथा चालू वर्ष में, ग्रामीण क्षेत्र में 2000 ऐसे केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। विभाग के हाल के नीति निर्णय के अनुसार, ऐसे गांवों में लैटर बॉक्स लगाए जा रहे हैं, जिनकी जनसंख्या 300 या उससे अधिक है।

पशु अंगों का अवैध व्यापार

***18. श्री जी. गंगा रेड्डी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के मृत शरीर के अंगों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी खरीद–फरोख्त किए जाने के मद्देनजर होने वाले गंभीर पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार पर नियंत्रण रखने वाले गिरोहों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पशु अंगों के अवैध व्यापार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जी, हां। संगठित माफिया द्वारा वन्यजीवों के चोरी–छिपे शिकार व उनके व्युत्पन्नों के अवैध व्यापार से देश में वन्यजीवों के संरक्षण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कालांतर में अवैध शिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं के साथ मजबूत संबंध कायम कर लिए हैं। वे मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष का भरपूर फायदा उठाते हैं और ग्रामीणों को ऐसे जानवरों का अवैध शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं अथवा इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय गुप्त बाजार में बहुत अधिक कीमत प्राप्त होती है। वे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन विभाग की अपर्याप्त ढांचागत सुविधाओं का भी लाभ उठाते हैं। संरक्षित क्षेत्रों व उनके आसपास के क्षेत्रों में मानव और पशुओं की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप वन्यजीवों के वासस्थलों की स्थिति खराब होने के कारण भी यह समस्या और अधिक बढ़ गई है। संगठित गैंगों द्वारा देश से जिन महत्वपूर्ण वन्यजीव उत्पादों का अवैध व्यापार किया जा रहा है उनमें कस्तूरी, गैंडे के सींग, बीयर–बाइल, हाथी दांत, बाघों की खालें और उनकी हड्डियां तथा शाहतूश शामिल हैं।

भारत सरकार ने इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

(i) वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश में प्रमुख निर्यात और व्यापार केंद्रों में वन्यजीव संरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वन्यजीवों को उनके शिकार और व्यापारिक शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(iii) अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधी व्यक्तियों को पकड़ने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(iv) वन्यजीवों की प्रभावी सुरक्षा के मामले में राज्यों की क्षमता व उनकी रुचि में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार इन राज्यों को विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, संरक्षित क्षेत्रों व उनके आसपास के क्षेत्रों में पारि–विकास और लाभोन्मुखी आदिवासी विकास कार्यक्रम आदि के अंतर्गत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मुहैया कराती है। संगठित माफियाओं के साथ मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स का गठन करने तथा सुरक्षा कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को इनाम देने के लिए सहायता दी जाती है।

(v) वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय एवं प्रवर्तन समिति का गठन किया गया है। अनेक राज्य सरकारों ने भी राज्य/जिला स्तर पर इसी तरह की समितियों का गठन किया है।

(vi) वन्यजीवों की सुरक्षा संबंधी गतिविधियों की प्रभावी रूप से मानीटरी करने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(vii) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की देश

से होने वाली तस्करी पर काबू पाने के लिए अपनी निर्यात/आयात नीति को भी और अधिक कारगर बनाया है।

(viii) भारत सरकार ने वन्यजीवों के हमले से मानवीय जीवन को हुए नुकसान के लिए प्रतिपूर्ति राशि को 20,000 से बढ़ाकर 1.00 लाख रुपये कर दिया है ताकि लोगों द्वारा की जाने वाली बदले की कार्रवाई को रोका जा सके।

प्राणि उद्यानों के प्रबंधन में सुधार

*19. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राणि उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन और उनके रख–रखाव कार्य को औद्योगिक घरानों अथवा गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में प्राणि उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या देश में प्राणि उद्यान प्रबंधन पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं और लोगों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्राणि उद्यान प्रबंधन अकादमी खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) भारत में चिड़ियाघरों के स्वामित्व की पद्धति अलग–अलग है। राज्य सरकार, नगर निगम, सरकारी उद्यम और निगमित क्षेत्रों ने अपने चिड़ियाघर बना रखे हैं। किसी भी चिड़ियाघर के प्रबंधन को किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित करने का कोई भी निर्णय केवल चिड़ियाघर के मालिकों द्वारा ही लिया जा सकता है। भारत सरकार को इस संबंधी किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

जहां तक अभयारण्यों का संबंध है राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों सहित वन भूमि राज्य सरकार की संपत्ति है और प्रबंधन हस्तांतरित करने का कोई भी निर्णय केवल राज्य सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है। भारत सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चिड़ियाघरों के प्रबंधन में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

- चिड़ियाघरों के जानवरों के आवास, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मानक लागू करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केंद्रीय चिड़ियाघर नियम भी शामिल किए गए हैं जिनमें चिड़ियाघरों के जानवरों की सुरक्षा उनके आवास तथा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मानकों और मानदंडों की व्यवस्था है।

- देश के चिड़ियाघरों में सुधार के लिए तीन आयामों वाली कार्यनीति तैयार की गई है–

(क) भविष्य में अवमानक चिड़ियाघरों की स्थापना को रोकना;

(ख) ऐसे चिड़ियाघरों को बंद करना, जहां चिड़ियाघर के जानवरों का प्रबंधन निर्धारित मानकों के स्तर तक किए जाने की संभावना न हो।

(ग) जिन चिड़ियाघरों में सुधार की संभावना है और वे निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य कर सकते हैं उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने अपने प्रारंभ से लेकर प्राणि आवास, अनुरक्षण, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा, पशु चिकित्सा परिचर्या और बचाव केंद्रों के सुधार के लिए विभिन्न चिड़ियाघरों को 27.48 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

- चिड़ियाघर के प्रबंधकों, चिड़ियाघर के पर्यवेक्षकों और चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों की क्षमता का विकास करने, तथा उनकी कार्य कुशलताओं को बढ़ाने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के साथ नियमित पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है। उन्हें विकसित देशों में चिड़ियाघर प्रबंधन की जानकारी देने के लिए जर्सी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ट्रस्ट, ब्रिटेन के लघु पाठ्यक्रमों में भी भेजा गया।

- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना से लेकर 23 चलते–फिरते चिड़ियाघरों को बंद कर दिया गया है।

अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की प्रबंधन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम–

* राज्यों पर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है कि वे अभयारण्यों के लिए प्रबंध योजनाएं तैयार करें अन्यथा इनके बिना उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

* अधिकारों का नियतन करने और वनों की सीमाओं को युक्तिसंगत बनाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

* ऊंचे पहाड़ों, तटीय क्षेत्रों तथा रेगिस्तानों में जहां मस्क डियर, कछुआ, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, रिनो, फेरीज मंकी, संगाई डियर तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी दुर्लभ जातियां रहती हों उनकी सुरक्षा के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती दोनों मदों के लिए 100 प्रतिशत सहायता दी जाएगी।

* वन्यजीवन की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय परिव्यय 8वीं पंचवर्षीय योजना के लगभग 174.42 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 9वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 364 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

* भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा वन्यजीव में कर्मचारियों की क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से चलाया जा रहा है।

(घ) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून/केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अल्पावधिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर, देश में चिड़ियाघरों के प्रबंधन से संबंधित कोई अन्य पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है। लोगों को विकसित देशों के चिड़ियाघरों के प्रबंध कौशल से अवगत कराने के लिए विदेशों में भेजा जाता है।

(ङ) ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर इस मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार नहीं किया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय किसानों के हितों की रक्षा

*20. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव का मूल्यांकन करने और भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए एक चार सदस्यीय कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को कृतिक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में किसानों के हितों की रक्षा के लिए अन्य क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) कृषि के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है। कार्यबल के विचारार्थ विषयों में भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव का मूल्यांकन करना भी एक विषय है।

इस कार्यबल में निम्नलिखित सदस्य हैं–

(i) श्री शरद जोशी, अध्यक्ष, शेतकारी संगठन.....अध्यक्ष

(ii) श्री पी. पी. प्रभू, पूर्व सचिव

(वाणिज्य), भारत सरकार.....सदस्य

(iii) प्रो. अभिजीत सेन, अर्थशास्त्री, वर्तमान अध्यक्ष, कृषि लागत

और मूल्य आयोग.....सदस्य

(iv) श्री आर. सी. ए. जैन, अपर सचिव, कृषि और सहकारिता

विभाग.....सदस्य–सचिव

कार्यबल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं–

(क) विश्व व्यापार संगठन की वचनबद्धता के प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा इस समझौते से प्राप्त अवसरों का दोहन करते हुए इस क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिए उपायों पर सुझाव देना।

(ख) कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विकसित होने वाली प्रौद्योगिकियों के उपयोग को समेकित करने के लिए सुझाव देना।

(ग) उत्पादन प्रणालियों, बीमा, मूल्य, तन्त्र, भावी व्यापार सहित कृषि में कारगर जोखिम प्रबन्ध के लिए सुझाव देना।

(घ) सरकार द्वारा इसे भेज गए अन्य मामले।

कार्यबल द्वारा अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2001 तक प्रस्तुत करने की संभावना है।

(घ) विश्व व्यापार संगठन के तहत कृषि संबंधी करारों पर भारत के समझौता प्रस्तावों को प्रतिपादित करने हेतु कृषि और सहकारिता विभाग ने वाणिज्य मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से राज्य सरकारों, कृषक संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों की 31 जनवरी को अहमदाबाद में, 27 मार्च को कलकत्ता

में तथा 7 अप्रैल, 2000 को कोचीन में कृषि समझौते पर तीन क्षेत्रीय मंत्रणाएं कीं। 10 जून, 2000 को आई आई एफ टी नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने 13 सितंबर को राजनैतिक दलों के नेताओं, किसानों के प्रतिनिधियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ तथा 14 सितंबर, 2000 को राज्यों के कृषि और खाद्य मंत्रियों के साथ दो बैठकें कीं। इन मंत्रणाओं तथा बैठकों के निष्कर्षों और सलाह के आधार पर कृषि और सहकारिता विभाग ने देशहित में निम्नलिखित मुद्दों पर समझौता प्रस्ताव तैयार किए हैं—

(i) बाजार तक पहुंच

(ii) घरेलू सहायता

(iii) निर्यात प्रतिस्पर्धा

(iv) खाद्य सुरक्षा

टेलीफोन केबलों की चोरी

1. श्री नरेश पुगलिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में पिछले वर्ष के दौरान और आज तक टेलीफोन तार चोरी के कितने मामले सामने आये;

(ख) टेलीफोन तार की चोरी के परिणामस्वरूप कितने टेलीफोन खराब रहे;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में टेलीफोन कितनी अवधि के लिए खराब रहें;

(घ) उक्त अवधि में टेलीफोन उपभोक्ताओं को क्या राहत दी गई; और

(ङ) सरकार द्वारा टेलीफोन केबलों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टंकक और आशुलिपिक

2. श्री पी. आर. खुंटे : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय/विभाग तथा अधीनस्थ कार्यालयों में ऐसे टंककों तथा आशुलिपिकों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक हिंदी टंकण तथा आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) उन्हें यह प्रशिक्षण न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें ऐसा प्रशिक्षण कब तक दिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) वर्तमान में, मंत्रालय तथा इसके कार्यालयों में 8 टाइपिस्ट और 19 स्टेनोग्राफर हैं जिन्होंने क्रमशः हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण नहीं लिया है।

(ख) और (ग) जिन टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों को हिंदी टाइपिंग और हिंदी स्टेनोग्राफी का ज्ञान नहीं है, उन्हें नियमित रूप से चरणबद्ध तरीके से विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में संबंधित प्रशिक्षणों के लिए नामित किया जा रहा है। प्रशिक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और हमारा यह प्रयास है कि हम अपने सभी टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों को यथाशीघ्र हिंदी का प्रशिक्षण दिला दें।

[अनुवाद]

बिहार और झारखंड में कृषि योग्य भूमि

3. श्री एस. पी. सेपचा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और झारखंड राज्यों में कृषि योग्य कुल कितनी भूमि है; और

(ख) उक्त राज्यों में कितना कृषि क्षेत्र बाढ़ और सूखा प्रवण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) झारखंड सहित बिहार राज्य में कुल कृष्य/कृष्ट भूमि 92.3 लाख हैक्टेयर है।

(ख) बाढ़ प्रवण और सूखा प्रवण अनुमानित क्षेत्र क्रमशः 42.6 लाख हैक्टेयर तथा 44.4 लाख हैक्टेयर है।

खराब पड़े टेलीफोन

4. श्री समर चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस स्टेशन के टेलीफोन संपर्क में अधिकतर खराबी रहती है और 50 प्रतिशत उपमंडलीय सरकारी मुख्यालय टेलीफोन खराब रहने के कारण राज्य के बाकी हिस्सों और देश से कटे रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये समस्याएं अपेक्षित मशीनरी और इलेक्ट्रानिक उपकरणों आदि की आपूर्ति न किए जाने की वजह से पैदा हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि कुछ उपमंडल मुख्यालयों और ब्लॉक तथा ग्राम पंचायतों में अविश्वसनीय पारेषण माध्यम के कारण दूरसंचार सेवाएं यथापेक्षित नहीं हैं। सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान करने तथा वीपीटी के लिए वायरलेस–इन–लोकल–लूप जैसी नई प्रौद्योगिकी चरणबद्ध रूप से लगाने की योजना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सेल्यूलर फोन कंपनियां

5. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी पहले लाइसेंस दिए जाने के बाद भी अपना परिचालन आरंभ न करने वाली सेल्यूलर फोन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन आपरेटरों के खिलाफ सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) इस समय जिन कंपनियों को सेल्यूलर टेलीफोन सेवा लाइसेंस प्राप्त हैं उनमें से केवल एक कंपनी मै. हैक्साकॉम इंडिया लिमिटेड ने अभी तक पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल में अपनी सेल्यूलर सेवा शुरू नहीं की है। मै. हैक्साकॉम ने सूचित किया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक न होने के कारण पूर्वोत्तर में अभी तक अपना प्रचालन शुरू नहीं कर सके हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंसधारक कंपनी को सेवा शुरू करने के लिए यथा अपेक्षित अतिरिक्त समय दिया जाए।

आंध्र प्रदेश में नये दूरभाष केंद्र

6. श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल वर्ष 2000–2001 के दौरान सुदूर क्षेत्रों में लगभग 200 नये टेलीफोन केंद्र खोलने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल को वर्ष 2000–2001 के लिए 2000 कि.मी. लंबी (6 फुट की 1500 कि.मी. लंबी और 12 फुट की 500 कि.मी. लंबी) अतिरिक्त फाइबर आबंटित किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके मंत्रालय से प्राथमिकता के आधार पर आंध्र प्रदेश दूरसंचार को आवश्यक केबल आबंटित करने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी/करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी हां, वर्ष 2000–2001 के दौरान आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल के ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में 300 नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की योजना बनाई गई है। 1.4.2000 से 15.11.2000 तक चालू किए गए 82 एक्सचेंजों का स्थान–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है तथा वर्ष 2000–2001 की शेष अवधि के दौरान खोले जाने वाले 218 एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल को अतिरिक्त 2000 कि.मी. ऑप्टीकल फाइबर केबल (6एफ की 1500 कि.मी., 12एफ की 500 कि.मी.) आबंटित कर दिया गया है। अपेक्षित सामग्री प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चालू किए गए नए एक्सचेंज (1.4.2000 से 15.11.200)

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
1	2	3	4
1.	आदिलाबाद	1.	देहगांव
2.		2.	देवापुर (टी)
3.		3.	लाल्लोकडी
4.	अनंतपुर	1.	पेन्नानगर
5.	चित्तूर	1.	इड्गापल्ली

1	2	3	4
6.	कुड्डपाह	1.	अन्कालाम्मागूडूरू
7.	गुंटूर	1.	चिलूवूरू
8.		2.	मुटलुरू
9.		3.	पानीडेम
10.		4.	त्याल्लूर–75
11.		5.	उल्लीपालेम
12.	करीमनगर	1.	अल्लीपुर
13.		2.	एरडांडी
14.		3.	गन्नेरूवरम्
15.		4	कमलापुर
16.		5.	कटकूर
17.		6.	हनुमाजीपेटा
18.		7.	पेड्डीलींगापुर
19.		8.	पोलसा
20.		9.	पैदीमाडुगू
21.		10.	समुद्रला
22.		11.	वेंगर्टाओपल्ली
23.		12.	उप्पल
24.	खम्माम	1.	बन्दीरेवू
25.	कृष्णा	1.	उप्पूलूरू
26.	कुरनूल	1.	चिन्तयापल्ली
27.		2.	चित्तयाला
28.		3.	एडूरूर
29.		4.	कडूमुरू
30.		5.	लक्ष्मीपुरम्
31.		6.	माधवाराम
32.		7.	परूमंचला
33.	महबूबनगर	1.	वेलूजयपल्ली
34.		2.	बुरूगुला
35.		3.	गूंडूर
36.		4.	इटिक्याल
37.		5.	करकलपहाड़
38.		6.	मंगनूर
39.		7.	मूलधेरा
40.		8.	नारवा
41.	मेडक	1.	चित्तापुर
42.		2.	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा
43.		3.	नच्चारामगुट्टा
44.		4.	नरसिंगी
45.		5.	पत्थूर
46.		6.	शिवमपेट
47.	नालगोंडा	1.	आलागडप्पा
48.		2.	एन्नाराम
49.		3.	कांगल
50.		4.	कप्पूगल्लू
51.		5.	कुंत्लागुडेम
52.		6.	मरीयाला
53.		7.	मोटाकोदूंरू
54.		8.	पेड़ा मुंगला
55.		9.	पिल्लैपल्ली
56.		10.	सिवानागु डेम
57.		11.	त्रिमलागिरी

1	2	3	4
58.		12.	टि.के. पहाड़
59.		13.	वेमूलाकोन्डा
60.	नेल्लूर	1.	अमीनचेरला
61.		2.	दुरावरीसतराम
62.		3.	रूद्राकोटा
63.	निजामाबाद	1.	बाडाभीमगल
64.		2.	गन्नाराम
65.		3.	गुंडनमेल्ली
66.		4.	मैंडोरा
67.		5.	नगमपेटा
68.		6.	नलेश्वर
69.		7.	रामाडूगू
70.	प्रकाशम्	1.	कल्लूरू
71.		2.	कामेपल्ली
72.		3.	पोहियावरम
73.		4.	सनिकावरम
74.	रंगारेड्डी	1.	वोरमपेटा
75.		2.	थुमकुंटा
76.	श्रीकाकुलम्	1.	पेड्डासीडी
77.	वारंगल	1.	बालापाला
78.		2.	औविचेरला
79.		3.	गिरनीबावी
80.		4.	कोमरवेल्ली
81.		5.	नाडीकुडा
82.		6.	येल्लापुर

विवरण-II

2000–2001 के दौरान आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चालू किए जाने वाले प्रस्तावित नए एक्सचेंज (16.11.2000 से 31.3.2001 तक)

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	अनुमोदित एक्सचेंज का नाम
1	2	3	4
1.	आदिलाबाद	1.	अचलापुर
2.		2.	मिमनी
3.		3.	धनौरा (ख)
4.		4.	कोटापल्ली
5.		5.	लोनवेल्ली
6.		6.	मड्डीपडगा
7.		7.	नारायणापुर
8.		8.	पत्थावेमपल्ली
9.		9.	रामटेक
10.		10.	तल्लागुर्जाया
11.	अनंतपुर	1.	ब्रह्म समुद्रम्
12.		2.	चिम्मलावेगुपल्ली
13.		3.	जन्तुलूरू
14.		4.	मरूतला–II
15.		5.	मथुवाकुन्टा
16.		6.	नारायणापुरम्
17.		7.	नयामड्डाला
18.		8.	सुलाचेरूवू
19.		9.	सीताराम नगर
20.		10.	टगराकुंटा
21.	चित्तूर	1.	एप्पेनपल्ली
22.		2.	बंदममेडाकामापल्ली

1	2	3	4
23.		3.	के.सी. पल्ली
24.		4.	मल्लनपुर
25.		5.	मुंगुलीपल्लू
26.		6.	नेल्लीपल्ली
27.		7.	पप्पीरेडीघडीपल्ली
28.		8.	तुडकापल्ली
29.	कुड्डपाह	1.	बम्मीपल्ली
30.		2.	दयाआनखपल्ली
31.		3.	देवापटला
32.		4.	ऐरूरू
33.		5.	गुंडाकुंटला
34.		6.	कोगाटम्
35.		7.	मुक्कावरीपल्ली
36.		8.	मुरारीचिंतीलल्ला
37.		9.	नागावरम्
38.		10.	नगुलागुट्टापल्ली
39.		11.	पी.वी.जी. पल्ली
40.		12.	पंडिल्लावल्ली
41.		13.	श्रीरामुलपेटा
42.		14.	थल्लापल्ली
43.		15.	उरूतुरू
44.		16.	बीरनागटटूपल्ली
45.	पूर्वी गोदावरी	1.	ए.वी. नागाराम
46.		2.	एन्नूरू
47.		3.	देव गुप्तम्
48.		4.	दुनकारी
49.		5.	जन्नावरम
50.		6.	कुन्नावरम्
51.		7.	एन. कोटठापल्ली
52.	गुंटूर	1.	डैडा
53.		2.	इंगुपल्लेम
54.		3.	गोवाड़ा
55.		4.	जम्मूलपलेम
56.		5.	कन्नूपेरू
57.		6.	मड्डुगुला
58.		7.	मुथैयालमपड्डू
59.		8.	पंजीवापलेम
60.		9.	पुल्लीपड्डू
61.		10.	राजूकलवा
62.		11	खेला
63.		12.	श्रीगिरीपड्डू
64.		13.	श्रीपुरम्
65.		14.	तल्लापल्ली
66.		15.	वीरापुरम
67.	करीमनगर	1.	भीमरावपेट
68.		2.	किश्तमपेटा
69.		3.	कोटठाकुडा
70.		4.	लक्ष्मणपल्ली
71.		5.	लिंगनापेटा
72.		6.	नागमपेट्टा
73.		7.	पत्थीपका
74.	खम्माम	1.	गोब्बागुर्थी

1	2	3	4
75.		2.	जमालापुरम
76.		3.	जानकीपुरम
77.		4.	के.जी. श्रीपुरम
78.		5	मुडूलागूडेम
79.		6	नागाराम
80.		7.	पल्लेयर
81.		8.	पिरूरू
82.		9.	पुशुगुडेम
83.		10.	उप्पेरूरू
84.	कृष्णा	1.	अच्छमपलेम
85.		2.	पोडंगी
86.		3.	कोंडप्पावलूरू
87.		4	पांडरिप्पल्लीगुडेम
88.		5.	व्यावाक
89.	कुरनूल	1.	बानावशी
90.		2.	बुदुरू
91.		3.	चिन्नाथम्बियाम
92.		4.	देवमडिंने
93.		5.	देवराबांदा
94.		6.	उड़ीकोड़ा
95.		7.	दुडियाला
96.		8.	गुंडाकोड़ा
97.		9.	एच. मुरावनी
98.		10.	कोटाकोंडा
99.		11	लंक्कासागरम
100.		12.	मैलूर
101.		13	मुलूगुंडम
102.		14.	नंदावरम
103.		15.	पेशलाबांदा
104.		16.	रिमाटा
105.		17.	संगलापुरम
106.		18.	तिरनीकल्लू
107.		19.	वेमूगुड्डु
108.	महबूबनगर	1.	अक्कुथोटापल्ली
109.		2.	एल्लेरू
110.		3.	अम्मापुर
111.		4.	वालमपेट
112.		5.	बोलावेल्ली
113.		6.	एडीरा
114.		7.	गजूलापेटा
115.		8.	गंगाराम
116.		9.	गोलापेरू
117.		10.	गुडावल्लूर
118.		11.	गुम्मडाम
119.		12.	हकीमपेट
120.		13.	हसनाबाद
121.		14.	इप्पलापल्ली
122.		15.	करूकोंड्डा
123.		16.	कोडैयर
124.		17.	मन्ननूर
125.		18.	मेदीपुर
126.		19.	नागापुर
127.		20.	पोन्नाकल

1	2	3	4
128.		21.	सोलीपुर
129.	मेडक	1.	अक्षमपल्ली
130.		2.	बोडूपटला
131.		3.	कुकूनूपल्ली
132.		4.	मारवेललली
133.		5.	मुलूगू
134.		6.	पेड़ापुर
135.		7.	सुलतानपुर
136.		8.	तिगुलापुर
137.		9.	टिम्मापुर
138.		10.	वेंकटरावपेट
139.	नालगोंडा	1.	वोल्लीपेल्ली
140.		2.	चेरूकुपल्ली थुंगातुर्थी
141.		3.	चिंनामाधवराम
142.		4.	मुत्थै
143.		5.	नेल्लीकल
144.		6.	पालादुगू
145.	नेल्लूर	1.	चटाकत्ला
146.		2.	चिल्कामेरी
147.		3.	चिलमन चेनू
148.		4.	चिंतलतमकुर
149.		5.	चिट्टीयेडू
150.		6.	फस्वारावका
151.		7.	गुडमादकैया
152.		8.	हसनापुरम
153.		9.	कुम्मी
154.		10.	मोमूदूरू
155.		11.	मुल्लाथोटा
156.		12.	बल्लीवेडू
157.		13.	बनमीहोपू
158.	निजामाबाद	1.	अरगुल
159.		2.	चिल्लागिरी
160.		3.	चौटूपल्ली
161.		4.	गोविन्दापेट
162.		5.	पिपरी
163.		6.	रायहूनगर
164.		7.	तंदूर
165.		8.	थलारामपुर
166.		9.	उटनूरू
167.		10.	येरागटला
168.	प्रकाशम्	1.	अड्डुसुम्ली
169.		2.	बेस्तावरीपेटा
170.		3.	बोतलागड्डूर
171.		4.	बोलतापलेम
172.		5.	डड्डवारणा
173.		6.	पोल्लापुड़ी
174.		7.	मारीपुड़ी
175.		8.	मोहिद्दीनपुरम
176.		9.	मोक्ष गुडम्
177.		10.	पेड़ागंजम
178.		11.	राजूपलेम
179.		12.	रूद्र वरम्
180.	रंगारेड्डी	1.	अलियाबाद
181.		2.	गौंडाकोंडा

1	2	3	4
182.		3.	गंदीफ
183.		4.	बेन्नाचेडू
184.	श्रीकाकुलम्	1.	देवम्लथणा
185.		2.	जी. सीतारामपुरम्
186.		3.	पथोरलापल्ली
187.	विशाखापटनम्	1.	चुचुकोन्डा
188.		2.	जीतम इंजी. कालेज कॉम.
189.		3.	कोडूरू
190.		4.	पल्वालसा
191.		5.	सोनियम
192.	विजयानगरम्	1.	वेगूवालसा
193.		2.	बंदालूप्पी
194.		3.	गरगुबेल्ली
195.		4.	गुडीबड़हा
196.		5.	पेंडमाजीपलेम
197.	वारंगल	1.	अन्नारामशरीफ
198.		2.	बोल्लीकुटा
199.		3.	चिन्नामुप्पाराम
200.		4.	चिन्नमएकोन्डा
201.		5.	डुगोंडी
202.		6.	पटरैपल्ली
203.		7.	खन्नापुरम्
204.		8.	कोथागुडा
205.		9.	मल्लमपल्ली
206.		10.	मुदरै
207.		11.	मुप्पाराम
208.		12.	मुथ्याराम
209.		13.	नागापुरी
210.		14.	नागाराम
211.		15.	पेंबरथी
212.		16.	रिगोंडा
213.		17.	टरीगोपल्ला
214.	पश्चिमी गोदावरी	1.	अय्याप्पासजुगुडेम
215.		2.	कल्ला
216.		3.	नरसन्नापलेम
217.		4.	पामूलवेरीगुडेम
218.		5.	सिंगाराजूपलेम

कुक्कुट पालन में पिंजरा प्रणाली

7. डा. रघुबंश प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने कुक्कुट पालन में पिंजरा प्रणाली में मौजूद क्रूरता की रोकथाम के लिए 2011 के अंत तक पिंजरा प्रणाली को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में पिंजरा प्रणाली को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अमेरिका में एक मुर्गी के लिए न्यूनतम जगह 2 वर्ग फीट है जबकि भारत में यह बहुत ही कम है; और

(घ) यदि हां, तो भारत में पिंजरा प्रणाली को चरणबद्ध ढंग से समाप्त किए जाने तक उक्त जगह को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में पिंजरा प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) 'वाणिज्यिक चूजा उत्पादन मैनुअल' नामक अमेरिकी प्रकाशन में पिंजड़ों में प्रति पक्षी 0.50 वर्ग फुट तथा भारतीय मानक

ब्यूरो (बी आई एस) ने प्रति पक्षी 1.25 वर्ग फुट की सिफारिश की है।

(घ) भारत में पिंजरा प्रणाली के लिए स्थान बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गढ़वाल में भेड़ों और बकरियों का मरना

8. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गढ़वाल क्षेत्र में जोशीमठ के आस-पास ऊंचे चारागाहों में किसी रहस्यमयी रोग की वजह से 4500 से अधिक भेड़ें और बकरियां मर गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रोग के कारणों का पता लगाने और इसका उपचार करने के लिए कोई विशेषज्ञ दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या तत्काल कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में एक रहस्यमय रोग फैला है। इस रोग से कुल 10,880 भेड़ें और बकरियां प्रभावित हुईं जिनमें से 755 मर गईं।

(ख) और (ग) इस रोग के कारणों का पता लगाने और इसका उपचार करने के लिए प्रमुख पशुचिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में 9 सदस्यों का एक दल तत्काल प्रभावित क्षेत्र गया। इस दल ने रोग निदान प्रयोगशाला के लिए नमूने इकट्ठे किए और उन्हें तत्काल भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर को भेज दिया गया। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने पस्त देस पेटीट्स रुमीनेन्ट्स के रूप में इस रोग की पुष्टि की है।

(घ) और (ङ) रोग की पुष्टि हो जाने पर शेष संवेदनशील पशुओं को टीके लगाए गए और इसके बाद उस क्षेत्र में इस रोग से मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

उड़ीसा में औषधीय पादप

9. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के पहाड़ों एवं वनों में औषधीय पादपों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान औषधीय पादपों के संरक्षण तथा उस राज्य में औषधीय पादपों के विकास हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) राज्य वन विभाग, उड़ीसा सरकार को उड़ीसा की पहाड़ियों एवं वनों में औषधीय पौधों की मौजूदगी की पूरी जानकारी है। अभिनिर्धारित क्षेत्र में गंधमर्दन, महेन्द्रगिरि तथा सिमलीपाल शामिल हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 100 प्रजातियों के औषधीय पौधे मौजूद होने की जानकारी है।

(ग) और (घ) राज्य में संबंधित वन विभागों के फील्ड स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन क्षेत्रों में औषधीय पौधों की उपयुक्त परिरक्षण एवं संवर्धन करें। प्राणिजात सहित इन प्रजातियों के परिरक्षण के उद्देश्य से सिमलीपाल क्षेत्र को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत वनस्पतिजात एवं प्राणिजात को सुरक्षा प्राप्त होती है और इस क्षेत्र से कोई भी सामग्री नहीं ली जा सकती है। जीवमंडल रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत 1988-89 में मयूरभंज जिले में जशीपुर के पास रामतीर्थ में एक नर्सरी स्थापित की गई है और सिमलीपाल क्षेत्र में उपलब्ध औषधीय पौधों की 43 प्रजातियां पूर्णतः अनुसंधान प्रयोजन के लिए उगाई जा रही हैं।

औषधीय पौधों के संवर्धन के संबंध में राज्य योजना स्कीम के अंतर्गत राज्य वनवर्धन विज्ञानियों द्वारा 1995-98 के तीन वर्षों के दौरान 50 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधे उगाए गए हैं। औषधीय पौधों के स्थल बाह्य एवं स्व-स्थाने संरक्षण के लिए 23,84,212/- रुपये की राशि खर्च की गई है।

औषधीय पौधों सहित इमारती लकड़ी से इतर वनोपज की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। औषधीय पौधों सहित इमारती लकड़ी से इतर वनोपज उगाने के लिए 22 जिलों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित करने के लिए नौवीं योजना के लिए 1997-98 में 492.00 लाख रुपये के परिव्यय से एक परियोजना मंजूर की गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के कारण दिल्ली को खतरा

10. श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संक्रामक जैव–चिकित्सा अपशिष्ट दिल्ली के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्पताल संक्रामक जैव–चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने जैव–चिकित्सा अपशिष्ट को केंद्रीकृत रूप से जलाने हेतु कोई दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन दिशा–निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) 6 मार्च, 2000 को यथासंशोधित जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 की अनुसूची VI के अनुसरण में 30 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अस्पताल और नर्सिंग होम तथा 500 अथवा इससे अधिक बिस्तर वाले सभी अस्पतालों को 30 जून, 2000 तक अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधाएं स्थापित करनी अपेक्षित है। दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली के कुल 44 अस्पतालों ने आवश्यक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर ली है। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होमों से पैदा होने वाले जैव–चिकित्सा अपशिष्ट को भुगतान के आधार पर इकट्ठा करने के लिए सार्वजनिक निविदा के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों का भी अभिनिर्धारण किया है। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे चार मुख्य अस्पतालों में भस्मकों के रखरखाव और प्रचालन की भी व्यवस्था है।

(ग) और (घ) जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2000 के नियम 14 के अनुसार, नगर निगम/नगर पालिकाएं/शहरी निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले क्षेत्रों में सामूहिक निपटान/भस्मीकरण स्थल उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। अन्य क्षेत्रों में नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट पैदा करने वाले दखलदार को स्वयं या संगठन के द्वारा उपचार सुविधा के प्रचालक के लिए उपयुक्त स्थलों की व्यवस्था करनी होगी जिससे नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित सरकारों को जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 को सख्ती से लागू करने के लिए लिखा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड प्रगति की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है और बोर्ड के अध्यक्ष ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को दोषी अस्पतालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा है।

[अनुवाद]

कृषि विकास में तेजी

11. श्री रामदास आठवले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की कृषि प्रौद्योगिकी विकास में सुधार तथा इसके प्रचार एवं कृषि विकास में तेजी लाने हेतु 239.7 मिलियन डालर की लागत वाली एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना रिपोर्ट का कोई ठोस ब्यौरा तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या इस परियोजना को लागू करने के लिए विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशनों ने ऋण तथा सहायता प्रदान करने पर सहमति जताई है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने दिनांक 20–11–1998 से राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना को क्रियान्वित करना आरंभ कर दिया है और इस परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि 5 वर्ष की है। इस परियोजना की कुल संशोधित लागत 200 मिलियन अमरीकी डॉलर है जो 950 करोड़ रु. के बराबर हैं। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में प्रौद्योगिकी निर्माण, निर्धारण, परिशोधन और प्रसार प्रणाली को पुनः गतिशील करना, संपूर्ण, समेकित और सहभागी संकल्पना के माध्यम से स्थान विशेष से जुड़ी उत्पादन समस्याओं से निपटना। निधि से संबंधित संशोधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

धन प्राप्ति के स्रोत	परियोजना पर आने वाली लागत की अनुमानित राशि (अमरीकी डालर मिलियन में)		परियोजना पर आने वाली लागत की अनुमानित राशि (भारतीय रुपये करोड़ में)	
	मूल	संशोधित	मूल	संशोधित
1. आई डी ए ऋण	100.00	100.00	359.32	475.00
2. आई बी आर डी ऋण	96.80	66.80	347.83	317.30
3. भारत सरकार का अंशदान	42.90	33.20	154.15	157.70
कुल	239.70	200.00	861.30	950.00

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

12. श्री जय प्रकाश : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में एक्सजेंच-वार टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची के निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 2,638 व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे। प्रतीक्षा सूची का एक्सचेंज-वार ब्यौरा निम्नानुसार है-

क्र.सं.	एक्सचेंज	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अहिरोरी	25
2.	अटवा करसाथ	15
3.	बघौली	77
4.	बावन	47
5.	बेनीगंज	2
6.	बिलग्राम	230
7.	धेंवर	93
8	धिकुन्नी	0
9.	गोसगंज	0
10.	गोपामऊ	53
11.	हरदोई सिविल	855
12.	हरदोई एल.डब्ल्यू. रोड	343
13.	हरपाल पुर	97
14.	कसीमपुर	0
15.	कौरक	0
16.	कोटावन	0
17.	लालपालपुर	0
18.	माधोगंज	95
19.	मल्लावां	204
20.	पाली	123
21.	पिहानी	125
22.	रायगेन	0
23.	सांधी	51
24.	संडिला	0

1	2	3
25.	सवाईपुर	5
26.	सेमराचुराना	25
27.	शाहबाद	40
28.	सुभानखेरा	0
29.	टांडिया	10
30.	उधरानपुर	93
31.	जहानी खेड़ा	30
32.	कछौना	0
33.	सुरसा	0
34.	टोडरपुर	0

(ख) टेलीफोन कनेक्शन क्रमिक रूप से प्रदान किए जा रहे हैं और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार चल रही प्रतीक्षा सूची को निपटा दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं बशर्ते कि उपस्कर व अन्य संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं पर गैस की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव

13. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस की कीमतों में हो रही वृद्धि से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं की गति धीमी पड़ गयी है अथवा उनमें से कुछ प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं जिनमें गैस का उपयोग ईंधन के रूप में होना था, को बीच में ही रोकना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने कवास, गांधार, अन्ता तथा औरया में अपनी संयुक्त साईकल विद्युत परियोजनाओं को 650 मे.वा. प्रत्येक से विस्तार करने की आयोजना बनाई है, इन विस्तार परियोजनाओं के लिए दीर्घकालीन ईंधन के रूप में स्वीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की परिकल्पना की गई है। पुनर्गैसीकृत एलएनजी का सुपुदर्गी मूल्य अपरिष्कृत तैल मूल्य, जो कि अन्तराष्ट्रीय बाजार में असाधारण रूप में अधिक बढ़ा है (32 अमेरिकी डालर/बैरल) के समकक्ष कर दिया गया है। जिसके कारण एलएनजी कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, एलएनजी मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि से यह आवश्यक हो गया है कि लगभग 4 रुपये/कि.वा.घं. से अधिक के उत्पादन सूचक लागत पर विद्युत खरीदने और ईंधन कीमतों में आगे होने वाले अंतर, यदि कोई हो, को खपाने के लिए लाभभोगी राज्यों से पुनः पुष्टि प्राप्त की जाए। तदनुसार एनटीपीसी ने पुष्टिकरण हेतु पश्चिमी/उत्तरी क्षेत्र के लाभभोगी राज्यों के साथ मामला उठा लिया है।

(ग) संशोधित लागत पर विद्युत खरीदने के संबंध में संबंधित लाभभोगी राज्यों से पुनः पुष्टिकरण प्राप्त करने के बाद ही निवेश अनुमोदन हेतु इन प्रस्तावों पर आगे की जा सकेगी।

[हिन्दी]

किसानों की आत्म-निर्भरता

14. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने किसानों को आत्म–निर्भर बनाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना से किसानों को कहां तक लाभ पहुंचेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों का उद्देश्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना तथा उसके द्वारा किसानों को स्वावलंबी तथा आत्म–निर्भर बनाना है।

(ग) और (घ) सहकारिता क्षेत्र में ऋण संरचना को पुनः सक्रिय करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

टेलीफोन लाइनें

15. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में, विशेषकर पुणे शहर में टेलीफोन लाइनों की संख्या बढ़ाने अथवा नई लाइनें लगाने हेतु जन–प्रतिनिधियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में स्थानीय सांसदों के साथ कोई बैठक की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय संसद सदस्यों/विधायकों इत्यादि जैसे जन–प्रतिनिधि प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल ने वर्ष 2000–2001 के लिए 800 नये एक्सचेंज तथा 600000 सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) और बढ़ाने की योजना बनायी है। पुणे के लिए 84,300 लाइनों और 64 नये एक्सचेंजों का लक्ष्य बनाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। दिनांक 11.4.2000 को माननीय संचार मंत्री के साथ माहराष्ट्र तथा गोवा के माननीय संसद सदस्यों की बैठक आयोजित की गयी थी। दिनांक 5.10.2000 को नागपुर में माननीय संचार मंत्री के साथ विदर्भ क्षेत्रों के माननीय संसद सदस्यों की एक और बैठक की गयी थी। पुणे निर्वाचन क्षेत्र के माननीय संसद सदस्यों के साथ पुणे दूरसंचार के पीजीएम ने तीन बैठकें कीं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सर्किल के विभिन्न गौण स्विचन क्षेत्रों द्वारा 79 बैठकें की गयी थीं।

31.10.2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 152844 लाइनें प्रदान की गयीं तथा 239 नये एक्सचेंज खोले गये। इनमें से 26043 लाइनें तथा 9 नये एक्सचेंज पुणे में खोले गये हैं।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्वर्ण और हीरक संसाधनों का पता लगाना

16. श्री महबूब जहेदी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्वर्ण और हीरक के खनिज संसाधनों को सौंपने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं और खनन संसाधनों का पता लगाने के लिए उनके द्वारा किए गए निवेशों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत् किसी भारतीय नागरिक अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (3) की उप–धारा (1) में यथा–परिभाषित किसी कंपनी को ही स्वर्ण और हीरे सहित खनिजों के गवेषण या खनन हेतु टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान किया जा सकता है। अतः मौजूदा खनन विधान की स्कीम के तहत् किसी विदेशी कंपनी को टोही/पूर्वेक्षण/खनन प्रचालन आरंभ करने की आज्ञा नहीं है। तथापि, कर्नाटक राज्य सरकार की सिफारिशों पर, केंद्र सरकार ने, एम.एम (डी. एण्ड आर.) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत् 13 भारतीय कंपनियों, जो विदेशी कंपनियों की अनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं, के पक्ष में हीरे/स्वर्ण इत्यादि के लिए टोही परमिट प्रदान करने संबंधी अनुमोदन दिए हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वे खजिन जिनके लिए टोही परमिट का अनुमोदन दिया गया
1	2	3
1.	मै. एडामास इंडिया प्रा. लि.	हीरा तथा संबद्ध खनिज
2.	मै. एडामास इंडिया प्रा. लि.	हीरा तथा संबद्ध खनिज
3.	मै. एडामास इंडिया प्रा. लि.	हीरा तथा संबद्ध खनिज
4.	मै. एडामास इंडिया प्रा. लि.	हीरा तथा संबद्ध खनिज
5.	मै. एडामास इंडिया प्रा. लि.	हीरा तथा संबद्ध खनिज
6.	मै. ए सी सी रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन लि.	हीरा, स्वर्ण तथा संबद्ध खनिज
7.	मै. ए सी सी रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन लि.	हीरा. स्वर्ण तथा संबद्ध खनिज
8.	मै. जियो मैसूर सर्विसिस (इंडिया) प्रा. लि.	हीरा, स्वर्ण तथा संबद्ध खनिज
9.	मै. जियो मैसूर सर्विसिस (इंडिया) प्रा. लि.	हीरा, स्वर्ण तथा संबद्ध खनिज
10.	मै. जियो मैसूर सर्विसिस (इंडिया) प्रा. लि.	हीरा, स्वर्ण तथा संबद्ध खनिज

1	2	3
11.	मै. मेटिमिन फाइनेंस एण्ड होल्डिंग प्रा. लि.	स्वर्ण, तांबा और संबद्ध खनिज
12.	मै. जियो मैसूर सर्विसिस (इंडिया) प्रा. लि.	हीरा, स्वर्ण और संबद्ध खनिज
13.	मै. मेटमिन फाइनेंस एण्ड होल्डिंग प्रा. लि.	स्वर्ण, तांबा और संबद्ध खनिज

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का बिक्री मूल्य

17. श्री कुंवर अखिलेश सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने कृषि उत्पाद पर सभी व्यय शामिल करने के पश्चात खाद्यान्नों का बिक्री मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि किसान अपने उत्पादों की बिक्री इन निर्धारित मूल्यों पर करें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) अच्छी औसत गुणवत्ता के खाद्यान्न का बिक्री मूल्य वह न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिस पर किसान अपना उत्पाद खरीद के प्रयोजनार्थ निर्धारित केंद्रीय शीर्ष अभिकरण को बेचते हैं। प्रत्येक मौसम के लिए खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के विचारों तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण समझे जाने वाले अन्य कारकों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। विभिन्न कृषि जिंसों की मूल्य नीति की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, जिनमें उत्पादन की लागत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। खेती की लागत में न केवल प्रदत्त लागत शामिल होती है, अपितु इसमें कृषिकों के सवामित्व की परिसंपत्तियों का मूल्य तथा पारिवारिक मजदूरी भी शामिल होती है जिसके लिए किसानों को नकद धनराशि खर्च नहीं करनी पड़ती। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में केवल उत्पादन की लागत ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें किसानों को निवेश तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार हेतु प्रोत्साहनस्वरूप लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादक के लिए एक प्रकार की गारंटी है कि अत्यधिक उत्पादन अथवा अन्य किसी कारण के परिणामस्वरूप मंडी में उत्पाद की बहुलता होने पर मूल्य न्यूनतम आर्थिक स्तर से नीचे नहीं गिरने दिए जाएंगे। किसान अपने उत्पाद खुले बाजार में, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

कृषि अनुसंधान संस्थानों हेतु निधियां

18. श्री राजो सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कृषि अनुसंधान संस्थानों हेतु राज्यों को निधियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है/स्वीकृत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डाकघरों का आधुनिकीकरण

19. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाकघरों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का विकास अन्य क्षेत्रों में हुए विकास और लोगों की इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो पाया है; और

(ख) यदि हां, तो डाकघरों के आधुनिकीकरण और शहरों की बाहरी सीमाओं पर बसी बस्तियों में डाक सेवाओं के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारतीय डाक ने जनसाधारण की वास्तविक आशाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी क्षेत्रों में हुए विकास के साथ अपनी गति बनाए रखी है।

(ख) विभाग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ होने के साथ, डाक प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का काम शुरू किया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 2660 कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गईं तथा 9वीं पंचवर्षीय योजना के पहले 3 वर्षों में

3597 मशीनें संस्थापित की गईं। इन मशीनों पर प्रतिवर्ष 12 करोड़ से अधिक लेन–देन किए जा रहे हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपग्रह प्रौद्योगिकी अपनाकर तथा 77 वीएसएटी संस्थापित कर धन अंतरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भी कार्रवाई की गई। 62 हाई स्पीड वीएसएटी संस्थापित किए जा रहे हैं। मौजूदा नेटवर्क से वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ मनीआर्डर भेजे जा रहे हैं। प्रमुख महानगरों में डाक की स्वचल छंटाई के लिए भी कार्रवाई की गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चेन्नई और मुंबई में स्वचल डाक छंटाई प्रणाली स्थापित की गई। इन प्रणालियों से लगभग 12 लाख पत्र प्रतिदिन छांटे जा रहे हैं। कलकत्ता और दिल्ली में 31 मार्च, 2002 तक दो और स्वचल डाक छंटाई केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। पंजीकृत तथा बीमा मदों के छंटाई कार्य को स्वचल बनाने के उद्देश्य से नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 3 वर्षों में इकतालीस (41) पंजीकरण छंटाई कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है–

(i) समूचे देश में संस्थापित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की कुल सं. 6257

(ii) ई.एस.एम.ओ (एक्सटेंडिड सेटेलाइट मनीआर्डर)–884

(iii) देश में आधुनिक बनाए गए डाकघर–1445

(iv) वीएसएटी (वैरी स्माल अपरचर टर्मिनल)–139

(v) समूचे देश में आधुनिकीकरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में वर्तमान आबंटन–74.54 करोड़ रु.

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, शहरी क्षेत्र में 1.4.1997 से 31.3.2000 तक 98 विभागीय उप डाकघर (डीएसओ) खोले गए। चालू वार्षिक योजना में, शहरी क्षेत्र में 45 नए विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। नए डाकघरों का खोला जाना, विभागीय मानदंडों के पूरा होने तथा वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पदों की मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है।

नेहरू युवक केंद्र संगठन द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

20. श्री अशोक अर्गल : क्या युवक और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू युवक केंद्र संगठन द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहयता उपलब्ध कराई गई;

(ख) कितने गैर–सरकारी संगठनों को एक से अधिक बार वित्तीय सहायता मिली;

(ग) क्या वित्तीय सहायता देने के बाद कोई वास्तविक प्रयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (घ) नेहरू युवा केंद्र संगठन युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के पंजीकृत युवा क्लबों, खेल क्लबों तथा युवा विकास केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता की योजना को एजेंसी आधार पर कार्यान्वित करता है। युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एक मुश्त में धनराशि नेहरू युवा केंद्र संगठन को सौंपता है और यह बाद में पंजीकृत युवा क्लबों/खेल क्लबों तथा युवा विकास केंद्रों को अनुदान सहायता स्वीकृत करता है। किसी भी युवा क्लब/खेल क्लब अथवा युवा विकास केंद्र पर एक बार से अधिक के लिए वित्तीय सहायता हेतु विचार नहीं किया जाता है। इन संगठनों का निरीक्षण नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा निर्धारित वार्षिक निरीक्षण लक्ष्यों के अनुसार युवा समन्वयकों/क्षेत्रीय समन्वयकों तथा आंचलिक निदेशकों द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए युवा विकास केंद्र युवा क्लबों/खेल क्लबों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है–

(धनराशि रुपयों में)

योजना का नाम	1997–98		1998–99		1999–2000	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
युवा विकास केंद्र	188	56,30,000	181	54,40,000	184	55,20,000
युवा क्लबों/खेल क्लब को वित्तीय सहायता	960	48,00,000	1369	68,45,000	1255	1,25,50,000

[हिन्दी]

किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं

21. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :**
श्री जयभान सिंह पवैया :
मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों, डीजल, विद्युत, बीजों और कीटनाशक दवाइयों की मूल्यों में वृद्धि का किसानों और खाद्यान्नों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने और देश में किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) वर्ष 1998–99 के दौरान 203.04 मिलियन मी. टन की तुलना में वर्ष 1999–2000 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 205.91 मिलियन मी. टन खाद्यान्न का उत्पादन होने का अनुमान है। महत्वपूर्ण कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय आदानों के मूल्यों में वृद्धि का भी समुचित ध्यान रखा जाता है ताकि उसके प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार विभिन्न आदानों पर राजसहायता भी देती है तथा कृषि और किसानों की भलाई से संबंधित अन्य उपाय भी करती है।

बिहार में निजी कंपनियों को बाई-पास/ फ्लाई ओवर परियोजनाएं दिया जाना

22. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी कंपनियों को बिहार में बाई–पास सड़कों तथा फ्लाई ओवरों हेतु कितनी परियोजनाएं दी गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितनी धनराशि लगी हुई है और इस समय कितनी परियोजनाएं लंबित हैं; और

(ग) निजी कंपनियों को ये परियोजनाएं देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिडनी ओलंपिक के लिए भारतीय दल

23. **श्री किशन सिंह सांगवान** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिडनी ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक दल के सदस्यों और उनके अधिकारियों के शिष्टमंडल स्तर का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने दल अलग भेजे थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या कितनी है और इस पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) भारतीय ओलंपिक संघ की सिफारिश पर भारत सरकार ने 123 व्यक्तियों के दल (71 खिलाड़ी, प्रशिक्षक, डाक्टर तथा मालिस करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में 28 व्यक्ति, 2 युवा शिविरवासी तथा प्रबंधकों की श्रेणी में 22 व्यक्तियों) को ओलंपिक खेल, 2000 के लिए अनुमोदित किया था। एक नौ सदस्यीय सरकारी शिष्टमंडल (दो बैचों में) सिडनी ओलंपिक खेलों में गया था।

(ख) भारत सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ को 64,40,175/– रुपये स्वीकृत किए तथा प्रथम किस्त के रूप में 58.00 लाख रुपये जारी किए। यह धनराशि जेब खर्च, समारोह की पोशाक तथा नाव को किराये पर लेने के लिए रोइंग प्रभारों के लिए स्वीकृत की गई थी।

जहां तक सरकारी शिष्टमंडल का संबंध है, हवाई यात्रा लागत, महंगाई भत्ता, आकस्मिकताओं, उपहार, टिकटों तथा आवास के लिए 31.02 लाख रुपये खर्च किए गए थे। स्थानीय परिवहन और स्वागत संबंधी बिल सिडनी स्थित भारतीय मिशन से अभी प्राप्त होने हैं।

(ग) ओलंपिक में भाग लेने के लिए केवल राष्ट्रीय दलों को ही अनुमति दी जाती है। राज्य ओलंपिक्स में दल नहीं भेज सकते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पन विद्युत निगम द्वारा किराए पर लिए गए भवन

24. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्बती पन विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या कितनी है और इस प्रतिष्ठान में प्रतिदिन श्रेणीवार कुल कितना व्यय किया जा रहा है;

(ख) इसके निर्माण संबंधी कार्यकलापों की वर्तमान स्थिति क्या है और आज की तारीख तक इस स्थल पर किन कार्यों को शुरू किया गया है;

(ग) राष्ट्रीय पन विद्युत परियोजना द्वारा किराए पर लिए गए भवनों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक भवन पर प्रतिमाह किराए के रूप में कुल कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(घ) क्या इन भवनों को किराए पर लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है अथवा इस प्रयोजनार्थ कोई निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 31.10.2000 की स्थितिनुसार पार्बती परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की कुल संख्या निम्नवत है–

(i)	कार्यपालक	110
(ii)	सुपरवाइजर/कामगार	998
	कुल	1018

स्थापना पर आने वाले प्रतिदिन का औसतन खर्च निम्नवत है–

(i)	कार्यपालक	88,089 रुपये
(ii)	सुपरवाइजर/कामगार	2,90,812/– रुपये

(ख) परियोजना में निर्माण कार्य कलापों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) से (च) किराये पर लिए गए भवनों और उनके मासिक किराये का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। एनएचपीसी द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनिवार्य औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं यथा स्थानीय प्रेस विज्ञप्ति, स्थानीय खुली जांच, किराया राशि के आधार पर सीमित निविदा जांच और देश की उपयुक्तता का पता लगाने आदि को पूरा करने के पश्चात् सभी भवनों को किराये पर लिया गया है।

विवरण-I

पार्बती जल विद्युत परियोजना (चरण–2) के निर्माण कार्यों की स्थिति

पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण–1 में सभी अतिरिक्त जांच कार्य जैसे सर्वेक्षण, ड्रिलिंग, जियोलोजिकल मैपिंग, निर्माण सामग्री तथा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति और डिजाइन उद्देश्यों के लिए अपेक्षित सर्वेक्षण और अतिरिक्त आंकड़े आदि पूरे कर लिए गए हैं। संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गई है। सभी निर्माण स्थलों नामशः मणिकरण, गारसा और सेंज आदि पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण आरंभ हो गया है। कार्यकलापों की मुख्य मदें, जिन पर प्रगति चल रही है, निम्नवत हैं–

– मणिकरण में टाईप–2 और टाईप–3 प्रकार के 24 मकानों का निर्माण।

– 15 कि.मी. के मणिकरण पुल्गा मार्ग में सुधार कार्य।

– बांध स्थल के समीप पार्बती नदी पर 2 बैली टाईप स्टील ब्रिजों का निर्माण और प्रवेश–1 का ठेका पहले ही प्रदान कर दिया गया है।

– 23 कि.मी. नई सड़क का निर्माण और 12 कि.मी. गरासा–शीलागढ़ वैली में विभिन्न प्रवेश द्वारों और ट्रेंच वियर साइट में पहुंच मार्ग शामिल है।

– सेंज में प्रेफब हट की 29 यूनिटें (दो मंजिल) लगभग पूरी होने वाली हैं।

– विद्युत गृह में सेंज नदी के आर–पार 60 मीटर चौड़े, ब्रिज के निर्माण कार्य का ठेका प्रदान कर दिया गया है।

पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण–1 में जांच कार्य, नामशः बांध स्थल पर सर्वेक्षण और ड्रिलिंग जैसे कि कार्य समय (वर्ष 2000) के लिए आयोजना की गई है, पूरे कर लिए गए हैं। समीपस्थ सड़क शीर्ष बरसानी (पुल्गा) से लगभग 40 कि.मी. (फुट ट्रैक पर) दूर सुदूर स्थल पर एक दल भेजा गया है।

पार्बती जल विद्युत परियोजना (चरण–2) के संबंध में कार्य समय (1999–2000) के लिए सभी जांच कार्य समय से पूर्व पूरे कर लिए गए हैं। अतिरिक्त डिजाइन पैरामीटरों की पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त जांच कार्य प्रगति पर है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट का प्रारूप एनईईआरआई नागपुर से प्राप्त कर लिया गया है।

विवरण-II

एनएचपीसी द्वारा किराये पर लिए गए भवनों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.स.	किराये पर लिए गए भवन	उद्देश्य	मासिक किराया/किराये हेतु अपनाई गई पद्धति
1.	होटल सिल्वर फेस काम्पलेक्स नये पुल के नजदीक, भुण्टर–175125	ट्रांजिट कैम्प–1 व फिल्ड होस्टल	58,008/– रुपये स्थानीय बाजार सर्वेक्षण
2.	होटलसिल्वर फेज रेजीडेंशियल काम्प्लेक्स, नये पुल के नजदीक भुण्टर–175125	कार्यालय भवन	36,874/– रुपये स्थानीय बाजार सर्वेक्षण
3.	होटल कुल्लू पैलेस भुण्टर–175125	ट्रांजिट कैम्प–2	स्थानीय बाजार सर्वेक्षण 15,421/– रुपये
4.	श्री देवी सिंह सलाह का भवन	विद्युत गृह (चरण–2) कार्यालय परिसर	2,815/– रुपये स्थानीय बाजार सर्वेक्षण
5.	श्री फतेह सिंह सेंज का भवन	चरण–1 और 3 कार्यालय परिसर	4,184/– रुपये प्रेस विज्ञापन
6.	ग्रीन वैली गार्डन पेईंग गैस्ट हाऊस श्री मोती राम गर्ग का भवन	फील्ड होस्टल/ ट्रांजिट कैम्प	10,808/– रुपये स्थानीय बाजार सर्वेक्षण
7.	नोबल गैस्ट हाऊस, नये पुल के नजदीक, भुण्टर–175125	कार्यालय भवन	19,908/– रुपये प्रेस विज्ञापन
8.	होटल हॉरीजन, मणिकरण रोड, भुण्टर	ट्रांजिट कैम्प–3/ फील्ड होस्टल	21,587/– रुपये प्रेस विज्ञापन
9.	श्री उत्तम सिंह बाह का भवन, थेला	ट्रांजिट कैम्प/ फील्ड होस्टल	6,688/– रुपये स्थानीय बाजार सर्वेक्षण

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

25. श्री रिजवान जहीर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा बहुत खराब है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इन राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार की नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) चालू वित्त वर्ष 2000–2001 के दौरान उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए अब तक 5349.82 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

26. श्री रामपाल सिंह :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने प्रधान डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है;

(ख) सन् 2001 तक कितने प्रधान डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अनुमानतः कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विभाग ने राज्यों की राजधानियों तथा जिला मुख्यालयों में स्थित प्रधान डाकघरों के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। इस योजना में सभी फ्रंट और बैक आफिस कार्य कम्प्यूटरों और एक सेंट्रल सर्वर का उपयोग करके डाकघरों में एक लोकल एरिया नेटवर्क में एक साथ जोड़े गए हैं। मेघदूत 98 नामक एक इंटीग्रेटिड सॉफ्टवेयर से डाकघरों में कम्प्यूटरों पर सभी कार्य किए जा सकते हैं। वर्ष 1998–99 से, हमने इस ढंग से 31 मार्च, 2000 तक 306 प्रधान डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया है।

(ख) 31 मार्च, 2001 तक और 106 प्रधान डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

(ग) 31 मार्च, 2001 को समाप्त अवधि के लिए इस कार्यकलाप हेतु 5.80 करोड़ रु. रखे गए हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में बाढ़ की खतरनाक स्थिति

27. श्री रूपचन्द पाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को चालू वर्ष के सितम्बर–अक्टूबर के दौरान पश्चिम बंगाल में बाढ़ की खतरनाक स्थिति की जानकारी है और इस 'राष्ट्रीय आपदा' से कितनी क्षति पहुंची;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के बाढ़ से क्षतिग्रस्त जिलों में बहुत बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ऐसे राष्ट्रीय आपदा के संदर्भ में आवश्यक और अविलंब सहायता प्रदान करने हेतु 'राष्ट्रीय आपदा राहत कोष' स्थापित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा निम्नवत् है–

(1) वर्ष 2000–2001 के लिए आपदा राहत निधि का समस्त केंद्रीय अंश 75.83 करोड़ रुपये निर्मुक्त कर दिया गया है।

(2) राजस्व घाटा पूरा करने के लिए अनुदान के रूप में 422.43 करोड़ रुपये की राशि दिनांक 12 अक्टूबर, 2000 को जारी की गई है।

(3) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जारी धनराशि में से 20 प्रतिशत तक राशि उप मिशन परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय की जा सकती है।

(4) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए राज्य में 50 ड्रिलिंग रिगें उपलब्ध हैं।

(5) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 78.95 करोड़ रुपये के आबंटन में से चालू वर्ष के दौरान 38.90 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इसके अलावा चालू उप मिशन परियोजनाओं के अंतर्गत 20.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(6) क्षतिग्रस्त रेलवे लाइनों की मरम्मत करके उन्हें यात्री तथा मालगाड़ियों के लिए फिर से शुरू कर दिया गया है।

(7) 20 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से बाढ़ से प्रभावित परिवारों में वितरणार्थ गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर 87,080 मीटरी टन चावल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

(8) राजमार्ग सं. 31, 34 तथा 35 की मरम्मत के ब. उन्हें 6.10.2000 से यातायात हेतु खोल दिया गया है।

(9) बाढ़ से हुई क्षति की तुरंत मरम्मत के लिए दिनांक 3

अक्टूबर, 2000 को 7.00 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(10) 10,000 किलो लीटर मिट्टी का तेल राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(11) स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1000 मीटरी टन ब्लीचिंग पाउडर सहित संक्रमणनाशी तथा अन्य दवाइयों की आपूर्ति की गई है।

(ग) गंभीर किस्म की प्राकृतिक आपदा आने पर राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग ने भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के सृजन की सिफारिश की है। सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

केरल में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

28. श्री के. मुरलीधरन :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को केरल में चालू विद्युत परियोजनाओं के विकास और नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु धनराशि प्रदान करने के संबंध में राज्य से कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में विशेषकर मंजूर की गई कन्नूर विद्युत परियोजना के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) मैं. कन्नूर पावर प्रोजेक्ट लि. की केरल में एक निजी क्षेत्र परियोजना, नामशः कन्नूर सीसीजीटी परियोजना (513 मे.वा.) को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 16.2.2000 को 210.010 मिलियन अमरीकी डालर + 587.97 करोड़ रुपये की पूर्णता लागत पर तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की। निजी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए निधि की व्यवस्था/निर्धारण आईपीपी द्वारा स्वयं ही किया जाता है, न कि केंद्र सरकार द्वारा। यद्यपि, केरल के लिए वार्षिक योजना 2000–01 हेतु योजना आयोग ने इसके विद्युत क्षेत्र पर परिव्यय के लिए 602.5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है जिसमें विभिन्न स्कीमों समेत विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा अन्य विविध स्कीमें शामिल हैं।

विदेशों में कार्य हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की नियुक्ति

29. सरदार बूटा सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 से कृषि मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कितने अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र संघ व इसके संबद्ध संगठनों तथा अन्य संगठनों में भेजा गया है;

(ख) विदेश संबंधी कार्यों में लगाए गए कुल अधिकारियों की तुलना में इन अधिकारियों की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या ऐसे कार्यों में लगाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की प्रतिशतता बिलकुल ही असंतोषजनक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों से कोई भी अधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसके संबद्ध संगठनों और अन्य संगठनों में वर्ष 1996 से नामित नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

30. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्र लगाए जाने के लिए निजी व विदेशी कंपनियों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना–वार और कंपनी–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन परियोजनाओं पर उक्त कंपनियों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं; और

(घ) उन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने अभी तक काम नहीं शुरू किया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए पिछले 5 वर्षों (1.4.1995 से 31.3.2000) के दौरान निजी और विदेशी कंपनियों के साथ किसी भी तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

स्थानीय काल दर में कमी

31. श्री मोहम्मद अनवारूल हक :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसटीडी/आईएसडी की दरों में 1 अक्तूबर, 2000 के प्रभाव से लागू कम दरों की तरह स्थानीय काल दर में भी कमी किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टीआरएआई अधिनियम 1997 के तहत टैरिफ निर्धारण का कार्य भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंप दिया गया है।

भारत संचार निगम लिमिटेड

32. श्री मोईनुल हसन :
श्री भीम दाहाल :
श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री किरीट सोमैया :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड नामक नया निकाय देश के प्रत्येक कोने में टेलीफोन–सेवाओं का विस्तार करने के दायित्व को पूरा कर सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इस समय भारत में फोन संख्या (टेलीडेन्सिटी) कितनी है और इसकी तुलना विदेश से किस प्रकार की जाती है;

(ग) क्या दूरसंचार–केंद्र में 'ओपन स्काई नीति' के कारण सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड बनाने के लिए कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड को स्थानांतरित दूरसंचार सेवा विभाग की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन सरकार द्वारा किया गया है;

(च) यदि हां, तो सरकार के दूरसंचार–भंडार के कितने नेटवर्क को स्थानांतरित किया गया;

(छ) प्रत्येक विभाग के तहत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए मौजूदा कर्मचारियों को किस ढंग से समायोजित किए जाने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय भार की गणना की है, जिससे भारत संचार निगम लिमिटेड का विकास होगा; और

(झ) यदि हां, तो ऐसी राशि का ब्यौरा क्या है और भारत संचार निगम लिमिटेड किस प्रकार अपनी देयता को पूरा करेगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार, भारत का टेली–घनत्व लगभग 3 प्रतिशत है, जबकि ग्लोबल औसतन टेली–घनत्व लगभग 14 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) नई दूरसंचार नीति, 1999 के प्रावधानों के अनुसार, दूरसंचार विभाग के सेवा–प्रावधान–संबंधी कार्यों से नीति और लाइसेंसिंग–कार्यों को अलग करते हुए अक्तूबर, 1999 में एक अलग विभाग का गठन किया गया। अब इसका निगमीकरण पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी 'भारत संचार निगम लि.' में कर दिया गया है। कंपनी ने 1 अक्तूबर, 2000 से कार्य आरंभ कर दिया है।

(ङ) और (च) इस समय, विस्तृत मूल्यांकन होने तक, दूरसंचार सेवा विभाग की 63,000 करोड़ रु. के अनंतिम मूल्य की परिसंपत्तियां भारत संचार निगम लि. को हस्तांतरित की गई हैं।

(छ) से (झ) कर्मचारियों के हित की भली–भांति सुरक्षा की गई है तथा 1 अक्तूबर, 2000 से उन्हें उनके पदों सहित मौजूदा शर्तों पर जहां है, जैसा है आधार पर, बिना प्रतिनियुक्ति–भत्ते, प्रतिनियुक्ति पर बीएसएनएल को अंतरित कर दिया गया है। इस कारण बीएसएनएल पर होने वाले अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव का पता इसके कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के अंतिम निर्धारण के बाद ही चलेगा।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

33. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विदेशी कंपनियों का वार्षिक कारोबार कितना है;

(ख) इसी क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें से सब्जियों और फलों से कितना राजस्व अर्जित हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में शीतागार हेतु क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (टीएच. चाओबा सिंह) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है। प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के साथ-साथ भारतीय कंपनियों के वार्षिक कारोबार और वित्तीय कार्यनिष्पादन के बारे में सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी अपनी योजना स्कीमों के तहत निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता देता है-

(i) गैर बागवानी उपज के वास्ते शीतागार।

(ii) जहां शीतागार खाद्य प्रसंस्करण यूनिट अथवा खाद्य पार्क में सामान्य सुविधाओं का एक अनिवार्य अंग हो।

(iii) नियंत्रित वातावरण/रूपान्तरित वातावरण सुविधाओं वाले विशेष किस्म के शीतागार।

यह सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र की कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और सहकारिताओं को उपलब्ध हैं।

इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अपनी पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम के तहत बागवानी उपज के वास्ते शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में वनों का विनाश

34. श्रीमती हेमा गमांग :
श्री के. पी. सिंह देव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी के द्वारा लिए गए फोटोग्राफ मानचित्र ने पिछले तीन दशकों के दौरान उड़ीसा के वन और वृक्ष छादन के विनाश को दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मौसम संबंधी गड़बड़ियों से जुड़ा कोई सर्वेक्षण या अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां। भारतीय वन सर्वेक्षण सन् 1987 से देश के वन आवरण का हर दो वर्ष में मूल्यांकन करता है। इस अवधि में उड़ीसा का वन आवरण 53253 वर्ग कि.मी. से घटकर 47033 वर्ग कि.मी. रह गया है।

(ख) देश में पर्यावरण और मौसम पर वननाशन के प्रभाव को नहीं माना गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान

35. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान डोनिगल क्षेत्रीय स्टेशन सकलेशपुर को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार को इस कदम के विरुद्ध विभिन्न प्लानटेशन एसोसियशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार का विचार भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान को उनके मंत्रालय में मिलाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इलायची के उत्पादकों ने इस कदम का विरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) से (छ) इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्राणी उद्यानों की स्थिति

36. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में देश में विभिन्न प्राणी उद्यानों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सफेद चीतों की मौत की जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में प्राणी उद्यानों की दुर्दशा के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को देखते हुए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) नंदन कानन चिड़ियाघर, उड़ीसा में बाघों की मौतों के कारणों का पता लगाने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपाय सुझाने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि बाघों की मौत का प्रमुख कारण 'ट्राईपेनोसोमियासिस' है। यह पुष्टि की गई है कि चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा प्रयुक्त 'बेरेनिल' दवा का चुनाव सही था। यह भी देखा गया है कि चिड़ियाघर के अधिकांश बाघों में उपयुक्त सफाई का अभाव था और मानसून प्रारंभ होने के कारण रोगवाहक घटनाओं में वृद्धि हुई। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं--

1. बाघों, शेरों और अन्य जानवरों की नियमित जांच की जाए तथा जांच परिणामों के आधार पर उनका उपयुक्त उपचार किया जाए।
2. जानवरों के प्रभावी उपचार के लिए नियंत्रण सुविधाओं और पृथक्करण वार्डों का समुन्नयन किया जाए।
3. पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए सफारी और चारदीवारी की तत्काल मरम्मत की जाए।
4. स्वास्थ्यकर दशाओं में आहार की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक जानवर की विशेष देखभाल के लिए सभी मांसाहारी जानवरों को उनको अपने--अपने आहार कक्षों में भोजन खिलाया जाए।
5. जानवरों को खिलाए जाने वाले मांस की उपयुक्त जांच की जाए।
6. सफाई और बेहतर जल निकासी व्यवस्था में सुधार किया जाए।
7. कम से कम उप वन संरक्षक स्तर तक के अधिकारी को पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करके उद्यान में नियुक्त किया जाए।
8. चिड़ियाघर के जानवरों के उपचार के मामले में चिड़ियाघर अस्पताल और उड़ीसा चिकित्सा महाविद्यालय के बीच समन्वय रखा जाए।

(घ) उच्चतम न्यायालय ने इस मंत्रालय को उक्त समिति की रिपोर्ट के साथ--साथ इस रिपोर्ट पर केंद्रीय सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया था। इन निदेशों का अनुपालन किया गया है।

मनीआर्डर घोटाला

37. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार में एक मनीआर्डर घोटाला उजागर हुआ है जिसमें डाक विभाग के कर्मचारी संलिप्त थे;

(ख) यदि हां, तो जितनी धनराशि का घोटाला हुआ है उसे दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने घोटाले में संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1999 तथा 2000 के दौरान मनीआर्डरों में धोखाधड़ी के मामलों का पता लगा जिनमें बाहरी व्यक्ति और विभागीय कर्मचारी शामिल हैं। बिहार में ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली।

(ख) मनीआर्डर लेन--देन में धोखाधड़ी का उत्तर प्रदेश सर्किल के गोंडा, मुरादाबाद, नैनीताल, पौड़ी, सहारनपुर और जौनपुर डाक डिवीजनों में पता चला। इन मामलों में 33.96 लाख रु. की कुल राशि शामिल है।

(ग) इन मामलों की पुलिस को सूचना दी गई और परिणाम–स्वरूप पुलिस ने तीन बाहरी व्यक्तियों और एक विभागीय कर्मचारी को गिरफ्तार किया। 18 विभागीय कर्मचारियों तथा 18 अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को निलंबित/ड्यूटी से हटाया गया। 40 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। इनमें से अब तक 22 के खिलाफ कार्रवाई पूरी कर ली गई है और दंड दिए गए हैं। इन मामलों में सरकार ने 9.53 लाख रु. वसूल किए।

दूरसंचार सुविधाएं

38. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आज की स्थिति के अनुसार कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार राज्य में कितने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ग) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) प्रतीक्षा सूची का कब तक निपटान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 30.9.2000 की स्थिति के अनुसार गुजरात में 13,923 ग्रामों को दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ख) 30.9.2000 की स्थिति के अनुसार राज्य में 1,756 ग्रामीण दूरभाष केंद्र हैं।

(ग) 30.9.2000 की स्थिति के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 16,743 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(घ) आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए एक्सचेंज खोलने से मार्च 2002 तक प्रतीक्षा सूची का उत्तरोत्तर रूप से निपटान हो सकेगा।

[हिन्दी]

एम. आर. राव समिति का गठन

39. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व एम. आर. राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार को यह रिपोर्ट किस तारीख को प्राप्त हुई;

(घ) सरकार द्वारा अब तक किन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है;

(ङ) सरकार द्वारा अस्वीकृत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इनकी अस्वीकृति के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (च) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने बदलते परिवेश में बीज नीति में अपेक्षित बदलावों की जांच करने के लिए डा. एम. वी. राव, पूर्व कुलपति, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय तथा पूर्व महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. की अध्यक्षता में एक बीज नीति समीक्षा दल का गठन किया था। इस दल ने अप्रैल, 1997 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। दल ने अपनी सिफारिशें निम्नवत दी हैं–

(i) पौध प्रजनक तथा कृषक अधिकार,

(ii) बीज उत्पादन तथा वितरण,

(iii) बीजों का आयात–निर्यात,

(iv) गुणवत्ता नियंत्रण एंवं बीज विधान,

(v) पौध संगरोध।

डा. एम. वी. राव समिति द्वारा यथा प्रस्तावित बीज क्षेत्र सुधार की प्रचालनात्मकता के संबंध में उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न सिफारिशों के अध्ययन के लिए एक कोर दल का गठन किया गया था। मुख्य सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्रवाई का सार इस प्रकार है।

(I) पौध प्रजनक तथा कृषक अधिकार

पौध किस्म संरक्षण व कृषक अधिकार विधेयक 14 दिसंबर, 1999 को लोक सभा में पेश किया गया है।

(II) बीज उत्पादन तथा वितरण

बीज बैंक व बीज फसल बीमा की स्थापना और रखरखाव की स्कीमें पहले ही पिछले वर्ष से शुरू की जा चुकी हैं।

(iii) बीजों का आयात-निर्यात

बीजों तथा पौध सामग्री के निर्यात व आयात के लिए प्राप्त प्रस्तावों के निपटान हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग की निर्यात–आयात समिति प्रत्येक माह बैठक कर रही है। दल के सुझाव के अनुसार निर्यात को सरल बनाने के वास्ते कदम उठाए गए हैं।

(iv) गुणवत्ता नियंत्रण तथा बीज विधान

दल की सिफारिश के अनुसार विद्यमान बीज अधिनियम, 1966 के स्थान पर एक बीज अधिनियम, 2000 का मसौदा तैयार किया गया है तथा इसे संसद में पेश करने से पहले संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियों हेतु उन्हें परिचालित कर दिया गया है।

(v) पौध संगरोध

दल की सिफारिश के अनुसार पौध संगरोध प्रणाली को जन शक्ति तथा सामग्री से सुदृढ़ किया गया है।

[अनुवाद]

डेरी और पशुपालन का विकास

40. श्री हरिभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में डेरी और पशुपालन विकास हेतु विदेशी सहायता से योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 में 'ऑपरेशन फ्लड' की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1998–99 और 1999–2000 के दौरान कितनी विदेशी सहायता प्रदान की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय डेरी–विकास बोर्ड द्वारा कितनी धनराशि वितरित की गई है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारत सरकार ने गुजरात में डेयरी तथा पशुपालन विकास के लिए विदेशी सहायता से कोई योजना शुरू नहीं की है।

(ख) ऑपरेशन फ्लड परियोजना 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त हो गई है। तथापि, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान गुजरात में सहकारी दुग्ध संघों द्वारा की गई संचयी प्रगति निम्नानुसार है–

विवरण	1998–99	1999–2000
डी सी एस आयोजित (आनंद पैटर्न)	10434	10608
डी सी एस कार्यकारी (आनंद पैटर्न)	8951	8974
कृषि सदस्य (000)	2066	2147
दुग्ध खरीद (000) किलोग्राम/प्रतिदिन	4153.03	4468.69
दुग्ध विपणन (000) लीटर/प्रतिदिन	1618.19	1686.00

(ग) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) में बताया गया है, विदेशी सहायता से कोई योजना शुरू नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) 'डेयरी सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण' तथा 'महिला डेयरी विकास' पर कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है जिन्हें ऑपरेशन फ्लड के तहत खर्च न की गई ई ई सी की निधियों से राशि प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के तहत गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा सहकारी दुग्ध संघों को निम्नलिखित राशियां जारी की गई हैं–

1998–99 1.15 लाख रुपए

1999–2000 12.06 लाख रुपए

(घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने अपनी निधियों से गुजरात में सहकारी दुग्ध संघों को निम्नलिखित राशियां दी हैं–

1998–99 710.55 लाख रुपए

1999–2000 2,549.82 लाख रुपए

(ङ) 1999–2000 तक गुजरात में सहकारी दुग्ध संघों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

विवरण	1999–2000
डी सी एस आयोजित (आनंद पैटर्न)	10608
डी सी एस कार्यकारी (आनंद पैटर्न)	8974
कृषि सदस्य (000)	2147
दुग्ध खरीद (000) किलोग्राम/प्रतिदिन	4468.69
दुग्ध विपणन (000) लीटर/प्रतिदिन	1686.00

[हिन्दी]

कृषि को उद्योग का दर्जा देना

41. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि नीति में ऋण तथा अन्य आदानों की सरल उपलब्धता जैसे विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त लाभ, यथासंभव कृषि क्षेत्र को दिलाने, कृषि व्यापार उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं एवं प्रभावी आपूर्त प्रणालियों के विकास और कृषि उत्पादों के निर्बाध आवागमन का प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि नीति के कारगर कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना बनाने का भी निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

गुड़गांव में खराब पड़े टेलीफोन

42. डा. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़गांव शहर के एक्सचेंज के अंतर्गत कितने टेलीफोन कार्य कर रहे हैं;

(ख) प्रतिमाह औसतन कितने टेलीफोन खराब पड़े रहते हैं;

(ग) कम से कम और अधिक से अधिक कितने दिनों में खराबी ठीक कर दी जाती है;

(घ) टेलीफोनों को ठीक करने में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का टेलीफोन खराब रहने वाले दिनों का लाइन प्रभार लेना बंद करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय गुड़गांव शहर में 31475 टेलीफोन काम कर रहे हैं।

(ख) प्रतिदिन औसतन 0.4 प्रतिशत टेलीफोन खराब रहते हैं।

(ग) सामान्यतः दोष निपटान में न्यूनतम दो घंटे और अधिकतम सात दिनों का समय लग जाता है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि 24 घंटे के भीतर खराब टेलीफोन ठीक कर दिए जाएं। परंतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा खाई खोदने के कारण उत्पन्न केबल दोष ठीक करने में अधिक समय लग जाता है। दोषों के निपटान में विलंब होने का दूसरा कारण स्टाफ की कमी होना भी है।

(ङ) और (च) जी, हां। अगर 7 दिनों के बाद भी टेलीफोन खराब रहता है तो उस स्थिति में विभाग किराया प्रभारों में छूट प्रदान करता है।

सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं

43. श्री भीम दाहाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभी तक कितनी विद्युत परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र में परियोजना-वार और राज्य-वार कितना निवेश किया जा चुका है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) चालू वर्ष के दौरान मणिपुर में लिमाखोंग डीजी विद्युत परियोजना (हैवी ऑयल आधारित) 6 × 6 मे.वा. शुरू कर दी है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में किए गए निवेश की परियोजनावार और राज्यवार मात्रा नीचे दी गई है–

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना की अद्यतन लागत	वर्ष 2000-2001 के दौरान सित. तक किया गया व्यय	सितम्बर 2000 तक किया गया संचयी व्यय
1	2	3	4	5
पहले से चालू परियोजनाएं				
दोयांग (नीपको) 75 मे.वा. (एच)	नागालैंड	758.70	45.65	720.67
निर्माणाधीन परियोजनाएं				
घनश्री 20 मे.वा. (एच)	असम	78.63	शून्य (निधि की कमी के कारण कार्य रोक दिया गया)	38.94

1	2	3	4	5
कारबी लांग्पी (लोअर बोरपानी) 100 मे.वा. (एच)	असम	288.37	शून्य (निधि की कमी और कानून व्यवस्था की समस्या के कारण कार्य रोक दिया गया)	128.01
कोपिली चरण-2 (नीपको) 25 मे.वा (एच)	असम	76.09	7.65	17.27
लिकिम रो 24 मे.वा. (एच)	नागालैंड	189.59	उपलब्ध नहीं	168.25 (12/99 तक)
रोलेप चरण-1 9 मे.वा. (एच)	सिक्किम	45.00	उपलब्ध नहीं	1.26 (3/2000 तक)
तीस्ता चरण-5 (एनएचपीसी) 510 मे.वा. (एच)	सिक्किम	2198.04	9.02	48.88
रंगानदी (नीपको) 405 मे.वा. (एच)	अरुणाचल प्रदेश	1446.09	114.32	1108.00
तुरियल (नीपको) 60 मे.वा. (एच)	मिजोरम	368.72	2.81	22.63
लोकतक डी/एस (एनएचपीसी) 90 मे.वा. (एच)	मणिपुर	667.46	3.76	12.32
लिमाखोंग डीजी विद्युत परियोजना 36 मे.वा. (टी)	मणिपुर	126.02	20.37	122.49

इसके अतिरिक्त केंद्रीय क्षेत्र की नई प्रस्तावित परियोजनाओं नामशः मिजोरम में तुईवई जल विद्युत परियोजना (210 मे.वा.) और अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मे.वा.) के संबंध में निर्माण पूर्व कार्यों के लिए नॉर्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लि. को वर्ष 1999-2000 के दौरान क्रमशः 20 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं।

गन्ना विकास योजना

44. श्री पी. डी. एलंगोवन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में व्यापक गन्ना विकास योजनाएं शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी राशि आबंटित तथा व्यय की गई;

(ग) क्या केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों के अतिरिक्त, विदेशों तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की वित्तीय तथा प्रौद्योगिकीय मदद के साथ, गन्ना-उत्पादन के क्षेत्र में अधुनातन प्रौद्योगिकीय तकनीकों तथा वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग करने की सरकार की कोई परियोजनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ङ) क्या सरकार का, तमिलनाडु के विशेषकर धर्मपुरी, सेलम, नामक्कल, इरोद, दक्षिण आर्काट, कुड्डलूर, वेल्लूर, चिदम्बरम और तिरुवनामलई जिलों में गन्ना-उत्पादन के संबंध में योजनाओं को वित्तपोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) गन्ना आधारित फसलन क्षेत्रों के सतत विकास से संबंधित केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 1995-96 से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) राज्यवार आबंटित एवं निर्गमित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गन्ना विकास से संबंधित विदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सहायता प्राप्त कोई परियोजना नहीं है। गन्ना विकास संबंधी कार्य भारतीय अनुसंधान प्रणाली की वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुसरण में शुरू किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा खेतों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा किसानों व क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है।

(ङ) और (च) गन्ना आधारित फसलन क्षेत्रों के सतत विकास संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम तमिलनाडु के उत्तरी आर्काट, कोयम्बटूर, धरमपुरी, सम्बूवारायूर, दक्षिणी आर्काट, कनरजार, चेंगल अण्णे तथा मदुरै जिलों सहित 20 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है, और इसमें खेतों पर प्रदर्शन, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, कृषक स्तरीय प्रशिक्षण, बैल

चालित उपस्करों, ट्रैक्टर चालित उपस्करों, बीज बहुगुणन, उष्मा उपचार संयंत्र एवं ड्रिप अवसंरचना संबंधी घटक शामिल हैं।

विवरण

गन्ना आधारित फसलन क्षेत्रों के सतत विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत राज्यवार आबंटन एवं निर्गमित (खर्च) धनराशि।

(लाख रुपये)

राज्य	वर्ष					
	1997–98		1998–99		1999–2000	
	आबंटन के.अंश	निर्गमित के.अंश	आबंटन के.अंश	निर्गमित के.अंश	आबंटन के.अंश	निर्गमित के.अंश
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	172.75	0.0	166.70	148.0	135.0	58.18
असम	45.51	0.0	48.42	0.0	18.0	5.0
बिहार	168.18	70.67	156.32	0.0	78.0	53.78
गोवा	15.30	0.0	12.95	0.0	5.76	3.0
गुजरात	122.86	18.0	137.57	105.0	96.0	49.0
हरियाणा	93.90	75.0	93.29	71.0	75.0	33.0
कर्नाटक	173.60	100.0	213.42	127.0	198.0	60.31
केरल	27.20	20.0	40.38	38.0	30.0	18.68
मध्य प्रदेश	65.82	27.0	106.93	73.0	78.0	33.0
महाराष्ट्र	440.84	348.50	580.27	580.0	447.0	271.63
मणिपुर	12.60	5.0	30.0	20.0	21.0	14.13
मिजोरम	12.70	10.0	30.0	21.30	21.0	13.72
नागालैंड	16.20	11.0	22.51	23.0	21.0	15.64
उड़ीसा	52.38	40.0	49.64	27.0	33.0	33.0
पंजाब	82.80	0.0	82.80	43.0	51.0	15.0
राजस्थान	50.37	12.0	116.05	69.0	81.0	24.0
तमिलनाडु	155.41	65.0	165.30	94.0	126.0	87.63
त्रिपुरा	16.20	3.0	15.01	–	15.0	5.0
उत्तर प्रदेश	675.05	256.0	541.49	91.0	450.0	136.30
पश्चिम बंगाल	24.18	6.0	46.04	24.0	30.0	9.9
पांडिचेरी	20.22	15.0	19.98	–	10.0	3.0

दूध और दुग्ध उत्पादों के स्वदेशी उत्पादक

45. श्री पी. एच. पांडियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध और दुग्ध उत्पादों के निःशुल्क आयात को मंजूरी देने वाली सरकार की नई निर्यात और आयात नीति के मुताबिक दूध और दुग्ध–उत्पादकों के स्वदेशी उत्पादक पर बाधित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकार की नई आयात और निर्यात नीति के कारण वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा से दूध और दुग्ध उत्पादों के स्वदेशी–उत्पादकों को बचाने का है; और

(ग) क्या सरकार का उत्पादकों को दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ताकि दुग्ध उत्पादक और दुग्ध उत्पाद के उत्पादक प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर सकें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) स्किम्ड दुग्ध चूर्ण का आयात 1995 से खुले सामान्य लाइसेंस में हो रहा है और यह नई आयात–निर्यात नीति के अनुसार नहीं है। जब यह महसूस किया गया कि शून्य शुल्क पर सस्ते आयातों से, जो कि बंधी हुई दर थी, दुग्ध चूर्ण के घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो भारत ने दुग्ध चूर्ण की बंधी हुई दर में वृद्धि करने के लिए जो कि गेट के पूर्व समझौतों में शून्य स्तर पर बंधी हुई थी, गेट की धारा xxviii के तहत अपने व्यापार साझेदारों के साथ बातचीत शुरू की। इस कदम के परिणामस्वरूप राजस्व विभाग ने 12 जून, 2000 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा दुग्ध चूर्ण, स्किम्ड और संपूर्ण दोनों पर आयात शुल्क की प्रभावी दर 15 प्रतिशत शुल्क पर दोनों को मिला करके 10,000 मीट्रिक टन के सार्वभौमिक वार्षिक सीमा शुल्क दर कोटे के साथ 60 प्रतिशत पर तय की गई।

(ग) दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

प्रदूषण के कारण बी.टी.पी.एस. का बंद होना

46. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो ताप विद्युत संयंत्र के 'क' संयंत्र को प्रदूषण के कारण बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त संयंत्र के बंद होने से प्रति माह कितनी वित्तीय हानि हो रही है;

(घ) क्या उक्त संयंत्र को बंद करने से पहले प्रदूषण विभाग द्वारा कोई अग्रिम सूचना दी गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार उक्त संयंत्र को पुनः चालू करने का है; और

(छ) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी हां, बोकारो थर्मल 'ए' विगत कुछ दिनों से प्रदूषण नियंत्रणकारी उपायों को नहीं अपनाए जाने के कारण बंद है।

(ख) यूनिटों को 1953 में चालू किया गया एवं इनमें केवल मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर ही लगाए गए थे। परिणामस्वरूप चिमनियों के जरिए स्राव निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा था।

(ग) प्रतिमाह औसतन 3.27 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि होगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्राव मानकों को पूरा करने के लिए डीवीसी को बोकारो 'ए' में प्रदूषण नियंत्रणकारी उपस्कर स्थापित करने का निदेश दिया।

(च) और (छ) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुदेशानुसार यूनिटों को प्रदूषण नियंत्रणकारी और उपस्करों की संस्थापना के बाद ही चालू किया जा सकता है। डीवीसी ने पहले ही नई इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर, राख निकासी एवं हैंडलिंग प्रणाली, गंदा जल शोधन के लिए आदेश दे दिया है।

[अनुवाद]

केरल में नए डाकघर

47. श्री सुरेश कुरूप : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं योजना अवधि के दौरान केरल में स्थानवार खोले जाने वाले प्रस्तावित नए डाकघरों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : केरल में नौवीं योजना अवधि के दौरान खोले गए नए डाकघरों तथा खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केरल में नौवीं योजना अवधि के दौरान खोले गए नए डाकघरों का ब्यौरा

वर्ष	डाकघर का नाम	स्तर	खोलने की तारीख
1	2	3	4
	मुरीकसरी	उप डाकघर	8.10.1997
1997-98	मूलाकूवल्ली	शाखा डाकघर	22.12.1997
	वेंगूर	शाखा डाकघर	1.11.1997
	नेलीकापारा	शाखा डाकघर	29.11.1997
	रोजमाला	शाखा डाकघर	20.12.1997
	मनदाड	शाखा डाकघर	15.12.1997
	वडाक्कूपुरम	शाखा डाकघर	31.3.1998
	वैंनकोल्ला	शाखा डाकघर	31.3.1998
1998-99	केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी	उप डाकघर	22.2.1999
	माल्यात्तूर	उप डाकघर	27.3.1999
	वेस्ट कल्लाडा	उप डाकघर	31.3.1999
	चेन्नाकुन्नू	शाखा डाकघर	31.3.1999
	एरावानकारा	शाखा डाकघर	20.2.1999
	मून्नार कालोनी	शाखा डाकघर	20.3.1999
	कुन्नाथुकारा एच एस	शाखा डाकघर	30.3.1999
	किदाराकुझी	शाखा डाकघर	31.3.1999
	येल्लूर, वेस्ट	शाखा डाकघर	12.3.1999
	चन्द्रापुरम	शाखा डाकघर	24.2.1999
	कांझीकोड आई ई	शाखा डाकघर	12.3.1999

1	2	3	4
	ओलर	शाखा डाकघर	26.2.1999
	चरियापारा	शाखा डाकघर	31.3.1999
	चिराकराथाझाम	शाखा डाकघर	26.3.1999
	नेथाजीपुरम	शाखा डाकघर	27.3.1999
1999–00	कोच्ची एयरपोर्ट	उप डाकघर	9.6.1999
	कोट्टियूर	उप डाकघर	1.10.1999
	कोवलम	शाखा डाकघर	14.10.1999
	पूमाला	शाखा डाकघर	18.1.2000
	वालमकुलम	शाखा डाकघर	14.2.2000
	कत्तूसारी	शाखा डाकघर	23.12.1999
2000–01	चून्दासेरी	शाखा डाकघर	30.9.2000

वर्ष 2000–2001 के दौरान 4 शाखा डाकघर तथा 2 उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से एक शाखा डाकघर खोल दिया गया है। वर्ष 2001–2002 के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। नए डाकघरों का खोला जाना, विभागीय मानदंडों के पूरा होने तथा वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पदों की मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अर्धन्यायिक शक्तियां दिया जाना

48. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा हरित पर्यावरण संबंधी मानदंडों के उल्लंघन की समस्या से निपटने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अर्ध–न्यायिक शक्तियां प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कौन–कौन से राज्य सबसे अधिक प्रदूषण वाले हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेल्यूलर सेवा

49. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्रीमती कांति सिंह :
मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोशिका टेलीकॉम कंपनी को उत्तर प्रदेश (पूर्व और पश्चिम) बिहार और उड़ीसा में सेल्यूलर सेवा संचालित करने का कार्य–भार सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कंपनी केवल उत्तर प्रदेश (पूर्व) में ही काम कर रही है जबकि इन राज्यों में दूसरे सर्किल सेल्यूलर सुविधा के बिना ही काम कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन सर्किलों में विशेष रूप से बिहार में सेल्यूलर सेवा प्रदान करने के लिए और कौन–से वैकल्पिक उपाय किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) मै. कोशिका टेलीकॉम लि. को उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश (पूर्वी) और उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन के लिए चार अलग लाइसेंस प्रदान किए गए थे। उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) के लिए मै. कोशिका टेलीकॉम के तीन लाइसेंस, लाइसेंस–शुल्क का भुगतान न करने के कारण 22.5.1999 को समाप्त कर दिए गए थे। इन तीन सर्किलों में अन्य सेवा प्रदाताओं की ओर से अर्थात् बिहार और उड़ीसा सर्किलों में मै. रिलाइन्स, उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) सर्किल में मै. एस्कोटेल की ओर से सेल्यूलर टेलीफोन सेवा उपलब्ध है। मै. कोशिका का उत्तर प्रदेश (पूर्वी) सर्किल का लाइसेंस इसलिए रद्द नहीं किया गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश (पूर्वी) सर्किल के लाइसेंस–धारक, मै. एअरसेल डिजीलिंक इंडिया लि. ने भी भुगतान नहीं किया था और दोनों लाइसेंसों को रद्द कर देने से उत्तर प्रदेश (पूर्वी) सर्किल के सेल्यूलर उपभोक्ता सेवाओं से वंचित रह जाते।

सरकार के निर्णय के संदर्भ में 17.4.2000 के पत्र के तहत रद्द किए गए तीन लाइसेंसों की बहाली करने के साथ–साथ मै. कोशिका को नई दूरसंचार नीति 1999 (एनटीपी–99) व्यवस्था में माइग्रेशन पैकेज की पेशकश की गई थी। मै. कोशिका को उत्तर प्रदेश (पूर्वी) सर्किल के मौजूदा लाइसेंस के संबंध में 17.4.2000 के पत्र के तहत एनटीपी–99 व्यवस्था में माइग्रेशन संबंधी पैकेज की भी पेशकश की गई थी। मै. कोशिका ने 25.4.2000 के पत्र के तहत सभी चार पैकेजों के लिए बिना शर्त के अपनी स्वीकृति भेज दी। तथापि, यथानिर्धारित बकाया देयताओं के भुगतान की शर्तों को वह पूरा नहीं कर पाया।

उत्तर प्रदेश (पूर्वी) सर्किल का एक अन्य ऑपरेटर अर्थात् मै. एअरसेल डिजीलिंग इंडिया लि. को भी एनटीपी-99 व्यवस्था में माइग्रेशन संबंधी पैकेज की पेशकश की गई और वह एनटीपी-99 व्यवस्था में माइग्रेट होने के लिए कार्रवाई कर रहा है। इस प्रकार सेल्यूलर सेवा के उपभोक्ताओं को उपर्युक्त सभी चार सर्किलों के ऑपरेटरों से सेवा प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त हो गया है।

महानगर टेलीफोन निगम लि. घोटाला मामला

50. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री किरीट सोमैया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल) के 230 प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध बड़े घोटाले संबंधी जांच आरंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वी उपनगरों से सी.बी.आई. द्वारा फर्जी बिलों तथा कार्य आदेशों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सी.बी.आई. तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सहायता से कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) एसीबी, सीबीआई, मुंबई ने 'री-इन्स्टेटमेंट वर्क' कान्ट्रेक्ट देने' तथा उनके निष्पादन में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में एमटीएनएल के 12 अधिकारियों तथा 6 प्राइवेट पार्टियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए हैं।

(ख) कुछ दोष लगाने संबंधी दस्तावेज जब्त किए गए हैं और सीबीआई द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) जांच कार्य चल रहा है।

(ङ) सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध मौजूदा नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रत्यक्ष विपणन अधिकार

51. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष विपणन तथा अमानती-वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सदस्य उत्पादकों के उत्पादों के विपणन में लगे सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से फसल विपणन हेतु पुनर्वित्तपोषण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त [illegible] त सुविधाएं इस प्रकार हैं-

(i) सदस्य उत्पादकों के कृषि उत्पाद के रेहण के बदले अग्रिम।

(ii) उत्पादकों के कृषि उत्पाद की पूरी खरीद।

नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को 1.00 करोड़ रु. तक का ऋण मंजूर करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऋण सीमा पर प्रत्येक आहरण का अधिकतम 90 दिनों में (किंतु 30 जून के पश्चात नहीं, जब सीमा को समाप्त किया जाना है) पुनर्भुगतान अपेक्षित है।

राजस्थान को विद्युत आबंटन

52. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार-पांच वर्षों के दौरान सरकार ने केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से राजस्थान को दिए जाने वाले विद्युत आबंटन में उत्तरोत्तर कमी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार से अन्ता गैस विद्युत से 112 मेगावाट और आर ए पी पी-1 और 2 जो राजस्थान के लिए पूर्णतः समर्पित है, से 140 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की कटौती को समाप्त करके यह आपूर्ति पुनः प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान को 15 प्रतिशत अनाबंटित कोटे के अंतर्गत 50 प्रतिशत केंद्रीय उत्पादन केंद्र क्षमता वाले 1995 के स्तर पर पुनः विद्युत आपूर्ति करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कटौती समाप्त करके पुनः आपूर्ति कब तक की जाएगी;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केंद्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केंद्रों में 15 प्रतिशत अनाबंटित कोटे से विद्युत आबंटन की संबंधित अभाव, सिंचाई आवश्यकता, मांग में मौसमी परिवर्तन एवं क्षेत्र के घटक राज्यों संघीय क्षेत्रों की अत्यावश्यक जरूरतों के आधार पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए पिछले पांच वर्षों में राजस्थान को 15 प्रतिशत अनाबंटित कोटे से विद्युत के आबंटन का विवरण निम्नानुसर है--

वर्ष	अनाबंटित कोटे से आबंटन
1995–96	50%
1996–97	35 से 50%
1997–98	15 से 30%
1998–99	20 से 25%
1999–2000	19 से 28%
2000–01 (15 नवंबर, 2000 तक)	25 से 27%

(ख) और (ग) आरएपीपी यूनिट–1 और 2 से पूर्ण आबटन राजस्थान को दिया जाता है। राजस्थान सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उन्हें अन्ता जीपीएस का एक–तिहाई विद्युत का विशेष आबंटन फिर से दिया जाए जिसके फलस्वरूप राजस्थान को लगभग 112 मे.वा. का अतिरिक्त लाभ मिला है। अन्ता जीपीएस एक क्षेत्रीय विद्युत केंद्र है और उत्तरी क्षेत्र के सभी घटक राज्य/संघीय क्षेत्र का हिस्सेदारी फार्मूले के अनुसार इसमें सुनिश्चित हिस्सा है। अप्रैल, 1997 में आरएपीपी यूनिट–1 एवं जून, 1998 में यूनिट–2 की पुनः बहाली एवं अन्ता जीपीएस में उत्तरी क्षेत्र के घटक राज्यों द्वारा अपने हिस्से की पुनः बहाली के लिए पुरजोर मांग के कारण 20.10.1999 से राजस्थान को विशेष आबंटन बंद कर दिया गया। राजस्थान को यह आबंटन फिर से शुरू करने से उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्य, जिन्हें पहले से विद्युत अभाव का सामना करना पड़ रहा है, अन्ता जीपीएस में अपने हिस्से की प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे।

(घ) से (छ) राजस्थान को मौजूदा आबंटन उत्तरी क्षेत्र के घटक राज्यों/संघीय क्षेत्रों का समग्र ऊर्जा संबंधी आवश्यकता के मद्देनजर किया गया है। हालांकि राजस्थान में विद्युत अभाव को दूर करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सहायता दी गई है--

(i) आरएपीपी यूनिट–3 (220 मे.वा.) में 50% का विशेष आबंटन।

(ii) केंद्रीय विद्युत केंद्रों से अनाबंटित कोटे का 25% (225 मे.वा.) एवं 1.11.2000 से 15.11.2000 तक दिल्ली के 20% अनाबंटित कोटे का विपथन कर गैर–व्यस्ततमकालीन समय में अनाबंटित कोटे का 45%।

(iii) यूपीपीसीएल के परिवर्तित हिस्से से दादरी जीपीएस से 69 मे.वा.।

(iv) चमेरा एचपीएस से 89 मे.वा.।

(v) विन्ध्याचल एसटीपीएस के नवीन रूप से चालू विद्युत उत्पादन में से 200 मे.वा. विद्युत का 37% (74 मे.वा.)।

(vi) 12.10.2000 को डीवीबी एवं आरआरवीपीएनएल के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार दादरी टीपीएस विद्युत उत्पादन में डीवीबी का 15% से 50 तक हिस्सा (बीटीपीएस की उपलब्धता के अनुसार) 2300 बजे से 0600 बजे अगले दिन तक) उपलब्ध कराया जाएगा। यह समझौता 15.3.2001 तक मान्य रहेगा।

दूरसंचार सेवाओं में गड़बड़ी संबंधी समिति की रिपोर्ट

53. श्री सुबोध मोहिते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरसंचार कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान दूरसंचार सेवाओं में गड़बड़ी के कारणों की जांच हेतु श्री दिलीप सहाय की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सेवाओं में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) उक्त सेवाओं में गड़बड़ी और हड़ताल की वजह से सरकार को कितना वित्तीय घाटा हुआ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। समिति को कहा गया है कि वह मामले से संबंधित और अधिक जानकारी एकत्र करे तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(ग) और (घ) उपर्युक्त पैरा (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

खाद्य प्रसंस्करण हेतु अखिल भारतीय संसंजक नीति

54. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण संबंधी अखिल भारतीय संसंजक नीति की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त नीति को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (टीएच. चाओबा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, सामान्य रूप से खाद्य और विशेष रूप से फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि करना और प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना प्रस्तावित नीति के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

(ग) अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने के लिए निश्चित समय–सीमा निर्धारित करना कठिन है।

बाघिन की खाल उतारना

55. श्री कमलनाथ : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 2000 के 'दि एशियन एज' समाचारपत्र में 'टाइगर्स स्किन्ड टू ऑफर सेक्रिफाइस फॉर वी आई पी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हैदराबाद में नेहरू वन्य प्राणी विहार में बाघिन की खाल उतारे जाने के बाद आंध्र प्रदेश में एक तेंदुए की खाल उतारे जाने की घटना सरकार के ध्यान में आई है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) 4 अक्तूबर, 2000 की रात्रि को नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद के भीतर बाघिन 'सखी' को मारने और उसकी खाल उतारने से संबंधित मामले की जांच राज्य सी आई डी द्वारा की जा रही है। राज्य के मुख्य मंत्री इस मामले की प्रगति को व्यक्तिगत रूप से मानीटर कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। अब तक भारत सरकार को राज्य सरकार से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें 'महामृत्युंजय यज्ञ' के लिए बाघिन को मारे जाने की आशंका व्यक्त की गई हो।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार द्वारा मुद्दानूर के वन रेंज अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की आपूर्ति

56. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे गांवों का ब्यौरा क्या है जहां सौर ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है; और

(ख) अक्तूबर, 2000 तक की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाली सौर ऊर्जा इकाइयों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में सौर प्रकाशवोल्टीय (पीवी) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम में सौर लालटेन, सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां, सड़क रोशनी प्रणालियां, सौर पंप और रोशनी के लिए विद्युत संयंत्र लगाना शामिल है। यह कार्यक्रम राज्य नोडल एजेंसियों, विनिर्माताओं, आदित्य सौर दुकानों और विख्यात गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य में, अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी (नेडा) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी मुख्य एजेंसी है। इस एजेंसी ने सूचना दी है कि 328 गांवों के विद्युतीकरण में सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, काफी सारे ग्रामीण सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों, सौर सड़क रोशनियों और सौर लालटेनों का उपयोग कर रहे हैं।

इस राज्य में अब तक कुल 63,860 सौर लालटेन, 59,109 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां, 708 सड़क रोशनी प्रणालियां, 202 सौर पंप और 404 किलोवाट समग्र क्षमता के प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं।

[हिन्दी]

ऑप्टिकल फाइबर केबिल्स

57. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन केंद्रों के लिए विश्वसनीय आप्टिकल फाइबर केबिल्स (ओएफसी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में विशेषकर सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में टेलीफोन केंद्र–वार प्रदान किए जाने वाले आप्टिकल फाइबर केबिल्स का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) मार्च, 2002 तक देश में सभी एक्सचेंजों को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उपग्रह या माइक्रोवेव अथवा ऑप्टिकल फाइबर लिंक से विश्वसनीय पारेषण माध्यम उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है।

ऐसे ओ एफ सी–मार्गों तथा ओ एफ सी–लिंकों के मार्गस्थ एक्सचेंजों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिन्हें सहरसा, सुपौल व मधेपुरा जिलों के लिए उत्तरोत्तर रूप से जोड़ा जा रहा है।

विवरण

ओ एफ सी योजना 2000–2001 के लिए

क्र.सं.	मार्ग का नाम	क्रमिक रूप से जोड़े जा रहे मार्गस्थ एक्सचेंज का नाम
1	2	3
1.	सहरसा–बरियाती मोर	बरियाती मोर
2.	बरियती मोर–बांदगांव	बांदगांव
3.	बरियाती मोर–रहूवा तुलसिया	रहूवा तुलसिया
4.	पंचगछीया–नौहाट्टा	नौहाट्टा
5.	नोहाटा–मुराजपुर	मुराजपुर
6.	बैजनाथपुर–सौरबाजार	सौरबाजार
7.	सौरबाजार–भापतियाय	भापतिया
8.	सौरबाजार–कापासिया	कापासिया
9.	कापासिया–गोलमा	गोलमा
10.	कापासिया–धबौली	धबौली
11.	सिमरी बख्तियारपुर–तिलयाहाट	तिलियाहाट
12.	मधेपुरा–मिठाई	मिठाई
13.	मधेपुरा–जीतपुर	जीतपुर
14.	जीतपुर–दीना पट्टी	दीनापट्टी
15.	दीनापट्टी–मीरगंज चौक	मीरगंज चौक
16.	मीरगंज चौक–मुरलीगंज	मुरलीगंज
17.	उदाकिशनगंज–पुरैनी	पुरैनी
18.	पुरैनी–चौसा	चौसा
19.	उदाकिशनगंज–आलमनगर	आलमनगर
20.	त्रिवेणीगंज–लहारिनयां	लहारनियां
21.	सहरसा–सुपौल	सुपौल
22.	सुपौल–सुखपुर	सुखपुर
23.	सुपौल–बिना बमनगामा	बिनाबमनगामा
24.	बिनाबमनगामा गढबरौढ़ी	गढबरौड़ी
25.	सुपौल–बेलाटेरहा	बेलाटेरहा
26.	बिरलाटेरहा–किशनपुर	किशनपुर
27.	किशनपुर–सरायगढ़	सरायगढ़
28.	त्रिवेणीगंज–पीपरा–मधेपुरा	पीपर, सिधेश्वर, घन्करिया
29.	सुपौल–राधोपुर–बीरपुर	राधोपुर, रतनपुर, बीरपुर कर्जन बाजार
30.	खगरिया–सहरसा	सहरसा, बालुवाहाट, सिमरी, भक्तियारपुर, सोनबरसाराज

2000–2001 के लिए ओ एफ सी–योजना

क्र.सं.	मार्ग का नाम	
1	2	3
1.	रहुवा तुलसिया–पंचगोहिया	पंचगोहिया
2.	बेनगांव–महेशी	महेशी
3.	महेशी–बलुशा	बलुशा
4.	महेशी–नैनाराजहंसपुर	नैनाराजहंसपुर
5.	सिमरी भक्तियारपुर–सालाखुवा	सालाखुवा
6.	सोनबर्नाराज–बिराटपुर	बिराटपुर
7.	बिराटपुर–मनगौर	मनगौर

1	2	3
8.	मलिओहक–खासनगर	खासनगर
9.	सहासा–मधेपुरा	मधेपुरा
10.	मुरलीगंज–मीरगंज–कुमारखंड	कुमारखंड
11.	उदाकिशनगंज–फलौत	फुलौत
12.	गमहरिया–गैलाश	गैलाश
13.	त्रिवेणीगंज–लहारनियां	लहारनियां
14.	जयदला–गिरधरपट्टी	गिरधरपट्टी
15.	छत्तरपुर–हरीहरपुर	हरीहरपुर
16.	सुपौल–निर्मलीचकिया	निर्मलीचकिया
17.	राघोपुर–प्रतापगंज	प्रतापगंज

[अनुवाद]

बिहार में पावर ग्रिड की स्थापना

58. श्री अरुण कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार को दो भागों में बांटे जाने के बाद शेष बिहार को बचाने हेतु पावर ग्रिड की स्थापना करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा–62(i) के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) उन क्षेत्रों में अपना कार्य जारी रखेगा जहां वह निर्धारित तिथि से ठीक पहले तक कार्य कर रहा था। इसलिए निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी अव्यवस्था से बचने के लिए बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में विद्युत के उत्पादन व आपूर्ति हेतु विद्यमान व्यवस्थाओं को जारी रखने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 1.11.2000 को एक अधिसूचना जारी की थी। यह भी निर्णय लिया गया है कि नये झारखंड राज्य के लिए एक भार प्रेषण केंद्र की स्थापना की जाएगी।

खाद्यानों में आत्मनिर्भरता

59. श्रीमती निवेदिता माने : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश ने किन–किन खाद्यानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है;

(ख) क्या अब इनमें से किन्हीं खाद्यानों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन खाद्यानों की वार्षिक निर्यात की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) वर्ष 1999 के लिए 192.39 मिलियन मी. टन की मानक खाद्यान आवश्यकता की तुलना में फसल वर्ष 1998–99 में 203.04 मिलियन मी. टन खाद्यान का उत्पादन होने का अनुमान है। इस प्रकार देश न केवल स्वावलंबी बन गया है अपितु खाद्यान के निर्यात की स्थिति में भी है। तद्नुसार हाल के वर्षों में भारत ने गेहूं, चावल और मोटे अनाजों का निर्यात किया है। वर्ष 1998–99, 1999–2000 (अनंतिम) और 2000–2001 (अप्रैल–जुलाई, 2000 अनंतिम) के वर्षवार निर्यात का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है–

(मात्रा : 000 मीटरी टन में)

	1998–99	1999–2000 (अनंतिम)	2000–2001 (अप्रैल–जुलाई अनंतिम)
चावल बासमती	597.8	606.5	357.6
चावल गैर बासमती	4365.9	1216.7	174.4
गेहूं	1.8	नगण्य	0.8
मोटे अनाज	9.5	7.6	4.2

गुजरात में चक्रवात से नुकसान

60. श्री दिग्गा पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998 के चक्रवात के दौरान गुजरात के लोगों को हुए नुकसान का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात सरकार द्वारा केंद्र सरकार से मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) गुजरात सरकार को अब तक कितनी राहत प्रदान की गई है;

(ङ) क्या मांगी गई राहत और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत में बड़ा अंतर है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अंतर को कम करने हेतु राज्य को कुछ और राहत प्रदान करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) गुजरात में जून 1998 में आए चक्रवात के परिणामस्वरूप 1261 लोगों की जानें गईं, 1303 लापता हुए और 1.80 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए। लगभग 2100 करोड़ रुपये की कुल क्षति हुई।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 610.65 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की थी। राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा यथा अनुमोदित 55.35 करोड़ रुपये की सहायता राशि उक्त राज्य को जारी की गई।

(ङ) और (च) प्राकृतिक आपदाएं आने पर प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय करने की जिम्मेवारी प्रथमतः राज्य सरकार की ही होती है। केंद्र सरकार तो महज राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। प्रभावित लोगों को तुरंत राहत देने के लिए राहत उपाय किए जाते हैं और यह नुकसान की प्रतिपूर्ति नहीं होती। इस आपदा के लिए गुजरात सरकार को और सहायता जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत का आयात

61. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश तथा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के विद्युत आयात के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या भारत सरकार तथा बंगलादेश सरकार विद्युत प्रणालियों के अंतःकनैक्शन संबंधी संयुक्त संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने पर सहमत हो गई थी,

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की नवीनतम स्थिति क्या है तथा तत्संबंधी विद्युत खरीद संबंधी समझौते का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान भी भारत को विद्युत आपूर्ति करने पर सहमत हो गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या अब तक विद्युत की खरीद तथा शुल्क दर संबंधी ऑपरेटिंग समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) भारत और नेपाल तथा भारत और भूटान के बीच विद्युत का आदान-प्रदान के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। भारत सरकार और बंगलादेश विद्युत के आदान-प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच विद्युत प्रणालियों के अंतर-संयोजन के संबंध में एक संयुक्त व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राजी हो गए हैं। बंगलादेश के साथ अंतर-संयोजकों की स्थापना हेतु वाणिज्यिक स्तर पर प्रारंभिक विचार-विमर्श रखे गए हैं। लगभग 150 मे.वा. विद्युत के प्रारंभिक आदान-प्रदान के संबंध में चर्चा कर ली गई है।

पाकिस्तान से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए दो दौर की चर्चा की गई थी। दूसरे दौर की चर्चा के दौरान पाकिस्तान सरकार ने 10 वर्ष के लिए भारत को विद्युत का निर्यात करने के लिए 300 मे.वा. विद्युत की उपलब्धता की पुष्टि की है। इस आपूर्ति को दोनों तरफ प्रणाली की तकनीकी सीमाओं के आधार पर कुछ अवधि के दौरान उपलब्धता के अनुसार 600 मे.वा. तक बढ़ाया जा सकता है। विद्युत की खरीद हेतु प्रचालन समझौते और टैरिफ दर के निर्धारण की पद्धति पर भी विचार-विमर्श किया गया है। तथापि, तब से मामले पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

नई राष्ट्रीय युवक नीति

62. श्री राजैया मल्याला : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय युवक नीति घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन कार्यकलापों को बढ़ावा दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या अपंग व्यक्तियों के लिए नीति बनाने के बारे में विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (घ) सरकार ने सभी वर्गों के युवाओं जैसे कि ग्रामीण युवा, अपाहिज युवा, बेराजगार युवा, स्कूल छोड़ देने वाले युवा, छात्र आदि को शामिल करते हुए, युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए नई राष्ट्रीय युवा नीति, 2000 का मसौदा तैयार किया है। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से विभिन्न युवा विकास कार्यक्रम तैयार और निष्पादित किए जाएंगे।

गैस रिसाव से श्रमिकों की मौत

63. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मेलुद से निकट पोथेनेरी स्थित इस्पात कारखाने में गैस रिसाव से श्रमिकों की मौत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी ने स्थापित सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन किया था; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जी, नहीं। जैसा कि मुख्य फैक्टरी निरीक्षक तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि तमिलनाडु में मैटूर के निकट मैसर्स सदर्न आइरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, पोयनिरी में एक दुर्घटना हुई, जिसमें विस्फोटक भट्टी के बेल पार्ट में कच्चे माल के गोदाम में कार्बन मोनोक्साइड एकत्र हो जाने से दम घुटने के कारण तीन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। यह सूचना दी गई कि प्रबंधकों ने फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 36 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। फैक्टरी के दखलकार तथा प्रबंधक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 'फैक्टरी कर्मचारी राज्य बीमा योजना' (ई.एस.आई.) के तहत शामिल की गई थी। जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक मृतक के कानूनी वारिस को 70,000/– रुपये तथा कार्मिक वैयक्तिक बीमा योजना के अंतर्गत 30,000/– रुपये दिए गए।

[हिन्दी]

हिमालय क्षेत्र में असंतुलन

64. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 नवंबर, 2000 के 'नवभारत टाइम्स में' 'भयंकर आपदाओं का सामना करने वाले' शीर्षक के तहत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस चेतावनी से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में एहतियाती उपाय के तहत कोई योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) जी, हां। इस समाचार में हिमालय क्षेत्र में त्वरित आर्थिक विकास के कारण पारंपरिक भूमि उपयोग, जल संसाधनों तथा पर्यावरण को हो रहे खतरों के बारे में उल्लेख किया गया है। सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के द्वारा विकास परियोजनाओं के संभावित प्रभाव पर यथोचित विचार करना, एक हजार मीटर से अधिक ऊंचे स्थानों में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, सड़क निर्माण तकनीकों का सुधार, वनीकरण को बढ़ावा देना शामिल है। हिमालय क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए राष्ट्रीय नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की है। संचालन समिति ने हिमालय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों की देखरेख तथा उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए सात सेक्टर आधारित उप–समितियां गठित की हैं। संचालन समिति ने 30 जून, 2000 को आयोजित अपनी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनमें सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भावी योजना तैयार करना अधिसूचित आदिवासियों के संरक्षण एवं विकास संबंधी विशेष योजना, बांस विकास तथा औषधीय पौधों के लिए आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाओं का अभिनिर्धारण तथा दावानल की समस्याओं से निपटने के लिए कार्य योजना शामिल है।

[अनुवाद]

कीटनाशकों की कीमतें

65. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों पर छिड़काव किए जाने वाले कीटनाशकों की कीमतों पर सरकार सतर्कतापूर्वक नजर रखती है;

(ख) यदि हां, तो उन प्राधिकारियों के नाम क्या हैं जो विभिन्न कंपनियों को उनके उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की अनुमति देते हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रमुख कीटनाशकों की कीटनाशक–वार तुलनात्मक कीमतें क्या थीं;

(घ) क्या उस अवधि में कीटनाशकों की कीमतों में बढ़ोत्तरी की दर युक्तिसंगत थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या इसी अनुपात में कृषि–उत्पादों की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो कीटनाशकों और कृषि–उत्पादों की कीमतों को न्यूनतम रखने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) कीटनाशकों के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य कीटनाशकों का कीटनाशीवार तुलनात्मक मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) खेती में उपयोग किए जा रहे कीटनाशकों के मूल्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विशेष नहीं रहा है। संगत मूल्यों पर कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कीटनाशकों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करती रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1997–98 से 1999–2000) के दौरान मुख्य कीटनाशकों के तुलनात्मक मूल्य

(दर रुपये प्रति कि.ग्रा./लीटर)

क्र.सं.	कीटनाशकों का नाम	97–98	98–99	99–2000
1	2	3	4	5
1.	2, 4–डी सोडियम साल्ट 80%	177	146	160
2.	एनिलोफोज 30% ई सी	235	218	193
3.	अट्राजीन	133	शून्य	शून्य
4.	बी टी बेसिलियस थ्रइंगेन्सिस	शून्य	1050	1128
5.	बी एच सी 10% डी पी	शून्य	शून्य	शून्य
6.	बेंथियोकार्ब	शून्य	240	शून्य
7.	बुटकलर 5% जी आर	25	शून्य	शून्य
8.	बुटकलर 50% ई सी	187	177	153
9.	कार्बोएन्डजीम 50% डब्ल्यू पी	497	397	339
10.	कार्बोफर्न 3 जी	59	शून्य	54
11.	क्लोप्रिफोर्स 20% ई सी	281	229	166
12.	कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% डब्ल्यूडीपी	177	156	186
13.	कॉपर सल्फेट	शून्य	54	शून्य
14.	साइपरमेथ्रिन 10% ई सी	357	300	219
15.	साइपरमेथ्रिन 25% ई सी	शून्य	413	427
16.	डिक्लोरोवस 76%	385	315	261
17.	डाइमथोएट 30% ई सी	212	185	204
18.	इन्डोसुल्फान 35% ई सी	245	219	216
19.	फेन्वालारेट 20% ई सी	357	269	270
20.	इसोप्रोट्रन 50%	400	326	329
21.	मालाथ्योन 5% डस्ट	शून्य	शून्य	10
22.	मालाथ्योन 50% ई सी	200	148	143
23.	मानकोजेब 75% डब्ल्यू पी	219	223	229
24.	मिथाइल पाराथोइन 50% ई सी	306	292	323
25.	मोनोक्रोटोफोस 36% एसएल	379	288	123
26.	नीम बेसड इन्सेक्ट 0.03%	132	शून्य	शून्य
27.	नीम बेसड इन्सेक्ट 0.15%	246	285	319
28.	फोरेट 10 जी	58	46	42
29.	फोसपामीडन 85% एस एल	439	374	368
30.	क्यूनालफोस 25% ई सी	365	226	242
31.	क्यूनालफोस 5% जी आर	65	शून्य	शून्य
32.	थीरम	शून्य	157	129
33.	जिंक फोसफाइड 80 %	शून्य	शून्य	308

स्रोत : राज्य कृषि विभाग

उ. न. : उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

विद्युत की मांग और आपूर्ति में अंतर

[illegible]. श्री नवल किशोर राय :

श्री प्रभात सामन्तराय :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत की वर्तमान में कुल मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच प्रतिवर्ष अंतर बढ़ता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) 2010 तक विद्युत की अनुमानित मांग कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में मांग और आपूर्ति का अंतर पाटने के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के बजाय अन्य विकल्पों पर विचार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार ने 2010 तक देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) अप्रैल–अक्तूबर, 2000 के दौरान देश में कुल विद्युत मांग तथा आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है–

वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति (मि.यू.)		व्यस्ततमकालीन मांग बनाम व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मे.वा.)	
आवश्यकता	290,647	व्यस्ततमकालीन मांग	73,567
उपलब्धता	270,567	व्यस्ततमकालीन पूर्ति	65,628
कमी (%)	6.9	कमी (%)	10.8

(ख) और (ग) 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–01 (अक्तूबर, 2000) में देश में ऊर्जा आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी के आंकड़े नीचे दिए गए हैं–

वर्ष	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	कमी (%)
1998–99	446,584	420,235	5.9
1999–2000	480,430	450,594	6.2
2000–01 (अक्तूबर, 2000 तक)	290,647	270,567	6.9

देश में बिजली कमी के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं–

(i) उत्पादन विकास की गति तेज करने के लिए ऊर्जा मांग में वृद्धि।

(ii) शंट कैपेसिटर्स की अपर्याप्तता के कारण ग्रिड में कम फ्रीक्वेंसी स्थितियों का होना।

(iii) ग्रिड में व्यस्ततमकालीन ऊर्जा की कमी।

(iv) पारेषण तथा वितरण प्रणाली में दबाव।

(v) कुछ विद्युत स्टेशनों का कम पीएलएफ।

(घ) 15वें विद्युत पावर सर्वेक्षण के अनुसार 2011–12 के अंत तक देश में अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता 1058440 मि.यू. तथा व्यस्ततमकालीन भार 176647 मे.वा. है।

(ङ) से (छ) विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को पाटने के लिए निम्नांकित कदम (क्षमता संवर्धन के अलावा) उठाये जा रहे हैं–

(i) आवश्यक पारेषण नेटवर्क की स्थापना के जरिए बिजली अंतर–क्षेत्रीय अंतरण को सरल बनाना।

(ii) उत्पादन बढ़ाने के लिए ताप तथा जल विद्युत केंद्रों की मौजूदा पुरानी यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण व जीवन विस्तार।

(iii) कम परिपक्वता अवधि वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(iv) मांग पक्ष प्रबंधन तथा ऊर्जा संरक्षण उपाय।

(v) विभिन्न उपायों के जरिए पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी।

(vi) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहन।

(vii) तीव्र गति से जल विद्युत शक्यता के संदोहन और लघु तथा मिनी जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए अगस्त, 1998 में जल विद्युत नीति का निरूपण।

(viii) पारेषण तथा वितरण, प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार।

(ix) विद्युत क्षेत्र का सुधार एवं पुनर्गठन।

(x) 2012 तक मौजूदा लगभग 1 लाख मे.वा. की उत्पादन क्षमता को दुगुना करना।

'रेक प्वाइंटों' का खोला जाना

67. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में प्रत्येक राज्य में कितने 'रेक प्वाइंट' हैं;

(ख) क्या राज्यों के व्यापक क्षेत्रफल के मद्देनजर उक्त संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो खरीफ मौसम के आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक राज्य में कितने 'रेक प्वाइंट' खोले जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) रेल मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न अंचलीय रेलवे में रेक केंद्र (रेक प्वाइंट) की संख्या निम्नवत है–

रेलवे	फुल रेक प्वाइंट की संख्या
मध्य	175
पूर्वी	130
उत्तरी	271
पूर्वोत्तर	77
उत्तर सीमान्त	25
दक्षिणी	41
दक्षिण मध्य	75
दक्षिण पूर्वी	29
पश्चिमी	113
कुल	936

रेल मंत्रालय ये सूचनाएं राज्यवार नहीं रखता है।

(ख) देश के सभी राज्यों में फैले 936 पूर्ण रेक रखरखाव केंद्रों (फुल रेक हैंडलिंग प्वाइंट्स) को पर्याप्त माना गया है। आवश्यकता के समय, हाफ रेक हैंडलिंग प्वाइंट्स तथा टू प्वाइंट जुड़ाव की भी अनुमति है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत क्षमता में वृद्धि

68. श्री एन. आर. के. रेड्डी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले 10 वर्षों के दौरान विद्युत क्षमता एक लाख एम. डब्ल्यू. बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुल कितने निवेश की जरूरत है; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन स्रोतों से आवश्यक निवेश प्राप्त होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) वर्तमान में यह अनुमान है कि 2012 तक प्रत्याशित विद्युत मांग को पूरा करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 1,00,000 मे.वा. की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की जरूरत है। पोषण एवं वितरण सुविधाओं समेत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित निवेश लगभग 8,00,000 करोड़ रु. का होगा। केंद्रीय क्षेत्र के लिए अपेक्षित निधि आंतरिक संसाधनों समेत प्रतिधारित आमदनी, बॉन्ड निर्गमन आदि के जरिए उगाहा जाएगा। अतिरिक्त रूप से बाह्य संसाधन का संघयन द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक, एडीबी, जेबीआईसी आदि की विदेशी सहायता के जरिए दिया जाएगा। राज्य क्षेत्र के लिए जरूरी निधि की प्राप्ति राज्य विद्युत बोर्डों/युटिलिटियों, वार्षिक योजना आबंटनों, भारतीय वित्तीय संस्थानों से ऋणों एवं द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता के जरिए की जाएगी। निजी क्षेत्र अतिरिक्त संस्थापित क्षमता का लगभग आधा भाग अपने इक्विटी, प्रतिधारित आमदनी एवं वित्तीय संस्थानों आदि से ऋण प्राप्त कर पूरा करेगा।

केरल में जल विद्युत परियोजनाएं

69. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों से कुछ राज्यों, विशेषकर केरल में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के बहुत से प्रस्ताव अभी भी लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावित परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न की जाने वाली क्षमताओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय पन विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी) को केरल में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का कार्य सौंप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो राष्ट्रीय पन विद्युत निगम द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के समक्ष तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु जांचाधीन जल विद्युत स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। केरल की कोई भी जल विद्युत परियोजना के.वि.प्रा. के समक्ष लंबित नहीं है। हालांकि विवरण–II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार केरल की जल विद्युत परियोजनाओं/बहुद्देशीय स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को मुख्यतः इनसे संबद्ध अंतर्राज्यीय मामलों के कारण वापस कर दिया गया।

पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना (2 × 120 मे.वा.) को

के.वि.प्रा. ने जनवरी, 1984 में 250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृति दी। परियोजना को योजना आयोग ने अगस्त, 1986 में वन दृष्टि से स्वीकृति की शर्त पर मंजूरी दी। परियोजना का गहन विश्लेषण करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एवं सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित कतिपय अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना (2 x 80 मे.वा.) जो चालाकुडी नदी पर स्थित है, को के.वि.प्रा. ने 230.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 22.4.1996 को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की। परियोजना को पर्यावरणीय दृष्टि से जनवरी, 1998 में स्वीकृति मिली एवं 138.6 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन हेतु भी इसे सिद्धांत रूप में स्वीकृति मिल चुकी है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने हाल ही में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का संशोधन एवं लागत अनुमान का अद्यतनीकरण किया है, अतः केरल राज्य विद्युत बोर्ड को सलाह दी गई है कि वे योजना आयोग से निवेश मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में के.वि.प्रा. के समक्ष इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में के.वि.प्रा. में प्राप्त लंबित जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	स्कीम/क्रियान्वयक एजेंसी का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	के.वि.प्रा. प्राप्ति की तिथि
1	2	3	4	5
	1998-99			
उड़ीसा				
1.	बालीमेला एचईपी विस्तार चरण–2 (7वीं और 8वीं यूनिट) –उड़ीसा जल विद्युत निगम	2 x 75 = 150	277.57	5/98
	स्थिति/लंबित निवेश–			
	के.वि.प्रा. ने तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) हेतु 25.10.99 को विचार किया। टीईसी शर्तों को पूरा करने के बाद जारी किया जाएगा (i) सुरलीकोंडा बांध के लिए पर्यावरण एवं वन स्वीकृति (ii) आंध्र प्रदेश सरकार से अंतर्राज्यीय स्वीकृति।			
हिमाचल प्रदेश				
2.	धामवाड़ी सुंडा एचईपी (मै. धामवाड़ी पावर कंपनी लिमिटेड)	2 x 35 = 70	563.03	1/99
	स्थिति/लंबित निवेश–			
	31.3.96 को आईपीसी जारी। लंबित निवेश है–(i) अनंतिम वित्तीय पैकेज, (ii) पारेषण लाइनों के लिए वन स्वीकृति, (iii) मलियाना एस/एस के आगे विद्युत निकासी, (iv) कानूनी पहलुओं पर दी गई टिप्पणियों का अनुपालन : 9/99 में प्राप्त लागत अनुमान सीईए/सीडब्ल्यूसी के जांचाधीन है, एसपीएसी द्वारा 13.3.2000 को विचार किया गया एवं परियोजना के लिए टीईसी की सिफारिश करने के पूर्व अनेक मामलों के निपटान का निर्णय लिया गया।			
	1999-2000			
हिमाचल प्रदेश				
3.	उहल एचईपी चरण–3 एचपीएसईबी	2 x 50 = 100	464.80	11/99
	लंबित निवेश–			
	(i) धारा–29 का अनुपालन, (ii) अंतःराज्यीय स्वीकृति, (iii) वित्तीय पैकेज, (iv) पर्यावरण एवं वन स्वीकृति, (v) राज्य विभाग से पुनः वन स्वीकृति, (vi) विद्युत निकासी प्रणाली, (vii) ई एंड एम कार्य का अभिकल्पन।			
	2000-2001			
हिमाचल प्रदेश				
4.	पार्वती एचईपी चरण– (एनएचपीसी)	4 x 200 = 800	4120	10/2000
	लंबित निवेश/स्थिति–			
	एनएचपीसी के पक्ष में टीईसी 12.10.99 को 2151.78 करोड़ रुपये के पुराने स्वीकृत लागत पर हस्तांतरित की गई। 10/2000 में प्राप्त नवीन डीपीआर जांचाधीन है।			

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
5.	मतनार एचईपी एमपीईबी	3 x 20 = 60	253.64	6/2000
	लंबित निवेश–			
	(i) धारा–29 का अनुपालन, (2) व (3), (ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति तथा राज्य वन विभाग की स्वीकृति, (iii) अंतःराज्यीय पहलू, (iv) म.प्र. सरकार से भूमि 7 जल उपलब्धता प्रमाणपत्र, (v) लागत अनुमान का अद्यतनीकरण			
मिजोरम				
6.	कोलोगइना एचईपी चरण–I (मिजोरम सरकार)	120	804.60	6/2000
	लंबित निवेश–			
	(i) एमओईएफ स्वीकृति, (ii) लाभार्थी राज्य, (iii) राज्य सरकार से भूमि उपलब्धता प्रमाण–पत्र, (iv) अनंतिम वित्तीय पैकेज			
	कुल	1300 मे.वा.		

विवरण-II

पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापस की गई केरल की जल विद्युत/बहुद्देशीय स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	वापसी की तारीख	टिप्पणी
1.	केरल भवानी	3 x 50 = 150	जनवरी, 1992	अंतःराज्यीय पहलू शामिल कावेरी बेसिन में स्थित
2.	मनन्थवाड़ी (बहुउद्देशीय)	4 x 60 = 240	जुलाई, 1980	–वही–
3.	पाम्बर	2 x 15 = 30	मार्च, 1990	–वही–
4.	कुटियाडी संवर्धन	2 x 50 = 100	मई, 1992	–वही–
5.	पांडियार पुन्नापूजा	2 x 35 = 70	जुलाई, 1982	तमिलनाडु के साथ अंतःराज्यीय पहलू शामिल
6.	बारापोल	2 x 3 + 2 x 1.5 = 9	अगस्त, 1991	कर्नाटक के साथ अंतःराज्यीय पहलू शामिल।
7.	पल्लीवसल पुनःस्थापना	3 x 20 = 60	अप्रैल, 1992	–वही–
8.	कारापाराकुटियरकुट्टी (बहुउद्देशीय)	2 x 12 + 3 x 20 = 84	मई, 1991	–वही–

[हिन्दी]

पावर ग्रिड कार्पोरेशन का मनोरंजन क्षेत्र में प्रवेश

70. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन मनोरंजन के क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक मूर्त रूप दिए जाने की संभावना है और इससे कितना लाभ अर्जित होने की आशा है; और

(घ) इस पर कुल कितनी राशि व्यय होने की संभावना है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) पावरग्रिड ने एंड–टू–एंड बैंडविड्थ को पट्टे पर देकर अवसंरचना सुविधादाता–2 के रूप में दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बनाई है। दूरसंचार और मनोरंजन में एकरूपता की संभावनाओं पर विचार करते हुए पावरग्रिड भविष्य में एक महत्वपूर्ण

सेवा के रूप में मनोरंजन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय उद्यम की लागत प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा।

खतरनाक कीटनाशकों का आयात

71. डा. अशोक पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में ऐसे गंभीर कीटनाशकों के आयात के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो विकसित देशों में प्रतिबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायतों को देखते हुए सरकार का कीटनाशक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) विश्व के एक या कई देशों में प्रतिबंधित कुछ कृमिनाशी, हमारे देश में कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन प्रयोग के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं। भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने/सीमित करने का आधार कृषि जलवायु और पर्यावरणीय स्थितियां हैं। कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अधीन कृमिनाशी, जिन पर भारत में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, उनके आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः इस संबंध में कीटनाशी अधिनियम में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

72. डा. वी. सरोजा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार रासीपुरम क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में निकट भविष्य में कोई एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रतीक्षा सूची का निपटान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 1 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार रासीपुरम क्षेत्र की प्रतीक्षा सूची में 1742 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान रासीपुरम क्षेत्र में निम्नलिखित एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है-

1. अन्दालुरगेट (रासीपुरम)

2. सोरी पलायम (चालू हो गया है)

(घ) नई दूरसंचार नीति, 99 के अनुसार प्रतीक्षा सूची 31.3.2002 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

कपास उत्पादन

73. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू मौसम में प्रत्येक राज्य, विशेषतः गुजरात में कपास का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) भारतीय कपास निगम ने कितना समर्थन मूल्य दिया है; और

(ग) अधिक उत्पादन होने की दशा में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान कपास उत्पादन के अग्रिम अनुमान का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) भारत सरकार द्वारा कपास की दो मूल किस्मों अर्थात एफ-414/एच-777/जे 34 एवं एच-4 के समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। कपास मौसम 2000-2001 के लिए इन दो किस्मों की अच्छी औसत गुणवत्ता के समर्थन मूल्य क्रमशः 1625/- रुपये प्रति क्विंटल एवं 1825/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं। तथापि अन्य किस्मों के समर्थन मूल्य वस्त्रोद्योग आयुक्त द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कपास मौसम 2000-2001 के लिए वस्त्रोद्योग आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित इन मूल्यों में किस्म के आधार पर 1215/- रुपये प्रति क्विंटल से 2900/- प्रति क्विंटल का अंतर है।

(ग) सरकार का प्रयास मूल्य हस्तक्षेप प्रणाली के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, कृषि आदानों के उत्पादन की लागत, के प्रत्येक तत्व में सामान्य वृद्धि तथा लाभ की समुचित गुंजाइश पर विचार करने के बाद सरकार एवं वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालय द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। जब मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर को छूने लगते हैं तो मूल्यों को स्थिर बनाए रखने के लिए

शीर्ष अभिकरण तुरंत हस्तक्षेप करके खरीद की कार्रवाई शुरू कर देता है। इसके अलावा संबंधित कपास मौसम के लिए फसल के अनुमानित आकार के आधार पर कपास के निर्यात का कोटा विभिन्न चरणों में जारी किया जाता है। इसके अलावा कपास का आयात 5% मूल्य शुल्क तथा 12% अतिरिक्त सरचार्ज सहित खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत है। इस प्रकार मूल्य हस्तक्षेप, टैरिफ दरों तथा निर्यात कोटे की प्रणाली के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा की जाती है।

विवरण

वर्ष 2000–2001 के दौरान कपास उत्पादन के राज्यवार अग्रिम अनुमान

(170 किलोग्राम प्रत्येक की हजार गांठें)

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1572
2.	गुजरात	2848
3.	हरियाणा	1300
4.	कर्नाटक	805
5.	केरल	23
6.	मध्य प्रदेश	546
7.	महाराष्ट्र	2870
8.	उड़ीसा	81
9.	पंजाब	1321
10.	राजस्थान	1000
11.	तमिलनाडु	765
12.	उत्तर प्रदेश	10
13.	पश्चिम बंगाल	1
14.	अन्य	13
	अखिल भारत	13155

[हिन्दी]

फलों पर आधारित उद्योग

74. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे फलों पर आधारित उद्योगों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार ने भविष्य में फल प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन–कौन सी योजनाएं तैयार की हैं;

(ग) सरकार ने देश में फलों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत फलों पर आधारित उत्पादों के लिए पंजीकृत यूनिटों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुकर बनाने के लिए सहायता देता है। अपनी योजना स्कीमों के तहत विभाग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को रियायती वित्त देता है। इसके अलावा, अन्य एजेंसियां जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) आदि भी अपनी–अपनी स्कीमों के तहत सहायता देते हैं। इस क्षेत्र को वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने के लिए भी प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करती। फल प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान, निर्माण क्षेत्र, पेय जल की उपलब्धता, संयंत्र तथा मशीनरी आदि के संबंध में मानदंड फल उत्पाद आदेश, 1955 में दिए गए हैं।

विवरण

फल आधारित उत्पादों के वास्ते फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत 1.1.2000 को लाइसेंसशुदा यूनिटों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाइसेंसों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3
2.	आंध्र प्रदेश	286
3.	अरुणाचल प्रदेश	3

1	2	3
4.	असम	23
5.	बिहार	63
6.	चंडीगढ़	60
7.	दादरा एवं नगर हवेली	7
8.	दिल्ली	333
9.	गोवा, दमन एवं दीव	84
10.	गुजरात	224
11	हरियाणा	139
12.	हिमाचल प्रदेश	99
13.	जम्मू एवं कश्मीर	81
14.	कर्नाटक	248
15.	केरल	394
16.	मध्य प्रदेश	105
17.	महाराष्ट्र	948
18.	मणिपुर	9
19.	मेघालय	14
20	मिजोरम	3
21.	नागालैंड	4
22.	उड़ीसा	42
23.	राजस्थान	93
24.	पांडिचेरी	12
25.	पंजाब	341
26.	सिक्किम	3
27.	तमिलनाडु	135
28.	त्रिपुरा	4
29.	उत्तर प्रदेश	542
30.	पश्चिम बंगाल	294
	कुल	4589

[अनुवाद]

'एयरटेल' टेलीफोन आपरेटर

75. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के टेलीफोन आपरेटर 'एयरटेल' को मध्य प्रदेश के 30 शहरों में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल को अनुमानतः कितनी राजस्व की हानि होगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल के समूचे सेवा क्षेत्र में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए मै. भारती टेलीनेट को लाइसेंस जारी किया गया है। लाइसेंस धारक एयरटेल के नाम से सेवा प्रदान कर रहा है। यह लाइसेंस 20 वर्ष की अवधि के लिए है। प्राइवेट आपरेटर द्वारा सेवा शुरू करने के बाद भी मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल के राजस्व में कमी नहीं आई है।

'नालको' की विकास संबंधी गतिविधियों में जन प्रतिनिधियों को शामिल करना

76. श्री के. पी. सिंह देव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) की अपने स्थापना क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्य शुरू करने संबंधी कोई व्यवस्था और प्रक्रिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या-क्या मुख्य विशेषताएं हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों के संसद सदस्यों से परामर्श किया जाता है और उन्हें इस व्यवस्था और प्रक्रिया में शामिल किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो हाल में हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (घ) नालको की स्थापना क्षेत्र के आस-पास विकास कार्य करने के लिए एक समिति है। यह समिति दामनजोड़ी क्षेत्र में कोरापुट के जिलाधीश की अध्यक्षता में कार्य करती है। पातांगी तथा कोरापुट के विधान सभा सदस्यों के साथ-साथ नालको के दो

वरिष्ठ कार्यपालक समिति के सदस्य हैं। अंगुल क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास तथा प्रशासन (एच. एंड ए.) विभाग के एक वरिष्ठ कार्यपालक की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें कंपनी के अन्य विभागों के प्रतिनिधिगण शामिल हैं। स्थानीय विधान सभा सदस्य तथा जिलाधीश ऐसे कार्यकलापों के लिए परिस्थितियों के अनुसार सिफारिशें करते हैं। संबंधित क्षेत्रों के संसद सदस्य प्रत्यक्षतौर पर जुड़े हुए नहीं हैं तथा परिधीय विकास समितियों के सदस्य नहीं हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन-परामर्शदात्री समिति

77. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और महाराष्ट्र में 'टेलीफोन–परामर्शदात्री समिति' गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति के गठन हेतु क्या मानदंड स्थापित किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इसे गठित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान की टोंक टीएसी को छोड़कर, राजस्थान और महाराष्ट्र में सभी टेलीफोन सलाहकार समितियां (टीएसी) गठित कर ली गई हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) मौजूदा नियमों की एक प्रति संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) टोंक दूरसंचार जिला हाल ही में, टीएसी बनाए जाने के लिए पात्र हुआ है, जिसके लिए विभिन्न क्वार्टरों से सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	टीएसी का नाम	टीएसी के अध्यक्ष	टीएसी की सामान्य सं.	मौजूदा सदस्य	टीएसी का कार्यकाल
1	2	3	4	5	6
		राजस्थान			
1.	राजस्थान (सर्किल)	सीजीएम	65	75	31.12.2000
2.	अजमेर	जीएम	50	38	31.3.2001
3.	अलवर	जीएम	50	44	31.3.2001
4.	भीलवाड़ा	जीएम	50	23	31.3.2001
5.	बीकानेर	जीएम	50	28	31.3.2001
6.	जयपुर	पीजीएम	55	58	31.12.2000
7.	झुनझुनूं	जीएम	50	30	31.12.2000
8.	जोधपुर	जीएम	50	66	31.12.2000
9.	भरतपुर	टीडीएम	40	35	31.12.2000
10.	बांसवाड़ा	टीडीएम	40	25	31.12.2000
11.	कोटा	जीएम	50	41	31.3.2001

1	2	3	4	5	6
12.	नागौर	जीएम	40	23	31.12.2000
13.	पाली	जीएम	50	14	31.3.2001
14.	सीकर	जीएम	50	27	31.3.2001
15.	सिरोही (आबू रोड)	जीएम	50	17	31.12.2000
16.	श्रीगंगानगर	जीएम	50	27	31.12.2000
17.	उदयपुर	जीएम	50	31	31.12.2000
18.	सवाई माधोपुर	टीजीएम	40	48	31.3.2001
19.	चुरू	टीजीएम	40	34	31.12.2000
20.	चित्तौड़गढ़	टीजीएम	40	28	31.12.2000
21.	बाड़मेर	टीजीएम	40	18	31.12.2000
22.	टोंक	टीजीएम	40		*

*इन्हें संस्थापित किया जाना है।

क्र.सं.	टीएसी का नाम	टीएसी के अध्यक्ष	टीएसी की सामान्य सं.	मौजूदा सदस्य	टीएसी का कार्यकाल
1	2	3	4	5	6
		महाराष्ट्र			
1.	महाराष्ट्र (सर्किल)	सीजीएम	65	85	28.2.2001
2.	अहमदनगर	जीएम	50	39	31.7.2002
3.	अकोला	जीएम	50	27	31.7.2001
4.	अमरावती	जीएम	50	66	28.2.2001
5.	औरंगाबाद	जीएम	50	42	31.3.2001
6.	चंद्रपुर	जीएम	50	21	31.7.2002
7.	धुले (धुलिया)	जीएम	50	04	31.7.2002
8.	जलगांव	जीएम	50	01	31.7.2002
9.	कल्याण	जीएम	50	70	31.3.2001
10.	कोल्हापुर	जीएम	50	25	31.7.2002
11.	नागपुर	जीएम	50	87	31.3.2001
12.	नान्देड़	जीएम	50	27	31.3.2001

1	2	3	4	5	6
13.	नासिक	जीएम	50	58	31.7.2002
14.	पंजिम (गोवा)	जीएम	50	39	31.3.2001
15.	पुणे	पीजीएम	55	50	31.1.2001
16.	रायगढ़ (पेन)	जीएम	50	21	31.3.2001
17.	रत्नागिरि	जीएम	50	12	31.3.2001
18.	सांगली	जीएम	50	31	31.3.2001
19.	सतारा	जीएम	50	09	30.4.2002
20.	शोलापुर	जीएम	50	60	31.7.2001
21.	भंडारा	टीडीएम	40	27	31.7.2002
22.	बुलदाना (खामगांव)	टीडीएम	40	40	31.3.2001
23.	लातूर	टीडीएम	40	15	31.3.2001
24.	बीड (भिर)	टीडीएम	40	40	31.7.2001
25.	परभनी	टीडीएम	40	29	31.3.2001
26.	वर्धा	टीडीएम	40	36	31.3.2001
27.	यवतमाल	टीडीएम	40	63	31.3.2001
28.	सिंधु दुर्ग (कुडाल)	टीडीएम	40	19	30.4.2001
29.	ओस्मानाबाद	टीडीएम	40	13	30.4.2002
30.	जालना	टीडीएम	40	17	30.4.2002

विवरण-II

टेलीफोन सलाहकार समितियों के संबंध में नए दिशा निर्देश

1. प्रस्तावना

प्रत्येक टेलीकॉम सर्किल/जे ए जी अधिकारी की अध्यक्षता में एसएसए तथा संघ राज्य क्षेत्र में सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं। इनमें दूरसंचार विभाग से बाहर के प्रयोक्ताओं के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि ये समितियां अन्य बातों के साथ–साथ दूरसंचार सेवाओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी करेंगी, तथा विभाग को उसमें सुधार लाने के लिए परामर्श देंगी। आगे के पैराओं में दिए गए दिशा निर्देशों में इन समितियों की संरचना पद्धति और कार्याचालन का उल्लेख किया गया है। ये दिशा निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

सभी 300 (तीन सौ) समितियां, इस समय देश में मौजूदा समस्त दूरसंचार प्रणाली को कवर करती हैं। जैसे ही एक नया टेलीफोन जिला अथवा जेएजी अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसएसए बनाया जाएगा, साथ ही साथ एक टीएसी भी गठित की जाएगी। आगे, प्रशासनिक कारण से प्रमुख/मैट्रो जिलों में एक से अधिक टीएसी गठित की जा सकती है। इसी प्रकार, यदि अपेक्षित हो, तो दूरसंचार सर्किलों में सर्किल टीएसी के बदले/के अलावा एक जोनल टीएसी का गठन भी किया जा सकता है।

टेलीफोन सलाहकार समिति के मामले में, समिति का सदस्य सामान्यतः टेलीफोन जिले के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र, अथवा सर्किल

दूरसंचार सलाहकार समिति के संबंध में संबंधित सर्किल/संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। तथापि, जिस एसएसए/सर्किल की टीएसी का वह सदस्य है, उसे उसके बाहर रहने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन वह किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं कर सकता, जिसका संबंध विशिष्ट टीएसी से न हो।

2. सलाहकार समितियों का आकार

अनुबंध में सलाहकार–समितियों का श्रेणी–वार सामान्य गठन दिया गया है। किसी टीएसी की किसी भी श्रेणी में पूर्णतः सरकार के विवेकाधिकार से सदस्यों की संख्या को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है और अपवादित परिस्थितियों के अलावा, इस संख्या को बढ़ाया नहीं जाएगा।

इसके अलावा, प्रत्येक टीएसी में दो सरकारी सदस्य होंगे, जो समिति के अध्यक्ष और सचिव के रूप में कार्य करेंगे। टेलीफोन–जिलों के मामले में, टेलीफोन जिले का प्रमुख अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और सहायक महाप्रबंधक(सी) अथवा कोई समकक्ष अधिकारी, टेलीफोन सलाहकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। मेट्रो/प्रमुख टेलीफोन जिलों के मामले में टेलीफोन जिले का प्रमुख अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा तथा उपमहाप्रबंधक(सी), टेलीफोन सलाहकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। सर्किल स्तर के टीएसी के मामले में, मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और आईटीएस ग्रुप 'ए' का अधिकारी, सचिव के रूप में कार्य करेगा।

3. गठन की प्रक्रिया

टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समिति के गठन की पद्धति इस प्रकार होगी–

(क) मुख्य महा प्रबंधक दूरसंचार निदेशालय को विभिन्न हितों के अनुकूल उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगा। मुख्य महाप्रबंधक प्रैस, व्यापार तथा वाणिज्य, उद्योग, चिकित्सा, व्यवसाय इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संगठन या नागरिक निकाय का परामर्श ले सकता है।

(ख) मुख्य महाप्रबंधक द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र एवं राज्य विधान मंडल के प्रतिनिधित्व के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्य विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों से सिफारिशें/नामांकन प्राप्त किए जाएं और उन्हें निदेशालय को अग्रेषित किया जाए।

(ग) वरि. डीडीजी (सीएस) के दिनांक 21.3.1997 के डी ओ सं. 14–49/96–पीएचपी में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा संसद सदस्यों के लिए नामांकन भी प्राप्त किए जाएंगे। संसद सदस्यों को स्वयं मुख्य समितियों अर्थात् सर्किल टीएसी में मौजूद रहना चाहिए। उस स्थिति को छोड़कर जब वह स्वयं वहां उपस्थित न होना चाहे।

(घ) माननीय संचार मंत्री तथा निदेशालय में सीधे प्राप्त अन्य नामों सहित मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा प्राप्त सिफारिशों पर विचार करने के बाद, टीएसी के लिए नामांकन किए जाएंगे। माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों पर विचार करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस सदस्य के लिए सिफारिश की जा रही है वह संबंधित संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र/राज्य का ही होना चाहिए।

टी ए सी का कार्यकाल सामान्यतः प्रथम सदस्य के नामांकन के दिन से 2 वर्ष तक के लिए होगा। समिति की बैठकें एक–तिमाही में कम से कम एक बार होंगी, चाहे नए कनेक्शन प्रदान किए जाएं अथवा नहीं। जहां तक व्यावहारिक हो, बैठक की तारीखें ऐसी निर्धारित की जानी चाहिए, जब संसद सत्र न चल रहा हो।

4. कार्य

सलाहकार समितियों के कार्य इस प्रकार हैं–

(क) दूरसंचार सेवाओं के कार्य–निष्पादन की निगरानी तथा विभाग को उनके सुधार के लिए परामर्श देना।

(ख) टेलीफोन का प्रयोग करने वाली जनता तथा दूरसंचार विभाग के संबंधों को निकट बनाना।

(ग) जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी शिकायतों को सही प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है और साथ ही उनका समाधान भी किया जा रहा है।

(घ) टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने तथा उन्हें विकसित करने के लिए विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का प्रचार करना।

(ङ) जनता से सहयोग तथा धैर्य की प्रार्थना करते हुए, टेलीफोन उपस्कर तथा लाइनों में कमियों की स्थिति से निपटने में विभाग की सहायता करना।

(च) 'ओ वाई टी' तथा 'नॉन ओ वाई टी विशेष' श्रेणियों के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में दर्ज विभिन्न आवेदकों की तुलनात्मक खूबियों को संयुक्त निर्धारण करते हुए, निष्पक्ष

तथा समान आधार पर, नियमों में यथा प्रदत्त रूप से, बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने का निर्णय लेने में विभाग की सहायता करना।

5. सदस्यों के और सहयोग की आवश्यकता

देश में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और जनता की बढ़ती हुई अपेक्षाओं को पूरा करने में विभाग के सम्मुख आ रही समस्याओं के साथ, विभाग तथा उसके उपभोक्ताओं के बीच अधिक समझदारी की आवश्यकता है। सलाहकार समितियों के सदस्यों को सबसे पहले सूचना प्रदान करने और विभिन्न प्रक्रियाओं के विस्तृत ज्ञान के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा जांच तथा पुनः जांच की जाती है। वे चाहें तो निम्नलिखित में सक्रिय तौर पर भाग ले सकते हैं।

(i) लंबे समय तक खराब टेलीफोनों की सेवा–संबंधी शिकायतों की जांच–पड़ताल।

(ii) टेलीफोन के अनुषंगी उपकरण इत्यादि प्रदान करने में विलंब की शिकायतें।

(iii) इन–डोर तथा आउट–डोर संयंत्र का अनुरक्षण।

(iv) सामान्य शिकायतें, यथा बिल प्राप्त न होना, अधिक बिलिंग (व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर)।

(v) निर्माण योजनाएं तथा केबल बिछाने आदि के कार्यों के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सामंजस्य।

6. उप समितियों का गठन

उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जहां सदस्य इच्छुक हों, वहां टेलीफोन जिलों में प्रत्येक क्षेत्र प्रबंधक (लंबी दूरी तथा टेलेक्स क्षेत्रों सहित) के अधिकार क्षेत्र तथा दूरसंचार सर्किलों में क्षेत्र निदेश, दूरसंचार के लिए उप समितियां गठित की जाएं। एक उप समिति में सामान्यतः सलाहकार समिति के 2 या 3 सदस्य तथा संबंधित मंडलीय इंजीनियर तथा/अथवा टेलीफोन जिले का क्षेत्र प्रबंधक और संबंधित मंडलीय इंजीनियर टेलीफोन/टेलीग्राफ तथा/अथवा दूरसंचार सर्किलों में निदेशक टेलीकॉम होने चाहिए। टी ए सी के सदस्य स्वयं इन समितियों में कार्य करने की पेशकश कर सकते हैं।

उप समिति, पैरा 5 में वर्णित किस्म की शिकायतों के कुछेक मामले उठा सकती है, जिनमें किसी उपभोक्ता की कोई परेशानी या शिकायत हो तथा उस उपसमिति का कोई टीएसी–सदस्य महसूस करे कि संबंधित एक्सचेंज/कार्यालय की कार्य प्रणाली में किसी सुधार की गुंजाइश है। विस्तृत अध्ययन के बाद, यह उप समिति अपने विचार तथा सुझाव दे सकती है।

दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन जिले का प्रमुख, उस समिति की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करेगा, यदि यह उसके क्षेत्राधिकार में हो। यदि सिफारिशें/सुधार, निदेशालय को भिजवाने हों तो, टी ए सी की बैठक में चर्चा के बाद, मुख्य महाप्रबंधक की सिफारिशों के साथ उसे निदेशालय को भेजा जाएगा।

ये सिफारिशें/सुझाव सिफारिशी–किस्म की होंगी व विभाग के अधिकारी न तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे और न ही मामलों के गुण–दोषों के आधार पर तय करने के उनके अधिकार वापिस लिए जाएंगे।

7. अतः कार्रवाई करने का अपसे अनुरोध है, ताकि ऊपर पैरा 5 व 6 में यथावर्णित आपके सर्किलों/टेलीफोन–जिलों में उप समितियां बनाई जा सकें, जहां सलाहकार समिति प्रायः इस प्रकार की कार्रवाई से सहमत होती हैं।

8. टी ए सी सदस्यों की अनर्हता

कोई भी टीएसी–सदस्य जब अपनी समिति की लगातार तीन बैठकों में नहीं आएगा तो उसकी सदस्यता को रद्द करार मान लिया जाएगा। साथ ही, उस सदस्य के दुर्व्यवहार/असामाजिक या समाज–विरोधी कार्य–कलापों की बाबत टीएसी के अध्यक्ष की रिपोर्ट पर भी उसकी सदस्यता रद्द करार मान ली जाएगी।

9. सामान्य

विभाग व उपभोक्ता के बीच महत्वपूर्ण गठजोड़ बनाने की सलाहकार समितियों से आशा की जाती है। दूरसंचार–सेवाओं के प्रचार व विकास के अलावा, वह लोगों में यह विश्वास जगाएगी कि उनकी परेशानियों को ठीक से पेश किया जा रहा है तथा उनका निराकरण भी किया जाता है।

10. ये दिशा–निर्देश तत्काल प्रभावी होंगे तथा इन दिशा–निर्देशों में सम्मिलित मुद्दों से जुड़े इससे पहले के सभी आदेश इनसे निरस्त किए जाते हैं।

(पी. के. रॉय)

सहा. महानिदेशक (पीएचपी)

प्रतिलिपि :

माननीय संचार मंत्री/संचार राज्य मंत्री के निजी सचिव

अध्यक्ष (दूर.सं.आ./सदस्य(सेवाएं) के निजी सचिव

(ए.के. साहू)

अनु. अधिकारी (पीएचपी)

दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियां–गठन, प्रतिनिधित्व

दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियां (टीएसी)

टीएसी में श्रेणियों का–	मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली (मुख्यालय) और मद्रास के लिए	दक्षिणी, उत्तरी पश्चिमी पूर्वी भाग मध्य और आंचलिक दिल्ली के लिए	एसएजी ग्रेड से ऊपर मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में	पीजीएम की अध्यक्षता में	महाप्रबंधकों तथा एसएजी ग्रेड में मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में	दूरसंचार जिला प्रबंधकों की अध्यक्षता में
1	2	3	4	5	6	7
राज्य प्रशासन	1	1	1	1	1	1
राज्य विधान मंडल	2	1	2	1	1	1
निगम अथवा नगर निकाय	2	1	2	1	1	1
संसद सदस्य	21.3.1997 के पत्र सं. 14–49दि/96–पीएचपी के अनुसार लोक सभा तथा राज्य सभा के सभी संसद सदस्य एक अथवा दूसरी दूरसंचार सलाहकार समितियों के सदस्य होंगे।					
*प्रेस	3	2	3	2	2	1
*चिकित्सा व्यवसायी	2	1	2	2	1	1
*कानूनी व्यवसायी	2	1	2	2	1	1
*अभियंताओं, वास्तुविदों इत्यादि जैसे सभी अन्य व्यवसायी	4	2	4	3	2	2
*ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग	12	8	12	8	8	5
*सामाजिक कार्यकर्ता तथा अन्य	12	12	12	10	12	7
*अन्य (अविनिर्दिष्ट श्रेणी)	10	6	10	10	6	5
कुल	50	35	50	40	35	25

*संसद सदस्यों को शामिल करते हुए

[अनुवाद]

शीतागार

78. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने शीतागार हैं जो सरकार के नियंत्रण में चलाए जाते हैं तथा जिनका रख–रखाव सरकार द्वारा किया जाता है और इनमें से ऐसे कितने हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) इन्हें ठीक से चलाने और लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या देश में शीतागारों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) से (घ) भारत सरकार शीतागारों को चलाने अथवा इनके रखरखाव का कार्य नहीं करती। बहरहाल भारत सरकार एक स्कीम के अंतर्गत

सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निकायों, कंपनियों, निगमों, भगीदारी तथा मालिकाना फर्मों, कृषि उत्पाद विपणन समितियों/बोर्डों, उत्पादक संघों तथा गैर सरकारी संगठनों को शीतागारों तथा गोदामों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पार्श्वान्त पूंजी निवेश राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यह स्कीम, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। कुल परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 50 लाख रुपये तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 33.33 प्रतिशत की दर से अधिकतम 60.00 लाख रुपये तक पूंजी राजसहायता दी जाती है। यह स्कीम उन सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है जो भाड़ा नियंत्रण नहीं करते।

गोदामों और शीतागारी सुविधाओं को विकसित करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने दिनांक 20.11.98 को एक उच्च स्तरीय विशेष समिति का गठन किया। समिति ने शीतागार उद्योग की स्थिति पर विचार किया, शीतागारों और गोदामों के विकास में आने वाली बाधाओं को अभिज्ञात किया और शीतागारों और गोदामों की वृद्धि और विकास हेतु प्रोत्साहनों के लिए सुझाव दिये। कुल मिलाकर समिति ने देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शीतागार क्षमता में 12 लाख मी. टन क्षमता का सृजन/विस्तार और 8 लाख मी. टन क्षमता का पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण करने का सुझाव दिया। समिति की सिफारिशों के आलोक में, सरकार ने 175.00 करोड़ रु. के परिव्यय से दिसंबर, 1999 में उपरोक्त स्कीम का अनुमोदन कर दिया।

उड़ीसा में खरीफ फसल का बर्बाद होना

79. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :**
श्री जसवंत सिंह बिशनोई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के दौरान कुछ राज्यों में खरीफ फसल के बर्बाद होने का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बर्बादी के क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में प्रभावित क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) खरीफ फसल की बर्बादी से हुए नुकसान की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) अनाज उत्पादन में कमी का मुख्य कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून, 2000 के दौरान कुछ राज्यों में वर्षा का कम होना है।

(ग) विभिन्न स्तरों पर वर्षा में कमी के कारण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के कुछ क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।

(घ) केंद्रीय सरकार ने आपदा राहत निधि से केंद्रीय अंश के रूप में राजस्थान को 168.18 करोड़ रुपये, गुजरात को 131.14 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को 31.98 करोड़ रुपये एवं उड़ीसा को 41.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। राहत वितरित करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। फसल चौपट होने पर किसानों को आपदा राहत निधि के मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसरण में आदान राजसहायता देने का प्रावधान है। प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी लागू की है।

प्रशिक्षक द्वारा ब्लैकमेल किया जाना

80. **श्री रघुनाथ झा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'आई वाज ब्लैकमेल्ड बाई माई कोच, सेज, मल्लेश्वरी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की छानबीन की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सिडनी ओलंपिक, 2000 के दौरान भारतीय दल के घटिया प्रदर्शन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) हालांकि इस प्रकार का समाचार दिनांक 3 अक्तूबर, 2000 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा था, तथापि सुश्री के. मल्लेश्वरी ने इस संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण अथवा सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं भेजी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हालांकि पदक तालिका की स्थिति खराब थी तथापि, अटलांटा ओलंपिक्स में किए गए पिछले प्रदर्शन की तुलना में अनेक

खेल–विधाओं जैसे मुक्केबाजी, भारोत्तोलन (महिला), जूडो तथा निशानेबाजी में भारत का प्रदर्शन बेहतर था।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्षमता में वृद्धि

81. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने वर्ष 2012 तक अपनी क्षमता को दुगुना करने और अपनी क्षमता बढ़ाकर 40,000 मेगावाट से अधिक करने की अपनी निमित योजना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने जल विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कौन–कौन से स्थानों पर इन विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की वर्तमान उत्पादन क्षमता 19435 मे.वा. है। एनटीपीसी ने इस क्षमता को दुगना करने के लिए एक कारपोरेट योजना तैयार की है तथा समयबद्ध संयोजकों/स्वीकृतियों और वित्तीय सुनिश्चितताओं के तहत, वर्ष 2012 तक 40,000 मे.वा. वाली कंपनी बन जाएगी। इसे अभिज्ञात परियोजनाओं के क्रियान्वयन के द्वारा जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, प्राप्त किए जाने की योजना है।

(ग) और (घ) जी, हां। एनटीपीसी द्वारा जिस प्रथम जल विद्युत परियोजना की अधिष्ठापना किए जाने की आशा है वह है हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में स्थित 800 मे.वा. क्षमता की कोल बांध जल विद्युत परियोजना। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार और एनटीपीसी तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के मध्य 26.2.2000 को एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।

विवरण

(आंकड़े मे.वा. में)

क्र.सं.	परियोजना	स्थान	क्षमता	नौवीं योजना	दसवीं योजना	ग्यारहवीं योजना
1	2	3	4	5	6	7
I. अनुमोदित/चालू						
1.	विन्ध्याचल–II	मध्य प्रदेश	1000	1000	–	–
2.	ऊंचाहार–2	उत्तर प्रदेश	420	420	–	–
3.	कायमकुलम सीसीपीपी	केरल	350	350	–	–
4.	फरीदाबाद जीपीपी	हरियाणा	430	430	–	–
5.	सिम्हाद्री टीपीपी	आंध्र प्रदेश	1000	500	500	–
6.	तालचेर एसटीपीपी–II	उड़ीसा	2000	–	2000	–
	कुल		5200	2700	2500	–
	जोड़ (टांडा टीपीएस सहित 440 मे.वा. यूपीपीसीएल से ली गई)		5640	3140	2500	
II. नई परियोजनाएं						
	(क) के.वि.प्रा. के द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं					
1.	रामागुण्डम एसटीपीपी–III	आंध्र प्रदेश	500	–	500	–

1	2	3	4	5	6	7
2.	रिहन्द एसटीपीपी–II	उत्तर प्रदेश	1000	–	1000	–
3.	स्पित एसटीपीपी–I	छत्तीसगढ़	1980	–	1320	660
4.	कवास सीसीपीपी–II	गुजरात	650	–	650	–
5.	गांधार सीसीपीपी–II	गुजरात	650	–	650	–
6.	अन्ता सीसीपीपी–II	राजस्थान	650	–	650	–
7.	ओरैया सीसीपीपी–II	उत्तर प्रदेश	650	–	650	–
8.	कोल बांध एचपीपी	हिमाचल प्रदेश	800	–	–	800
	उप जोड़–क		6880	–	5420	1460
	(ख) नई परियोजना–एफआर					
9.	कहलगांव एसटीपीपी–II	बिहार	1320	–	660	660
10.	बाढ़ एसटीपीपी	बिहार	1980	–	660	1320
11.	विन्ध्याचल–III	मध्य प्रदेश	1000	–	500	500
12.	सिपत एसटीपीपी–II	छत्तीसगढ़	660	–	660	–
	उप जोड़–ख		4960	–	2480	2480
	(ग) अन्य नई परियोजनाएं					
13.	उत्तरी करणपुरा एसटीपीपी	झारखंड	1980	–	–	1980
14.	ऊंचाहार एसटीपीपी–III	उत्तर प्रदेश	660	–	–	660
15.	दादरी–II	उत्तर प्रदेश	500	–	–	500
16.	कायमकुलम सीसीपीपी–II	केरल	1950	–	–	1950
17.	चैयूर एसटीपीपी (कोल/एलएनजी)	तमिलनाडु	1000	–	–	1000
	उप जोड़–ग		6090	–	–	6090
	जोड़–नई परियोजनाओं (क + ख + ग)		17930	–	7900	10030
	कुल जोड़ (1 + 2)		23570	3140	10400	10030
	अभी तक की वर्तमान क्षमता अर्थात् 19435 मे.वा. सहित योजना के अंत तक संचयी क्षमता			19935	30335	40365
	पूरी क्षमता को पहले ही जोड़ा जा चुका है।					

राष्ट्रीय सहकारी नीति

82. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सहकारी–नीति बनाने और इसकी घोषणा करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति को कब तक सभापटल पर रखे जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम की समीक्षा कर रही है; जैसा कि पहले भी कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो यह समीक्षा कब तक पूरी कर लिए जाने और संशोधित अधिनियम को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली में 30.6.2000 को आयोजित सम्मेलन में राज्य सहकारिता मंत्रियों के साथ सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति के प्रारूप पर चर्चा की गई। राज्य सरकारों ने सिद्धांत रूप में राष्ट्रीय नीति के प्रारूप को स्वीकार कर लिया। किंतु दस्तावेज के प्रारूप को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए राज्य मंत्री (कृषि) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रियों का दल गठित करने का निर्णय लिया गया। दस्तावेज को और अधिक परिष्कृत करने के लिए मंत्रियों के दल ने कई दौर की चर्चा की। राज्य मंत्रियों के दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नीति संबंधी दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) ब्रह्म प्रकाश समिति द्वारा संस्तुत मॉडल सहकारी अधिनियम के आधार पर बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

स्वर्ण संसाधनों का दोहन

83. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी फर्में देश में स्वर्ण संसाधनों का दोहन करने में रुचि दिखा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कंपनियां कौन–कौन सी हैं और इन कंपनियों की किन–किन राज्यों में स्वर्ण का दोहन करने में रुचि है;

(ग) क्या इन कंपनियों ने कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में स्वर्ण संसाधनों का पता लगाने और दोहन हेतु लाइसेंस के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (घ) जी, हां। कुछ विदेशी कंपनियों ने देश में स्वर्ण गवेषण/विदोहन में रुचि व्यक्त की है तथा इस संबंध में एफ. आई.पी.बी. से मंजूरी भी प्राप्त की है। एफ.आई.पी.बी. द्वारा दी गई मंजूरी भारत में निगमित किसी कंपनी में केवल विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए है। एफ.आई.पी.बी. की मंजूरी प्राप्त करने के बाद इन कंपनियों को खनिज रियायतों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आवेदन करना होता है जो कि अपने–अपने प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में खनिजों की स्वामी हैं।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) के तहत परिभाषित किसी भारतीय नागरिक या कंपनी को ही खनिज रियायतें दी जा सकती हैं। अतः मौजूदा खनन विधेयक के तहत किसी विदेशी कंपनी को टोही/पूर्वेक्षण/खनन प्रचालन करने की अनुमति नहीं है।

केंद्र सरकार ने अभी तक 13 टोही परमिट भारतीय कंपनियों, जो कि 13572.72 वर्ग किमी से अधिक कुल क्षेत्र में हीरे, स्वर्ण आदि के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा बनाई गई सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम के रूप में हैं, को देने के बारे में कर्नाटक सरकार को अपना अनुमोदन दिया है।

[हिन्दी]

जल और ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन

84. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में पनबिजली और ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कुल कितना प्रतिशत विद्युत का उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या मांग के अनुसार विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने जरूरत के अनुसार और अधिक विद्युत उत्पादन के लिए क्या कदम उठाया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) अप्रैल–अक्टूबर, 2000 के दौरान देश में श्रेणीवार विद्युत उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है–

श्रेणी	विद्युत उत्पादन (एमयू) अप्रैल–अक्टूबर, 2000			
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य का प्रतिशत	कुल विद्युत उत्पादन का प्रतिशत शेयर
थर्मल	225,782	230,327	102	79.85
हाइड्रो	54,122	48,842	90.2	16.93

विद्युत उत्पादन के लक्ष्य का निर्धारण अनुमानित मांग एवं अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता की उपलब्धता के मद्देनजर किया जाता है।

(घ) मांग के अनुसार ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं–

(1) आवश्यक पारेषण नेटवर्क स्थापित कर विद्युत के अंतःक्षेत्रीय अंतरण को सुगम बनाना।

(2) विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ताप एवं जल विद्युत केंद्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा मौजूदा पुराने यूनिटों का जीवन विस्तार।

(3) लघु–निर्माणावधि विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(4) मांग पक्ष प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण उपाय।

(5) विभिन्न उपायों के द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।

(6) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र भागेदारी को प्रोत्साहन।

(7) जल शक्यता का और गति से दोहन करने एवं लघु तथा अति लघु जल परियोजनाओं के संवर्धन के लिए अगस्त, 1998 में हाइडल नीति तैयार की गई।

(8) पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार।

(9) विद्युत क्षेत्र का सुधार एवं पुनर्गठन।

(10) वर्ष 2012 तक एक लाख मे.वा. की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता को दुगना करना।

[अनुवाद]

काम न कर रहे एम. ए. आर. आर. सौर ऊर्जा टेलीफोन

85. श्री उत्तमराव पाटील : क्या संचार मंत्री 21.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4357 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के गांवों में खराब पड़े मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एमएआरआर) प्रणाली आधारित सौर टेलीफोनों को ठीक करने हेतु कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इन टेलीफोनों को कब तक ठीक कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त जिले में अत्यधिक त्रुटि प्रवण एमएआरआर आधारित टेलीफोनों को वायरलैस इन लोकल लूप द्वारा बदलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की खराबियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए थे–

– 48 वीपीटी तथा 4 बेस स्टेशन ठीक किए गए थे।

– पुरानी तथा दोषपूर्ण बैटरियों को बदला गया।

– टूटे हुए सोलर पेनलों को बदलकर बिजली आपूर्ति यूनिट संस्थापित की गई।

– एन्टीना से यूनिट को नई फीडर केबल प्रदान की गई।

– टेलीफोन उपकरणों की खराबियों को भी ठीक किया गया।

(ग) खराब पड़े शेष 38 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों तथा 4 बेस स्टेशनों की मरम्मत की जा रही है और यह कार्य जनवरी 2001 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस वर्ष उपस्कर प्राप्त होने पर ठीक न की जा सकने वाली खराब एमएआरआर आधारित प्रणालियों को बदलने का प्रस्ताव है।

(च) लागू नहीं होता।

गुजरात की लंबित विद्युत परियोजनाएं

86. श्री दिलीप संघाणी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जामनगर ताप विद्युत संयंत्र फेज–1 लगाए जाने की मंजूरी हेतु गुजरात से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में अपनी उपांतरित नीति के मुताबिक 17 अन्य विद्युत परियोजनाओं को फिर से पेश करने हेतु राज्य सरकार को लौटा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य सरकार से इन परियोजनाओं के पुर्नरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) यदि नहीं तो इन परियोजनाओं की मंजूरी में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ज) कब तक इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। सरकार को गुजरात से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु मैसर्स रिलायंश पावर लि. द्वारा निजी क्षेत्र में जामनगर थर्मल पावर संयंत्र (2 × 250 मे.वा.) स्थापन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) परियोजना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 24.5.1999 को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ग) परियोजना पर निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि परियोजना को वित्तीय समापन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (छ) गुजरात में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे, जिसके लिए के.वि.प्रा. द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) वापस कर दी गई है तथा वापस किए गए कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ज) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सभी आवश्यक इनपुटों/युटिलिटीज द्वारा दर्शाई गई स्वीकृतियों के प्राप्त होने के पश्चात परियोजनाओं की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

विवरण

गुजरात में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव के ब्यौरे, जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के.वि.प्रा. द्वारा पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दी गई थी।

परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	वापसी की तिथि/वापसी के कारण
1	2	3
पिपावाव सीसीजीटी (जीपीसीएल)	615	100% नेपथा उपयोग, एमओपी तथा एन.जी के ईंधन लिंकेज, निजी क्षेत्र में कार्यकारी एजेंसी के निर्धारण के लिए गुजरात सरकार स्वीकृति के लिए 10.10.96 को वापस किया गया।
महुआ में गैस आधारित टीपीएस	2 × 210	7/80 को वापस किया। ईंधन उपलब्धता पर सहमति नहीं हुई।
उतरान जीटीसीसी चरण–2	135	गांधार फील्ड से गैस की अनुपलब्धता के कारण 5/92 को वापस।
सिनोर जीटीसीसी	1230	गैस की अनुपलब्धता के कारण 6/92 को वापस।
समकालिक गैस आधारित संयंत्र		2/83 को वापस।
बलोल	6 × 5.5	

1	2	3
कलोल	6 x 5.5	
अंकलेश्वर	6 x 5.5	
समारखा में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का को–ऑपरेटिव क्षेत्र जीटीसीसी टीपीएस	236	के.वि.प्रा. ने 6.11.89 को विद्युत विभाग को सूचित किया कि वे इस स्कीम के पक्ष में नहीं है और इच्छा व्यक्त की कि एनटीडीबी से प्रचुर मात्रा में बिजली लें।
पिपावाव सीसीजीटी चरण–2	615	तापती फील्ड से परिकल्पित गैस निकट भविष्य में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। चरण–1 प्रस्ताव के लिए भी गैस की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जीईबी ने 11.2.92 को यह सूचना दी।
उत्तरी गुजरात सीसीजीटी	300	गैस की अनुपलब्धता के कारण 8/93 को वापस।
गांधी नगर सीसीजीटी	200	8/91 में गुजरात विद्युत बोर्ड से अनुरोध किया गया था कि वे निम्न लागत कि.वा.घं. एवं बेहतर कार्यक्षमता के लिए। जीटी + 1 एसटी संरूपण के साथ संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गुजरात वि. बोर्ड ने 10/91 में सूचित किया कि संशोधित रिपोर्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भेजा जाएगा।
नर्मदा चरण–1	2 x 500	7/92 में वापस की गई क्योंकि कोयला लिंकेज एवं परिवहन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। एमओईएफ ने भी इस स्कीम को अस्वीकार कर दिया है।
सिक्का चरण–3	2 x 210	8/92 में वापस की गई क्योंकि कतिपय लिंकेज जैसे कोयला लिंकेज, ई एंड एफ स्वीकृति आदि सुनिश्चित नहीं किए जा सके। पर्यावरर्ण एवं वन मंत्रालय ने भी इस स्कीम को अस्वीकार कर दिया है।
वनाकबोरी जीटीसीसी	600	10/92 में वापस क्योंकि निकट भविष्य में एचबीजे पाइपलाईन से गैस कदाचित नहीं उपलब्ध होगी।
गुजरात कोस्ट अमरेली में (जीईबी)	2 x 500	2/96 में वापस क्योंकि ईंधन, पर्यावरण, नागर विमानन, परिवहन प्रणाली सुनिश्चित नहीं किए जा सके।
खारसलिया लिग्नाइट फायर्ड संयंत्र	120	कतिपय निवेशों को सुनिश्चित नहीं किए जाने के कारण 28.2.96 को वापस।
घोघा लिग्नाइट आधारित	2 x 120	12.7.96 को वापस क्योंकि परियोजना को निजी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है और कंपनी को अभी मंजूरी दी जानी शेष है।
कोस्टल टीपीएस (जीपीसीएल)	2 x 500	17.9.96 को आईपीसी संबंधी प्रस्ताव परियोजना को क्रियान्वित करने निजी एजेंसी के मंजूर नहीं होने के कारण वापस एवं समझौता ज्ञापन माध्यम खुला नहीं है। अन्य लंबित निवेश : धारा–29(2), एमओईएफ स्वीकृति, कोयला लिंकेज, पारेषण प्रणाली।
सिक्का टीपीएस विस्तार यूनिट–3 व 4	2 x 250	7.9.99 को वापस। लंबित निवेश है भूमि उपलब्धता, जल उपलब्धता, एमओईएफ स्वीकृति, ईंधन लिंकेज, एसपीसीबी स्वीकृति, धारा–29(2) एवं (3) का अनुपालन, सुनिश्चित पूर्णता लागत, अनंतिम वित्तीय पैकेज, एनएए का अनापत्ति प्रमाणपत्र, ईंधन परिवहन व्यवस्था।

1	2	3
धुव्रण गैस पीपी	100	2.5.2000 को वापस। लंबित निवेश है जल उपलब्धता, ईंधन लिंकेज, एसपीसीबी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र, विद्युत निकासी प्रणाली, धारा–18ए के अंतर्गत राज्य सरकार की अनुमति।
सुरत लिग्नाइट विद्युत परियोजना (टी) विस्तार फेज–2	2 x 125	23.10.2000 को वापस। लंबित निवेश/स्वीकृतियां हैं भूमि उपलब्धता, ईंधन लिंकेज, जल उपलब्धता (एस एंड सी) एसपीसीबी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र, राज्य पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनएए का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

गोमती नदी में प्रदूषण

87. श्री जयभद्र सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमती नदी प्रदूषित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गोमती नदी की सफाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इसकी सफाई कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। लखनऊ, सुल्तानपुर तथा जोनपुर शहरों के अशोधित मलजल का नदी में उत्सर्जन, गोमती के प्रदूषण का मुख्य कारण है।

(ग) से (च) गोमती नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए एक कार्य योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, 10.36 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सुल्तानपुर और जोनपुर में कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। लखनऊ में कार्यान्वयन के पहले चरण के अंतर्गत पेय जल इनटेक स्थल पर नदी की मुख्यधारा में गऊघाट नाले के आऊट फाल के दिशापरिवर्तन सहित कई आपात कार्यों को 5.9 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त, पहले चरण के अंतर्गत 43 करोड़ रुपए की शेष अनुमोदित धनराशि के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन कार्यों में तीन प्रमुख नालों के पानी को शोधित करने के लिए एक मलजल शोधनसंयंत्र की स्थापना तथा बराज के अधोप्रवाह में कई अन्य प्रमुख नालों का अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन करने का काम शामिल हैं। इन सभी कार्यों का मार्च 2004 तक पूरा होने का लक्ष्य है। दूसरे चरण के अंतर्गत लखनऊ के शेष कार्यों के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का निश्चय किया गया है जिन्हें जुलाई 2001 तक मंजूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्युत का उत्पादन

88. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) द्वारा इस समय प्रतिवर्ष कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) देश में इस समय कुल कितने मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है और इसकी मांग तथा उत्पादन में कितना अंतर है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) एनटीपीसी की वर्तमान अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 19435 मे.वा. है। गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष (2000–01) में अक्टूबर, 2000 तक एनटीपीसी स्टेशनों से ऊर्जा का उत्पादन नीचे दिया गया है–

वर्ष	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01 (31 अक्टूबर, 2000 तक)
उत्पादन (एम यू)	106,290	109,505	118,676	74,589

(ख) अप्रैल–अक्टूबर, 2000 के दौरान देश की व्यस्ततमकालीन आवश्यकता 73567 मे.वा. थी और इसी अवधि के दौरान व्यस्ततम कालीन पूर्ति 65628 मे.वा. थी इस प्रकार 7939 मे.वा. (10.8 प्रतिशत) की कमी हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन-सुविधा

89. डा. संजय पासवान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करायी गई टेलीफोन–सेवाओं की मरम्मत और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी गैर–सरकारी कंपनियों को सौंपने का है, क्योंकि इनमें से अधिकांश टेलीफोन–कनेक्शन खराब हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने इन ग्रामीण टेलीफोनों की मरम्मत के लिए क्या रणनीति बनाई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार–सेवाओं में निरंतर व्यवधान के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं–

(i) लंबे समय तक बिजली खराब रहना।

(ii) अविश्वसनीय पारेषण माध्यम।

(iii) खराब सड़कें, जिससे लाइन–स्टाफ और अधिकारियों को आने–जाने में कठिनाई होती है।

अविश्वसनीय बिजली–आपूर्ति और खराब सड़कों के बावजूद, एक्सचेंज के रखरखाव के पूरे प्रयास किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क बैटरी–सेट और इंजन आलटरनेटर्स के रखरखाव से विद्युत्–आपूर्ति करने का निर्णय किया गया है। ग्रामीण एक्सचेंजों को चरणबद्ध तरीके से विश्वसनीय माध्यम से संयोजकता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा, ग्रामीण दूरसंचार–सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं–

(क) एक्सचेंजों से डायल करके, वीपीटी की दैनिक–जांच की जाती है। दो दिन तक लगातार उत्तर न दिए जाने वाले वीपीटी को दोषपूर्ण माना जाता है।

(ख) एमएआरआर–लिंक्स की जांच प्रतिदिन बेस–स्टेशन से की जाती है।

(ग) पंद्रह दिनों में एक बार मीटर रीडिंग की जांच की जाती है और कम रीडिंग को सही कार्य न करने वाले सिस्टम का सूचक माना जाता है।

[अनुवाद]

कृषि-उपज बाजारों को संरक्षण

90. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 2000 में, केंद्रीय सरकार से उत्पादकों की समस्याओं के मद्देनजर, देश के कृषि–उपज बाजारों के संरक्षण के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों को बुरी दशा के लिए जिम्मेवार समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में डाकघरों की कमी

91. श्री भर्तृहरि महताब : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में डाकघरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में नए डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डाकघर कब तक खोले जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) वार्षिक योजना 2000–2001 में उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में नए डाकघर खोलने के लक्ष्य का ब्यौरा निम्नानुसार है–

डिवीजन	शाखा डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य	उप डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य
भुवनेश्वर	–	2
बालासोर	1	–
कटक दक्षिण	1	–
कटक उत्तर	1	–
पुरी	1	–
कुल	4	2

नए डाकघरों का खोला जाना विभागीय मानदंडों के पूरा होने, संसाधनों की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पदों का अनुमोदन मिलने पर निर्भर करता है।

डाक बचत योजनाएं

92. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1999–2000 की अवधि के लिए महाराष्ट्र में विभिन्न डाक बचत योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक निवेश की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 2000–2001 की अवधि के दौरान डाक बचत सेवाओं में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने, महाराष्ट्र में 1999–2000 के दौरान विभिन्न डाक बचत योजनाओं में निवेश की पुनरीक्षा नहीं की है।

(ग) सरकार द्वारा समूचे देश में अल्प बचत योजनाओं के माध्यम से संसाधनों के अनवरत तथा संवर्धित संग्रहण के लिए समय–समय पर पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं। अल्प बचत योजनाएं प्रभुतासंपन्न गारंटी, आकर्षक लाभ, पर्याप्त आयकर प्रोत्साहन, सरल परिसमापन तथा सुगम होने के कारण निवेश के जोखिम रहित अवसर करती हैं। ये योजनाएं 105 लाख डाकघरों के नेटवर्क तथा साथ ही सार्वजनिक खेत्र के बैंकों की शाखाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं। ये योजनाएं 5 लाख में अधिक अल्प बचत एजेंटों द्वारा निवेशकों को उनके घर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा समूचे देश में प्रचार अभियान तथा एजेंटों, राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा जनता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए केंद्र की स्थापना

93. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पादपों के विषाणु रोगों संबंधी अणुजैविकी अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक नया केंद्र खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों को सही ढंग से चलाने के लिए उच्च प्रशिक्षण हेतु किन राज्यों से कृषि व्याख्याताओं का चयन किया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पादप रोग विज्ञान प्रभाग में पादपों के विषाणु रोगों पर अनुसंधान करने के लिए एक नया केंद्र खोला गया है।

(ख) तमिलनाडु राज्य से एक व्यक्ति को चुना गया है।

(ग) वर्तमान में इस केंद्र में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के एक प्रोफेसर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

प्रदूषण की जांच

94. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में प्रदूषण की जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य स्तर पर प्रदूषण जांच के लिए राज्यवार क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रणाली द्वारा मासिक रिपोर्ट का संकलन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) राष्ट्रीय स्तर पर जल और परिवेशी वायु गुणता का मूल्यांकन करने के लिए मानीटरन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। 290 परिवेशी वायु गुणता मानीटरन केंद्रों के माध्यम से 92 शहरों/नगरों में परिवेशी वायु गुणता को मानीटर किया जा रहा है और नदियों, झीलों तथा भूमिगत जल की जल गुणता को मानीटर करने के लिए पूरे देश भर में 480 केंद्रों की स्थापना की गई है। सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मानीटरन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित मानदंडों में उद्योगों की अवस्थिति, भिन्न–भिन्न स्रोतों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण समस्या, संवदेनशील क्षेत्र आदि शामिल हैं।

आमतौर पर मानीटर करने वाले अभिकरणों द्वारा जल और वायु गुणता के संबंध में मासिक/त्रैमासिक रिपोर्टें तैयार की जाती

हैं तथा उन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाता है। इन रिपोर्टों का संकलन और प्रकाशन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हर वर्ष किया जाता है।

[अनुवाद]

नारियल विकास बोर्ड

95. श्री पी. सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल विकास बोर्ड या केंद्र सरकार द्वारा पता लगाए गए नारियल और नारियल के पेड़ के फायदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नारियल और नारियल के पेड़ से उत्पादित उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक उपयोगों और ऐसे उत्पादन बनाने वाले या बनाए जाने की संभावना रखने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार अथवा नारियल विकास बोर्ड द्वारा ऐसे उद्योग स्थापित करने का विचार रखने वाले उद्यमियों को सहायता दिए जाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में वर्ष-वार कितनी कंपनियों को क्या-क्या मदद दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) नारियल और नारियल पाम के उपयोग को खाद्य, स्फूर्तिदायक पेय, ईंधन आहार, ऊर्जा, लकड़ी और रेशा के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ख) नारियल के संसाधित उत्पाद खोपरा, सुखाया हुआ नारियल, नारियल तेल, नारियल क्रीम, स्प्रे सूखा हुआ दूध का पाउडर, पशु आहार के रूप में नारियल का केक, नारियल की ताड़ी, नारियल का सिरका, नारियल जाफ, नाटा-डी-कोको, नारियल का छिलका, चारकोल, उत्प्रेरित कार्बन, छिलका आधारित हस्तशिल्प, नारियल जटा और नारियल जटा का उत्पाद, नारियल जटा का मज्जा हैं। नारियल के वृक्ष के तना की वाला पैनेला, फर्नीचर, दरवाजा, खिड़की, हस्तशिल्प आदि बनाने के लिए नारियल की लकड़ी में संसाधित किया जाता है।

(ग) नारियल के तेल का उपयोग साबुन बनाने, सुगंधित केश तेल यूनिटों तथा पेंट और स्नेहक तैयार करने में किया जाता है। खाद्य नारियल के तेल का बेकरी तथा मिठान यूनिटों में सीमित उपयोग किया जाता है। नारियल के छिलके का पाउडर, नारियल के छिलके का चारकोल तथा उत्प्रेरित कार्बन तैयार करने के लिए वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जाता है।

(घ) भारत में नारियल उद्योग के विकास के लिए केंद्रीय समेकित कार्यक्रम के अधीन नारियल विकास बोर्ड नारियल आधारित उद्योगों को इस भवन, संयंत्र और मशीनरी के लिए 25 प्रतिशत की दर से अथवा 2.5 लाख रु., जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता करता है। नारियल प्रसंस्करण एककों में एग्मार्क/आई.एस.ओ. मानक लागू करने के लिए प्रयोगशाला उपकरणों की लागत के 25 प्रतिशत की दर से अथवा 1.00 लाख रु., जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता करता है।

(ङ) नारियल के प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए पिछले तीन वर्ष के दौरान नारियल विकास बोर्ड द्वारा पांच सहकारी संस्थाओं की सहायता दी गई इसी अवधि के दौरान वर्ष 1999-2000 में ही इन एककों को 4.56 लाख रु. दिए गए।

[हिन्दी]

खेल परिसंघ

96. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में खेल परिसंघ स्थापित किए गए हैं और उनमें से कितने मान्यता प्राप्त हैं;

(ख) क्या सिडनी ओलंपिक में भाग लेने के लिए खेल परिसंघों के पदाधिकारियों को अनुमति दी गयी थी और यदि हां, तो उक्त पदाधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) कितने खेल परिसंघों की शिकायतें लंबित हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) सरकार केवल राष्ट्रीय चरित्र वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान करती है/संबंध रखती है। खेल परिसंघों की राज्यों में अपने से संबद्ध इकाइयां होती हैं।

(ख) राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की सिफारिश पर, भारत सरकार ने 123 व्यक्तियों (71 खिलाड़ी; प्रशिक्षक, डाक्टर तथा मालिश करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में 28 व्यक्ति; 2 युवा शिविरवासी तथा प्रबंधकों की श्रेणी में 22 व्यक्ति) की सहभागिता को ओलंपिक खेल, 2000 के लिए अनुमोदित किया था। इस दल में राष्ट्रीय खेल परिसंघों के तीन पदाधिकारी भी शामिल थे।

(ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघ स्वायत्तशासी संगठन हैं और भारतीय ओलंपिक संघ राष्ट्रीय खेल परिसंघों का एक शीर्ष निकाय है जिससे इस प्रकार के मामले देखने की उम्मीद की जाती है। तथापि, भारत सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

[अनुवाद]

टेलीफोन राजस्व

97. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन से राजस्व अर्जन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में राज्यवार कितना निवेश हुआ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व और निवेशित राशि का क्षेत्र–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत संचार निगम राजस्व और निवेश

सर्किल	राजस्व (करोड़ रुपयों में)			पूंजीगत (योजना) परिव्यय (करोड़ रु. में)		
	97–98	98–99	99–00	97–98	98–99	99–00
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान–निकोबार	6.63	8.35	12.52	9.95	16.45	22.48
आंध्र प्रदेश	1040.69	1294.64	1455.30	550.53	696.94	976.95
असम	137.32	160.22	179.22	122.46	112.85	118.94
बिहार	318.55	363.30	397.49	269.86	325.45	314.07
गुजरात	1221.27	1403.74	1461.63	563.38	552.25	746.72
हरियाणा	323.96	396.44	436.43	181.22	207.17	178.74
हिमाचल प्रदेश	78.01	97.05	101.53	121.59	119.87	164.14
जम्मू–कश्मीर	81.03	105.35	115.11	50.51	51.04	69.28
कर्नाटक	1169.59	1384.00	1449.70	654.66	714.02	907.51
केरल	728.08	854.19	895.47	631.13	731.50	878.15
मध्य प्रदेश	591.55	682.08	683.10	329.76	390.55	384.87
महाराष्ट्र	1272.22	1569.31	1631.00	849.18	865.52	972.21
पूर्वोत्तर	61.52	73.74	88.72	104.78	182.03	170.62
उड़ीसा	182	219.51	232.28	167.28	174.44	214.64
पंजाब	680.6	826.42	861.88	406.29	526.00	586.56

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	552.09	670.08	716.70	385.22	374.88	535.91
तमिलनाडु	910.8	1092.06	1252.06	652.48	756.35	984.09
उत्तर प्रदेश	503.18	602.88	674.92	594.83	679.70	601.65
उ. प्र. (पश्चिमी)	512.83	616.48	687.35	422.74	334.51	372.34
पश्चिम बंगाल	171.54	204.89	242.62	227.54	306.58	365.38
कलकत्ता	734.74	820.12	828.98	418.85	362.61	293.63
चेन्नई	838.62	940.31	982.68	223.42	259.35	368.40
कुल टेरीटोरियल यू एन	12116.82	14385.16	15386.69	7937.66	8740.06	10227.28
अन्य	2470.18	3358.84	2861.31	708.34	709.94	2304.72
कुल डीओटी/डीटीएस	14587	17744.00	18248.00	8646.00	9450.00	12532.00

टिप्पणी : महाराष्ट्र में गोवा, बंगाल में सिक्किम तथा पूर्वोत्तर सर्किल में मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा त्रिपुरा शामिल हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र

98. श्री जी. जे. जावीया :
डा. (श्रीमती) सुधा यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिलों, पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे केंद्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन केंद्रों की क्या उपलब्धि रही और इनसे कितने किसान लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अभी तक देश में 261 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) देश के पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों सहित प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करना अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1997–98 से 1999–2000 तक) कृषि विज्ञान केंद्रों को 138.77 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया की गई थी।

(ङ) इस अवधि के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों की उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं–

- 41.32 हजार प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 9.32 लाख किसानों, ग्रामीण युवकों और विस्तार कार्मिकों को लाभ पहुंचा।
- 16.26 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए अग्रपंक्ति प्रदर्शन किए गए जिससे 40.70 हजार किसानों को लाभ पहुंचा।
- विस्तार कार्यकलापों में 859 किसान मेले, 2602 खेत दिवस, 1576 किसान गोष्ठियां, 2392 फिल्म शो, 1221 प्रदर्शनियां और 3287 दूरदर्शन एवं रेडियो वार्ताएं शामिल हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्रों का वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	कुल
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	16
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	4
5.	बिहार	21
6.	दिल्ली	1
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	10
9.	हरियाणा	12
10.	हिमाचल प्रदेश	8
11.	जम्मू व कश्मीर	4
12.	कर्नाटक	11
13.	केरल	9
14.	लक्षद्वीप	1
15.	मध्य प्रदेश	20
16.	महाराष्ट्र	23
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैंड	1
21.	उड़ीसा	12
22.	पांडिचेरी	2
23.	पंजाब	10
24.	राजस्थान	31
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	16
27.	त्रिपुरा	2
28.	उत्तर प्रदेश	30
29.	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	261

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा किसानों को विद्युत की आपूर्ति

99. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति के कारण घाटे में चल रहे विद्युत बोर्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा इस रियायती बिजली के कारण हो रहे घाटे की किस सीमा तक क्षतिपूर्ति की गई है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) रा.वि.बो. वाणिज्यिक हानियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। तथापि, इन हानियों के पीछे कई कारण हैं, जैसे उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां, विद्युत की चोरी अपर्याप्त टैरिफ और वसूली में खराब दक्षता के अलावा कृषि आपूर्ति की कम दर।

भारत सरकार ने विद्युत विनियामक अधिनियम, 1998 को लागू किया है जो राज्य सरकारों को विद्युत विनियामक आयोगों का गठन करने योग्य बनाता है। टैरिफ को निर्धारित करते समय राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को मार्गदर्शी सिद्धांतों की अनुपालना करनी होती है ताकि टैरिफ क्रमिक रूप से दक्षतापूर्ण रूप से विद्युत की आपूर्ति की लागत को दर्शा सके। यदि राज्य सरकार राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं के वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो राज्य सरकार को बजट से एक सुनिश्चित आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता होगी। अभी तक चौदह (14) राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की अधिसूचित/गठित किया है।

विवरण

रा.वि. बोर्डों की वाणिज्यिक लाभ/हानि
(सब्सिडी के बिना)

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य विद्युत बोर्ड	1992–93 वास्तविक	1993–94 वास्तिविक	1994–95 वास्तविक	1995–96 वास्तविक	1996–97 वास्तविक	1997–98 अनंतिम	1998–99 (आर ई)	1999–2000 (ए पी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	–4	–23	–981	–1255	–939	–1376	–2263	–2703
2.	आसाम	–205	–197	–255	–261	–225	–411	–306	–336
3.	बिहार	–280	–190	–189	–211	–442	–496	–514	–548
4.	दिल्ली (डीवीबी)	–207	–	0	–578	–626	–760	–961	–794
5.	गुजरात	–519	–493	–550	–1003	–1069	–1274	–1440	–1498
6.	हरियाणा	–404	–507	–468	–554	–625	–765	–532	–502
7.	हिमाचल प्रदेश	2	–51	19	11	17	10	–33	–4
8.	जम्मू एवं कश्मीर	–225	–293	–347	–363	–507	–662	–643	–347
9.	कर्नाटक	–19	–2	–164	–502	–652	–331	–604	–365
10.	केरल	–65	–75	–129	–183	–208	–199	–162	–451
11.	मध्य प्रदेश	–493	–377	–594	–602	–464	–941	–1288	–1966
12.	महाराष्ट्र	162	189	276	–408	–92	–11	115	214
13.	मेघालय	–8	–3	–21	–20	158	286	105	204
14.	उड़ीसा	–85	–196	–136	–231	–344	–287	–405	–186
15.	पंजाब	–626	–693	–681	–644	–606	–979	–1381	–1223
16.	राजस्थान	–260	–415	–412	–430	–269	–386	–577	–882
17.	तमिलनाडु	–258	–302	–2	–77	–257	–318	–885	–709
18.	उत्तर प्रदेश	–808	–1202	–1152	–1136	–1821	–1853	–1991	–2142
19.	पश्चिम बंगाल	–258	–231	–339	–332	–387	–492	–692	–675
	कुल	–4560	–5060	–6125	–8770	–9357	–11246	–14458	–14913

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

100. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कुल कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए कितने उद्योगपतियों ने अभ्यावेदन किया है;

(ग) क्या ऐसे क्षेत्र जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित फसलों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या की सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती। वैसे उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, 1997–98 के अनुसार फैक्ट्री क्षेत्र में 31415 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें थीं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के वास्ते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा दी गई सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विभाग अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए ऋण अथवा सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप जैसे दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के वास्ते ज्यादा वित्तीय सहायता दी जाती है।

विवरण-I

फैक्ट्री क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के राज्यवार ब्यौरे
(उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, 1997–98 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11272
2.	असम	744
3.	बिहार	354
4.	गोवा	43
5.	गुजरात	1392
6.	हरियाणा	640
7.	हिमाचल प्रदेश	65
8.	जम्मू–कश्मीर	81
9.	कर्नाटक	1392
10.	केरल	1274
11.	मध्य प्रदेश	1126
12.	महाराष्ट्र	2612
13.	मणिपुर	9
14.	नागालैंड	20
15.	उड़ीसा	371
16.	पंजाब	1335
17.	राजस्थान	512
18.	तमिलनाडु	4044
19.	त्रिपुरा	47
20.	उत्तर प्रदेश	2510
21.	पश्चिम बंगाल	1336
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4
23.	चंडीगढ़	35
24.	दमन व दीव	16
25.	दिल्ली	128
26.	पांडिचेरी	46
27.	राज्यों का उल्लेख नहीं है	7
	कुल	31415

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000
1.	आंध्र प्रदेश	57.50	20.85	130.65
2.	असम	4.80	192.00	245.96
3.	बिहार	52.00	–	7.78
4.	गोवा	–	–	1.25
5.	गुजरात	25.00	75.00	47.40
6.	हिमाचल प्रदेश	113.08	166.15	40.75
7.	हरियाणा	–	–	50.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	–	7.50	82.50
9.	कर्नाटक	56.75	25.80	75.00
10.	केरल	102.00	100.32	192.00
11.	मध्य प्रदेश	50.00	73.00	44.50
12.	महाराष्ट्र	179.80	146.77	204.19
13.	मणिपुर	14.43	30.41	46.68
14.	नागालैंड	10.05	99.00	104.72
15.	उड़ीसा	16.55	131.90	87.105
16.	पंजाब	89.45	48.15	–
17.	तमिलनाडु	99.50	22.43	111.18
18.	उत्तर प्रदेश	52.75	78.74	130.53
19.	पश्चिम बंगाल	–	205.60	236.56
20.	अंडमान–निकोबार	–	7.50	–
21.	दिल्ली	–	6.00	152.10
22.	मिजोरम	36.87	–	–
23.	मेघालय	–	–	44.30

[अनुवाद]

मनीआर्डरों का दुर्विनियोजन

101. श्री आर. एस. पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में डाक कर्मचारियों द्वारा मनीआर्डरों के दुर्विनियोजन के अनेक मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1999–2000 के दौरान केवल 271 मामलों का पता चला जिनमें डाक कर्मचारी और बाहरी व्यक्ति शामिल थे। इन मामलों में शामिल राशि 45.76 लाख रु. थी। यह वर्ष 1999–2000 के दौरान बुक किए गए मनीआर्डरों के मूल्य का केवल 0.008 प्रतिशत है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन मामलों की सूचना पुलिस को दी गई। दोषियों के खिलाफ विभागीय नियमों के अधीन कार्रवाई की गई।

विवरण

वर्ष 1999–2000 के दौरान मनीआर्डरों के दुर्विनियोजन के मामलों तथा उनमें शामिल राशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	मामलों की सं.	शामिल राशि (रु.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	30	1,45,026
2.	असम	शून्य	शून्य
3.	बिहार	2	1,32,820
4.	दिल्ली	शून्य	शून्य
5.	गुजरात	10	89,803
6.	हरियाणा	3	12,261
7.	हिमाचल प्रदेश	4	4,309
8.	जम्मू एवं कश्मीर	3	12,800

1	2	3	4
9.	कर्नाटक	54	1,55,704
10.	केरल	28	57,914
11.	मध्य प्रदेश	7	77,482
12.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	11	1,10,258
13.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड)	5	1,68,835
14.	उड़ीसा	3	40,300
15.	पंजाब	9	4,00,469
16.	राजस्थान	12	1,37,225
17.	तमिलनाडु	60	2,93,938
18.	उत्तर प्रदेश	23	27,22,842
19.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	7	40,400
	कुल जोड़	271	45,76,386

बागवानी फसलों का उत्पादन

102. श्री रामजी मांझी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कई बागवानी फसलों का उत्पादन कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन फसलों का नाम क्या है; और

(ग) उन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) देश में बागवानी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता कम नहीं है, अपितु फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा फिलहाल फलों और सब्जियों के विश्व उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार क्षेत्र विस्तार प्रदर्शन, प्रशिक्षण, गुणवत्ता पादप सामग्री की आपूर्ति और विपणन सहायता के जरिए उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित कर रही है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन में गिरावट

103. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में कम वर्षा के कारण देश के अनेक राज्यों में कृषि उत्पादन में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में किसानों के समक्ष आ रही सिंचाई संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) अग्रिम अनुमानों के अनुसार दीर्घावधि औसत की तुलना में कम वर्षा के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में खरीफ, 2000–01 में विभिन्न कृषि फसलों का उत्पादन खरीफ 1999–2000 की तुलना में कम होने की संभावना है। खरीफ वर्ष 1999–2000 की तुलना में खरीफ 2000–01 के उत्पादन का अखिल भारतीय अग्रिम अनुमान निम्नलिखित सारणी में दिया गया है–

फसल/फसल समूह	उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)	
	2000–01	1999–2000
खाद्यान्न	102.68	103.90
तिलहन	12.11	12.55
गन्ना	300.58	309.31
कपास*	13.16	11.99

*मिलियन गांठें

(ग) और (घ) सिंचाई संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्कीम/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं : (i) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 'कमान क्षेत्र विकास' सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के अंतर को कम करने के मूल उद्देश्य

से शुरू किया गया ताकि सिंचित कमान से कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। स्कीम में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित पर विचार किया गया है–

- खेत में सरणि का निर्माण,
- भू समतलन और भूमि को व्यवस्थित रूप देना,
- जल की चक्रीय आपूर्ति के लिए बार बंदी लागू करना,
- खेत में नालियों का निर्माण,
- टपका और छिड़काव प्रणाली अपनाना,
- सतही और भू जल का संयुक्त रूप से उपयोग।

(ii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम वृहत सिंचाई और बहुउद्देश्य परियोजनाओं, जिनकी लागत 5000 करोड़ और उससे अधिक हो और राज्य की संसाधन क्षमता के बाहर हो को शीघ्र पूरा करने तथा साथ ही अन्य परियोजनाओं जो निर्माण की अंतिम अवस्था में है, को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। निधियां समान आधार पर केंद्रीय ऋण सहायता के रूप में निर्मुक्त की जाती हैं।

(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संरक्षण में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि चालू सिंचाई परियोजनाओं, पनधारा विकास, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल निकास, सड़क और पुल आदि सहित ग्रामीण अवसंरचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण देने हेतु शुरू की गई थी।

[अनुवाद]

राजस्व हानि

104. श्री सुनील खां : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग के निगमीकरण किए जाने के पश्चात् राजस्व में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा घाटे को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन सिकदर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार निगमीकरण के बाद नेटवर्क के राजस्व अर्जन में कोई कमी देखने को नहीं मिली है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सिकुड़ती वन भूमि

105. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन कार्यकलापों के कारण प्रत्येक वर्ष आरक्षित वनों के तहत आने वाला क्षेत्र घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वन क्षेत्रों में खनन हेतु जगह बनाने के लिए वन क्षेत्रों को विनियमित करने वाले नियमों में छूट दी गई है;

(ग) यदि हां, तो खनन के उद्देश्य के लिए कितनी वन भूमि छोड़ी गई है; और

(घ) आंध्र प्रदेश में खनन हेतु अब तक छोड़ी गई वन भूमि का ब्यौरा क्या है, और राज्य में खनन हेतु वन भूमि को छोड़ने के लिए कितने आवेदन लंबित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत खनन सहित वनेतर उद्देश्यों के लिए वन भूमि का प्रयोग बराबर की वनेतर भूमि (वन विभाग को हस्तांतरित) या दुगनी अवक्रमित भूमि, जैसा भी मामला हो, पर प्रतिपूरक वनीकरण करने की शर्त को पूरा करने पर तथा निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के पश्चात ही किया जा सकता है। तथापि, ऐसे अनुमोदन केवल यह पता लगाने के बाद ही दिए जाते हैं कि खनन गतिविधियां स्थल विशिष्ट है तथा यह केवल कम से कम वन क्षेत्र तक ही सीमित हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997–1999 के दौरान, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत 24967.956 हैक्टेयर वन भूमि के वनेत्तर प्रयोग हेतु 176 खनन प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया जिसमें से 6174.58 हैक्टेयर भूमि नए खनन के लिए थी तथा 18793.376 हैक्टेयर भूमि खनन पट्टे के नवीकरण के लिए थी।

(घ) पिछले तीन वर्षों (1997–99) के दौरान उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में खनन उद्देश्यों के लिए 5164.05 हैक्टेयर वन भूमि के लिए स्वीकृति दी गई जिसमें से 625.84 हैक्टेयर वनभूमि नए खनन के लिए है और 4538.21 हैक्टेयर वनभूमि, जिसमें कोयले के भूमिगत खनन के नवीकरण हेतु 4147 हैक्टेयर वन भूमि शामिल है, खनन पट्टे के नवीकरण के लिए है। आंध्र प्रदेश राज्य के 9 खनन प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन हैं जिसमें से 3 प्रस्तावों पर मंत्रालय सक्रियता से विचार कर रहा है तथा 6 प्रस्ताव आवश्यक अतिरिक्त सूचना भिजवाने के लिए राज्य सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

106. श्री राम टहल चौधरी :
श्री सुबोध मोहिते :
श्री महबूब जहेदी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में फसल बीमा योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) देश में रबी 1999–2000 मौसम से पहले ही कार्यान्वित कर दी गयी है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में योजना का विस्तार कर दिया गया है। तथापि, अब तक केवल निम्नलिखित 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस योजना को कार्यान्वित किया है–

(1) आंध्र प्रदेश, (2) असम, (3) बिहार, (4) गोवा, (5) गुजरात, (6) हिमाचल प्रदेश, (7) कर्नाटक, (8) केरल, (9) महाराष्ट्र, (10) मध्य प्रदेश, (11) मेघालय, (12) उड़ीसा, (13) सिक्किम, (14) तमिलनाडु, (15) उत्तर प्रदेश, (16) पश्चिम बंगाल, (17) पांडिचेरी, (18) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह।

(ग) यह योजना सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। तथापि, योजना को कार्यान्वित करना या न करना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपने विवेक पर है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सहमति/विकल्प मांगे गए थे। योजना के कार्यान्वयन के लिए केवल 18 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ही आगे आए हैं।

अलसी का समर्थन मूल्य

107. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलसी का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया गया है,

(ख) यदि हां, तो अलसी का समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या आगामी रबी फसल के लिए अलसी के समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) अलसी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से पिछले वर्ष एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस मामले की जांच–पड़ताल की गई और कई कारणों से प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु व्यवहार्य नहीं पाया गया जैसे कि अलसी का उत्पादन स्थानिक है जबकि न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर खेती वाली फसलें कवर की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

108. डा. बलिराम : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग वाहन चलाने योग्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आबंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उत्तर प्रदेश में सन् 2000–2001 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत की जाएगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों से यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव के लिए निम्नलिखित निधियां आबंटित की गई हैं –

(राशि लाख रु.)

वर्ष	सामान्य कार्य	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	रख–रखाव और मरम्मत	जोड़
1997–98	4608.00	7330.00	4949.19	16887.19
1998–99	7078.14	4850.00	6128.44	18056.58
1999–2000	9155.35	2865.00	10179.49	22199.84

(घ) और (ङ) जी, हां। पूरे आबंटन का उपयोग कर लिया गया है।

(च) 592 कि.मी.।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में नए डाकघर

109. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने नए उप और शाखा डाकघर खोलने और राज्यों में नए पोस्ट–बाक्स लगाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000–2001 के दौरान जम्मू और कश्मीर में विशेषकर पुंछ क्षेत्र में नए, उप और शाखा डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा राज्य में डाक सेवा के आधुनिकीकरण सहित डाक सेवाओं के सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वार्षिक योजना 2000–2001 के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित उप और शाखा डाकघरों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जब कभी औचित्य पाया जाता है, तो लैटर बॉक्स लगाए जाते हैं। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं।

(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य में 7 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) और 1 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से 1 डाकघर जम्मू (मिश्रीवाला) में खोल दिया गया है तथा दो अन्य बरनई और चाक उमराह में खोले जाने का प्रस्ताव है। राजौरी जिले के डांगरी ईडीबीओ का विभागीय उप डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस समय, पुंछ क्षेत्र में डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नये डाकघरों का खोला जाना विभागीय मानदंडों के पूरा होने तथा वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पदों की मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है।

(घ) राज्य में डाक सेवाओं में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न डाकघरों में 92 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें संस्थापित की गई हैं। 12 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर केंद्र (ईएसएमओ) स्थापित किए गए हैं। 3 वीएसएटी (वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल) भी स्थापित किए गए हैं। राज्य में 13 डाकघरों को आधुनिक बनाया गया है। आधुनिक बनाए गए डाकघरों के नाम हैं–1. गांधी नगर प्रधान डाकघर, 2. लेह प्रधान डाकघर, 3. ऊधमपुर प्रधान डाकघर, 4. कठुआ प्रधान डाकघर, 5. अनंतनाग प्रधान डाकघर, 6. जम्मू प्रधान डाकघर, 7. श्रीनगर प्रधान डाकघर, 8. आरएसपीओ उप डाकघर, 9. त्रिकुटा नगर उप डाकघर, 10. बिनायक बाजार उप डाकघर, 11. लखनपुर उप डाकघर, 12. रियासी उप डाकघर, 13. एसआर गंज उप डाकघर। चालू वर्ष के दौरान, राज्य में डाकघरों का आधुनिकीकरण करने के लिए 25 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य में मेल सेवा का आधुनिकीकरण करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जम्मू रेल डाक सेवा (आरएमएस कार्यालय) में छंटाई कार्यालय की पंजीकरण शाखा का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इस वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जम्मू आरएमएस का आगे और आधुनिकीकरण करने का भी प्रस्ताव है। स्पीड पोस्ट सेवा का पुलवामा, बारामूला, अनंतनाग, सोपोर, अखनूर और कठुआ जिला मुख्यालयों तक विस्तार किया गया है। बारामूला, सोपोर, पुलवामा और अनंतनाग में ईएसएमओ स्थापित करने का प्रस्ताव है। पुंछ और राजौरी में मनीआर्डरों के शीघ्र पारेषण के लिए राजौरी प्रधान डाकघर में ईएसएमओ भी स्थापित किया गया है।

विवरण

वार्षिक योजना 2000–2001 के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा उप डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15	2
2.	असम	30	3

1	2	3	4
3.	बिहार	75	7
4.	दिल्ली	4	2
5.	गुजरात	20	3
6.	हरियाणा	15	2
7.	हिमाचल प्रदेश	7	1
8.	जम्मू एवं कश्मीर	5	1
9.	कर्नाटक	21	2
10.	केरल	4	2
11.	मध्य प्रदेश	40	3
12.	महाराष्ट्र	60	2
13.	उत्तर–पूर्व	40	2
14.	उड़ीसा	10	2
15.	पंजाब	14	2
16.	राजस्थान	20	2
17.	तमिलनाडु	15	2
18.	उत्तर प्रदेश	50	3
19.	पश्चिम बंगाल	55	7
	कुल	500	50

काजू का उत्पादन

110. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू के उत्पादन में संलग्न मजदूरों को उचित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काजू का जितना उत्पादन होना चाहिए उससे कहीं कम उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या काजू के आयात पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो काजू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में पिछले दो वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की गई है और राज्य–वार कितनी वास्तविक उपलब्धियां रहीं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) चूंकि देश में काजू का उत्पादन स्तर हमारी प्रसंस्करण क्षेत्र की आवश्यकता से कम है, अतः कच्चे काजू का आयात किया जा रहा है। 1999–2000 के दौरान 2.26 लाख मैट्रिक टन कच्चे काजू के आयात पर 1054.00 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

(ग) सरकार भारत में आठवीं योजना से समेकित काजू विकास कार्यक्रम नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय नर्सरियों की स्थापना, क्षेत्र विस्तार, पुराने काजू बागानों का पुनरुद्धार, किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शनों का आयोजन और प्रचार–प्रसार जैसे कार्य किए जा रहे हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम का परिव्यय 70.00 करोड़ रुपये है। निर्मुक्त धन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। काजू के उत्पादन में होने वाली उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

नौवीं योजना के अंतर्गत काजू स्कीम से जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त धनराशि (लाख रुपये)	
		1998–99	1999–2000
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	83.61	133.29
2.	गोवा	170.52	123.78
3.	कर्नाटक	113.84	121.70
4.	केरल	89.30	84.98
5.	मध्य प्रदेश	48.90	7.00
6.	महाराष्ट्र	690.20	541.36
7.	मणिपुर	19.75	0.00
8.	मेघालय	14.30	6.28
9.	नागालैंड	9.00	4.30
10.	उड़ीसा	109.02	352.56

1	2	3	4
11.	तमिलनाडु	183.90	89.26
12.	त्रिपुरा	14.30	4.00
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	2.00
14.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00
15.	पांडिचेरी	14.45	0.00
16.	काजू और कोको निदेशालय	99.70	77.89
	कुल	1660.79	1548.40

विवरण-II

काजू उत्पादन में उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन ('000 टन)	
		1998–99	1999–2000
1.	आंध्र प्रदेश	80.0	100.0
2.	गोवा	20.00	30.00
3.	कर्नाटक	40.00	60.00
4.	केरल	130.00	100.00
5.	महाराष्ट्र	85.00	125.00
6.	उड़ीसा	50.00	40.00
7.	तमिलनाडु	35.00	45.00
8.	पश्चिम बंगाल	8.00	8.00
9.	अन्य	12.00	12.00
	कुल	460.00	520.00

[हिन्दी]

आरा मिलों के लाइसेंस का नवीकरण

111. श्री छत्र पाल सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी आरा मिलों के लाइसेंस का नवीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को दो वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में विशेषकर बुलंदशहर और मेरठ जिलों में आरा मिलों के लाइसेंस के नवीकरण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) आरा मिलों को लाइसेंस देना राज्य सरकार का विषय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4.3.1997 के अपने आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश में चल रही सभी गैर लाइसेंस शुदा आरा मिलों, विनीर और प्लाइवुड उद्योगों को बंद करने के निर्देश दिए थे। गैर–लाइसेंस शुदा आरा मिलों के लाइसेंसों का नवीकरण किए जाने के संबंध में इस मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

(ग) उत्तर प्रदेश, विशेषकर बुलंदशहर और मेरठ जिलों में दो वर्ष पहले आरा मिलों के लाइसेंसों का नवीकरण करने से संबंधित किसी तरह की शिकायतों के बारे में इस मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चावल के वितरण संबंधी शिकायतें

112. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों के आपदाग्रस्त क्षेत्रों को भेजे गए चावल के प्रभावित लोगों तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्हें बेच दिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या राहत कार्यों के लिए एकत्रित सामग्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों और प्रभावित लोगों तक पहुंचने को सुनिश्चित करने के संबंध में कोई विशेष नियम कानून है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) इस मंत्रालय को ऐसी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) राहत प्रबंध के संबंध में राज्य राहत संहिता और नियम पुस्तिका है। इस मंत्रालय ने राहत हेतु व्यय की मदों और प्रतिमानों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत देने की प्रारंभिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है। निचले स्तर पर राहत का वितरण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

113. श्री अनादि साहू : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000–2001 के दौरान और अधिक ताप तथा पन बिजली उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उड़ीसा के तालचेर कोयल बेल्ट में कोई निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजना तैयार हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) वर्ष 2000–01 के दौरान 2263 मे.वा. ताप एवं 1297 मे.वा. जल विद्युत की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 2000 के अंत तक निजी क्षेत्र में 495.2 मे.वा. ताप विद्युत की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।

(घ) और (ङ) उड़ीसा के तालचेर कोयला क्षेत्र में 500 मे.वा. (2 × 250 मे.वा.) क्षमता वाली दुबरी ताप विद्युत परियोजना के शुरू होने की संभावना है जिसकी अनुमानित लागत 219153 लाख रुपये है। उक्त परियोजना को 29 अप्रैल, 1999 को ही तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है पर इसने अभी वित्तीय समापन नहीं प्राप्त किया है।

पोस्टकार्ड/अंतर्देशीय पत्रों का विलंब से वितरण

114. श्री बी. के. पार्थसारथी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पत्र को नियत स्थान तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्रों के अपने नियत स्थान तक पहुंचने की कोई समय–सीमा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों सहित डाक मदों के पारेषण और वितरण के लिए डाक प्रणाली की दक्षता की नियमित मानीटरिंग की जाती है तथा परिणाम सामान्यतया संतोषजनक है। डाक के, जिसमें पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र शामिल हैं, वितरण में विलंब/वितरण न होने के बारे में यदा–कदा शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) और (ग) डाक पारेषण तथा वितरण के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए हैं–

(i) जिले के भीतर	डाक में डालने के दिन के बाद 48 घंटे के भीतर
(ii) राज्य के भीतर	डाक में डालने के दिन के बाद 48 से 72 घंटे के बीच
(iii) अन्य राज्यों की डाक	शामिल दूरी तथा परिवहन संपर्कों के आधार पर 3 से 5 दिन
(iv) महानगरों के बीच प्रथम श्रेणी की डाक	डाक में डालने के दिन के बाद 48 से 72 घंटे के बीच
(v) राज्यों की राजधानियों के बीच प्रथम श्रेणी की डाक	डाक में डालने के दिन के बाद 48 से 72 घंटे के बीच

(घ) डाक की छंटाई पारेषण और वितरण सहित डाक प्रणाली की दक्षता की नियमित मानीटरिंग की जाती है। डाक समय पर भेजने के लिए परिवहन एजेंसियों के साथ निकट संपर्क रखा जाता है। डाक का लाइव सर्वे भी किया जाता है। सेवा की दक्षता में सुधार लाने के लिए, डाक संकेन्द्रण के प्रमुख केंद्रों में डाक की छंटाई के लिए नई टेक्नालॉजी का समावेश एक विशिष्ट प्रयास है।

पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय

115. श्री नरेश पुगलिया :
डा. रमेश चंद तोमर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों का गठन करने के लिए संयुक्त रूप से कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रदूषण को रोकने के लिए मौके पर जुर्माना करने एवं दोषी लोगों की संपत्ति जब्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खेलकूद संगठनों का कार्य संचालन

116. श्री जार्ज ईडन : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिडनी ओलंपिक में खिलाड़ियों द्वारा खराब प्रदर्शन करने के बाद देश की खेल नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विभिन्न खेल संगठनों के कार्य संचालन की जांच करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति के स्थान पर सरकार ने सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों, राष्ट्रीय खेल परिसंघों, प्रतिष्ठित खिलाड़ियों, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, संसद सदस्यों, संसदीय परामर्शदात्री समिति तथा संबंधित अन्य विभिन्न एजेंसियों के परामर्श से राष्ट्रीय खेल नीति का मसौदा तैयार किया है। राष्ट्रीय खेल नीति अंतिम चरण में है और इसकी शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

(1) खेलों को व्यापक आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता की प्राप्ति;

(2) अवस्थापना का उन्नयन और विकास;

(3) राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य उपयुक्त निकायों को समर्थन;

(4) खेलों के लिए वैज्ञानिक और कोचिंग समर्थन सुदृढ़ करना;

(5) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन;

(6) महिलाओं, जनजाति तथा ग्रामीण युवाओं की अधिक सहभागिता;

(7) खेलों के संवर्धन में निगमित क्षेत्र को शामिल करना; तथा

(8) जनता में बड़े पैमाने पर खेल मानसिकता का संवर्धन करने के लिए और अधिक जागरूकता पैदा करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा विदेशी मुद्रा का दुर्विनियोग

117. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल में आयोजित सिडनी ओलंपिक में करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा का गबन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा घोटाला में संलिप्त भारतीय ओलंपिक संघ की गतिविधियों की छानबीन कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ग) सिडनी ओलंपिक खेलों के संबंध में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा विदेशी मुद्रा को स्थानांतरित करने संबंधी आरोप वित्त मंत्रालय को उनके परामर्श के लिए भेज दिया गया है।

टेलीफोन लगाया जाना

118. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2000–2001 के दौरान देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन लगाए जाने संबंधी उपलब्धियों में कोई अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) देश में स्विचन क्षमता के बड़े तथा लघु और मध्यम आकार के एक्सचेंजों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सामान्यतया स्विचन क्षमता के बड़े एक्सचेंज शहरी क्षेत्रों में तथा लघु और मध्यम आकार के एक्सचेंज ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। आंध्र प्रदेश सहित राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) देश के सभी राज्यों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन, विकास दर तथा प्रतीक्षा सूची के आधार पर उत्तरोत्तर रूप से लगाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित समग्र लक्ष्यों को पूरा करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। एन टी पी–99 में देश में 31/3/2002 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने तथा इसके बाद भी यही स्थिति बनाए रखने की परिकल्पना की गई है ताकि शहरी क्षेत्रों में 2005 तक और 2010 तक का टेलीफोन घनत्व प्राप्त करने के साथ–साथ ग्रामीण टेलीफोन घनत्व में सुधार करके इसे 2010 तक 4.0 किया जा सके।

विवरण

वर्ष 2000–01 के लिए टेलीफोन कनेक्शनों का राज्यवार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य का नाम	बड़ी स्विचन क्षमता	छोटी तथा मध्यम स्विचन क्षमता	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	400000	175000	575000
2.	असम	45000	10000	55000
3.	बिहार	160000	100000	260000
4.	गुजरात	248000	82000	330000
5.	हरियाणा	110000	40000	150000
6.	हिमाचल प्रदेश	20000	40000	60000
7.	जम्मू व कश्मीर	38400	11600	50000
8.	कर्नाटक	325000	100000	425000
9.	केरल	412500	37500	450000
10.	मध्य प्रदेश	120000	30000	150000
11.	महाराष्ट्र	640000	100000	740000
12.	उत्तर पूर्व	37000	13000	50000
13.	उड़ीसा	72000	28000	100000
14.	पंजाब	125000	125000	250000
15.	राजस्थान	110000	100000	210000
16.	तमिलनाडु	575000	125000	700000
17.	उत्तर प्रदेश	384000	106000	490000
18.	पश्चिम बंगाल	337800	107200	445000
19.	दिल्ली	200000	0	200000
	कुल	4359700	1330300	5690000

टिप्पणी : गुजरात राज्य जिसमें दादर दिव दमन और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।

केरल राज्य जिसमें लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है

महाराष्ट्र राज्य जिसमें गोवा और मुंबई शामिल है।

नार्थ–ईस्ट दूरसंचार सर्किल जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल है।

पंजाब राज्य जिसमें चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल है।

तमिलनाडु राज्य जिसमें चेन्नई और पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।

पश्चिम बंगाल राज्य जिसमें कलकत्ता और सिक्किम, अंडमान निकोबार राज्य शामिल है।

बिहार राज्य जिसमें झारखंड राज्य शामिल है।

मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है।

उत्तर प्रदेश राज्य जिसमें उत्तरांचल राज्य शामिल है।

फार्म सेक्टर में विकास-दर में गिरावट

119. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म सेक्टर की विकास–दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सहित अर्थव्यवस्था पर इस गिरावट का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस स्थिति में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, हां। असामान्य मौसमी दशाओं के कारण वर्ष 1999–2000 में कृषि क्षेत्र की विकास दर में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप तिलहन, मोटे अनाज, दलहन आदि विभिन्न फसलों का क्षेत्र कवरेज तथा उत्पादकता कम हुई है। इस गिरावट का अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि क्षेत्र के मूल्य–संवर्द्धन विकास में कमी के रूप में तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव सामान और सेवाओं की मांग में कमी तथा कच्चे माल की कम आपूर्ति के कारण निर्माण और सेवा क्षेत्र के विकास में कमी के रूप में नजर आता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार, 1993–94 के मूल्यों पर कृषि, पशुपालन, वानिकी तथा मात्स्यिकी सहित 'कृषि और संबद्ध क्षेत्र' द्वारा मूल्य संवर्द्धन की वृद्धि दर 1998–99 में 7.2 प्रतिशत की तुलना में 1999–2000 में घटकर 1.3 प्रतिशत हो गई। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के रूप मापी गई समग्र अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 1993–94 के मूल्यों पर 1998–99 के 6.8 प्रतिशत के स्तर से 1999–2000 में घटकर 6.4 प्रतिशत हो गई।

(घ) कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सरकार चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्र में केंद्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रमों, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा कपास प्रौद्योगिकी मिशन आदि क्रियान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों/परियाजनाओं के तहत, किसानों को उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग, समेकित कृमि प्रबंधन के इस्तेमाल, सूक्ष्म सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंधन के प्रसार तथा उन्नत फार्म उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भी लगातार अनुसंधान किया जा रहा है, जिससे भारत में खाद्यान्न उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण के लिए किसानों और फार्म मजदूरों के प्रशिक्षण सहित किसानों की जोतों पर क्षेत्र प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तरी कर्णपुरा में ताप विद्युत संयंत्र

120. श्री नागमणि : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष उत्तरी कर्णपुरा में ताप विद्युत संयंत्र की आधार शिला रखी थी;

(ख) यदि हां, तो इस ताप विद्युत संयंत्र पर कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी हां, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 6.3.1999 को उत्तरी कर्णपुरा में एक ताप विद्युत केंद्र की आधार–शिला रखी गई थी।

(ख) कार्य–स्थल को निर्धारित करने के अध्ययन एवं जांच इस समय चल रहे हैं और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। समयबद्ध संयोजकों/स्वीकृतियों एवं वित्तीय सुनिश्चितताओं के अंतर्गत, इस परियोजना को दसवीं योजना अवधि के दौरान आरंभ किए जाने की आशा है।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन के लिए बजट

121. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के लिए 'रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन' हेतु बजट परिव्यय में पूर्व वर्ष की तुलना में काफी कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या योजना परिव्यय में कमी के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और राजस्थान बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सरकार ने देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 1999–2000 के दौरान सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) को 430 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 175 करोड़ रुपये का राशि आबंटित की है। 1997–98

से 1999–2000 के दौरान सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को दी गई बजटीय सहायता का वर्ष–वार ब्यौरा निम्नानुसार है–

वर्ष	सामान्य*	करोड़ रुपये में एमएनपी#
1997–98	348	175
1998–99	450	175
1999–2000	430	175

*विद्युत मंत्रालय से इक्विटी सहित बजटीय सहायता।

#निधि परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमओएफ) के अंतर्गत अनुमोदित।

अतः यह देखा जा सकता है कि परिव्यय में बहुत ज्यादा कटौती नहीं हुई है।

(ग) और (घ) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एच.टी.एम.एस. प्रणाली

122. डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली (एच.टी.एम.एस) स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस आधुनिक तकनीक की स्थापना के पश्चात् दुर्घटनाओं पर कहां तक काबू पाए जाने की उम्मीद है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यातायात की आवाजाही को सुकर बनाने के लिए और उसकी निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के कोटपुतली–आमेर खंड पर राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली संस्थापित करने संबंधी परियोजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है और इस परियोजना को 17,52,50,007,00 रु. की लागत पर विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए मै. सीमेन्स को सौंपा गया है।

(घ) चूंकि देश में इस प्रकार की प्रणाली पहली बार संस्थापित की जा रही है, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि इससे दुर्घटनाओं पर कहां तक रोक लग पाएगी।

[अनुवाद]

मंगलौर विद्युत परियोजना के लिए प्रति गारंटी

123. श्री जी. एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंगलौर विद्युत परियोजना को प्रति गारंटी के मुद्दे पर विचार करने के लिए कर्नाटक सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई जवाब मिला है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। कर्नाटक सरकार को प्रेषित अपने दिनांक 3 जनवरी, 2000 के पत्र के जरिए विद्युत मंत्रालय ने केंद्र सरकार के 1013.2 मे. वा. के मंगलौर विद्युत परियोजना को कतिपय शर्तों के साथ काउंटर गारंटी जारी करने संबंधी निर्णय संसूचित किया था। कर्नाटक सरकार को टिप्पणी हेतु 14.1.2000 को प्रारूप काउंटर गारंटी एवं प्रारूप त्रिपक्षीय समझौता प्रलेख भी भेज दिए गए थे।

(ख) दिनांक 3.1.2000 के विद्युत मंत्रालय के पत्र का आंशिक जवाब कर्नाटक सरकार से दिनांक 13.7.2000 के पत्र के तहत विद्युत मंत्रालय को प्राप्त हुआ।

(ग) कर्नाटक सरकार के 13.7.2000 के उत्तर की जांच करने के बाद विद्युत मंत्रालय ने उन्हें पुनः 2.8.2000 को यह बताते हुए पत्र लिखा कि परियोजना के लिए काउंटर गारंटी जारी करने के पूर्व इसकी जांच करने हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा काउंटर गारंटी जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों का अभी भी अनुपालन किया जाना है। कर्नाटक सरकार से यह भी अनुरोध किया गया कि वे प्रारूप काउंटर गारंटी एवं त्रिपक्षीय समझौता प्रलेख पर यथाशीघ्र

अपनी टिप्पणी भेजें। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में खराब टेलीफोन लाइन

124. श्री अधीर चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में सामान्य रूप से दिल्ली में और विशेषकर रोहिणी के सेक्टर–8 में टेलीफोन लाइन अक्सर खराब होती रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त क्षेत्र में टेलीफोन लाइन यदि एक बार ठीक भी हो जाती है तो तुरंत खराब हो जाती है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में उक्त क्षेत्र की कितनी शिकायतों का निपटारा नहीं किया गया है और यह स्थिति कब से है;

(ङ) स्थायी रूप से दोष न दूर किए जाने के क्या विशेष कारण हैं; और

(च) उक्त शिकायतों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खतरनाक रसायनों के भंडारण पर रोक

125. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'कोस्टल रेगुलेशन जोनल अधिसूचना' द्वारा तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) के अंदर खतरनाक रसायनों के भंडारण पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अधिसूचना के तहत मौजूदा पत्तन सीमा में इन उत्पादों के भंडारण की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने छोटे पत्तनों के मामले में तटीय विनियमन जोन (सी आर जेड) में पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और संभालाई के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार से निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) समय–समय पर यथा संशोधित तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 के पैरा 2(ii) में तटीय विनियमन क्षेत्र में खतरनाक पदार्थों के भंडारण पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तथापि पैरा 2(ii) के परंतुक में तटीय विनियमन क्षेत्र में 14 विशिष्ट पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण की अनुमति है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार से लघु पत्तनों के संबंध में ऐसे भंडारणों को पर्यावरणीय मंजूरी देने हेतु राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया था। संघ सरकार ने इस अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया था।

सबरीमाला विकास परियोजना

126. श्री टी. गोविन्दन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सबरीमाला विकास परियोजना हेतु केरल के त्रावणकोर दिवासवम बोर्ड को वन भूमि की अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) केरल सरकार ने साबरीमाला मंदिर के तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 115.60 हैक्टेयर वन भूमि के वनेत्तर प्रयोग के लिए पहले ही 1993 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अभी इस प्रस्ताव पर कार्रवाई चल ही रही थी कि राज्य सरकार ने दिसंबर, 1995 में इसी उद्देश्य के लिए 20 एकड़ वन भूमि का एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राज्य सरकार से इस संबंध में एक अध्ययन करने और एक दीर्घ कालिक मास्टर प्लान तैयार करने का अनुरोध किया गया था जिससे कि क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके क्योंकि अधिकतर वन क्षेत्र पेरियार बाघ रिजर्व का एक हिस्सा है। अनुस्मारकों के बाद भी राज्य सरकार ने अपेक्षित सूचनाएं नहीं भेजी हैं। इसी बीच मंत्रालय ने चैरियनवोत्तम में सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए नवंबर, 98 में 0.4225 हैक्टेयर वनभूमि के वनेत्तर प्रयोग के लिए अनुमोदन दिया था क्योंकि यह स्थल विशिष्ट और पारिस्थितिकी दृष्टि से अनुकूल था। जल वृद्धि के लिए कुन्नार में चैक डैम निर्माण के लिए 0.20 हैक्टेयर तथा पाम्बा में

वाहन खड़े करने की सुविधा प्रदान करने के लिए 5.00 हैक्टेयर वनभूमि के अस्थायी प्रयोग की अनुमति भी फरवरी, 2000 में दी गई थी।

एक समिति, जिसमें माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री श्री ओ. राजगोपाल, और श्री रमेश चैन्नीथला, संसद सदस्य शामिल हैं, ने 26 और 27 मार्च, 2000 को स्थल का निरीक्षण किया था। समिति ने विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की और पाम्बा से अवैध निर्माण और वहां पर पड़े कूड़े–कचरे को हटाने तथा पूरे कम्प्लेक्स की दीर्घकालिक विस्तृत मास्टर योजना तैयार करने और पाम्बा नदी के प्रदूषण नियंत्रण आदि के संबंध में कार्रवाई करने का सुझाव दिया। मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से नए सिरे से विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया।

टेलीफोन उपस्करों की कीमत

127. श्री अनन्त नायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम और उचित कीमत पर टेलीफोन उपस्करों को उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) प्रारंभिक संस्थापना प्रभार के भाग के रूप में टेलीफोन उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रचलित बाजार भावों की तुलना में लिए जा रहे प्रभार बहुत वाजिब हैं।

जैवग्राम योजना

128. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई जैवग्राम योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन ग्रामों का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रथम बार में चुना गया है/चुने जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में इस प्रयोजनार्थ कोई कार्यशाला भी शुरू की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) से (ग) भारत सरकार में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने मोचा–ग्रोसर (पोरबंदर के नजदीक), गुजरात में मॉडल जैव–ग्रामों पर एक परियोजना स्थापित करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय लवण और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर परियोजना का अग्रणी क्रियान्वयन अभिकरण है। उद्देश्यों के अनुसार जैव–उर्वरकों, जैव कृमि नाशियों, बायो गैस जैसे जैव–प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों तथा जोजोवा, जत्रापा और समवादौरा तथा संखपुष्पी जैसे बागानों को खासकर बंजर भूमि में लोकप्रिय बनाकर ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

मोचा ग्रोसर में जैव–ग्राम की स्थापना की सफलता के आधार पर परियोजनाओं का मध्य प्रदेश, राजस्थान व पश्चिम बंगाल में भी विकास करने का प्रस्ताव है जहां जैव प्रौद्योगिकी विभाग तकनीकी सहायता देगा। वर्ष 2000–2001 के दौरान इस पायलट परियोजना के लिए 8.08 लाख के व्यय का परिव्यय विद्यमान है।

(घ) से (च) इस पहलू पर किसी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। किंतु जैव–प्रौद्योगिकी विभाग ने इस परियोजना के निरूपण के लिए कई राष्ट्रीय संस्थाओं से परामर्श किया है।

दूरसंचार-सुविधाएं

129. श्री वसुदेव आचार्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने लोगों के पास पृथकतः टेलीफोन–कनेक्शन और सेल्युलर टेलीफोन हैं;

(ख) अन्य एशियाई देशों के मुकाबले तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में ऐसी और सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में संचार राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 30.9.2000 की स्थिति के अनुसार देश में टेलीफोन–कनेक्शनों और सेल्युलर टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार है–

(i) टेलीफोन–कनेक्शन – 28217798

(ii) सेल्युलर टेलीफोन – 2623656

(ख) वर्ष 1998 की स्थिति के अनुसार, भारत सहित एशियाई देशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दूरसंचार विभाग की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के संयुक्त प्रयासों से देश

में 31.3.2002 तक मांग पर टेलीफोन–कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

वर्ष 1998 की स्थिति के अनुसार, एशियाई देशों में टेलीफोन–कनेक्शनों और सेल्युलर फोनों का ब्यौरा (वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डैवलपमेन्ट रिपोर्ट ITU–1999 से संदर्भित)

क्र.सं.	देश का नाम	टेलीफोन–कनेक्शन	सेल्युलर फोन
1	2	3	4
1.	अफगानिस्तान	29000	
2.	आर्मेनिया	556000	7000
3.	अजरबैजान	680200	65000
4.	बहरीन	157600	92100
5.	बांगलादेश	378000	75000
6.	भूटान	10400	—
7.	ब्रुनेई दारूसलाम	77700	49100
8.	कम्बोडिया	24300	61300
9.	चीन	87420900	23863000
10.	डी.पी.आर. कोरिया	1100000	—
11.	जॉर्जिया	628800	60000
12.	हांगकांग एस ए आर	3729200	3174400
13.	भारत	21593700	1195400
14.	इंडोनेशिया	5571600	1065800
15.	ईरान (आई.आर.)	7355000	390000
16.	इराक	675000	—
17.	इजराइल	2819000	2147000
18.	जापान	63580000	47285000
19.	जॉर्डन	510900	70500
20.	कजाखिस्तान	1775400	29700
21.	कोरिया (रिप.)	20088500	14018600
22.	कुवैत	427300	250000
23.	क्रिजिस्तान	354600	1400
24.	लाओ पी.डी.आर.	28500	6500
25.	लेबनान	620000	500000
26.	मकाऊ	173900	75500
27.	मलेशिया	4384000	2200000
28.	मालदीव	20000	1600
29.	मंगोलिया	87300	2000
30.	म्यांमार	229300	8500
31.	नेपाल	194000	—
32.	ओमान	220000	103000
33.	पाकिस्तान	2757000	202000
34.	फिलिपीन्स	2700000	1595000
35.	कतार	150500	65800
36.	सऊदी अरब	2878100	627300
37.	सिंगापुर	1777900	1094700
38.	श्रीलंका	523500	174200
39.	सीरिया	1463000	—
40.	ताईवान–चीन	11500400	4727000
41.	ताजिकिस्तान	221300	400
42.	थाईलैंड	5037500	1957200
43.	तुर्कमेनिस्तान	354000	3000
44.	संयुक्त अरब अमीरात	915200	493300
45.	उज्बेकिस्तान	1536700	16800
46.	वियतनाम	2000000	187000
47.	वेस्ट बैंक और गाजा	167300	40000
48.	यमन	220300	18000

[हिन्दी]

यमुना नदी की सफाई

130. श्री जय प्रकाश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यमुना नदी को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से शौचालयों के निर्माण हेतु दिल्ली नगर निगम को धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रयोजनार्थ जापान के बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शौचालयों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यमुना कार्य योजना, जो कि वर्ष 1993 में कार्यान्वित की जा रही है, के अंतर्गत यमुना नदी के प्रदूषण निवारण हेतु सरकार को जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोपरेशन से 17.77 बिलियन येन का ऋण प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के छह शहरों (यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद) और उत्तर प्रदेश के आठ शहरों (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, वृंदावन, मथुरा, आगरा और इटावा) में कार्य शुरू कर दिया गया है। योजना में मलजल का अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन, मलजल शोधन संयंत्र, अल्प लागत के शौचालय, शवदाहगृह और नदी तटाग्र के विकास कार्य शामिल हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन

131. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विद्युत परियोजनाएं कम लागत वाली हैं और विद्युत का लोकप्रिय स्रोत है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में देश में, विशेषकर दूर-दराज के और पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युत क्षमता विकसित करने हेतु जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जल विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है तथा दीर्घावधि में यह किफायती भी है।

(ख) भारत सरकार ने देश में, विशेषतया सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में जल शक्यता विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। विगत तीन दशकों में जल विद्युत के घटते हुए अनुपात के विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जल विद्युत विकास को गति प्रदान करने के लिए अगस्त, 1998 में जल विद्युत विकास को तेज करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार हैं—(i) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ को तर्कसंगत बनाया गया है। (ii) तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अंतरण प्रक्रियाओं की स्वीकृति का सरलीकरण किया गया है। (iii) समझौता ज्ञापन के अधीन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए उच्चतम सीमा को बढ़ाया गया और अधिसूचित किया गया। (iv) भू-विज्ञान संबंधी जोखिमों को कवर करने की कार्यविधि विकसित की गई है और (v) 25 मे.वा. क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 2425 मे.वा. की मौजूदा जल विद्युत क्षमता की तुलना में सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापना हेतु 1265 मे.वा. क्षमता की 6 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद क्षमता संवर्धन हेतु 20,000 मे.वा. क्षमता से अधिक वाली परियोजनाओं के बारे में अग्रिम कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। सरकार नये जल विद्युत स्थलों के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी उपाय कर रही है ताकि परियोजनाओं का शैल्फ तैयार किया जा सके और उनका निष्पादन किया जा सके।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा महाराष्ट्र में सर्वेक्षण

132. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो वहां पाए गए खनिज भण्डार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में खनिज भण्डार के सर्वेक्षण के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र में पाए गए खनिज भण्डारों का ब्यौरा निम्नवत है–

स्वर्ण : नागपुर तथा भण्डारा जिलों में पुलार (पश्चिम), कोलारी, भांवरी तथा रानमंगली क्षेत्र, पारसोरी (पश्चिम) पारसोरी (पूर्वी), भांवरी, काला पहाड़ क्षेत्र तथा किटार–मारूपर खंड में खनिज हेतु अन्वेषण किए गए। किटारी–मारूपर खंड में 1.33 ग्राम/टन स्वर्ण, 1.33 प्रतिशत ताम्र तथा 3.65 ग्राम/टन चांदी अंश वाले 1.19 मि. टन अयस्क का अनुमान लगाया गया है। पारसोरी (पश्चिम) में 1.7 ग्राम/टन अंश वाले 1.0 मि. टन स्वर्ण अयस्क निक्षेपों का अनुमान लगाया गया है। किटारी खेडी खंड में 0.92 से 2.58 ग्राम/टन के बीच अंश वाले औसत स्वर्ण तत्व वाले 57000 टन स्वर्ण अयस्क भंडारों का अनुमान लगाया गया है।

मैग्नीज : नागपुर जिले के पारसोदा खंड में 0.178 मि. टन मैग्नीज अयस्क का अनुमान लगाया गया है।

कोयला : महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के वर्धा घाटी कोलफील्ड के दक्षिण–पूर्वी भाग में बाहमिनि–पालसगांव तथा राजुरा–मानिकगढ़ खंडों में कोयले के लिए क्षेत्रीय गवेषण में क्रमशः 319.24 मि. टन तथा 167.54 मि. टन के कुल 'दर्शाए' भंडारों का अनुमान है।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2000–2001 के दौरान खनिज सर्वेक्षण के बारे में विदर्भ क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए हैं–

(1) संरचनागत तथा खनिज मूल्यांकन/निक्षेपों के लिए नागपुर, भंडारा जिलों में सौसर फोल्ड पट्टी में विशिष्ट विषयक मानचित्रण।

(2) नागपुर, भंडारा तथा गोंदिया जिलों में स्वर्ण तथा तांबे हेतु भू–रसायनिक सर्वेक्षण।

(3) नागपुर जिले के गोगुलडोह क्षेत्र में मैग्नीज अयस्क के लिए गवेषण।

(4) चंद्रपुर तथा गढ़चिरोली जिले में किम्बरलाइट की खोज।

[अनुवाद]

दूरभाष केंद्र के भवन का निर्माण

133 श्री महबूब जहेदी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के कटवा क्षेत्र में कलना दूरभाष केंद्र के तकनीकी विकास व उन्नयन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त आधारभूत ढांचों के निर्माण हेतु पश्चिम बंगाल के लोक–निर्माण विभाग की जमीन उपलब्ध हो सकती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) कटवा क्षेत्र के तहत अलग एक डिजीटल इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज है जिसका 3000 लाइनों की सज्जित क्षमता से 4000 लाइनों की क्षमता में उन्नयन किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) दूरसंचार भवन के लिए पी.डब्ल्यू.डी. पश्चिम बंगाल से संबंधित भूमि के आबंटन से संबंधित मामले को जिला मजिस्ट्रेट बुर्दवान के साथ उठाया गया था जिन्होंने मामले को आगे हाल ही में संयुक्त सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन सुविधा

134. श्री राजो सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और जमुई जिलों में कितने गांवों में टेलीफोन की सुविधा नहीं है; और

(ख) इन जिलों के कितने गांवों में किन–किन स्थानों पर 2000–2001 के दौरान उक्त सुविधा को उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) बिहार के शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय तथा जमुई जिलों में टेलीफोन सुविधा रहित गांवों तथा 2000–2001 के दौरान टेलीफोन

सुविधा प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित गांवों की संख्या इस प्रकार है–

जिले	टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की सं.	2000–2001 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित गांवों की संख्या
शेखपुरा	75	75
लखीसराय	80	80
बेगुसराय	118	118
जमुई	125	125

चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त जिलों के सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा–युक्त किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड

135. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ और अलाभकारी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने के लिए संसाधन जुटाने हेतु किसी 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड' बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है और इसे क्रियान्वित किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) नई दूरसंचार नीति, 1999 के अंतर्गत सरकार बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के लिए वहनीय तथा वाजिब दामों पर सभी लोगों को अभिगम्यता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और निम्नलिखित विश्वस्तरीय सेवा उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहती है–

(i) वर्ष 2002 तक देश के शेष 2.9 लाख सुविधा रहित गांवों को वायस तथा कम स्पीड की डाटा सेवा प्रदान करना।

(ii) वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों को इंटरनेट अभिगम्यता प्रदान करना।

(iii) वर्ष 2002 तक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन प्रदान करना।

विश्वस्तरीय सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए विश्व स्तरीय अभिगम्यता लेवी लगाने के जरिए संसाधन जुटाए जाएंगे जो विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत सभी प्रचालकों द्वारा अर्जित राजस्व की प्रतिशतता होगी। इस प्रतिशतता का निर्णय सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के परामर्श से किया जाएगा।

दिनांक 3.7.2000 को टीआरएआई द्वारा विश्व स्तरीय सेवा दायित्व के विषय पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया था। टीआरएआई ने सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ताओं तथा अन्य संगठनों और वित्तीय संस्थानों इत्यादि सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों से कंसल्टेशन पेपर (जो एक सरकारी दस्तावेज है और इंटरनेट पर उपलब्ध है) पर इनपुट मांगा था। इस मामले पर टीआरएआई इस समय जांच कर रहा है और टीआरएआई से औपचारिक सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात् सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

फलों व सब्जियों का उत्पादन

136. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार फलों व सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को धन मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 2000–2001 के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या हरियाणा में फलों व सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने फल उत्पादक राज्यों को कोई सहायता मुहैया कराने हेतु किसी प्रकार की ठोस योजना या कार्यक्रम तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। फलों और सब्जियों, जिसमें कंद और मूल फसलें भी शामिल हैं, के विकास के लिए पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। केंद्र सरकार ने क्रमशः 125.00 करोड़ रुपये और 43.84 करोड़ रुपये के परिव्यय से नौवीं योजना में

क्रियान्वयन के लिए (i) फलों के समेकित विकास पर केन्द्र प्रायोजित स्कीम और (ii) कन्द और मूल फसलों सहित सब्जियों के समेकित विकास पर केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम का निरूपण किया है। यह स्कीम गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण, क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता सुधार कार्यक्रमों, कृषक प्रशिक्षण, खेतों पर प्रबंध, यंत्रीकरण, प्रदर्शन, टिशू/लीफ विश्लेषण प्रयोगशालाओं, प्लांट हैल्थ क्लिनिक, रोग पूर्वानुमान एककों की स्थापना आदि जैसे कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों, जिनमें हरियाणा भी शामिल है, को सहायता देती है। वर्ष 2000–2001 से राज्य सरकारों को संगत घटकों, जिन्हें वे कृषि में वृहत प्रबंधन पर केंद्रीय प्रायोजित स्कीम–कार्य योजना के जरिए राज्य के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण के अधीन अपनी कार्य योजना में प्राथमिकता देना आवश्यक है, को शामिल करने का विकल्प दिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न राज्यों को फलों तथा सब्जियों संबंधी स्कीमों के अंतर्गत आबंटित धनराशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	फलों के लिए आबंटित धनराशि				कंद और मूल फसलों सहित सब्जियों के लिए आबंटित धनराशि			
		1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	71.37	132.06	114.06	33.72	12.00	7.50	19.50	
2.	अरुणाचल प्रदेश	26.60	37.27	55.27	11.68	3.75	3.75	14.25	
3.	असम	15.21	45.83	45.83	8.72	4.55	3.55	12.55	
4.	बिहार	71.72	111.97	101.97	8.20	23.00	15.00	33.00	
5.	गोवा	4.01	11.90	11.90	4.92	3.75	3.75	14.25	
6.	गुजरात	76.26	115.61	115.61	12.03	6.50	4.50	18.00	
7.	हरियाणा	34.80	84.81	94.81	17.32	8.00	6.00	18.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	41.34	84.00	71.00	18.21	5.50	3.85	14.35	
9.	जम्मू और कश्मीर	135.50	143.81	104.41	24.26	4.00	3.00	13.50	
10.	कर्नाटक	83.59	179.17	200.17	38.85	14.00	8.15	29.15	
11.	केरल	53.64	94.16	94.56	23.70	8.50	8.15	53.15	
12.	मध्य प्रदेश	108.23	133.46	112.06	16.57	30.00	15.00	39.00	
13.	महाराष्ट्र	127.49	194.54	204.64	43.58	14.00	6.00	19.50	
14.	मणिपुर	67.28	95.58	77.58	20.28	3.75	3.75	14.25	
15.	मेघालय	10.53	21.85	21.85	12.94	3.75	3.75	14.25	
16.	मिजोरम	7.62	22.13	40.13	15.57	3.75	3.75	14.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	नागालैंड	53.60	73.55	59.70	15.49	3.75	3.75	14.25	
18.	उड़ीसा	327.70	332.86	335.11	30.44	10.50	10.50	37.50	
19.	पंजाब	30.00	49.08	49.08	29.45	10.50	6.00	18.00	
20.	राजस्थान	40.70	80.22	80.62	18.87	12.75	6.75	18.75	
21.	सिक्किम	10.30	16.79	55.79	11.96	5.55	3.55	14.05	
22.	तमिलनाडु	80.06	133.03	148.03	31.11	10.75	7.75	19.75	
23.	त्रिपुरा	15.35	31.90	31.90	14.09	4.75	5.25	18.75	
24.	उत्तर प्रदेश	90.39	122.84	122.44	33.66	46.00	18.00	33.00	
25.	पश्चिम बंगाल	83.96	93.10	93.10	4.64	11.00	9.00	24.00	
26.	अं. और नि. द्वी. समूह	11.30	14.69	14.69	2.35	2.15	1.50	4.50	
27.	चंडीगढ़	11.00	1.00	1.00	0.68	1.50	1.50	6.50	
28.	दादरा और नगर हवेली	4.84	6.62	6.62	1.99	1.50	1.50	6.00	
29.	दिल्ली	4.86	5.90	5.90	0.95	3.00	3.00	14.50	
30.	दमन और दीव	4.87	8.20	8.20	2.23	1.50	1.50	4.50	
31.	लक्षद्वीप	10.90	14.09	14.09	2.53	0.00	0.00	0.00	
31.	पांडिचेरी	3.00	8.01	8.01	4.12	1.50	1.50	6.00	
	कुल	1718.02	2500.03	2500.11	515.03	275.50	180.50	581.00	

[अनुवाद]

अल्लेप्पी बाइपास का निर्माण

137. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्लेप्पी बाइपास फेज–I का निर्माण–कार्य लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) से (ग) अलेपी बाइपास (कुल लंबाई 7.58 कि.मी.) का दो चरणों में निर्माण करने का प्रस्ताव है। चरण–I का कार्य अग्रिम स्तर पर है और मार्च, 2001 तक पूरा होने की उम्मीद है। बाइपास के चरण–II (3.85 कि.मी. लंबाई) का भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। बाइपास के चरण–II का निर्माण कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) के अंतर्गत शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके तकनीकी साध्यता अध्ययन को परामर्शदाताओं और राज्य के लो.नि.वि. द्वारा अंतिम रूप दिए जाने का कार्य अग्रिम स्तर पर है।

[हिन्दी]

पहाड़ी नमक में आयोडीन पाया जाना

138. श्री महेश्वर सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में द्रांग क्षेत्र में पहाड़ी नमक में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन की उपस्थिति का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वहां पहाड़ी नमक में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन पाए जाने के बाद सर्वेक्षण आरंभ करने का निर्णय लिया था; और

(घ) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण करने का निर्णय कब लिया गया था और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के द्रांग क्षेत्र से प्राप्त पहाड़ी नमक के नमूनों का विश्लेषण किया गया है। तथापि, रसायनिक विश्लेशणों के परिणामों में किसी भी मात्रा में आयोडीन नहीं पाई गई है।

गांवों का विद्युतीकरण

139. श्री मान सिंह पटेल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) इन गांवों में कुल कितनी बिजली की खपत हुई है; और

(ग) ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति सुधारने के लिए और कौन से कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 5,87,258 आबादी वाले गांव की तुलना में 5,07,216 गांव का सितंबर, 2000 के अंत तक विद्युतीकरण हो चुका है।

(ख) इन गांवों में खपत की जा रही बिजली की कुल मात्रा के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) गांव में विद्युतीकरण की स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा भारत सरकार की सहायता से ग्रामीण विद्युतीकरण एवं पम्प सैट ऊर्जीकरण से जुड़े कार्यक्रमों का वित्तपोषण, इसके अलावा आरईसी प्रणाली सुधार एवं लघु विद्युत उत्पादन में निवेश को वित्तपोषित कर रहा है। आरईसी द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को भी इस प्रकार सहायता दी जा रही है कि संपूर्ण ग्रामीण वितरण प्रणाली एकीकृत रूप से एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में अवलोकन के लिए मौजूद हो ताकि मौजूदा खामियों को अभिज्ञात कर इन्हें एल.टी. वितरण नेटवर्क के पुनः संयोजन और ऊर्जा मीटरों की संस्थापना, जो भी जरूरी है, के जरिए एक समयबद्ध तरीके से दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

बाघों का मारा जाना

140. श्रीमती रेणूका चौधरी :

श्री वाई. वी. राव :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अक्तूबर, 2000 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में 'टाइगर स्किन्स एट थ्रोअवे प्राइसिज इन ए.पी.' शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने श्रीसेलम नागार्जुन सागर टाइगर प्रोजेक्ट में बाघों की कथित हत्या के मामले में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या वन्य जीव और वन विभाग का कोई अधिकारी बाघों के चमड़े को उतारने के कार्य में संलिप्त रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आंध्र प्रदेश के मुख्य वन्यजीव संरक्षक ने वर्तमान वर्ष के दौरान इस राज्य में बाघों के अवैध शिकार की दो घटनाएं सूचित की हैं। तथापि, की गई जांच से आत्माकुरु में बाघ की खाल और पंजों की बिक्री के बारे में घटनाओं की पुष्टि नहीं हुई है। वर्ष 1989 के बाद श्रीसेलम नागार्जुन सागर बाघ परियोजना में बाघों की संख्या में गिरावट आई थी परंतु हाल ही के वर्षों में प्रबंध व्यवस्था में सुधार के कारण यह संख्या 1995 में 34 की तुलना में बढ़कर 1999 में 51 हो गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार

141. श्री जोरा सिंह मान :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत परियोजनाओं के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो पुनरुद्धार हेतु कुल अधिष्ठापित क्षमता में से कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध है;

(ग) इस संबंध में अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर देश में विद्युत की कितनी अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी हां, 1124 मे.वा. ताप–विद्युत क्षमता, जो इस समय लंबे समय से बंद पड़ी है, का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) उपरोक्त ताप–विद्युत यूनिटों का पुनरुद्धार किए जाने की अनुमानित लागत लगभग 807 करोड़ रुपये बैठती है।

(घ) इन यूनिटों के पुनरुद्धार के पश्चात् 1124 मे.वा. अतिरिक्त क्षमता के उपलब्ध होने की संभावना है।

[अनुवाद]

मनीआर्डर लागत

142. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीआर्डर की मौजूदा लागत क्या है और ऊंची लागत के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मनीआर्डर की लागत घटाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 1999–2000 (प्रोजेक्शन) के अनुसार एक मनीआर्डर की संचालन लागत 36.23 रु. है। मनीआर्डर की ऊंची लागत, प्रचालन लागत तथा अन्य खर्चों में वृद्धि के कारण हैं।

(ख) और (ग) पारेषण लागत कम करने के उद्देश्य से मनीआर्डर भेजने की पारंपरिक प्रणाली को वी–सैट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक पारेषण द्वारा बदला जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा मांगी गई केंद्रीय सहायता

143. श्री ए. वैंकटेश नायक :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से संबंधित राज्यों में राहत कार्य शुरू करवाने के लिए आपदा राहत कोष के अलावा केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य विशेषतः कर्नाटक द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार ने किस सीमा तक राज्य सरकारों की मांगों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को उसकी मांग की तुलना में कितनी अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रथमतः संबंधित राज्य सरकारों की होती है। भारत सरकार केवल समय–समय पर गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। लागू योजना के अनुसार, राज्यों को आपदा राहत कोष से वार्षिक आबंटन में केंद्र और राज्यों का अंशदान 3:1 के अनुपात में होता है। असाधारण गंभीरता वाली आपदाओं की स्थिति में आपदा राहत कोष के अलावा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से भी सहायता जारी की जाती थी। 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को 31 मार्च, 2000 से बंद कर दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों की मांगों और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से निर्मुक्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि			केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जारी की गई धनराशि		
		1997–98	1998–99	1999–2000	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1159.28	600.00	760.36	32.00	26.50	75.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	105.15	200.23	–	शून्य*	13.47	–
3.	असम	–	1001.98	–	–	59.90	–
4.	बिहार	428.82	1003.75	701.26	10.00	11.45	38.18
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	282.01	810.65	817.23	शून्य*	55.35	54.58
7.	हरियाणा	102.00	757.29	–	शून्य*	13.27	–
8.	हिमाचल प्रदेश	458.37	266.06	259.42	10.56	शून्य*	शून्य*
9.	जम्मू व कश्मीर	273.97	–	214.47	शून्य*	–	73.42
10.	कर्नाटक	621.55	1352.13	249.95	शून्य*	39.78	17.09
11.	केरल	342.00	1499.63	79.56	शून्य*	शून्य*	शून्य*
12.	मध्य प्रदेश	256.00	251.34	556.88	शून्य*	शून्य*	38.86
13.	महाराष्ट्र	–	152.34	–	–	शून्य*	–
14.	मणिपुर	–	–	24.00	–	–	4.93
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	35.08	–	–	6.00
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	570.70	445.59	7143.54	54.00	शून्य*	828.15
19.	पंजाब	–	1140.60	–	–	शून्य*	–
20.	राजस्थान	321.00	959.62	1144.40	शून्य*	21.98	102.93
21.	सिक्किम	43.92	141.41	–	5.52	7.67	–
22.	तमिलनाडु	621.55	–	–	25.00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	–	30.11	158.80	–	5.05	5.34
24.	उत्तर प्रदेश	566.07	2254.30	339.55	शून्य*	131.15	16.68
25.	पश्चिम बंगाल	177.00	813.93	750.33	शून्य*	66.33	29.52

*कुछ भी धनराशि जारी नहीं की गई क्योंकि इन आपदाओं को असाधारण तीव्रता वाली आपदा नहीं माना गया, जिसके लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता जारी की जाये।

कृषि के विकास हेतु सहायता

144. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री कांतिलाल भूरिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कृषि के विकास और बीज उत्पादन कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य को कुल कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या अनेक राज्य सरकारों द्वारा चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु और अधिक सहायता देने की मांग की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई सहायता कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान कृषि विकास के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्मुक्त धनराशि तथा उसमें बीज उत्पादन कार्यक्रमों के अंश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से इस वर्ष के 8.05 करोड़ रुपये के आबंटन और बीज वितरण के लिए पिछले वर्ष के अव्ययित शेष 5.05 करोड़ रुपये के अलावा 5.11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की सहमति के लिए उनके पास भेज दिया गया है।

विवरण

कृषि विकास और बीज उत्पादन के लिए निर्मुक्त धनराशि का विवरण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कृषि विकास के लिए कुल निर्मुक्त धनराशि		बीज उत्पादन के लिए निर्मुक्त धनराशि	
		1998–99	1999–2000	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7540.81	8217.88	0.00	6.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	528.87	592.55	4.20	6.50
3.	असम	600.00	543.11	0.00	9.65
4.	बिहार	591.46	519.65	0.00	10.00
5.	गोवा	237.72	200.07	2.94	12.17

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	5364.36	5507.6	10.17	15.00
7.	हरियाणा	2956.85	2939.4	5.99	13.50
8.	हिमाचल प्रदेश	1533.7	1240.16	0.00	7.50
9.	जम्मू और कश्मीर	1061.74	1088.36	0.00	31.38
10.	कर्नाटक	9429.92	8758.48	0.00	23.16
11.	केरल	4255.46	3181.32	4.50	21.50
12.	मध्य प्रदेश	8168.25	8201.21	15.61	29.26
13.	महाराष्ट्र	12611.17	12176.94	24.16	18.00
14.	मणिपुर	653.34	1125.58	0.00	15.40
15.	मेघालय	569.21	759.02	5.70	5.80
16.	मिजोरम	1408.75	1311.77	5.33	10.28
17.	नागालैंड	1626.31	1586.02	9.00	7.20
18.	उड़ीसा	3599.91	4725.85	39.00	51.30
19.	पंजाब	3231.31	2960.32	0.00	16.00
20.	राजस्थान	10242.02	9791.82	8.92	12.04
21.	सिक्किम	54.83	560.85	3.82	9.58
22.	तमिलनाडु	6484.51	6308.6	0.00	41.92
23.	त्रिपुरा	745.81	1124.08	4.98	11.00
24.	उत्तर प्रदेश	12205.96	10738.75	0.00	15.00
25.	पश्चिम बंगाल	1445.96	1650.08	0.00	18.00
	कुल	97598.43	95809.47	144.32	417.14

कछुओं का संरक्षण

145. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हाल ही में कछुओं की दुर्लभ किस्में भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कछुओं के संरक्षण हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जी, हां। अवैध रूप से पकड़े गए और एक एम्बेस्डर कार जिसका रजिस्ट्रेशन नं. ए एच डब्ल्यू 3949 था, से ले जाए जा रहे 336 समुद्री कछुओं को आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा दिनांक 15.10.2000 को पूर्वी गोदावरी जिले के गोकवरम में जब्त किया गया था। जब्त किए गए इन 336 समुद्री कछुओं में से 184 कछुए जीवित थे और इन्हें तत्काल गोदावरी नदी में छोड़ दिया गया। शेष 152 कछुए मरे हुए थे, जिन्हें पंचनामा करके दफना दिया गया। वन्यजीव (सुरक्षा)

अधिनियम, 1972 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार आरोपी व्यक्तियों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

केरल में सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति देना

146. श्री के. मुरलीधरन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा सड़क परियोजनाओं से संबंधित केरल के सभी 37 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) से (घ) केरल राज्य के लिए चालू वार्षिक योजना 2000–2001 में लगभग 75.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से केवल 29 सड़क परियोजनाओं (जिनमें प्रत्येक की लागत 50.00 लाख रु. से अधिक है) की स्वीकृति का प्रावधान है। इन 29 सड़क परियोजनाओं में से 12 सड़क परियोजनाओं को 26.70 करोड़ रु. की अनुमानित लागत (विवरण संलग्न है) से पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। एक सड़क परियोजना पर स्वीकृति के लिए कार्यवाही की जा रही है। शेष परियोजनाओं के प्रस्तावों की राज्य के लोक निर्माण विभाग से प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

राज्य : केरल

वार्षिक योजना 2000–2001 के अंतर्गत स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की सूची

		रा.रा.सं.	निर्माण कार्यों का नाम	कि.मी./मी. में लम्बाई	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	47	230–248/875 कि.मी.	18.88	3.25	स्वीकृत
2.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	17	292–305 कि.मी.	13.00	2.66	स्वीकृत
3.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	17	203/585–215 कि.मी	11.42	2.51	स्वीकृत
4.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	17	29-41 कि.मी.	12.00	1.74	स्वीकृत
5.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	17	110–125 कि.मी.	15.00	2.59	स्वीकृत
6.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	208	23–33 कि.मी.	10.00	1.78	स्वीकृत
7.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	208	66–76 कि.मी.	10.00	1.32	स्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7
8.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	47	525/172–538/165 कि.मी.	12.99	2.20	स्वीकृत
9.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	47	502/800–514/500 कि.मी.	11.70	2.10	स्वीकृत
10.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	49	261–274 कि.मी.	13.00	2.20	स्वीकृत
11.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	47	10–20 कि.मी. (त्रिवेन्द्रम बाइपास)	10.00	2.20	स्वीकृत
12.	सड़क की उपरि सतह की गुणवत्ता का सुधार	49	274–286/610 कि.मी.	12.61	2.16	स्वीकृत
			जोड़		26.70	

[हिन्दी]

फर्जी राष्ट्रीय बचत-पत्र और पोस्टल आर्डर

147. श्री पद्मसेन चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फर्जी राष्ट्रीय बचत–पत्रों और पोस्टल आर्डरों की बिक्री के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस रैकेट में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश में जाली राष्ट्रीय बचत–पत्रों/पोस्टल आर्डरों की बिक्री का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाघों की मौत

148. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री आर. एस. पाटील :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवंबर के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'इट इज ऑफिशियल नाऊ, प्रोजेक्ट टाइगर इस ए फ्लाप' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में प्राकृतिक संसाधनों को बचाने हेतु सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर और अन्य संबंधित योजनाएं पूर्ण रूप से विफल सिद्ध हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान वास्तव में कितने बाघ मरे या मारे गए; और

(ङ) देश की बहुमूल्य संपत्ति को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) संबंधित समाचार ने बाघ परियोजना के निदेशक के कथन को गलत ढंग से उद्धृत किया है जिसके लिए हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार को शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। बाघ परियोजना एक सफल संरक्षण प्रयास है और भारत सरकार, बाघ परियोजना के माध्यम से संरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का भरसक प्रयास अनवरत रूप से कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चालू वर्ष के दौरान मारे गए बाघों से संबंधित विवरण–I संलग्न है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय का ब्यौरा संलग्न विववरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

बाघों की मृत्यु–2000

राज्य का नाम	अवैध शिकार	अन्य कारण
असम	1	शून्य
केरल	1	शून्य
मध्य प्रदेश	2	5
महाराष्ट्र	–	1
राजस्थान	–	3
उत्तर प्रदेश	10	–
पश्चिम बंगाल	9	2
आंध्र प्रदेश	3 (1 चिड़ियाघर में)	–
कुल	26	11

विवरण-II

भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

राष्ट्रीय स्तर पर

1. सीमाकर विभाग, राजस्व आसूचना, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा बल सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस, कोस्ट गार्डस, राज्य पुलिस, उपनिदेशक, वन्यजीव संरक्षण एवं वैज्ञानिक संगठन यथा भारतीय वन्य प्राणी एवं वनस्पति सर्वेक्षण जैसा एनफोर्समेट एजेंसीज की सहायता से एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया ताकि वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके।

2. वन्यजीव उत्पादों के व्यापार एवं तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु उपरोक्त विभागों की क्रियाशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन।

3. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के प्रयासों में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सचिव (पर्यावरण एवं वन विभाग), विशेष सचिव (गृह), निदेशक, सी बी आई एवं केंद्रीय सीमा शुल्क तथा सीमाकर बोर्ड के अध्यक्ष के प्रतिनिधि को शामिल करके एक विशेष समन्वय समिति का गठन किया गया है।

4. संरक्षण अंतःसंरचना ढांचे को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को सशस्त्र सैन्य टुकड़ियों, वाहन, संचार नेटवर्क तथा पार्क प्रबंधकों के बीच तालमेल हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

5. खोज एवं सूचना कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्य निष्पादन तथा साहसिक कार्यों हेतु ईनाम इकराम की योजनाएं चलाई गई है।

6. राज्य सरकारों को कड़ी सतर्कता एवं गहन पेट्रोलिंग अपनाने की सलाह दी गई है।

7. सरकार के वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में गैर सरकारी संगठनों को एवं अन्य घटकों का सहयोग प्राप्त करने हेतु जन जागरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

8. बाघ व्यापार मार्गों का पता लगाने एवं बाघ उत्पादों तथा उसके शरीरांगों की पहचान हेतु फारेंसिक आइडेंटिफिकेशन मैन्युएल का विकास करने के लिए संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों का समर्थन कार्यक्रम।

9. संबंधित क्षेत्रों के बायोटिक प्रेशर में कमी लाने के लिए क्षेत्रों के पर्यावरण का विकास हेतु राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

10. बाघ परियोजना क्षेत्र में साइट स्पेसिफिक स्पेशल फोर्स का गठन।

11. देश में अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने हेतु स्पेशल स्ट्राइक फोर्स का गठन।

12. वन्यजीव व्यापार नियंत्रण ब्यूरो का सर्जन।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

1. बाघ उपलब्ध देशों के एक फोरम के गठन की शुरूआत तथा बाघ संरक्षण से संबंधित मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए एक मंच का गठन।

2. बाघ संरक्षण में सीमा बाह्य व्यापार पर अंकुश तथा पारस्परिक सहयोग–

   (i) चीन गणराज्य के साथ एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

   (ii) नेपाल के राजा के साथ एम ओ यू हस्ताक्षरित हो चुका है।

   (iii) बंग्लादेश के साथ बातचीत चल रही है।

3. भारत की पहल पर बाघ के शरीरांगों एवं उत्पादों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए सी आई टी ई एस में अनेकों संकल्प पारित किए जा चुके हैं।

4. मार्च 1999, में सहस्राब्दि बाघ सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बाघ के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण हेतु अनेक उपाय सुझाए गए।

आंध्र प्रदेश में वन विकास

149. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में वन विकास हेतु चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) अब तक कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में गरीब किसानों की उनके अविक्रीत 30 लाख आम के पौधों के विक्रय में मदद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार राज्य प्लान योजनाओं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं आदि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2000–01 हेतु आंध्र प्रदेश में वन विकास हेतु 16,431.99 लाख रुपए की राशि का आबंटन किया गया है। जिसमें से अब तक 14,864.542 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार ने वाटरशेड कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के साथ उपलब्ध पादप सामग्री को उपयोग करने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

राज्य बिजली बोर्डों द्वारा निधि के उपयोग हेतु नीति

150. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य बिजली बोर्ड औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनके पास स्वयं की बिजली होने के बावजूद बोर्ड से बिजली खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य बिजली बोर्डों और सरकारी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन इकाइयों की अल्पावधि नीति के कारण उनके द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु निवेश किए गए करोड़ों रुपये के अनुप्रयोग को रोकने के लिए कोई नीति बनाने का है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कलकत्ता से विद्युत मंत्रालय को एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि कुछ राज्य विद्युत बोर्ड कथित रूप से उन औद्योगिक यूनिटों को अनिवार्य रूप से आवश्यक बिजली का कुछ प्रतिशत खरीदने पर जोर दे रही हैं जिनकी अपनी कैप्टिव विद्युत है। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 44 के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्ड विभिन्न उद्योगों को कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने के लिए सक्षम हैं। इसे समाज के कुछ वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषि क्षेत्र को किफायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने की सामाजिक प्रतिबद्धता के कारण टैरिफ संरचना की व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए संतुलित रखना आवश्यक है।

(ग) भारत सरकार ने एक परिपत्र दिनांक 9 अक्तूबर, 1995 के द्वारा राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों को सलाह दी कि वे कैप्टिव विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन दें और ऐसा संस्थागत तंत्र तैयार करें जो कैप्टिव विद्युत प्रयोग को शीघ्रता से मंजूर करते हुए कैप्टिव विद्युत यूनिटों को विद्युत क्षेत्र में आसानी से प्रवेश दे जिससे कि विकासकर्त्ताओं को ग्रिड द्वारा अधिक बिजली की खरीद के लिए युक्तिसंगत टैरिफ मिले एवं तीसरे पक्ष को अन्य औद्योगिक यूनिटों को सीधे बिजली बिक्री के लिए संपर्क सूत्र उपलब्ध कराए।

[अनुवाद]

इंटरनेट टेलीफोनी

151. श्री मोइनुल हसन :
श्री भीम दाहाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इंटरनेट टेलीफोनी–सुविधा केंद्र खोलने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नेट टेलीफोनी शुरू करने के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

और सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे इंटरनेट सर्विस–प्रोवाइडर (आई.एस.पी.) को लाइसेंस प्रदान करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। हालांकि, योजना आयोग द्वारा भेजे गए नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (1997–2002) के परिप्रेक्ष्य में, इंटरनेट टेलीफोनी खोलने की पहचान एक मुख्य नीतिगत मामले के रूप में कर ली गई है, जिस पर अभी दूरसंचार–क्षेत्र में विचार किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य दस्तावेज अभी भेजा जाना है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) नई दूरसंचार नीति (एनटीपी) '99 के अनुसार, इस स्तर पर इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, सरकार प्रौद्योगिकीय आविष्कारों तथा राष्ट्रीय विकास में उनके प्रभाव पर निगरानी रखना और उपयुक्त समय पर इस मुद्दे की पुनरीक्षा करना जारी रखेगी।

एमटीएनएल के शेयरों से कम बाजार पूंजी की उगाही

152. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान शेयर बाजार में एमटीएनएल के शेयरों की बाजार कीमत में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एमटीएनएल ने कम बाजार पूंजी उगाही पर गंभीर चिंता जताई है;

(घ) यदि हां, तो क्या कंपनी भविष्य में अपने कार्य–निष्पादन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

मूंगफली की खेती

153. **श्रीमती हेमा गमांग** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में मूंगफली की खेती को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना किन–किन राज्यों में आरंभ की गई है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि उड़ीसा में मूंगफली की खेती की व्यापक संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो उड़ीसा में मूंगफली की खेती में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। मूंगफली सहित तिलहनों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 राज्यों में केंद्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को महत्वपूर्ण आदानों जैसे बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, छिड़काव यंत्रों, उन्नत कृषि उपस्करों, जिप्सम/पायराइट्स, सूक्ष्म पोषक तत्वों, राइजोबियम कल्चर आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा उन्नत उत्पादन एवं उन्नत उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार हेतु किसानों के खेतों पर अग्रणी तथा सामान्य प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

(ग) उन राज्यों की सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है जिनमें तिलहन उत्पादन कार्यक्रम संबंधी स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) और (ङ) सभी नौ तिलहन फसलों अर्थात् मूंगफली, रेपसीड–सरसों, तिल, रामतिल, अरण्ड, अलसी, सूरजमुखी तथा सोयाबीन के विकास हेतु उड़ीसा को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में पहले ही शामिल किया गया है। इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु उड़ीसा के 13 चुनिंदा जिलों को कवर किया गया है जिनमें मूंगफली सहित विभिन्न तिलहन फसलों की खेती की संभावना है। चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उक्त राज्य को 420.00 लाख रुपये की राशि आबंटित की गयी है।

विवरण

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों की सूची

क्र.सं.	राज्य
1.	आंध्र प्रदेश
2.	बिहार
3.	गुजरात
4.	हरियाणा
5.	हिमाचल प्रदेश
6.	जम्मू और कश्मीर
7.	कर्नाटक
8.	केरल
9.	मध्य प्रदेश
10.	महाराष्ट्र
11.	उड़ीसा
12.	पंजाब
13.	राजस्थान
14.	तमिलनाडु
15.	उत्तर प्रदेश
16.	पश्चिम बंगाल
17.	गोवा
18.	अरुणाचल प्रदेश
19.	असम
20.	मणिपुर
21.	मेघालय
22.	मिजोरम
23.	नागालैंड
24.	त्रिपुरा
25.	सिक्किम

चावल का उत्पादन

154. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर. एस. पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब में चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या चावल के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम सहित इस चावल को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त राज्यों में चावल की खरीद हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या चावल के समर्थन मूल्य के अभाव में कुछ राज्य किसानों को अन्य फसलें बोने की सलाह दे रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब में चावल के कुल उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

राज्य	कुल उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)		
	1996–97	1997–98	1998–99
कर्नाटक	3.21	3.21	3.60
आंध्र प्रदेश	10.69	8.51	11.43
पंजाब	7.33	7.90	7.94
अखिल भारत	81.73	82.54	86.00

(ग) से (च) हाल के वर्षों में चावल की रिकार्ड खरीद की गई है। वर्ष 1999–2000 के दौरान चावल की कुल खरीद वर्ष 1998–99 में 12.53 मिलियन मीटरी टन की तुलना में 18.21 मिलियन मी. टन थी। पिछले वर्षों की तरह चालू वर्ष के दौरान भी चावल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है तथा अब तक खरीद 8.06 मिलियन मी. टन के स्तर तक पहुंच गई है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.90 मिलियन मी. टन थी।

[हिन्दी]

बीजों की आवश्यकता

155. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बीजों की वार्षिक आवश्यकता की मात्रा का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उक्त आवश्यकता की पूर्ति किस स्रोत से पूरी की जाती है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त आवश्यकता की पूर्ति को पूरा करने तथा आयातित बीजों पर निर्भरता कम करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों से एकत्र जानकारी के अनुसार वर्ष 2000–2001 के दौरान प्रमाणित तथा गुणवत्ता बीजों की आवश्यकता 96,71,306 क्विंटल है।

(ग) बीजों की आवश्यकता की पूर्ति दो केंद्रीय बीज निगमों तथा 13 राज्य बीज निगमों, राज्य कृषि विभागों, राज्य बीज फार्मों, सहकारी समितियों, निजी बीज कंपनियों आदि द्वारा की जाती है।

(घ) और (ङ) देश बीजों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर नहीं है। देश में वितरित प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों में आयातित बीज बहुत कम होते हैं। आयात पर निर्भरता का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मौजूदा नीति के अनुसार किसी भी बीज के भारी मात्रा में आयात की अनुमति केवल दो वर्षों के लिए दी जाती है और इस दौरान संबंधित कंपनी को देश में ही उसकी उत्पादन क्षमता विकसित करना अपेक्षित है।

प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता तथा बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार बीजों तथा रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए विभिन्न फसल विकास स्कीमों जैसे चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों से संबंधित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों से संबंधित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, मोटे अनाज से संबंधित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, विशेष पटसन विकास कार्यक्रम, गहन कपास विकास कार्यक्रम, गन्ना आधारित फसल क्षेत्रों का सतत विकास, कंद एवं मूल फसलों सहित सब्जियों का समेकित विकास, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय एवं शुष्क क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास, नारियल विकास कार्यक्रम, मसाला विकास कार्यक्रम एवं काजू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को सहायता देती है।

[अनुवाद]

प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

156. श्री हरिभाई चौधरी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास प्राथमिकता के आधार पर कर रही है;

(ख) यदि हां, तो केंद्रीय सड़क निधि (सेंट्रल रोड फंड) हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) गुजरात राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कितनी राशि स्वीकृत तथा आबंटित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000–2001 के दौरान केंद्रीय सड़क कोष से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव का हिस्सा 2010 करोड़ रु. है।

(ग) वर्ष 2000–2001 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 8810.00 लाख रु. और राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव के लिए 1950.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की कीमत में वृद्धि

157. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की कीमत में वृद्धि करने की वजह से इसकी बिक्री कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिक्री बढ़ाने के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) 1.3.2000 से दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के बिक्री मूल्य में वृद्धि होने के बाद से बिक्री मूल्य में वृद्धि से पहले की अपेक्षा दूध की बिक्री कम हो गयी है।

(ख) और (ग) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

1. रियायत प्राप्तकर्त्ताओं तथा डिपो एजेंटों के लिए कमीशन में वृद्धि;
2. प्रतिदिन 100 लीटर दूध से अधिक दूध खरीदने वाले उपभोक्ता दल को प्रोत्साहन देना;
3. होम डिलीवरी कार्डों को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है;
4. प्रातः और सायं दोनों ही पालियों के लिए डिपो के खुलने और बंद होने का समय उपभोक्ताओं की सुविधा के अनुसार बढ़ा दिया गया है;
5. थोक आपूर्ति का नया वितरण चैनल शुरू किया गया है;
6. दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की आपूर्ति का क्षेत्र बढ़ाया गया है;
7. क्षेत्र फील्ड अधिकारी को नए एजेंटों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है;
8. पूर्ण क्रीमयुक्त दूध की शुरूआत;
9. सभी प्रकार के दूध के लिए आधा लीटर पॉली पेक की शुरूआत;
10. विभिन्न कालोनियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार गाड़ियों की शुरूआत;
11. बिक्री बढ़ोत्तरी के लिए प्रोत्साहन;
12. हैंड बिलों, पोस्टरों, बैनरों तथा प्रेस/अखबारों के माध्यम से दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का व्यापक प्रचार;
13. फील्ड स्टाफ तथा उत्पादन स्टाफ का प्रशिक्षण;
14. जन जागरूकता शिविर का आयोजन।

[अनुवाद]

सिक्किम में केंद्र द्वारा प्रायोजित पर्यावरण परियोजना

158. श्री भीम दाहाल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सिक्किम में आरंभ की गई केंद्र द्वारा प्रायोजित पर्यावरण परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में राज्य में कोई अन्य पर्यावरण परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों में सिक्किम में शुरू की गई केंद्रीय प्रायोजित पर्यावरण परियोजनाओं का विवरण और प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

राज्य में इन सभी परियोजनाओं को निकट भविष्य में जारी रखा जाएगा।

विवरण

वित्तीय : लाख रुपए में

वास्तविक : क्षेत्र, हैक्टेयर में

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियां					
		1997–1998		1998–1999		1999–2000	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बाघ रिजर्व सहित महत्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर पारि–विकास	–	–	–	05.85	–	32.63

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	एकीकृत वनीकरण और पारि–विकास परियोजना	340	91.20	2560	214.59	2050	109.82
3.	क्षेत्रीय जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजना	1075	69.99	735	67.18	780	69.52
	कुल	1445	161.19	3295	287.62	2830	211.97

पर्यावरण संरक्षण

159. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और विदेशों में पर्यावरण की दशा बदतर होने के कारणों का पता लगाने और पर्यावरण की स्थिति का अध्ययन करने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों और प्रशासकों के प्रतिनिधिमंडल का एक दल भारत से विदेश गया था और साथ ही ऐसा ही एक प्रतिनिधिमंडल विदेशों से भारत आया था;

(ख) क्या सरकार का पर्यावरण संरक्षण में आधुनिकतम प्रौद्योगिकीय विकास आरंभ करने और विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता से देश में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से निपटने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में चालू और निकट भविष्य में आरंभ की जाने वाली इन परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) क्या देश में इन परियोजनाओं की निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की गई थी; और

(च) यदि हां, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निगरानी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (च) पर्यावरणीय संरक्षण एक सतत प्रयास है। भारत सरकार द्वारा देश में पर्यावरण की स्थिति को नियमित आधार पर ध्यानपूर्वक मानीटर किया जाता रहा है। इस प्रयोजन के लिए विचारों के आदान–प्रदान, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और विभिन्न मंचों में भाग लेकर उपयुक्त परामर्शों तथा परस्पर दौरों के माध्यम से सरकार द्वारा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में सहयोग किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और हमारे वनों की सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रौद्योगिक और वित्तीय सहायता के बारे में भी सफलतापूर्वक बातचीत की जा रही है। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने विधिवत अध्यादेश तैयार किए हैं जिनमें प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं को मानीटर करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

160. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 के अंत तक देश में जिन स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी दिशाओं और महानगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरों से संबंधित एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) देश में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क सभी राज्यों की राजधानियों और सामान्यतः महानगरों, अन्य महत्वपूर्ण नगरों और कस्बों, औद्योगिक केंद्रों, महापत्तनों, पर्यटन स्थलों आदि को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार/विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप में किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	रा.रा. सं.	मार्ग
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	थाणे के समीप रा रा 3 का चौराहा–पुणे–बेलगांव–हुबली–बंगलौर–रानीपेत–चेन्नै
		5	झारपोखरिया के समीप रा रा 6 का चौराहा–कटक–भुवनेश्वर–विशाखापट्टनम–विजयवाड़ा–चेन्नै
		7	वाराणसी–मांगवान–रीवा–जबलपुर–लखनडन–नागपुर–हैदराबाद–कुरनूल–बंगलौर–कृष्णागिरि–सलेम–डिंडीगुल–मदुरै–कन्याकुमारी
		9	पुणे–सोलापुर–हैदराबाद–विजयवाड़ा–वुयूरू–मछलीपट्टणम
		16	निजामाबाद–जगदलपुर
		18	चित्तुर–कुरनूल
		43	रायपुर–विजयनगरम–नटवालशा के समीप रा रा 5 का चौराहा
		63	अंकोला–हुबली–हासपेत–गूटी
		202	हैदराबाद–वारंगल–वेंकटपुरम–भोपालपट्टणम
		205	अनंतपुर–कादरी–तिरुपति–रेनूगुंटा–तिरुतनि–चेन्नै
		214	कातीपुडी–काकीनाडा–पामुरू
		219	मदनपल्ली–कुप्पम–कृष्णागिरि
2.	अरुणाचल प्रदेश	52	बैहाताचाली–तेजपुर–बंदेर–देवा–उत्तरी लखीमपुर–पासीघाट–तेजू– सीतापानी–सेखावघाट के समीप रा रा 37 का चौराहा
		52ए	बंदेर–देवा–इटानगर–गोहपुर
		153	लीडो–भारत/म्यांमार सीमा (स्टिलवैल रोड)
3.	असम	31	बरही के समीप रा रा 2 का चौराहा–बख्तियारपुर–मोकामेह–पूर्णिया–डलकोला–सिलीगुड़ी–शिवोक–कूचबिहार–उत्तरी सलमारा–नालबाड़ी–चरली–रा रा 37 के साथ अमीनगांव चौराहा
		31बी	उत्तरी सलमारा–जोगीघोपा
		31सी	गलगलिया–बागडोगरा–चलसा नगर–कटागोयर–काटा–बालूगांव–हांसीमारा–राजभाट खावा–कोच्चूगांव–सिडली–बिजनी के समीप रा रा 31 का चौराहा
		36	नौगांव–दबाका–दीमापुर (मणिपुर सड़क)
		37	पंचरत्न–सोलपाड़ा–गुवाहाटी–जोरहाट–कुमारगांव–माकूम–सैखोवाघाट
		37ए	कुआरी ताल–तेजपुर के समीप
		38	माकूम–लीडो–लेखापानी

1	2	3	4
		39	नुमालीगढ़–इम्फाल–मौरे–भारत/बर्मा सीमा
		44	शिलांग–पासी–बदरपुर–अगरतला–सबरूम
		51	पैकन–तुरा–डालू
		52	मैयाता चरली–तेजपुर– बंद्रेरदेवा–उत्तरी लखीमपुर–पासीघाट–तेजू–सीतापानी–सैखोवाघाट के समीप रा रा 37 का चौराहा
		52ए	बंदेर–देवा–ईटानगर–गोहपुर
		52बी	कुलाजान–रा रा 37 के साथ चौराहा
		53	बदरपुर के समीप रा रा 44 का चौराहा–जिरीघाट–सिल्चर–इम्फाल
		54	डबाका–लुमडिंग–लमडिंग हाफलांग– सिल्चर–आइजोल–थैरियट–तुईपांग
		61	कोहिमा–वोखा–मुकोकचंग–आमगुरी–झांजी
		62	दामरा–बाघमारा
		151	करीमगंज–फिरकंड–अकबरपुर–बंगलादेश सीमा
		152	पथचरकुची–हजूरा–भुटान सीमा
		153	लीडो–भारत/म्यांमार सीमा (स्टिलवैल रोड)
		154	धालेश्वर–भैरवी–कानपुई
4.	बिहार और झारखंड	2	दिल्ली–मथुरा–आगरा–सिकन्दरा–बारा–कानपुर–इलाहाबाद–वाराणसी–मोहनिया– बरही–पालसित–बैद्यबती बारा–कलकत्ता
		6	हजीरा–सूरत–धुले–नागपुर–रायपुर–सम्बलपुर–बहरागोरा–कलकत्ता
		19	गाजीपुर–बलिया–हाजीपुर–पटना
		23	चास–रांची–राउरकेला–तल्चर–रा रा 42 का चौराहा
		28	बरौनी के समीप रा रा 31 का चौराहा–मुजफ्फरपुर–पीपराकोठी–गोरखपुर–लखनऊ
		28ए	पीपराकोठी में रा रा 28 का चौराहा–सगोली–रक्सोल–भारत/नेपाल सीमा
		30	मोहनिया के समीप रा रा 2 का चौराहा–पटना–भक्तियारपुर
		30ए	फतुआ–चांदी–हारनौत–साकसोहरा–बाढ़
		31	बरही के समीप रा रा 2 का चौराहा–भक्तियारपुर–मौकामेह–पूर्णिया–डलकोला–सिलीगुड़ी–शिवोक–कूचबिहार–उत्तरी सलमारा–नालवाड़ी–चरली–रा रा 37 के साथ अमीनगांव चौराहा
		32	गोविन्दपुर के समीप रा रा 2 का चौराहा–धनबाद–जमशेदपुर
		33	बरही के समीप रा रा 2 का चौराहा–रांची–बहरागोरा के समीप रा रा 6 का चौराहा

1	2	3	4
		57	मुजफ्फरपुर–दरभंगा–तेवतिया–फारबिसगंज–पूर्णिया
		75	ग्वालियर–झांसी–छतरपुर–रीवा–रेनूकुट–गरवा–डालटनगंज–रांची
		77	हाजीपुर–मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी–सोनवर्षा
		78	कटनी–सहडोल–नागर–अम्बिकापुर–जसपुर नगर–गुमला
		80	मोकामा–मुंगेर–भागलपुर–साहिबगंज–राजमहल–फरक्का
		81	कोरा–कटिहार–मालदा
		82	गया–राजगिर–बिहार शरीफ–मोकामा
		83	पटना–पुनपुन–गया–बोधगया–दोभी
		84	आरा–भोजपुर–बक्सर
		85	छपरा–सिवान–गोपालगंज
		98	पटना–फुलवाड़ी–भुसोला–नौबतपुर–विक्रम–अरवाल–औरंगाबाद–अम्बा–छतरपुर–नावा–राजहारा–(रा रा सं. 75)
		99	दोभी–चत्र–बालूमठ–चन्दवा (रा रा सं. 75)
		100	चत्र–सिमरिया–हजारीबाग–विष्णुगढ़–बागोदर (रा रा सं. 2)
		101	छपरा–बेनियापुर–महाराजगंज–बरौली (रा रा सं. 28)
		102	छपरा–रीवाघाट–मुजफ्फरपुर
		103	हाजीपुर–मुशरीग्राम
		104	चकिया–नरहर पाकरी पुर–मधुबन–शिवहर–सीतामढ़ी हारलखी–उमगांव–जयनगर–खतौना–नरहरिया
		105	दरभंगा–औंसी–जयनगर
		106	मधेपुर–बिहपुर
		107	महेशकुंत–सोनवर्षाराज–सिमढ़ी–भक्तियारपुर–बरीहाई–सहरसा–बैनाथपुर– मधेपुरा–मुरलीगंज पूर्णिया
5.	चंडीगढ़	21	चंडीगढ़ के समीप रा रा 22 का चौराहा–रोपड़–बिलासपुर–मंडी–कुल्लू मनाली
6.	दिल्ली	1	दिल्ली–अम्बाला–जालंधर–अमृतसर–भारत/पाक सीमा
		2	दिल्ली–मथुरा–आगरा–सिकन्दरा–बारा–कानपुर–इलाहाबाद–वाराणसी–मोहनिया–बरही–पालसित–बैद्यबती बारा–कलकत्ता
		8	दिल्ली–जयपुर–अजमेर–उदयपुर–अहमदाबाद–बड़ोदरा–मुंबई

1	2	3	4
		10	दिल्ली–फजल्का–भारत/पाक सीमा
		24	दिल्ली–बरेली–लखनऊ
7.	गोवा	4ए	बेलगांव–अनमोड–पोंडा–पणजी
		17	पनवेल–महद–पणजी–कारवार–मंगलौर–कोन्नानोर–कालीकट–फैरोख–कुट्टीपुरम–पुडू–पोनापी–चोघाट–करंगानूर–इडापल्ली के समीप रा रा 47 का चौराहा
		17ए	कोरटालिम मुरगांव के समीप रा रा 17 का चौराहा
		17बी	पोंडा–बोरिम–वर्णा–वास्को
8.	गुजरात	एन ई–1	अहमदाबाद–नदियाड–आनन्द–वडोदरा
		6–विस्तार	हजीरा–सूरत–धुले–नागपुर–रायपुर–सम्बलपुर–कलकत्ता
		8	दिल्ली–जयपुर–अजमेर–उदयपुर–अहमदाबाद–बड़ोदरा–मुंबई
		8ए	अहमदाबाद–लिम्बड़ी–कांडला–मुंद्रा–मांडवी
		8बी	बामनबोरे–राजकोट–पोरबंदर
		8सी	चिलोडा–गांधीनगर–सरखेज
		8डी	जैतपुर–जूनागढ़–कैशोड़–सोमनाथ
		8ई	सोमनाथ–भावनगर
		14	बेवर–सिरोही–राधनपुर
		15	पठानकोट–अमृतसर–भटिंडा–गांधीनगर–बीकानेर–जैसलमेर–बाड़मेर–समखयाली
		59	अहमदाबाद–बालासिनोर–सेवालिया–गोधरा–लिमखेड़ा–दोहद–झबुआ–सरदारपुर– धार–इंदौर
9.	हरियाणा	1	दिल्ली–अम्बाला–जालंधर–अमृतसर–भारत/पाक सीमा
		2	दिल्ली–मथुरा–आगरा–सिकन्दरा–बारा–कानपुर–इलाहाबाद–वाराणसी–मोहनिया– वरही–पालसित–बैद्यबती बारा–कलकत्ता
		8	दिल्ली–जयपुर–अजमेर–उदयपुर–अहमदाबाद–बड़ोदरा–मुंबई
		10	दिल्ली–फजल्का–भारत/पाक सीमा
		21ए	पिंजौर–बाडी–नालागढ़–स्वरघाट
		22	अम्बाला–कालका–शिमला–नरकंडा–रामपुर–चैन्नै–भारत/तिब्बत सीमा के समीप शिपकिला
		64	चंडीगढ़–राजपुरा–पटियाला–संगरूर– भटिंडा–डबवाली
		65	अम्बाला–कैथल–हिसार–फतेहपुर–जोधपुर–नागौर–पाली

1	2	3	4
		71	जालंधर–मोगा–बरनाला–संगरूर–नरवाना–रोहतक–झज्जर–बावल
		71क	रोहतक–गोहाना–पानीपत
		72	अम्बाला–नाहन–पाउन्टा साहिब–देहरादून–ऋषिकेष (हरिद्वार)
		73	रुड़की–सहारनपुर–यमुनानगर–साह–पंचकुला
10.	हिमाचल प्रदेश	1क	जालंधर–पठानकोट–श्रीनगर–उरी
		20	पठानकोट–मंडी
		21	चंडीगढ़ के समीप रा रा 22 का चौराहा–रोपड़–बिलासपुर–मंडी–कुल्लू–मनाली
		21क	पिन्जौर–नालागढ़–स्वरघाट
		22	अम्बाला–कालका–शिमला–नारकंडा–रामपुर–चीन–भारत/पाक सीमा
		70	जालंधर–होशियारपुर–हमीरपुर–टोनी देवी–आहवा देवी–धरमपुर–मंडी
		72	अम्बाला–नाहन–पाउंटा साहिब–देहरादून–ऋषिकेष (हरिद्वार)
		88	शिमला–बिलासपुर–हमीरपुर–नादौन–रानीताल–कांगड़ा–भवन (रा रा 20)
11.	जम्मू और कश्मीर	1क	जालंधर–माधोपुर–जम्मू–बनिहाल–श्रीनगर–बारामूला–उरी
		1ख	बटोट–डोडा–किस्तवार–छतरी–सिम्थन मैदान–सिम्थन–खानाबल (श्रीनगर)
		1ग	डोमल–कटरा
12.	कर्नाटक	4	थाणे के समीप रा रा 3 का चौराहा–पुणे–बेलगांव–हुबली–बेंगलूर–रानीपेत–मद्रास
		4क	बेलगांव–अनमोद–पौंडा–पणजी
		7	वाराणसी–मंगावन–रीवा–जबलपुर–लखनडन–नागपुर–हैदराबाद–करनूल–बंगलूर–कृष्णागिरि–सलेम–डिंडीगुल–मदुरै–कन्याकुमारी
		9	पुणे–शोलापुर–हैदराबाद–विजयवाड़ा–मछलीपट्टनम
		13	शोलापुर–चित्रदुर्ग–शिमोगा–तीर्थहल्ली–मंगलूर
		17	पनवेल–महद–पणजी–कारवार–मंगलौर–कोन्नानोर–कालीकट–फैरोख–कुट्टीपुरम–पुडू पोनापी–चोघाट–करंगानूर–इडापल्ली के समीप रा रा 47 का चौराहा
		48	बंगलूर के समीप नीलमंगला–हसन–मंगलूर
		63	अंकोला–हुबली–होसपेट–गूटी
		206	तुमकुर–शिमोगा–होनावर
		207	होसूर–सुरजापुर–देवनहल्ली–डोडा बल्लापुर–नीलमंगला

1	2	3	4
		209	डिंडीगुल–पौलाची–कोयम्बतूर–अनूर–सत्यमंगलम–कामराजनगर–कोलेगल–बंगलूर
		212	कोजीकोड–मैसूर–कोलेगल
13.	केरल	17	परवेल–महद–पणजी–कारवार–मंगलौर–कोन्नानोर–कालीकट–फैरोख–कुट्टीपुरम–पुडू पोनापी–चोघाट–करंगानूर–इडापल्ली के समीप रा रा 47 का चौराहा
		47	सलेम–कोयम्बतूर–त्रिचूर–अर्णाकुलम–त्रिवेन्द्रम–कन्याकुमारी
		47क	कोची में रा रा 47 के बाइपास पर समाप्त होने वाला विलिंगडन द्वीप
		49	धनुषकोडि–मदुरै–कोचीन
		208	कोल्लाम–पुनालुर–तेनकाशी–राजापालायम–श्रीविलीपुतलूर–तिरुमंगलम
		212	कोजीकोड–मैसूर–कोलेगल
		213	पालघाट–कोजीकोड
		220	कोल्लाम–तेनी
14.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	3	आगरा–ग्वालियर–शिवपुरी–इंदौर–धुले–नासिक–थाणे–मुंबई
		6	हजीरा–सूरत–धुले–नागपुर–रायपुर–सम्भलपुर–बहरागोरा–कलकत्ता
		7	वाराणसी–मंगावन–रीवा–जबलपुर–लखनऊन–नागपुर–हैदराबाद–करनूल– बंगलूर–कृष्णागिरि–सलेम–डिंडीगुल–मदुरै–कन्याकुमारी
		4	थाणे के समीप रा रा 3 का चौराहा–पुणे–बेलगांव–हुबली–बंगलूर–रानीपेत–मद्रास
		12	जबलपुर–भोपाल–बिओरा–राजगढ़–खिलचीपुर–अकलेरा–झलावर–कोटा–बूंदी–देवली–टॉक–जयपुर
		12ए	जबलपुर–मंडला–चिल्पी–शिमगा (रायपुर)
		16	निजामाबाद–जगदलपुर
		25	लखनऊ–कानपुर–झांसी–शिवपुरी
		26	झांसी–लखनऊन
		27	इलाहाबाद–मंगावन
		43	रायपुर–विजयनगरम–नटवलसा के समीप रा रा 5 का चौराहा
		59	अहमदाबाद–बालासिनौर–दोहद–धाड़–इंदौर
		59ए	इंदौर–बेतूल
		69	नागपुर–औबेदुल्लागंज
		75	ग्वालियर–झांसी–खजुराहो–छतरपुर–पन्ना–सतना–रीवा–रेनूकूट–गर्वा–डाल्टनगंज–रांची

1	2	3	4
		76	पिंडवारा–उदयपुर–मंगारवार–चित्तोड़गढ़–कोटा–शिवपुरी–झांसी–महोवा–बांदा–कार्वी–मउ–इलाहाबाद
		78	कटनी–शाहडोल–नागपुर–अम्बिकापुर–जसपुरनगर–गुमला
		79	अजमेर–नजीराबाद–भीलवाड़ा–चित्तौड़गढ़–नयागांव–नीमच–रतलाम–धाट बिलोड (इंदौर)
		86	कानपुर–छरतपुर–सागर–राहतगढ़
		90	भोगांव–इटावा–ग्वालियर
		200	रायपुर–बिलासपुर–देवगढ़–तल्चर–चंडीखोल
		202	हैदराबाद–वारंगल–वैंकटपुरम–भोपालपट्टनम
		216	रायगढ़–सारंगढ़–सरायपल्ली
		217	रायपुर–गोपालपुर
15.	महाराष्ट्र	3	आगरा–ग्वालियर–शिवपुरी–इंदौर–धुले–नासिक–थाणे–मुंबई
		4	थाणे के समीप रा रा 3 का चौराहा–पुणे–बेलगांव–हुबली–बंगलूर–रानीपेत–चेन्नई
		4बी	न्हावा–शेवा–कालम्बोली–पाल्सपे
		6	हजीरा–सूरत–धुले–नागपुर–रायपुर–सम्भलपुर–बहरागोरा–कलकत्ता
		7	वाराणसी–मंगावन–रीवा–जबलपुर–लखनडन–नागपुर–हैदराबाद–करनूल–बंगलूर–कृष्णागिरि–सलेम–डिंडीगुल–मदुरै–कन्याकुमारी
		8	दिल्ली–जयपुर–अजमेर–उदयपुर–अहमदाबाद–बड़ोदरा–मुंबई
		9	पुणे–शोलापुर–हैदराबाद–विजयवाड़ा–मछलीपट्टनम
		13	शोलापुर–चित्रदुर्ग–मंगलौर
		16	निजामाबाद–जगदलपुर
		17	पनवेल–महद–पणजी–कारवार–मंगलौर–कोन्नानोर–कालीकट–फैरोख–कुट्टीपुरम–पुडू पोनापी–चोघाट–करंगानूर–इडापल्ली के समीप रा रा 47 का चौराहा
		50	नासिक–पुणे के समीप रा रा 4 का चौराहा
		69	नागपुर–औबेदुल्लागंज
		204	रत्नागिरि–हथखंबा–पाली–शकारपा–मल्कापुर–कोल्हापुर
		211	शोलापुर–उस्मानाबाद–औरंगाबाद–धुले
16.	मणिपुर	39	नुमालीगढ़–इम्फाल–मोरे–भारत/बर्मा सीमा
		53	बदरपुर–जिरीघाट–सिल्चर–इम्फाल के समीप रा रा 44 का चौराहा

1	2	3	4
		150	आइजोल–तिपैमुख–चूरचंदपुर–इम्फाल–उखरूल–जेसामी–कोहिमा
17.	मेघालय	40	जोराबाट–शिलांग–डाकी के समीप भारत/बंगलादेश सीमा–अमलरेन–जोवई
		44	शिलांग–जोवई–बदरपुर–अगरतल्ला–सबरूम
		51	पैकन–तुरा–डालु
		62	डामरा–बाघमरा–डालु
18.	मिजोरम	44ए	आइजोल–सैराग–लेंगपुई–मामीत–मनु
		54	सिल्चर–आइजोल–थेरीयात–तुईपंग
		54ए	लुंगलुई–थेरीयाता
		54बी	वीनस सैडल–साइहा
		150	आइजोल–तिपाईमुख–चुड़ाचन्दपुर–इम्फाल–उखरूल–जेसामी–कोहिमा
		154	धालेश्वर–मैरवी–कनपुई
19.	नागालैंड	36	नौगंग–दबाका–दीमापुर (मणिपुर सड़क)
		39	नुमालीगढ़–इम्फाल–मोरेह–भारत/बर्मा सीमा
		61	कोहिमा–वोखा–मुकोकचंग–अम्गुरी–झांजी
		150	आइजोल–तिपाईमुख–चुड़ाचन्दपुर–इम्फाल–उखरूल–जैसामी–कोहिमा
20.	उड़ीसा	5	झरपोखरिया के समीप रा रा 6 का चौराहा–कटक–भुवनेश्वर–विशाखापत्तनम–विजयवाड़ा–मद्रास
		5ए	हरिदासपुर के समीप रा रा 5 का चौराहा–पारादीप पत्तन
		6	हजीरा–सुरत–धुले–नागपुर–रायपुर–संबलपुर–भरागोरा–कलकत्ता
		23	चास–रांची–राउरकेला–तलचर रा रा 42 का चौराहा
		42	संबलपुर के समीप रा रा 6 का चौराहा–अंगुल–कटक के समीप रा रा 5 का चौराहा
		43	रायपुर–विजयनगरम–नटवलसा के समीप रा रा 5 का चौराहा
		60	बालासोर–रूपबास–जालेश्वर–दंतन–बेल्दा–कशबा–नयनगढ़–खड़गपुर–विशनपुर–बंकुरा–आसनसोल
		200	रायपुर–विलासपुर–देवगढ़–तलचर–धंडीखोल
		201	बोरीगम्मा–भवानीपटना–बोलनगीर–बारापल्ली–बारगढ़
		203	भुवनेश्वर–पुरी
		215	पनीकोली–क्योंझर–राजामुंडा
		217	रायपुर–गोपालपुर

1	2	3	4
21.	पंजाब	1	दिल्ली–अम्बाला–जालंधर–अमृतसर–भारत/पाक सीमा
		1ए	जालंधर–माधोपुर–जम्मू–बनिहल–श्रीनगर–बारामूला–उरी
		10	दिल्ली–फाजिल्का–भारत/पाकिस्तान सीमा
		15	पठानकोट–अमृतसर–भटिंडा–गंगानगर–बीकानेर–जैसलमेर–बाड़मेर–समखीयली
		20	पठानकोट–मंडी
		21	चंडीगढ़ के पास रा रा 22 का चौराहा–रोपड़–विलासपुर–मंडी–कुल्लू–मनाली
		22	अम्बाला–कालका–शिमला–नारकांडा–रामपुर–शिपकिला के पास चीन–भारत/तिब्बत सीमा
		64	चंडीगढ़–राजपुरा–पटियाला–संगरूर–भटिंडा–ढबवाली
		70	जालंधर–होशियारपुर–टोनीदेवी–आहवा देवी–धर्मपुर–मंडी
		71	जालंधर–मोगा–बरनाला–संगरूर–नरवाना–रोहतक–झज्जर–बावल
		95	खरार–समराला–लुधियाना–जगरोन–फिरोजपुर
22.	पांडिचेरी	45क	विल्लुपुरम–पांडिचेरी–चिदम्बरम–नगापटनम
		66	पांडिचेरी–तिन्बेदरम–कृष्णनगरी
23.	राजस्थान	3	आगरा–ग्वालियर–सीवपुरी–इंदौर–धौली–नासिक–थाने–मुंबई
		8	दिल्ली–जयपुर–अजमेर–उदयपुर–अहमदाबाद–बड़ोदरा–मुंबई
		11	आगरा–जयपुर–बीकानेर
		11क	मनोहरपुर–दौसा
		12	जबलपुर–भोपाल–बायाओरा–झालावार–कोटा–बुंदी–जयपुर
		14	ब्यावर–सिरोही–राधनपुर
		15	पठानकोट–अमृतसर–भटिंडा–गंगानगर–बीकानेर–जैसलमेर–बाड़मेर–समाखियाली
		65	अंबाला–कैथल–हिसार–फतेहपुर–जोधपुर–नागौर–पाली
		76	पिंडवाडा–उदयपुर–मंगरवार–चित्तौड़गढ़–कोटा–शिवपुरी–झांसी–महुबा–बांदा–करवी–मऊ–इलाहाबाद
		79	अजमेर–नसीराबाद–भीलवाड़ा–चित्तौड़गढ़–नयागांव–नीमच–रतलाम–घाट बिलोड (इंदौर)
		89	अजमेर–नागौर–बीकानेर
		90	बरान–अकलेरा
24.	सिक्किम	31क	सिवोक–गंगतोक

1	2	3	4
25.	तमिलनाडु	4	थाणे के पास रा रा 3 का चौराहा–पुणे–बेलगांव–हुबली–बंगलौर–रानीपेट–चेन्नै
		5	बेहरामपुर के पास रा रा 6 का चौराहा–कटक–भुवनेश्वर–विशाखपट्टनम–विजयवाड़ा–चेन्नै
		7	वाराणसी–मंगावन–रीवा–जबलपुर–लाखनादोन–नागपुर–हैदराबाद–कुरनूल–बंगलौर–कृष्णागिरी–सलेम–डिंडीगुल–मुदरै–केपकोमोरिन (कन्याकुमारी)
		7क	पलयानकोटई–टूटीकोरिन पोर्ट
		45	मद्रास–तिरुचिरापल्ली–डिंडीगुल
		45क	विल्लुपुरम–पांडिचेरी–कुड्डालोर–चिदंबरम–नागापट्टनम
		45ख	त्रिची–विरालीमलाई–तोवारनकुरुची–मेलूर–मदूरै–असपुकोटई–टूटीकोरिन
		46	कृष्णागिरी–रानीपेट
		47	सलेम–कोयम्बतूर–त्रिचूर–इरनाकुलम–त्रिवेनद्रम–केपकोमोरिन (कन्याकुमारी)
		49	धनुषकोडी–मुदरै–कोचीन
		66	पांडी–टिंडीवनम–गिंजी–थिरुवेन्नामल्लई–कृष्णागिरी
		67	नागापट्टनम–त्रिची–करूर–पल्लादम–कोयम्बतूर
		68	उचंद्रुपेट–सलेम
		205	अनंतपुर–कादिनी–तिरुपति–रेनुगुंटा–तिरुतनी–चेन्नई
		207	होसुर–सुरजापुर–देवनहल्ली–डोड्ड–बालापुर–नीलामंगला
		208	कोल्लम–पुनालुर–टैनकसी–राजापलायम–सिरीविलीपुतुर–तिरुमंगलम
		209	डिंडीगुल–पालनी–कोयम्बटुर–अनुर–कोलेगल–बंगलौर
		210	त्रिची–पुडुकोट्टई–देवाकोटई–रामानाथपुरम
		219	मदनापल्ली–कुप्पम–कृष्णागिरी
		220	कोल्लम–तेनी
26.	त्रिपुरा	44	शिलांग–जोवई–बदरपुर–अगरतल्ला–सबरूम
		44ए	आइजोल–सैरंग–लेंगपुई–ममीत–मनु
27.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	2	दिल्ली–मथुरा–आगरा–सिकंदरा–बारा–कानपुर–इलाहाबाद–वाराणसी–मोहनिया–बरही–पलसित–वैद्यवती–बारा–कलकत्ता
		2ए	सिकंदरा–भोगनीपुर
		3	आगरा–ग्वालियर–शिवपुरी–इंदौर–धुले–नासिक–थाने–मुंबई

1	2	3	4
		7	वाराणसी–मंगावन–रीवा–जबलपुर–लखंडन–नागपुर–हैदराबाद–कुरनुल–बंगलूर-कृष्णागिरि-सलेम–डिंडीगुल–मदुरै–कन्याकुमारी
		11	आगरा–जयपुर–बीकानेर
		19	गाज़ीपुर–बलिया–हाजीपुर–पटना
		24	दिल्ली–बरेली–लखनऊ
		24ए	बक्शी–का–तालाब–चेनहत (रा रा सं. 28)
		25	लखनऊ–कानपुर–झांसी–शिवपुरी
		25ए	19 कि.मी. (रा रा 25)–बक्शी–का–तालाब
		26	झांसी–लखंडन
		27	इलाहाबाद–मंगावन
		28	बरौनी के समीप रा रा 31 का चौराहा–मुजफ्फरपुर–पिपराकोठी–गोरखपुर–लखनऊ
		29	गोरखपुर–गाजीपुर–वाराणसी
		56	लखनऊ–हैदरगढ़–जगदीशपुर–सुल्तानपुर–वाराणसी
		56ए	चेनहत–रा रा 56 का 16 कि. मी.
		56बी	रा रा 56 के 16 कि. मी. से रा रा 25 के 19 कि. मी. तक
		58	गाजियाबाद–मेरठ–मुजफ्फरनगर–रुड़की–हरिद्वार–ऋषिकेश–रुद्रप्रयाग–चमोली–जोशीमठ-बद्रीनाथ–माना
		72	अम्बाला–पौंटा साहिब–हरिद्वार
		73	रुड़की–सहारनपुर–यमुनानगर–साहा–पंचकुला
		74	हरिद्वार–नजीबाबाद–नगमा–अफजलगढ़–काशीपुर–किच्छा–जहानाबाद– पिलीभीत–बरेली
		75	ग्वालियर–झांसी–खाजीमही–छतरपुर–पन्ना–सतना–रीवा–रेनुकुट–गढ़वा–डालटनगंज-रांची
		76	पिंडवारा–उदयपुर–मंगारवर–चित्तौड़गढ़–कोटा–शिवपुरी–झांसी–महोबा–बांदा– करवी–मऊ–इलाहाबाद
		86	कानपुर–छतरपुर–सागर–राहतपुर–गयारसपुर–विदिसा–रायसेन–भोपाल–देवास
		87	रामपुर–बिलासपुर–पंतनगर–हल्दवानी–नैनीताल
		91	गाजियाबाद–बुलंदशहर–खुर्जा–अलीगढ़–एटा–कन्नौज–कानपुर
		92	भोनगांव–इटावा–ग्वालियर
		93	आगरा–अलीगढ़–बबराला–चन्दौसी–मुरादाबाद

1	2	3	4
		94	ऋषिकेश–अंपाटा–टिहरी–धरासु–कुठनौर–यमुनौत्री
		96	अयोध्या (फैजाबाद)–सुलतानपुर–प्रतापगढ़–इलाहाबाद
		97	गाजीपुर–जमानियां–सैयदराजा
28.	पश्चिम बंगाल	2	दिल्ली–मथुरा–आगरा–सिकंदरा–बाड़ा–कानुपर–इलाहाबाद–वाराणसी–मोहनिया–बरही–पलसित–बैद्यबती–बाड़ा–कलकत्ता
		6	हजीरा–सुरत–धुले–नागपुर–रायपुर–संबलपुर–भाड़ागोड़ा–कलकत्ता
		31	बरही के समीप रा रा 2 का चौराहा–बख्तियारपुर–मोकामा–पूर्णिया–डलकोला–सिलीगुड़ी–सिवोक–कूचबिहार–नार्थ सालामारा–नलबड़ी–चरली–अमीगांव–रा रा 37 का चौराहा
		31ए	सिवोक–गंगटोक
		31सी	गलगलिया के समीप–बागडोगरा–चलसा–नागरकोटा–गोयारकटा–बालुगांव–हासीमारा–राजाभट्ट खाव–कोचुगांव–सिडली–बिजनी के समीप रा रा 31 का चौराहा
		32	गोविंदपुर के समीप रा रा 2 का चौराहा–धनबाद–जमशेदपुर
		34	डलकोला के समीप रा रा 31 का चौराहा–बरहामपुर–बरासत–कलकत्ता
		35	बरासत–बनगांव–भारत/बंगलादेश सीमा
		41	कोलाघाट के समीप रा रा 6 का चौराहा–हल्दिया पत्तन
		55	सिलीगुड़ी–दार्जिलिंग
		60	बालासोर–रूपवास–जालेश्वर–दंतन–बेल्डा–कस्बा–नारायणगढ़–खड़गपुर–विष्णुपुर–बंकुरा-आसनसोल
		80	मोकामा–मुंगेर–भागलपुर–साहबगंज–राजमहल–फरक्का
		81	कोरा–कटिहार–मालदा

[अनुवाद]

प्याज का निर्यात

161. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेफेड' प्याज के निर्यात को निलंबित रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले छह महीनों के दौरान प्याज की कीमतें बढ़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्याज के निर्यात के निलंबन के कारण अतिशेष भंडार हो जाने से कृषकों को बहुत घाटा हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। इसे 1 से 13 नवंबर, 2000 तक अस्थायी रूप से र गेत किया गया था।

(ख) अक्तूबर, 2000 के अंतिम सप्ताह में प्याज की कीमतों

में अचानक तेजी आ गई। निर्यात को घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दृष्टि से अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया था।

(ग) प्याज की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई थी।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। चूंकि प्याज उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए 14 नवंबर, 2000 से प्याज का निर्यात पुनः शुरू कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2000–2001 के पिछले छः महीनों में प्याज की माह–वार थोक कीमतें (अनंतिम)

(रु. प्रति क्विंटल)

माह	2000–2001								
	आजादपुर (दिल्ली)			नासिक (महाराष्ट्र) (मोडल)			पूणे (महाराष्ट्र)		
	आवक	न्यू.	अधि.	आवक	न्यू.	अधि.	आवक	न्यू.	अधि.
अप्रैल	77860	100	475	192730	180	304	422751	100	270
मई	156900	125	425	670826	121	340	397301	100	300
जून	249380	100	500	520549	150	346	425841	120	300
जुलाई	208730	150	625	481230	151	335	317595	150	350
अगस्त	187460	125	625	394525	170	440	283990	100	420
सितम्बर	199975	200	800	401686	239	406	192652	150	400
अक्टूबर	240532	250	875	375610	295	830	302046	200	800

[हिन्दी]

बोकारो ताप विद्युत घर सं. 2 के राख टैंक में दरार

162. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो ताप विद्युत स्टेशन के 'बी' संयंत्र के राख के टैंक में दरार आ जाने के कारण दामोदर नदी में बड़ी मात्रा में बॉटम राख का रिसाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विगत में उसी टैंक की मरम्मत पर बड़ी धनराशि खर्च की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त विद्युत स्टेशन द्वारा राख छोड़े जाने के कारण नदी में प्रदूषण भी फैल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या आग और नदी में भट्टी के तेल के रिसाव से उक्त विद्युत स्टेशन को भारी घाटा भी हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा नदी में प्रदूषण रोकने के लिए और उक्त विद्युत स्टेशन में हो रही वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं। बोकारो ताप विद्युत केंद्र सं. 2 के राख संचयन के लिए तीन राख कुंड हैं। कुंड सं. 1 का राख डाइक टूट गया है। हालांकि दामोदर नदी में इसके टूटने के कारण इसमें राख प्रवाहित नहीं की जा रही है।

(ख) टूटे हुए डाइक की मरम्मत पर अभी तक कोई धन खर्च नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) बोकारो ताप विद्युत केंद्र सं. 2 द्वारा नदी में राख प्रवाहित नहीं की जा रही है।

(ङ) और (च) अप्रैल, 2000 में तेल स्टोरेज टैंक में एक रिसाव होने लगा जिसके परिणामस्वरूप कुछ तेल पानी में मिल गया रिसाव के कारण हुई हानि नहीं के बराबर थी एवं इसके या किसी आग के कारण ताप विद्युत केंद्र का विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ।

(छ) दामोदर नदी में राख के किसी भी संभावित प्रभाव को रोकने के लिए डीवीसी ने बोकारो–बर्मो रोड के अलावा स्थायी राख निपटान क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक भूमि अभिज्ञात कर ली है। उक्त विद्युत केंद्र में सरकार ने कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई है।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा के विकास हेतु केंद्रीय सहायता

163. श्री सुरेश कुरूप : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केरल में सौर ऊर्जा के विकास हेतु कुल कितना केंद्रीय अनुदान जारी किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) नौवीं योजना के दौरान सौर ऊर्जा के विकास हेतु केरल को आबंटित की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में सौर प्रकाशवोल्टीय तथा सौर तापीय युक्तियों एवं प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। ये कार्यक्रम राज्य नोडल एजेंसियों, विख्यात गैर–सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा चुनिंदा बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। यह मंत्रालय अक्षय ऊर्जा उत्पादों की बिक्री और मरम्मत के लिए 'आदित्य' सौर दुकानों को स्थापित करने के लिए भी सहायता देता है।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केरल में सौर ऊर्जा के विकास के लिए जारी की गई कुल केंद्रीय अनुदान धनराशि निम्नलिखित है–

1997–98	14.69 लाख रु.
1998–99	124.80 लाख रु.
1999–2000	212.35 लाख रु.
कुल	351.84 लाख रु.

इस अनुदान राशि का पूर्णतः उपयोग किया गया है।

(ग) नवीं योजना के दौरान कोई समग्र रूप से राज्यवार आबंटन नहीं किए गए हैं। अनुदान, वार्षिक योजनाओं तथा कार्यक्रमों के आधार पर जारी किया जाता है। नवीं योजना के पहले चार वर्षों (1997–98 से 2000–01 तक) के दौरान केरल राज्य को इस राज्य से प्राप्त प्रस्तावों और कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर अब तक 943.17 लाख रु. मंजूर किए गए हैं।

भारत गोल्ड माइन्स को बंद किया जाना

164. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री सुशील खां :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत गोल्ड माइन्स को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इसके पुनरुद्धार हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (घ) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बी. जी. एम. एल.) का मामला 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को भेजा गया था। बी आई एफ आर ने 12.6.2000 को अंतिम निर्णय दे दिया है जिसका निष्कर्ष यह है कि कंपनी द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करते हुए यथोचित समय के भीतर अपने नेट–वर्थ को अपनी संचित हानियों से अधिक कर पाने की संभावना नहीं है और इसलिए भविष्य में इसके व्यवहार्य होने की संभावना नहीं है। अतः रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 20(1) के तहत बी.जी.एम.एल. को बंद करना उचित, न्यायसंगत और जनहित में है। बी आई एफ आर ने अपनी राय रजिस्ट्रार, कर्नाटक उच्च न्यायालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी है।

अधिकारियों और कामगारों ने जनवरी, 2000 में बी आई एफ आर को एक पुनर्वास/पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत किया जिसकी प्रति सरकार को मार्च, 2000 में प्राप्त हुई। पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के

साथ–साथ, कम कामगारों के साथ 3 खानों का प्रचालन करके वार्षिक स्वर्ण उत्पादन को 400 कि.ग्रा. के स्तर से 1077 कि.ग्रा. तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी। पुनर्वास पैकेज ठोस वास्तविकताओं पर आधारित नहीं था और वित्त के साधनों में पूर्णतः भारत सरकार की मदद शामिल थी तथा इसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों से राहत, त्याग और रियायतों की परिकल्पना की गई थी। बी.आई.एफ.आर. ने पुनर्वास पैकेज को स्वीकार करना उचित नहीं पाया।

खेल परिसंघों पर स्टैटस पेपर

165. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक खेल परिसंघ से संबंधित अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यक्रम हेतु स्टैटस पेपर तैयार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय इन परिसंघों द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन परिसंघों को बजटीय सहायता देने के लिए तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) जी , नहीं। तथापि, 'राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन.एस.एस.) को सहायता देने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों' के अनुसार सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए एशियाई खेलों के बीच चार वर्षीय चक्र के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाएं तैयार करना अपेक्षित है। दीर्घावधिक विकास योजना में चार वार्षिक योजनाएं शामिल हैं जिनमें संबंधित खेल–विधा की दीर्घ और लघु अवधि की जरूरतों/लक्ष्यों का ध्यान रखा जाता है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय 'राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों' के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सीनियर, जूनियर और सब–जूनियर स्तरों पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, विदेशों में प्रशिक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने, भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों के जरिए प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन के लिए सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2000–2001 के लिए, इस योजना के अंतर्गत बजटीय आबंटन 17.00 करोड़ रुपये है।

नेशनल सीड्स ग्रिड

166. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल सीड्स ग्रिड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) नेशनल सीड्स ग्रिड स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 'बीज बैंक की स्थापना तथा रखरखाव' के तहत एक डाटा बैंक और सूचना प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान है जिससे आपात स्थितियों में बीज बैंक से बीजों का प्रभावी उपयोग किया जा सके, तथा जो 'सीड ग्रिड' के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करेगी।

क्रिकेट के अगले विश्वकप के लिए टी.वी. प्रसारण अधिकार

167. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अगले विश्व कप क्रिकेट के टेलीविजन अधिकारों को 550 मिलियन अमरीकी डालर में वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को प्रदान करने की ओर आकर्षित किया गया है जबकि जी नेटवर्क की इस बारे में उपेक्षा की गई जिसने इसके लिए बी.सी.सी.आई. को 666 मिलियन अमरीकी डालर की बोली लगाई थी और इसके परिणामस्वरूप देश को लगभग 500 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य संबंधी कानून

168. श्री सुबोध मोहिते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी खाद्य संबंधी कानूनों को एक ही प्राधिकरण के तहत लागू करने के लिए एकल प्राधिकरण के सृजन हेतु विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए शीत शृंखलाओं, भांडागारों, परिवहन आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं के सृजन हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या पिछले दो वर्षों से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास दर ऋणात्मक रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) और (ख) प्रसंस्कृत खाद्य विकास अधिनियम तैयार करने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया है और उसे वितरित कर दिया गया है। प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले पत्र की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सरकार ने देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के वास्ते विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं आदि को आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान शामिल है। यह सहायता बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने के लिए भी दी जाती है।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उद्योग के विभिन्न खंडों को कवर करते हैं और संपूर्ण क्षेत्र के लिए नकारात्मक वृद्धि दर संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वैसे फल एवं सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में वर्ष 1997–98 के दौरान वृद्धि में नकारात्मक झुकाव आया था। हालांकि इस झुकाव के विस्तृत कारण नहीं बताए गए हैं फिर भी इस नकारात्मक वृद्धि का एक स्पष्ट कारण यह हो सकता है कि इन उत्पादों पर पहले कोई शुल्क नहीं लगता था जबकि अब इन पर उत्पाद शुल्क लगता है।

विवरण

प्रस्तावित प्रसंस्कृत खाद्य विकास अधिनियम के बारे में दृष्टिकोण पत्र

1995 में, भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम समेत, विद्यमान खाद्य विधियों की समीक्षा करने और एक सरलीकृत तथा सुमेलित खाद्य विधि का सुझाव देने के लिए (सेवानिवृत्त) न्यायधीश ई.एस. वेंकटरामैया की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल का कहना था कि अच्छी निर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए कानूनी ढांचे में अनुकरणीय परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि यह लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने, वाणिज्यिक धोखेबाजी को कम करने और वैज्ञानिक आधार पर उद्योग और व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्वत्र बेहतर साधन पाया गया है। व्यापार और उद्योग पर प्रधान मंत्री की परिषद ने नुसली वाडिया की अध्यक्षता में खाद्य और कृषि–उद्योग पर एक विषय दल का गठन किया। इस दल ने सिफारिश की कि न केवल इस समय विद्यमान विधियों और उनके लागू करने वाली अनेकों एजेंसियों का परिहार करने की अविलंब आवश्यकता है अपितु यह सुझाव भी दिया कि इन सभी विधियों का समावेश एक विधि में किया जाना चाहिए ताकि एक ही प्राधिकरण खाद्य क्षेत्र से संबंधित विधि के कारगर कार्यान्वयन पर निगरानी रख सके। इस उद्योग में असंख्य विधियां व्याप्त हैं। उनमें से कुछ का संबंध इस क्षेत्र विशेष से है और अन्य अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। विभिन्न विधियों की एक सूची इस पत्र के साथ संलग्न है जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि खाद्य उद्योग अनावश्यक रूप से विभिन्न कानूनों से बंधा हुआ है। इन अधिनियमों में पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान, खाद्य, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य रसायन, खाद्य प्रौद्योगिकी के नियमों में तथा व्यापार में हुए कुछ विकासों की अनदेखी की गई हैं।

सचिवों की समिति ने 31 मई, 1999 को हुई अपनी बैठक में भी विभिन्न खाद्य विधियों को युक्तियुक्त और सरल बनाने की प्रमुख आवश्यकता को भी रेखांकित किया और यह निदेश दिया कि एकल प्राधिकरण द्वारा खाद्य मानक निर्धारित तथा लागू किए जाएं।

इस विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से हाल ही में चार क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन किया। उद्योग के प्रतिनिधियों का विशेष रूप से यह विचार था कि विद्यमान खाद्य विधियां उनके विकास में बाधक हैं क्योंकि कई बार विभिन्न अधिनियमों की अपेक्षाओं का ध्यान रखना उनके लिए संभव नहीं होता और वे विभिन्न विधियों के चंगुल में फंस जाते हैं जिनका पालन करने के लिए उन्हें काफी समय और धन बर्बाद करना पड़ता है। विद्यमान विधियां अलग स्थितियों का ध्यान रखने के लिए बनाई गई थीं और ये स्वरूप में अनिवार्य

रूप से नियामक हैं। अतः ये विकास प्रक्रिया में किसी तरह सहायक नहीं हैं। क्षेत्रीय सेमिनारों के दौरान उद्योग ने कई अन्य मसले भी उठाए। एक मसले का संबंध विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों से है जिनमें अन्य देशों से भारत में ऐसी खाद्य वस्तुओं का आयात भी शामिल है, जिन्हें अन्यथा अपने मूल देश में बेकार समझा जाता है। यह मांग भी की गई कि प्रस्तावित अधिनियम में सूक्ष्म पौष्टिक पदार्थ और खाद्य पुष्टिकरण, जननिक दृष्टि से सुधारे हुए खाद्यों जैसे नई प्रौद्योगिकियों का आयात, निर्यात विनियम, मानक, अच्छी वस्तुओं, कराधान आदि जैसे पहलुओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने भावी बाजार की आवश्यकता पर भी बल दिया और इस क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित करने के लिए समर्थकारी पर्यावरण का सृजन करने का भी सुझाव दिया। यह महसूस किया गया कि उपयुक्त धन देकर और प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान और विकास संस्थाओं की स्थापना करके सरकार सहायता करे तो इससे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतियोगी बनाने में काफी सहायता मिलेगी। यह महसूस किया गया कि 'प्रसंस्कृत खाद्य विकास अधिनियम' नामक नया विधान बनाना नितांत आवश्यक है जिसमें आज के संदर्भ में संगत विद्यमान खाद्य विधियों के अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वों का ध्यान रखा जाएगा और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य प्रावधानों का समावेश भी किया जाएगा।

प्रस्तावित अधिनियम की विषय-वस्तु

प्रस्तावित अधिनियम से इसके लागू होने पर एकल खिड़की प्रणाली मुहैया करने की अपेक्षा की जाती है और यह अधिनियम एक नियामक दांडिक कानून न रहकर प्रोत्साहनात्मक और विकास विधि का रूप ले लेगा और इस प्रकार भारतीय खाद्य उद्योग के हितों की पूर्ति करेगा और बाजारों के वैश्वीकरण से पूरा लाभ उठाने के लिए उन्हें अर्थक्षम और प्रतियोगी बनाएगा।

प्रस्तावित अधिनियम विद्यमान खाद्य विधियों में मेल बिठाने और उन्हें युक्तियुक्त बनाने का प्रयास करेगा। नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का भी प्रयास किया जाएगा ताकि शर्तों का पालन करना उद्योग के लिए सरल हो जाए। इन प्रावधानों में निर्माण प्रक्रियाओं के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपनाए जाने वाले स्वच्छता तथा उत्पत्ति स्वच्छता उपायों का भी ध्यान रखा जाएगा।

मापदंडों को परिभाषित करने के लिए एक प्रावधान किया जाएगा। इस प्रावधान में न केवल देश में निर्मित वस्तुओं अपितु आयातित वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। परिभाषा और मानकों में कोडेक्स मानकों के अलावा एगमार्क, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, आई.एस.ओ. 9000, एस.क्यू.एस. 2000 के प्रावधानों का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रस्तावित अधिनियम में परिभाषित मानकों का पालन स्वैच्छिक न रहकर, जैसाकि इस समय होता है, अनिवार्य बना दिया जाएगा। निरीक्षण और प्रमाणीकरण की शक्तियां प्रयोगशालाओं और अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं को दी जाएंगी जिनके पास इस संबंध में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

एक ऐसे प्राधिकरण का प्रावधान करने का भी विचार है जो न केवल मानकों के कार्यान्वयन पर नजर रखेगा अपितु उसे मार्गदर्शन करने एवं निर्माण प्रक्रिया में सुधार करने तथा उद्योग/इकाई संबंधित द्वारा अंगीकार किए जाने के लिए अपेक्षित पद्धति का सुझाव देने का भी अधिकार होगा। इस प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा इस प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। यह प्राधिकरण एक ठोस समिति होगी जिसमें उद्योग, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, मानको की जानकारी रखने वाले अनुसंधान और विकास संगठनों के प्रतिनिधि तथा कुछ सरकार के प्रतिनिधि होंगे जिससे इसके निर्णय का तुरंत पालन हो सकेगा।

चूंकि इस अधिनियम का बल विकास पर होगा, इसमें कुछ प्रावधान प्रोत्साहन देने के लिए सम्मिलित करने का विचार है। इस संबंध में अधिनियम में अच्छी वस्तुओं की परिभाषा देने का प्रस्ताव होगा और यह प्रावधान भी होगा कि ऐसी अच्छी वस्तुओं के निर्माण के लिए कैसे प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। अच्छी वस्तुओं को मूल्यवर्धन के रूप में परिभाषित किया जाएगा और मूल्यवर्धन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। कठिन और पिछड़े क्षेत्रों के उत्पादों के संबंध में इसी प्रकार के प्रोत्साहनों की व्यवस्था करने के लिए एक समर्थकारी प्रावधान सम्मिलित किया जाएगा जिससे ऐसे उत्पादों को अच्छी वस्तुओं के बराबर माना जाए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक विकास निधि की स्थापना करने हेतु भी उपयुक्त प्रावधान करने का विचार है ताकि यह क्षेत्र उचित पूंजीगत लागत पर निवेश निधि तक आसानी से पहुंच सके।

इस अधिनियम के तहत एक समकारी कोष तथा उसे चलाने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। यह देखने में आया है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्पादन की लागत, कच्चे माल की लागत, प्रौद्योगिकी की लागत, विपणन सुविधाओं जैसी विभिन्न बातों के आधार पर घटती–बढ़ती रहती हैं, बिक्री मूल्य लागत से कम हो सकता है और उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में जो अंतर होगा वह समकारी निधि से उद्योग को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि बिक्री से काफी अधिक आमदनी होती है तो उस आमदनी का कुछ हिस्सा कोष की पुनःपूर्ति करने के लिए कोष में डाला जाएगा।

पर्यावरण मंत्रालय ने जननिक दृष्टि से निर्मित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, प्रयोग, आयात/निर्यात और भंडारण के संबंध में पहले ही एक अधिसूचना जारी कर दी है। तथापि प्रस्तावित अधिनियम में अनिवार्य रूप से लेबल लगाने की व्यवस्था करके या कुछ मामलों में ऐसी वस्तुओं का देश में आयात करने अथवा देश में बनाने या

बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर जननिक रूप से बनाई गई अथवा सुधारी गई खाद्य वस्तुओं का नियमन करने के लिए समर्थकारी प्रावधान किए जाएंगे। इन प्रावधानों का ध्यान रखते हुए उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे ताकि ऐसी खाद्य वस्तुओं को नियंत्रित किया जा सके जिनके दीर्घावधि [illegible]कारक प्रभाव हो सकते हैं।

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और नियम;

(ख) बाट और माप मानक अधिनियम तथा पैकेज्ड वस्तु नियम;

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा आदेश अर्थात्

फल उत्पाद आदेश;

दूध और दूध उत्पाद आदेश;

मांस उत्पाद आदेश;

विलायक निष्कर्षित तेल, वितेलित भोजन, खाद्य फूल (नियंत्रण) आदेश;

(घ) भारतीय बीज अधिनियम;

(ङ) खोपरा उपकर अधिनियम;

(च) उपज उपकर अधिनियम;

(छ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम;

(ज) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम;

(झ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम;

(ञ) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अधिनियम;

(ट) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम;

(ठ) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम; और

(ड) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम;

(ढ) अन्य केंद्रीय/राज्य/स्थानीय निकाय अधिनियम और नियम जिनका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उन्नयन से संबंध है।

ध्वनि मानकों के निर्धारण की अधिसूचना

169. **श्रीमती जयाबहन बी ठक्कर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ध्वनि मानकों के निर्धारण की अधिसूचना स्वीकृत कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके सरकारी राजपत्र में कब तक प्रकाशित होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियम/विनियम बनाए हैं। जारी की गई अधिसूचनाओं में निम्नलिखित है—

(i) जी एस आर 1063 (ई) दिनांक 26.12.89 के तहत औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय क्षेत्रों तथा शांत क्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु गुणता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) आटोमोबाइल्स की निर्माण अवस्था के दौरान की ध्वनि सीमा जिसका लक्ष्य 1992 तक पूरा किया जाना है तथा घरेलू उपकरणों और निर्माण उपस्करों के निर्माण अवस्था के दौरान की ध्वनि सीमा को दिनांक 30.8.1990 के जी एस आर 742 (ई) में प्रकाशित किया गया है।

(iii) जी एस आर संख्या 7 दिनांक 2.1.1999 के अंतर्गत स्थायी डीजल जेनरेटर (डी जी) सेटों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक दिशा निर्देश प्रकाशित किए गए हैं।

(iv) जी एस आर सं. 682 (ई) दिनांक 5.10.1999 के अंतर्गत पटाखों के लिए ध्वनि मानक प्रकाशित किए गए हैं।

(v) एस ओ संख्या 123 (ई) दिनांक 14.2.2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली 2000 प्रकाशित की गई है।

(vi) जी एस आर 742 (ई) दिनांक 25.9.2000 के अंतर्गत पैट्रोल अथवा मिट्टी के तेल से चलने वाले जेनरेटर सैटों के लिए ध्वनि सीमाएं प्रकाशित की गई हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का अतिक्रमण

170. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सुचारु और दुर्घटना रहित यातायात सुनिश्चित करने के लिए सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार

लाने और राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने के लिए कितनी सहायता राशि की मांग की है; और

(ग) केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले अतिक्रमणों को रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट, 1945 के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित जिला प्रशासन/स्थानीय प्राधिकरणों की सहायता से हटाया जाता है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा द्वारा इस मंत्रालय से कोई सहायता नहीं मांगी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

171. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में कितने उद्योग चल रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने उद्योगों में बहिस्रावी उपचार संयंत्र हैं;

(ग) सरकार द्वारा उन उद्योगों जिनमें अब तक बहिस्रावी उपचार संयंत्र नहीं लगाए गए हैं, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा रिहायशी क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार गैर–औद्योगिक/आवासीय क्षेत्रों में स्थित कुल 96000 उद्योगों में से 683 इकाइयों ने बहिःस्राव शोधन संयंत्र लगा लिए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली सरकार/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जल प्रदूषण फैलाने वाले उन उद्योगों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए थे जिनमें बहिःस्राव शोधन संयंत्र नहीं थे। जल प्रदूषण फैलाने वाले 967 निर्धारित उद्योगों को नरेला और बादली परिसरों में विशिष्ट प्लाट आबंटित किए गए हैं और प्रदूषण फैलाने वाले 5619 अन्य प्रदूषक उद्योगों को बवाना और बादली में प्लाट आबंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय युवा विकास निधि

172. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय युवा विकास निधि को सृजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या नीति अपनाई गई है/अपनाई जाएगी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (घ) नई राष्ट्रीय युवा नीति, 2000 के मसौदे में चंदे के द्वारा राष्ट्रीय युवा विकास निधि सृजित करने का प्रस्ताव है जिसका युवा विकास गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा। इस निधि में चंदा देने के लिए आयकर में छूट मांगी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन निदेशिका

173. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विशेषकर सहरसा एस.एस.ए. में टेलीफोन निदेशिका वर्ष 1996 के बाद मुद्रित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो जिले–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टेलीफोन निदेशिका के समय पर मुद्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार के सभी दूरसंचार जिलों जिनमें सहरसा भी शामिल है, में छपी डायरेक्टरी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पहले टेलीफोन डायरेक्टरी पाजिटिव रायल्टी आधार पर छापी जाती थीं। जहां डायरेक्टरियां पाजिटिव रायल्टी पर नहीं छापी जा सकी थीं, ऐसे मामले शर्तों में ढील देने के लिए सर्किलों द्वारा दूरसंचार मुख्यालयों को भेज दिए गए थे। इस प्रक्रिया से डायरेक्टरियों

की छपाई में कुछ विलंब हो गया। हाल ही में टेलीफोन डायरेक्टरी मुद्रण नीति की समीक्षा की गयी और यह निर्णय लिया गया कि नकारात्मक रायल्टी अथवा लागत सहभागिता आधार पर भी डायरेक्टरियों की छपाई हो। दूरसंचार सर्किलों के मुख्य महाप्रबंधकों को समय पर डायरेक्टरियों के प्रकाशन के संबंध में ऐसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया है। इस समीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूरी डायरेक्टरी प्रदान करने की पूर्ववर्ती व्यवस्था में एक वर्ष छोड़कर डायरेक्टरी की छपाई करने तथा मध्यवर्ती वर्ष में अनुपूरक डायरेक्टरी छापने के लिए भी संशोधन कर दिया गया है। इससे डायरेक्टरियों की समय पर छपाई में और सहायता मिलेगी। सहरसा दूरसंचार जिले के संबंध में निविदा खोली गई है और उसे अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

क्र.सं.	दूरसंचार जिले के नाम	प्रचलित निर्देशिका का वर्ष	तक सुधार
1	2	3	4
1.	आरा	1997	अगस्त, 1997
2.	भागलपुर	1996	अक्तूबर, 1996
3.	छपरा	1997	अगस्त, 1996
4.	धनबाद	1997	अगस्त, 1997
5.	दरभंगा	1997	मार्च, 1997
6.	दुमका	1997	अगस्त, 1996
7.	गया	1997	अगस्त, 1997
8.	हजारीबाग	1997	अगस्त, 1997
9.	जमशेदपुर	1997	अगस्त, 1997
10.	कटिहार	1997	अक्तूबर, 1996
11.	मोतीहारी	2000	–
12.	मुजफ्फरपुर	1994	अक्तूबर, 1993
13.	मुंगेर	1997	अक्तूबर, 1997
14.	पटना	1996	नवंबर, 1996
15.	रांची	1997	दिसंबर, 1996
16.	सासाराम	1997	अगस्त, 1997
17.	सहरसा	1997	अक्तूबर, 1996
18.	डाल्टनगंज	1997	अगस्त, 1997
19.	हाजीपुर	नया जिला	
20.	खगड़िया	नया जिला	

[अनुवाद]

बिहार में वनों का विकास

174. श्री अरुण कुमार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के विभाजन के पश्चात् औसत वनाच्छादन शेष बिहार की तुलना में कम होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पारिस्थितिकीय और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए शेष बिहार में वन का विकास करने हेतु कोई प्रस्ताव/योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वन संसाधनों के संरक्षण और विकास हेतु निवेश में वृद्धि करके पारिस्थितिकीय स्थायित्व और लोक केंद्रित विकास हेतु वानिकी और वन संसाधनों के योगदान में वृद्धि करने के लिए एक राज्य वानिकी कार्य योजना तैयार की गई है।

वन क्षेत्रों में कमी

175. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्यवार कुल कितना वन क्षेत्र कम हुआ है; और

(ख) वनारोपण/पुनः वनारोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के माध्यम से राज्यवार कुल कितने क्षेत्रों का पुनः विकास किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वन स्थिति रिपोर्ट, 99 के अनुसार अवक्रमित क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	पौध वितरण (लाख)	पिछले 3 वर्षों के दौरान रोपित क्षेत्र (हे.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	29,201	4387.75	347021
2.	अरुणाचल प्रदेश	11,195	20.22	7053
3.	असम	9,495	51.92	11283
4.	बिहार	15,114	300.4	26015
5.	गोवा	267	32.72	2523.4
6.	गुजरात	8,452	4867.58	191450
7.	हरियाणा	706	82.26	46844
8.	हिमाचल प्रदेश	4,528	77.69	77958
9.	जम्मू एवं कश्मीर	12,511	157.16	40457
10.	कर्नाटक	12,121	1292.96	230442.8
11.	केरल	1,985	12.2	30375
12.	मध्य प्रदेश	54,064	1121.32	439641
13.	महाराष्ट्र	27,111	2096.37	258123
14.	मणिपुर	11,625	23.51	10600
15.	मेघालय	9,969	122.06	6676
16.	मिजोरम	14,677	30.84	17768
17.	नागालैंड	9,041	0	0
18.	उड़ीसा	26,184	702.72	192039
19.	पंजाब	1,002	135.28	29033
20.	राजस्थान	16,483	920.02	155280
21.	सिक्किम	1,141	54.69	21450.86
22.	तमिलनाडु	11,234	1679.97	223633
23.	त्रिपुरा	3,555	125.62	23009.19
24.	उत्तर प्रदेश	12,291	3877.2	256150.9
25.	पश्चिम बंगाल	2,770	511	33386
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	125	3.8	9851.13
27.	चंडीगढ़	1	1.03	169
28.	दादर एवं नगर हवेली	53	15.2	980
29.	दमन एवं दीव	3	0.45	287
30.	दिल्ली	56	37.57	0
31.	लक्षद्वीप	0	6.97	112
32.	पांडिचेरी	0	12.6	174.36
	कुल	306,960	22761.08	2689786

लंबी दूरी और एसटीडी दूरसंचार सेवाओं की दरें

176. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवाओं की लागत विश्व की औसत दरों से लगभग 13 गुना ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों की तुलना में देश में एस टी डी और लम्बी दूरी की सेवाओं की दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में लम्बी दूरी और एस टी डी सेवाओं की अत्यधिक दरों के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त दरों को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) बदलती एक्सचेंज–दरों, क्रय शक्ति में उल्लेखनीय परिवर्तनों, प्रयोग के तरीकों, दूरसंचार प्रचालकों आदि द्वारा टैरिफों की पैकेजिंग–सरीखे दोनों तत्वों की संगणना में अनेक 'चरों' के रहते, भारतीय लंबी दूरी–दर के साथ तथा कथित विश्व औसत लंबी दूरी–दर

की सीधी तुलना संभव नहीं है। सामान्य सार्वभौम रुझान यह है कि उच्चतर टेली घनत्व वाले विकसित देशों में, लंबी दूरी के टैरिफ का उच्चतर स्तर बरकरार रखकर, स्थानीय टैरिफ के प्रतिस्थापन की मात्रा विकासशील देशों की तुलना में कम है, जहां बुनियादी ढांचे के विकास तथा टेली घनत्व को अभी सम्मानजनक स्तरों पर लाना है।

(घ) ऐतिहासिक रूप में, लंबी दूरी के टैरिफ ने 'एक्सैस–प्रभारों', अर्थात् रैंटल व स्थानीय कॉल–प्रभारों को कम कर दिया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मार्च '99 में जारी दूरसंचार टैरिफ आदेश '99 से टैरिफ के पुनः–संतुलन प्रक्रिया शुरू हुई, जो तीन चरणों में पूरी होनी थी। 1 मई '99 से प्रभावी टैरिफ के पुनः–संतुलन के प्रथम चरण से लंबी दूरी के टैरिफ औसतन लगभग 23 प्रतिशत तक घट गए। 1.10.2000 से प्रभावी दूसरे चरण से ये टैरिफ लगभग 13 प्रतिशत और घट गए।

वायु और ध्वनि प्रदूषण

177. श्री दिन्शा पटेल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सहित देश के प्रमुखशहरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण खतरनाक हदों तक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्यों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) गुजरात सहित देश के अधिकांश प्रमुख शहरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण के स्तरों में वृद्धि हो रही है। इसका कारण जनसंख्या में वृद्धि के साथ–साथ उद्योगों और परिवहन सहित आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होना है।

(ख) प्रदूषण नियंत्रण के लिए शुरू की गई स्कीमों/किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) "पारि नगरों के विकास के लिए सहायता" संबंधी स्कीम तैयार की गई है। पहले चरण में सात बड़े शहरों का निर्धारण किया गया है।

(ii) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मानीटरन नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिसमें मौजूदा परिवेशी वायु गुणता का मूल्यांकन करने के लिए देश के 92 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है।

(iii) 24 निर्धारित अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए तैयार की गई कार्य योजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं।

(iv) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों का पता लगाया गया है। इन उद्योगों को निदेश दिए गए हैं कि वे समयबद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाएं और दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(v) उद्योगों की स्थापना के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त औद्योगिक जोन के निर्धारण के लिए जोनिंग एटलस तैयार की गई है।

(vi) वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(vii) उद्योगों की स्थापना के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।

(viii) विभिन्न राज्यों के परिवहन विभागों द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत सड़कों पर चल रहे वाहनों के लिए सफल उत्सर्जन मानक और नए वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(ix) सी एन जी युक्त वाहनों की पूर्ति के लिए दिल्ली और मुंबई में कुछ खुदरा दुकानों के माध्यम से सी एन जी की आपूर्ति की जाती है।

(x) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत औद्योगिक वाणिज्यिक, आवासीय क्षेत्रों और शांत क्षेत्रों के संबंध में परिवेशी ध्वनि मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(xi) वाहनों, घरेलू उपकरणों, जेनरेटर सेटों, निर्माण उपस्करों और पटाखों के लिए स्रोत विशिष्ट ध्वनि मानक तैयार किए गए हैं और अधिसूचित किए गए हैं।

(ग) वायु गुणता मानीटर करने के लिए विभिन्न राज्यों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है–

क्र.सं.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति का नाम	राशि (रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश एस पी सी बी	8,95,714/–
2.	असम एस पी सी बी	1,49,976/–
3.	बिहार एस पी सी बी	12,83,128/–
4.	चंडीगढ़ पी सी सी	4,79,122/–
5.	गुजरात एस पी सी बी	19,74,684/–
6.	गोवा एस पी सी बी	3,49,944/–
7.	हरियाणा एस पी सी बी	2,33,296/–
8.	हिमाचल प्रदेश एस पी सी बी	15,66,480/–
9.	कर्नाटक एस पी सी बी	9,83,176/–
10.	केरल एस पी सी बी	23,12,274/–
11	मेघालय एस पी सी बी	1,99,968/–
12.	मध्य प्रदेश एस पी सी बी	26,20,414/–
13.	उड़ीसा एस पी सी बी	15,03,926/–
14.	पंजाब एसी पी सी बी	6,70,726/–
15.	पांडिचेरी पी सी सी	6,41,588/–
16.	राजस्थान एस पी सी वी	20,24,676/–
17.	तमिलनाडु एस पी सी बी	10,83,232/–
18.	उत्तर प्रदेश एस पी सी बी	22,28,810/–
19.	पश्चिम बंगाल एस पी सी बी	6,16,568/–
	कुल	2,18,17,702/–

[हिन्दी]

जबलपुर में प्रयोगशाला

178. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश का जबलपुर क्षेत्र भूकम्प प्रवण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस हेतु आधुनिकतम प्रयोगशाला स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जबलपुर भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है।

(ख) और (ग) जबलपुर में एक भूकंप वेधशाला पहले ही कार्यरत है। यह स्थिति बताने वाले डिजीटल भूकंप रिकार्डिंग उपकरणों से सुसज्जित है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास/रखरखाव

179. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए एक केंद्रीय सड़क निधि बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां। सरकार ने पेट्रोल पर 2.6.1998 से और डीजल पर 1.3.1999 से 1/– रु. प्रति लीटर के हिसाब से लगाए गए उपकर से प्राप्त राशि को केंद्रीय सड़क निधि में जमा करके मौजूदा केंद्रीय सड़क निधि का नवीकरण किया है। इस निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए, ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए तथा मानवरहित रेलवे फाटकों पर रोड ओवर/अंडर ब्रिज तथा अन्य सुरक्षा कार्यों के निर्माण के लिए किया जाएगा।

(ख) पिछले दो वर्षों के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उपलब्ध कराई गई राशि इस प्रकार है–

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
1999–2000	1900
2000–2001	2010

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए किए गए आबंटन में से 57516.18 लाख रु. राशि के अनुमान संलग्न विवरण के अनुसार 1999–2000 के दौरान संस्वीकृत किए गए थे। एन एच ए आई को 1999–2000 में 1192 करोड़ रु. की राशि और 2000–2001 में 1800 करोड़ रु. की राशि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जो विभिन्न राज्यों में फैली हैं, के कार्यान्वयन के लिए दी गई।

विवरण

आई आर पी क्यू के तहत निधियों का आबंटन दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत अनुमान
1.	आंध्र प्रदेश	3457.80
2.	असम	2056.66
3.	बिहार	6346.00
4.	चंडीगढ़	51.33
5.	दिल्ली	160.00
6.	गोवा	617.00
7.	गुजरात	1792.23
8.	हरियाणा	597.02
9.	हिमाचल प्रदेश	1242.65
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00
11.	कर्नाटक	4419.00
12.	केरल	1449.00
13.	मध्य प्रदेश	4484.18
14.	महाराष्ट्र	4303.00
15.	मणिपुर	0.00
16.	मेघालय	464.24
17.	मिजोरम	543.64
18.	नागालैंड	422.66
19.	उड़ीसा	2516.00
20.	पांडिचेरी	167.10
21.	पंजाब	448.76
22.	राजस्थान	4967.96
23.	तमिलनाडु	9382.70
24.	उत्तर प्रदेश	4848.25
25.	पश्चिम बंगाल	2779.00
	कुल	57516.18

[हिन्दी]

फल एवं सब्जियों के लिए अपर्याप्त सुविधाएं

180. प्रो. दुर्गा भगत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण फलों एवं सब्जियों की वार्षिक हानि का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फलों एवं सब्जियों के खराब होने के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) से (घ) 1995 में भारत सरकार ने फसलोत्तर प्रबंधन, विपणन और निर्यात पर एक कार्यदल का गठन किया था। इस दल ने अनुमान लगाया था कि विभिन्न फसलों में होने वाली फसलोत्तर बरबादी की मात्रा 8 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक है। ये बरबादी विभिन्न फसलोत्तर चरणों के दौरान होती है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने अनुमान लगाया है कि ये बराबदी निम्नलिखित चरणों के दौरान होती है–

(i) फसल पकने पर और फसल पकने से पूर्व, खराब होने, बिखरने एवं काटने आदि के कारण।

(ii) दुलाई के दौरान खराब होने, घसीटा लगने, टूटने तथा धूल और गर्मी से दूषित होने के कारण।

(iii) भंडारण के दौरान वर्षा एवं नमी के कारण ज्यादा पकने या कम पकने से।

(iv) प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग के दौरान अकार्यकुशलता एवं संदूषण के कारण।

(v) विपणन के दौरान विभिन्न स्तरों से गुजरने पर भार एवं गुणवत्ता में होने वाली कमी के कारण।

फल और सब्जियों की बरबादी के बारे में राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

केरल में विद्युत परियोजनाएं

181. श्री रमेश चेन्निथला : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं शुरू करने के लिए केरल सरकार की ओर से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की क्षमता सहित इस संबंध में प्रस्तावों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी विद्युत परियोजनाओं को परिचालित किया गया और उनमें से कितनी परियोजनाएं अस्वीकृत की गईं तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) आगामी तीन वर्षों में राज्यवार कुल कितने मेगावाट विद्युत की कमी आने का अनुमान है; और

(ङ) देश में विशेषकर केरल में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) 1997–98 से लेकर विगत तीन वर्षों के दौरान के.वि.प्रा. ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु भाग एक परियोजना, नामतः कोजीकोडे हैवी फ्यूल डीजीपीपी (128 मे.वा.) जिसकी अनुमानित लागत 391 करोड़ रु. थी, 7/99 में प्राप्त हुई। परियोजना स्वीकृति की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है–

लंबित निवेश–

1. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के सेक्शन 29(2) तथा (3) का अनुपालन।
2. पूर्णता लागत आदि के कानूनी, निष्क्रमण तकनीकी वित्तीय आदि के ब्यौरे एसईबी से प्रतीक्षित हैं।

(घ) आगामी 3 वर्षों अर्थात् 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 के लिए मे.वा. में व्यस्ततमकालीन समय में कमी को दर्शाते हुए विद्युत आपूर्ति की राज्यवार/अनुमानित स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। 2002–03 तथा 2003–04 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति चालू स्वीकृत परियोजनाओं पर आधारित है। तथापि, 2000–01 के दौरान केरल राज्य में वास्तविक कमी 7 प्रतिशत के करीब रही है।

(ङ) देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए निम्नांकित उपाय किए जा रहे हैं–

(i) मौजूदा थर्मल व हाइड्रो बिजली यूनिटों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार ताकि उत्पादन बढ़ सके।

(ii) कम परिपक्वता अवधि वाली बिजली परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(iii) मांग पक्ष प्रबंधन।

(iv) पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी।

(v) प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अंतःक्षेत्रीय पारेषण प्रणाली तथा उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

(vi) ऊर्जा क्षमता तथा संरक्षण को प्रोत्साहन।

(vii) 11वीं योजना के अंत तक उत्पादन क्षमता को दुगुना करना।

विवरण

देश में वर्ष 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 के लिए व्यस्ततमकालीन मांग/उपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/यूटिलिटी	2001–02			2002–03			2003–04		
	व्यस्ततम–कालीन मांग मे.वा.	व्यस्ततम–कालीन उपलब्धता मे.वा.	व्यस्ततम–कालीन आधिक्य/ घाटा मे.वा.	व्यस्ततम–कालीन मांग मे.वा	व्यस्ततम–कालीन उपलब्धता मे.वा.	व्यस्ततम–कालीन आधिक्य/ घाटा मे.वा.	व्यस्ततम–कालीन मांग मे.वा.	व्यस्ततम–कालीन उपलब्धता मे.वा.	व्यस्ततम–कालीन आधिक्य/ घाटा मे.वा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	4540	2105	–2435	4816	2263	–2553	5126	2339	–2787
हिमाचल प्रदेश	809	1021	212	878	1387	509	954	1418	464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू एवं कश्मीर	1615	953	−662	1749	1023	−726	1895	1176	−719
पंजाब	5814	3849	−1965	6132	3943	−2189	6465	4069	−2396
राजस्थान	5606	2651	−2955	6001	3279	−2722	6431	3682	−2749
उत्तर प्रदेश	11280	6173	−5107	12073	6577	−5496	12921	6863	−6058
चण्डीगढ़	177	64	−113	185	70	−116	193	78	−115
दिल्ली	3481	2105	−1377	3719	2436	−1283	3974	2565	−1409
गुजरात	8070	6079	−1991	8530	6555	−1975	9016	6761	−2255
मध्य प्रदेश	6953	4619	−2335	7353	5786	−1567	7776	6359	−1417
महाराष्ट्र	13147	12093	−1054	14048	12840	−1208	15010	13123	−1887
गोवा	296	328	32	314	337	23	334	338	4
दमन एवं दीव	98	7	−91	106	10	−97	115	10	−105
दादर एवं नगर हवेली	150	11	−139	162	15	−147	175	16	−160
आंध्र प्रदेश	7483	6688	−795	7901	7315	−587	8343	7900	−443
कर्नाटक	5422	4277	−1145	5739	4644	−1095	6074	4686	−1388
केरल	3226	2412	−814	3437	3252	−185	3677	3379	−298
तमिलनाडु	6598	5285	−1313	6942	5461	−1481	7304	6159	−1145
पांडिचेरी	345	122	−223	369	127	−242	395	128	−268
बिहार	2325	1888	−437	2476	1909	−567	2637	1909	−728
उड़ीसा	3072	2590	−482	3348	2598	−750	3650	2598	−1052
पश्चिम बंगाल	4517	3276	−1241	4774	3276	−1498	5077	3332	−1745
सिक्किम	46	73	27	49	73	24	52	78	26
डीवीसी	2478	1870	−608	2651	1870	−781	2837	2040	−797
अरुणाचल प्रदेश	94	119	25	103	119	16	114	121	7
असम	986	712	−274	1045	721	324	1110	783	327
मणिपुर	193	117	−76	214	117	−97	237	119	−118
मेघालय	140	239	99	150	239	89	160	241	81
मिजोरम	141	64	−77	160	64	−96	182	65	−117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नागालैंड	68	82	14	72	82	10	77	83	6
त्रिपुरा	186	126	−60	203	126	−77	223	128	−96
अंडमान एवं निकोबार	41	41	0	45	41	−4	50	41	−9
लक्षद्वीप	8	8	0	9	8	−1	9	8	−1
जोड़	95757	74721	−21036	101872	81519	−20353	108456	85729	−22727

नोट−1. 15वें ईपीएस के अनुसार मांग।

2. केंद्रीय परियोजनाओं की अनाबंटित बिजली।

3. नौवीं योजना के दौरान 24309 मे.वा. समक्षता संवर्द्धन को ध्यान में रखते हुए उक्त विद्युत आपूर्ति स्थिति को तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा

182. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 2000 तक राज्यवार कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है और कितने गांवों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ख) पिछले छः माह के दौरान गांवों में कितनी टेलीफोन सुविधा राज्य−वार उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) देश के बचे हुए गांवों में कब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31 अक्तूबर, 2000 तक देश के कुल 6,07,491 गांवों में से 3,83,056 गांवों में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 2,24,435 गांव दूरसंचार सुविधा−रहित हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले 6 माह के दौरान 8,451 गांवों में दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभाग की अन्य फिक्सड सर्विस प्रदाताओं के संयुक्त प्रयासों से मार्च, 2002 तक देश के शेष सभी राजस्व गांवों में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	गांवों की संख्या	31.10.2000 की स्थिति के अनुसार वीपीटी सुविधा−युक्त गांव	31.10.2000 तक की स्थिति के अनुसार वीपीटी सुविधा रहित गांव	पिछले छः माह के दौरान दूरसंचार सुविधा प्रदान किए गए गांवों की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान−निकोबार	282	282	0	8
2.	आंध्र प्रदेश	29460	23383	6077	4
3.	असम	22224	14381	7843	200
4.	बिहार	79208	25584	53624	661

1	2	3	4	5	6
5.	गुजरात	18125	13923	4202	–
6.	हरियाणा	6850	6811	39	4
7.	हिमाचल प्रदेश	16997	11324	5673	960
8.	जम्मू–कश्मीर	6764	3865	2899	72
9.	कर्नाटक	27066	26080	986	279
10.	केरल	1530	1530	0	–
11.	मध्य प्रदेश	71526	46992	24534	494
12.	महाराष्ट्र	42060	31170	10890	–
13.	गोवा	407	371	36	–
14.	अरुणाचल	3599	634	2965	38
15.	मणिपुर	2394	688	1706	4
16.	मेघालय	5629	1215	4414	29
17.	मिजोरम	770	621	149	2
18.	नागालैंड	1192	638	554	43
19.	त्रिपुरा	862	660	202	4
20.	उड़ीसा	46989	23070	23919	142
21.	पंजाब	12687	12687	0	564
22.	राजस्थान	38634	23789	14845	62
23.	तमिलनाडु	17991	17898	93	53
24.	उत्तर प्रदेश (पू.)	75698	49943	25755	3451
25.	उत्तर प्रदेश (प.)	39551	24650	14901	1119
26.	पश्चिम बंगाल	37910	19967	17943	233
27.	सिक्किम	427	288	139	25
28.	कलकत्ता	468	421	47	0
29.	दिल्ली	191	191	0	–
	कुल	607491	383056	224435	8451

[अनुवाद]

कृषि आधारित उद्योग

183. डा. संजय पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विशेषकर पूर्वी भाग जैसे बिहार, असम आदि में कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में कृषि आधारित उद्योगों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन उद्योगों को आरंभ करने हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) और (ख) सरकार देश में प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाती रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत गैर सरकारी उद्योगों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर–सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास संगठनों तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं आदि को प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इन स्कीमों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे दुर्गम क्षेत्रों तथा समेकित जनजातीय विकास परियोजना (आई.टी.डी.सी.) क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए अधिक सहायता देने का प्रावधान है। ये स्कीमें परियोजना विशेष होती हैं न कि राज्य विशेष। विभाग स्वयं किसी राज्य में किसी यूनिट की स्थापना नहीं करता।

(ग) नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997–98 से 1999–2000) के दौरान असम और बिहार से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में करीब 5.06 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता दी गई है।

'टर्मिनल' बाजारों में शीतागारों का प्रावधान

184. डा. वी. सरोजा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'टर्मिनल' बाजारों में शीतागार शृंखलाओं, प्रशीतन पूर्व सुविधाओं का प्रावधान करने तथा शीतागारों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सरकार बागवानी उत्पाद हेतु शीतागारों और गोदामों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम का कार्यान्वयन कृषि मंत्रालय के स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निकायों, कंपनियों, निगमों, भागीदारी तथा मालिकाना फर्मों, कृषि उत्पाद विपणन समितियों/बोर्डों, उत्पादक संघों तथा गैर–सरकारी संगठनों को पार्श्वोत राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कुल परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 50 लाख रुपये तथा उत्तर–पूर्वी राज्यों को 33.33 प्रतिशत की दर से तथा अधिकतम 60.00 लाख रुपये की पूंजीगत राजसहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम उन सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है जो भाड़ा नियंत्रण नहीं करते।

शेयर के मूल्यों में गिरावट

185. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों में तेजी के परिणामस्वरूप लंबी दूरी की टेलीफोनी में दो सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रमों–विदेश संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के शेयरों के मूल्यों में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) वीएसएनएल से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। एमटीएनएल के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वीएसएनएल के संबंध में ब्यौरे

पिछले छः माह के दौरान वीएसएनएल के शेयर के मूल्य में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। मुख्यतः दो बातों के कारण मूल्य कम हुआ है : प्रथमतः संपूर्ण सेन्सेक्स में गिरावट के कारण और दूसरे केबल कनैक्टिविटी सहित अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी

पर समयपूर्व वीएसएनएल के एकाधिकार को समाप्त किए जाने के बारे में सरकार द्वारा की गई कुछ घोषणाओं के कारण 1 अप्रैल और अक्तूबर, 2000 के बीच 'वीएसएनएल–शेयर' के मूल्य का रुझान इस प्रकार रहा–

	31 मार्च, 2000		28 अप्रैल, 2000		30 अक्तूबर, 2000	
	मूल्य (रु.)	सेन्सेक्स	मूल्य (रु.)	सेन्सेक्स	मूल्य (रु.)	सेन्सेक्स
बीएसई	1840.00	5001.28	1330.00	4657.55	211.55 (बोनस छोड़कर)	3689.43
एनएसई	1852.50	1528.45	1325.05	1406.55	629.70 (बोनस सहित)	1167.15
जीडीआर	यूएस डॉलर 26.775		यूएस डॉलर 19.000		यूएस डॉलर 7.500	

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 और राष्ट्रीय राजमार्ग-43 को जोड़ा जाना

186. श्री के.पी. सिंह देव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–5 बरहामपुर तथा मध्य प्रदेश के रायपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 को जोड़ने का है;

(ख) क्या इससे अंगुल तथा ढेंकानाल जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) केंद्र सरकार उड़ीसा में गोपालपुर को मध्य प्रदेश में रायपुर से जोड़ने वाली सड़क को दिनांक 12.10.2000 की अधिसूचना के तहत नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 217 पहले ही घोषित कर चुकी है। यह सड़क रा.रा. सं. 5 को काटती हुई बेरहामपुर से गुजरती है तथा रायपुर के निकट रा.रा. सं. 6 के साथ मिलने के बाद रा.रा. सं. 43 तक जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

187. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में चलाई गई नई योजना के तहत राजस्थान में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) इन नए कनेक्शनों में कितने माडलों के टेलीफोन उपकरण दिए गए हैं;

(ग) क्या अधिकांश नए टेलीफोन कनेक्शन खराब टेलीफोन उपकरणों के कारण काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो शिकायतों का निराकरण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 1.11.2000 से शुरू कम पंजीकरण शुल्क पैकेज के तहत राजस्थान सर्किल में प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 2601 है।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) के तहत प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आठ प्रकार के नए मोडल दिए गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

पानीपत में प्रदूषित जल

188. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानीपत, हरियाणा में रसायनों के प्रदूषित जल के खुले नालों और क्षेत्रों में गिरने वाले सैंकड़ों रंगसाजी कारखानों के

कारण भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में किसी भी प्रकार के उद्योग से भूमिगत जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या देश के सभी रंगसाजी कारखानों और भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाली इकाइयों का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, उनके रिकार्ड में ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि पानीपत में रंगसाजी कारखानों से निकलने वाले रसायनों से युक्त जल को भूमि द्वारा सोख लेने से भूमि का जल पीने के अयोग्य हो गया हो।

(ख) उद्योगों के कारण भूमिगत जल संदूषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं–

– भिन्न–भिन्न उद्योगों से बहिस्राव निर्गम हेतु पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

– केंद्रीय सरकार ने भूमिगत जल प्रबंधन एवं विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के प्रयोजनार्थ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक प्राधिकरण के रूप में केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड का गठन किया है।

– देश के भिन्न–भिन्न शहरों और नगरों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर भूमिगत जल की गुणता को मानीटर किया जाता है।

(ग) और (घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उनके अपने–अपने राज्य में रंगसाजी कारखानों सहित प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की सूची बनाई जा रही है। ऐसा सर्वेक्षण गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में किया गया है। कुछ राज्यों में रंगसाजी इकाइयों (एस.एस.आई.) के समूह के लिए कई साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की व्यवस्था की गई है।

नाल्को के विकास संबंधी गतिविधियां

189. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राष्ट्रीय अल्युमिनियम कंपनी (नाल्को) द्वारा कुल कितना लाभांश अर्जित किया गया;

(ख) इन वर्षों में सामाजिक क्षेत्र में नाल्को द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या उड़ीसा में अनुगुल तथा अन्य क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र में परिधीय विकास और अन्य विकास हेतु नाल्को द्वारा जारी की गई धनराशि वास्तविक रूप से खर्च की गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन क्षेत्रों, जहां नाल्को द्वारा अल्युमिना/अल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना के कारण लोग प्रभावित हुए थे, के विकास हेतु नाल्को द्वारा क्या विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (नाल्को) ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई लाभांश अर्जित नहीं किया।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान नाल्को द्वारा सामाजिक क्षेत्र में खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है–

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
1995–96	0.62
1996–97	0.65
1997–98	1.20
1998–99	5.52
1999–2000	4.57

(ग) नाल्को द्वारा परिधीय विकास योजनाओं के लिए जारी की गई राशि विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों पर व्यय की गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नाल्को के परिधीय विकास योजना के अंतर्गत आरंभ की गई गतिविधियों में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के लिए भवन का निर्माण, सड़कों, पुलियों का निर्माण/मरम्मत, सामुदायिक सुविधाएं, खेल का मैदान, ट्यूबवेलों को खोदना, पेय–जल योजनाएं, सफाई का प्रबंध, गली की लाईटें, स्वास्थ्य और टीकाकरण शिविर, परिवार कल्याण शिविर, पशु स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक वानिकी आदि शामिल हैं।

एस. टी. डी. सेवाएं

190 श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सितम्बर, 2000 के दौरान एस.टी.डी. सेवाएं कितने दिनों तक बाधित रहीं;

(ख) एस.टी.डी. सेवाओं के बाधित होने के कारण कितने शहर प्रभावित हुए;

(ग) क्या सरकार ने आवश्यक सेवाओं में इसे बाधित करने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

इंटरनेट नॉड्स

191. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 'इंटरनेट नॉड' बहुत धीमे चल रहा है; और

(ख) उक्त जिले में 'इंटरनेट नॉड' की गति बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। तथापि, व्यस्त समय के दौरान डाटा ट्रांस्फर रेट धीमा हो जाता है।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने गति में सुधार लाने के लिए यवतमाल इंटरनेट नॉड को नागपुर राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन (एनआईबी) से जोड़ने की योजना बनाई है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु सहायता

192. श्री जयभद्र सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य में बिजली की कमी को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें बिजली उपलब्ध न होने के कारण अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस कार्य के लिए राज्य सरकार को अधिक निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि जारी किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में बढ़ी हुई रबी फसल की सिंचाई संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 15 दिसंबर, 2000 तक 300 मे.वा. अतिरिक्त बिजली देने का अनुरोध किया है जिसे इन केंद्रीय क्षेत्र विद्युत केंद्रों में उनके सुनिश्चित हिस्से के जरिए आबंटित किया गया है जिसे गैर–भुगतान के कारण पूर्व में उत्तरी क्षेत्र के अन्य घटक राज्यों को दे दिया गया था। यह आबंटन उत्तर प्रदेश द्वारा केंद्रीय क्षेत्र केंद्रों में अपने 2372 मे.वा. हिस्से के अतिरिक्त है जिसका उत्तर प्रदेश पहले से उपयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्र केंद्रों के अनाबंटित कोटे से 14 प्रतिशत (126 मे.वा.) का भी आबंटन किया गया है।

राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने ताप विद्युत केंद्रों के विद्युत उत्पादन को बढ़ाए, जो कोयले के अभाव में घटता जा रहा है।

(घ) से (च) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। जहां एक तरफ निजी क्षेत्र परियोजनाओं के मामले में संबंधित परियोजनाओं के मामले में संबंधित परियोजना प्रवर्तक आवश्यक निधि जुटाते हैं, वहीं संबंधित सीपीएसयू केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं का वित्त पोषण करेंगे। जहां तक राज्य क्षेत्र परियोजनाओं का प्रश्न है, राज्य सरकार राज्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए इन परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू वित्तीय संस्थानों से विचार–विमर्श कर रही है।

विवरण

के.वि.प्रा. स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	के.वि.प्रा. में प्राप्ति की तिथि	टीईसी की तिथि
	अनपारा 'सी' यूपीएसईबी (सोनभद्र) (टी)	2 × 500 = 1000	63.823 बिलियन येन + 1738.17 करोड़ रुपये (संपूर्ण लागत)	11/94	9.8.1996
2.	विष्णुप्रयाग एचईपी (एच) (मै. जयप्रकाश पावर वेंचर लि.) चमोली	4 × 100 = 400	107.35 मिलियन अमरीकी डॉलर (एफपीपी 31.12.2000 तक प्रस्तुत की जाएगी)	4/97	3.6.1997
3.	रोजा टीपीपी चरण–1 (मै. इण्डो–गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि.) शाहजहांपुर (टी)	2 × 283.5 = 567	280.7267 मिलियन अमरीकी डॉलर 1435.5284 करोड़ रु.	4/96	20.8.1997
4.	टिहरी बांध चरण–2 एचईपी (उ.प्र.) टीएचडीसी (टिहरी गढ़वाल) (एच)	4 × 250 = 1000	531 करोड़ रुपये पर्यावरणीय पर स्वीकृति निर्भर	3/81 9/87	(1) 10 (2) 10 1988
5.	औरैया सीसीजीटी चरण–2 (टी) उ.प्र.–एनटीपीसी (इटावा)	1 × 650 = 650	243.844 मिलियन अमरीकी डॉलर + 857.622 करोड़ रु. (संपूर्ण लागत)	5/97	28.9.1998
6.	रिहन्द एसटीपीपी चरण–2 (टी) एनटीपीसी	2 × 500 = 1000	433.19 मिलियन अमरीकी डॉलर + 2208 करोड़ रुपये (संपूर्ण लागत)	9/98	22.7.1999 1.10.1999
7.	मनेरी भाली–2 एचईपी (एच) यूपीएसईबी (उत्तर काशी)	4 × 76 = 304	1111.39 करोड़ रुपये	8/98	25.2.2000
8.	श्रीनगर एचईपी (एच) (मै. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि.) पौड़ी गढ़वाल	4 × 82.5 = 330	95.054 मिलियन अमरीकी डॉलर + 1299.89 करोड़ रुपये	4/2000	13.6.2000

कुल (8)	—	5251 मे.वा.
जल विद्युत (4)	—	2034 मे.वा.
ताप विद्युत (4)	—	3217 मे.वा.

आंध्र प्रदेश में वेबसाइट 'हैक' किया जाना

193. **श्री के. येरननायडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश दूरसंचार विभाग की वेबसाइट को अक्तूबर, 2000 में कई बार 'हैक' किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वेबसाइटों से आई.एस.आई. की संलिप्तता रोकने के लिए इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल की वेबसाइट को एक बार 4.10.2000 को हैक किया गया था।

(ख) ऐसा तब हुआ जब 3.10.2000 को वेबसाइट को अस्थायी रूप से टेस्ट सर्वर में स्थानांतरित किया गया। इस अवधि के दौरान मुख्य सर्वर का उन्नयन किया जा रहा था।

टेस्ट सर्वर पर वेबसाइट केवल स्टेटिक वेब पेजेज पर तथा बिना किसी डाटाबेस के कार्य कर रही थी। अतः सुरक्षा सुविधाओं को शुरू नहीं किया गया था। तत्पश्चात् मुख्य सर्वर का उन्नयन पूरा किया गया तथा वेबसाइट को 5.10.2000 को वापिस स्थानांतरित किया गया।

(ग) वेबसाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल द्वारा एहतियात बरती जा रही है।

दलहनों का उत्पादन

194. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को कोई प्रोत्साहन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार दलहनों का कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या दलहनों का उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो क्या दलहनों के निर्यात का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। देश के 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना चलायी जा रही है जिसके अंतर्गत 305 जिलों को कवर किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को राज्य सरकारों के माध्यम से कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत प्रमाणित बीज, बीज मिनीकिट्स, राइजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्वों, स्प्रिंकलर सैटों, उन्नत फार्म उपस्करों, पादप संरक्षक उपस्करों आदि के वितरण के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। इसके अलावा, उन्नत दलहन उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकी के कारगर अंतरण के लिए क्षेत्रीय प्रदर्शनों और कृषक प्रशिक्षणों का भी आयोजन किया जा रहा है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित दलहन की मात्रा नीचे दी गई है–

वर्ष	क्षेत्र ('000 हे. में)	उत्पादन ('000 टन में)
1997–98	22871.2	12979.3
1998–99	23818.9	14809.2
1999–2000 (अनुमानित)	21371.0	13060.0

(घ) से (च) दलहन का उत्पादन हमारी जरूरत से ज्यादा नहीं होता है। हालांकि दलहनों का निर्यात कम मात्रा में ही हो रहा है क्योंकि खुली सामान्य लाइसेंस नीति के अंतर्गत केवल 5 कि.ग्रा. के पैकेटों में ही निर्यात करने की अनुमति है। गत तीन वर्षों के दौरान दलहन के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

वर्ष	दलहनों का निर्यात (लाख टन में)
1997–98	1.68
1998–99	1.04
1999–2000 (अनंतिम)	1.82

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के प्रभावित किसानों को मुआवजा

195. **कुंवर अखिलेश सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में रबी की फसल से संबंधित कार्य नहीं किया जा सका और इन फसलों को खेतों में ही जलाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है;

(ग) क्या प्राकृतिक आपदा से हुए इस नुकसान के कारण प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) से (ङ) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को आपदा राहत कोष के केंद्रीय अंश की प्रथम किस्त के रूप में 39.18 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान कर दी गई है। आपदा राहत कोष के प्रतिमानों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार फसल क्षति के लिए किसानों को अदान राजसहायता देने का प्रावधान है। सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की है जिसका किसानों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी अपेक्षित है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों, जिनमें किसान भी शामिल हैं, को राहत देने की प्रारंभिक जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज

198. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री खारवेल स्वाईं :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में विशेषकर बालासोर क्षेत्र में जिलेवार कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान उक्त राज्य और क्षेत्र में स्थान–वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उड़ीसा में कटक के आथगढ़ अनुमंडल में बरबां और नरसिंहपुर–स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों का उन्नयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नरसिंहपुर और कटक के बीच स्थानीय काल–सुविधा प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में 887 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 74 एक्सचेंज बालासोर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जिले–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) उड़ीसा राज्य में 2000–2001 के दौरान 76 एक्सचेंज तथा 2001–2002 के दौरान 75 एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। पहले से खोले गए एक्सचेंजों तथा वर्ष 2000–2001 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों का स्थान–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। 2001–2002 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की अवस्थिति का निर्णय मांग के आधार पर किया जाएगा।

(ग) और (घ) बाराम्बा के टेलीफोन एक्सचेंज का 512 पीसी–डॉट एक्सचेंज में उन्नयन कर दिया गया है। उड़ीसा में कटक के आथगढ़ उप–मंडल में नरसिंहपुर के 256 पोर्ट सी–डॉट एक्सचेंज की दूसरी यूनिट की संस्थापना की योजना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) भाग को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) नरसिंहपुर न तो कटक का निकटवर्ती एसडीसीए है और न ही यह कटक से 50 कि.मी. की अरीय दूरी के भीतर है।

विवरण-I

उड़ीसा में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला–वार ब्यौरा (31.10.2000 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिला राजस्व	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बालासोर	45
2.	भद्रक	29

1	2	3
3.	नौपाडा	11
4.	कालाहांडी	24
5.	धेनकनाल	35
6.	अंगुल	34
7.	क्योंझर	33
8.	संबलपुर	26
9.	बारगढ़	38
10.	झारसुगड़ा	15
11.	देवगढ़	5
12.	कटक	48
13.	जाजपुर	34
14.	जगतसिंहपुर	31
15.	केंद्रपाड़ा	21
16.	खुर्द	56
17.	नयागढ़	16
18.	पुरी	29
19.	बोलनगीर	27
20.	सोनेपुर	11
21.	मयूरभंज	41
22.	सुंदरगढ़	54
23.	गंजाम	96
24.	गजपति	13
25.	बौध	10
26.	कन्दामाला (फुलबनी)	25
27.	कोरापुट	32
28.	रायगढ़	24
29.	नवरंगपुर	14
30.	मलकानगिरी	10
	कुल	887

विवरण

2000–2001 के दौरान पहले से खोले गए/खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का स्थान–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राजस्व जिले	स्टेशन	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	मलकानगिरी	खैरापुट	चालू किया गया
2.	मलकानगिरी	कुडुमुल गुमा	चालू किया गया
3.	मलकानगिरी	पाडिया	चालू किया गया
4.	कोरापुट	पोडागढ़	
5.	कोरापुट	अनुकूडेली	चालू किया गया
6.	रायगढ़	दुर्गि	
1.	अंगुल	बालीपट्टा	चालू किया गया
2.	धेनकनाल	बीरासाल	चालू किया गया
3.	धेनकनाल	महावीर रोड	चालू किया गया
4.	क्योंझर	जंधीरा	
5.	अंगुल	पवित्रनगर	चालू किया गया
6.	क्योंझर	उदयपुर	
1.	खुर्द	कृष्णप्रसाद	
2.	खुर्द	नौपाडा	चालू किया गया
3.	पुरी	सुनामुही	
4.	खुर्द	पटमाहाट	
5.	खुर्द	अभयमुखी	
6.	खुर्द	भेहीपाडा	
7.	पुरी	सतपाडा	
8.	पुरी	खजूरीया	
9.	नयागढ़	गोडीपाडा	
1.	कालाहांडी	दिसापुर	
2.	नौपाडा	लखाना	

1	2	3	4
3.	नौपाडा	भूलिया–सिकौन	
4.	नौपाडा	सारांबोंग	चालू किया गया
5.	नौपाडा	तारबोड	
6.	कालाहांडी	अम्पानी	चालू किया गया
1.	जाजपुर	गोबर्धनपुर	
2.	जगतसिंहपुर	अनोलिपटना	
3.	जाजपुर	पेरिपाडा	
4.	कटक	बरहामपुर	
5.	केंद्रपाड़ा	अयतना	
6.	कटक	जिलिंदा	
7.	कटक	बंडालो	
8.	केंद्रपाड़ा	अधाजोरी	
9.	केंद्रपाड़ा	बेनीपुर	
10.	केंद्रपाड़ा	अंतेई	
11.	केंद्रपाड़ा	नामौजा	
12.	केंद्रपाड़ा	पिकराली	
13.	कटक	दुर्गापुर	
14.	कटक	रामेश्वर	
15.	जाजपुर	रायगडी	
16	जाजपुर	नहान	
1.	मयूरभंज	नादपुर	
2.	मयूरभंज	तंगाविल्ला	
3.	मयूरभंज	मानिदा	
4.	मयूरभंज	प्रतापपुर	
5.	मयूरभंज	मरशिगांव	
1.	बोलनगीर	गुडुवेल्ला	चालू किया गया
2.	बोलनगीर	चंदनवटी	
3.	बोलनगीर	घासीयन	
4.	बोलनगीर	माहीमुंडा	
1.	फुलबनी	गोच्छापारा	
2.	गंजाम	पीतल	
3.	बौधा	अंबागांव	
4.	गंजाम	खांडा देओली	
1.	भद्रक	बेरम	चालू किया गया
2.	बालासोर	कालीपाडा	चालू किया गया
3.	भद्रक	बिलाना	
4.	बालासोर	दुर्गादेवी	
5.	भद्रक	कामारोन	
6.	बालासोर	श्रीरामपुर	
7.	भद्रक	अंतरा	
1.	सुंदरगढ़	गुरूनडिया	
2.	सुंदरगढ़	बडा गौडा	
3.	सुंदरगढ़	केलीपोश	चालू किया गया
4.	सुंदरगढ़	सोराडा	
5.	सुंदरगढ़	खुंतागांव	
6.	सुंदरगढ़	शहाजबहल	
1.	देवगढ़	तिलेबानी	चालू किया गया
2.	बारगढ़	जानपाड़ा	चालू किया गया
3.	झारसुगडा	सेलेतिकिरा	
4.	झारसुगडा	पुखरीसाही	
5.	संबलपुर	गुंडूरचौन	
6.	संबलपुर	फेसीमल	
7.	संबलपुर	गोच्छारा	

स्पीड पोस्ट की सुविधा

197. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के किन–किन नगरों/शहरों में स्पीड पोस्ट/सैटेलाइट मनीआर्डर की सुविधा है;

(ख) क्या वर्ष 2000–2001 के दौरान इस राज्य के अन्य डाकघरों में भी इन सुविधाओं के विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो प्राप्त हुए तथा विचाराधीन प्रस्ताव सहित तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण–I और II में दी गई है।

(ख) से (घ) स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम उत्पाद है तथा इसे व्यावसायिक आधार पर बनाया जाता है। इस नेटवर्क का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति, आवश्यकता के मूल्यांकन, प्रत्याशित राजस्व तथा परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करता है।

उपग्रह मनीआर्डर

संलग्न विवरण–III में उल्लिखित नगरों/शहरों में उपग्रह मनीआर्डर सेवा का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

महाराष्ट्र सर्किल में स्पीड पोस्ट सुविधा वाले नगरों/शहरों की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र
1	2
1.	मुंबई
2.	नागपुर
3.	नासिक
4.	औरंगाबाद
5.	पणजी (गोआ)
6.	पुणे
7.	थाणे
	राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र
1.	अलीबाग
2.	भायंदर
3.	महद
4.	मीरा रोड
5.	पनवेल
6.	पेन
7.	रोहा
8.	वाशी
9.	वसई
10.	विरार
11.	अकोला
12.	अमरावती
13.	चन्द्रपुर
14.	मलकपुर
15.	गढ़चिरौली
16.	वरधा
17.	वशिम
18.	यवतमाल
19.	भंडारा
20.	गोंदिया
21.	कॉम्पटी
22.	रत्नगिरि
23.	चिपलून
24.	लोटे
25.	सांगली
26.	मिराज

1	2
27.	इच्छलकरंजी
28.	कोल्हापुर
29.	अहमदनगर
30.	वाकेन
31.	देहू रोड कैंट
32.	जेजूरी
33.	कारद
34.	लूनावाला
35.	महाबलेश्वर
36.	पंचगानी
37.	पंढरपुर
38.	शोलापुर
39.	सतारा
40.	शिरूर
41.	कापेरगांव
42.	सिर्डी
43.	भूसावल
44.	बीड
45.	धुले
46.	जलगांव
47.	जालना
48.	लातूर
49.	मालेगांव
50.	ओस्मानाबाद
51.	नांदेड़
52.	परभनी

विवरण-II

महाराष्ट्र में उपग्रह मनीआर्डर सुविधा वाले शहरों के नाम

1. मुंबई
2. नागपुर
3. पुणे
4. औरंगाबाद
5. दादर प्रधान डाकघर

महाराष्ट्र में विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर सुविधा वाले शहरों के नाम

1. अहमदनगर
2. परातवादा
3. अमरावती
4. बीड
5. गोंदिया
6. भंडारा
7. खामगांव
8. बुलदाना
9. चन्द्रपुर
10. मार्गो
11. पणजी
12. बोरीविली
13. चेम्बूर
14. चिंच बुंदेर
15. गिरिगांव
16. कालबादेवी
17. महिम
18. मांडवी
19. कमेठी

20. नागपुर सिटी
21. थाणे
22. वरधा
23. अलीबाग
24. कल्याण
25. कॉम्पटी
26. खामगांव
27. मीरागांव
28. अम्बेजुगल
29. देवली
30. तुलजापुर
31. पारतेश्वर
32. पंधरपुर
33. सतारा
34. कोल्हापुर
35. सांगली
36. पालघर
37. शोल्हापुर
38. कराड
39. मिर्जा
40. श्रीरामपुर

विवरण-III

वर्ष 2000–2001 के दौरान उपग्रह मनीआर्डर सेवा सुविधा के लिए प्रस्तावित शहर

1. रत्नागिरि
2. नासिक
3. जलगांव
4. शोल्हापुर
5. कोल्हापुर
6. अकोला

वर्ष 2000–2001 में विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर सुविधा के लिए प्रस्तावित स्थान

1. धुले
2. सांगली
3. बीड
4. जालना
5. कराड
6. लातूर
7. मालेगांव
8. मालवान
9. मिराज
10. नांदेड़
11. ओस्मानाबाद
12. पंधरपुर
13. पनवेल
14. परभनी
15. शिवाजी नगर
16. श्रीरामपुर
17. यवतमाल
18. चलगांव
19. इच्छलकरंजी
20. पालघर
21. सिरडी
22. सावंतवाड़ी
23. गढ़चिरौली
24. कुदाल

[हिन्दी]

अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से प्रदूषण

198. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पताल से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से सभी महानगरों में एक बड़ा खतरा बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से फैलने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं शुरू की गई हैं/की जा रही हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का उपयुक्त संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, भंडारण, शोधन तथा निपटान करना सभी महानगरों के लिए एक प्रमुख चुनौती है। जैव-चिकित्सा अपशिष्टों को विनियमित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 अधिसूचित किया है। जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंधन की एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। लोगों को जैव-चिकित्सा अपशिष्टों की अनुपयुक्त हैंडलिंग के खतरों के प्रति जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं।

[अनुवाद]

कच्चा नारियल

199. श्री पी. सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चा नारियल पोषक स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है;

(ख) यदि हां, तो कच्चा नारियल के घरेलू और अन्य उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन उत्पादों को कम लागत पर दूसरे स्थानों को भेजने के संबंध में कोई कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है या कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में (जिन क्षेत्रों में नारियल का उत्पादन नहीं होता है) कच्चा नारियल उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) कच्चे नारियल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नारियल विकास बोर्ड विपणन प्रोत्साहन गतिविधियां चलाता है जैसे प्रचार माध्यमों द्वारा विज्ञापन डिब्बा बंद कच्चा नारियल पानी का प्रचार-प्रसार विभिन्न राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों संगोष्ठियों में सहभागिता। हाल ही में नारियल विकास बोर्ड ने जनता में खासतौर से युवा पीढ़ी में जागरूकता लाने के लिए 'मानवीय पोषण में कच्चा नारियल' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। बोर्ड के कोचि स्थित केरा भवन मुख्यालय परिसर में नारियल पानी की दुकान (एलानीर पंडाल) खोली गई है। केरल में वर्ष 1995-96 के दौरान एलानीर पंडालों की स्थापना के लिए बोर्ड द्वारा 5000 रु. का सहायता अनुदान प्रदान किया गया। बोर्ड द्वारा एक विशेष मशीन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कच्चे नारियल को तोड़कर उसका पानी निकाला जाता है।

(ग) से (ङ) कच्चे नारियल का परिवहन असुविधाजनक और मंहगा है एवं इसका भंडारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। अतः नारियल विकास बोर्ड ने नारियल पानी के परिरक्षण और इसे पाऊचों/एल्यूमिनियम के डिब्बों में पैक करने के लिए रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से प्रौद्योगिकी का विकास किया है। तीन उद्यमियों ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। एक कंपनी ने अपना उत्पाद बाजार में लाकर पिछले ओलंपिक के समय सिडनी में निर्यात किया। यह उत्पाद भारत के सभी महानगरों में उपलब्ध है। कंपनी अपने बाजार का विस्तार पूरे भारत में करने का प्रयास कर रही है विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां कच्चा नारियल आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कच्चा नारियल निजी व्यापारियों के माध्यम से गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जाता है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं

200. श्री रामदास आठवले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र की ऐसी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी वित्तीय औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी मेगावाट क्षमता कितनी है;

(ग) इनका राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन विद्युत परियोजनाओं को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन विद्युत परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कितनी अनुमानित लागत आएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्राप्त 16 परियोजनाएं जिनकी समग्र क्षमता लगभग 6120 मे.वा. है, ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार सीईए से टीईसी प्राप्त 5 परियोजनाओं को सीईए ने इनके लिए सुनिश्चित वित्तीय पैकेज (एफएफपी) को मंजूरी दे दी है।

विवरण

ऐसी निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं की क्षमता स्थल चालू होने की समय सीमा एवं अनुमानित लागत का विवरण जिनके लिए एफएफपी को सीईए ने अनुमोदन दे दिया है

क्र.सं.	परियोजना का नाम पर्वतक	क्षमता (मे.वा.)	राज्य जिला	चालू करने की समय सीमा	अनुमानित लागत	
					टीईसी के अनुसार	एफएफपी के अनुसार
1.	मैसर्स पीपीएन पावर जनरेशन कंपनी द्वारा पीपी नूल्लूर सीसीपीपी	330.5	तमिलनाडु (तंजावुर)	3/2001	206.549 मिलियन अमेरिकन डालर + 429.86 करोड़ रु. (1 अमेरिकन डालर = 33.5 रु.)	177.48 मिलियन अमेरिकन डालर + 524.81 करोड़ रु. (1अमेरिकन डालर = 33.5 रु.)
2.	मैसर्स कोंडापल्ली पावर कारपोरेशन द्वारा कोंडापल्ली सीसीपीपी	355.0	आंध्र प्रदेश कृष्णा	जीटी 1 1/2000 जीटी 2 3/2000 एसटी 8/2000	180.616 मिलियन अमेरिकन डालर + 385.254 करोड़ रु. (1 अमेरिकन डालर = 36 रु.)	178.636 मिलियन अमेरिकन डालर + 384.441 करोड़ रु. (1 अमेरिकन डालर = 36 रु.)
3.	मैसर्स सम्मलपट्टी पावर कंपनी द्वारा सम्मतपट्टी डीजीपीपी	106.0	तमिलनाडु (धर्मपुरी)	14–17 माह एफसी से	61.222 मिलियन अमेरिकन डालर + 153.098 करोड़ रु. (1 अमेरिकन डालर = 39 रु.)	55.978 मिलियन अमेरिकन डालर + 172.508 करोड़ रु. (1 अमेरिकन डालर = 39 रु.)
4.	मैसर्स एसएमएलएलपीसीएल दारा महेश्वर एचईपी	400	मध्य प्रदेश कार्गोन	2003–04	213.29 मिलियन अमेरिकन डालर + 812.09 करोड़ रु. (1 अमेरिकन डालर = 35.5 रु.)	211.68 मिलियन अमेरिकन डालर + 921.665 करोड़ रु. (1 अमेरिकन डालर = 35.5 रु.)
5.	मैसर्स मलाना पावर कंपनी लि. द्वारा मलाना एचईपी	86	हिमाचल प्रदेश कुल्लू	वित्तीय समापन के 5 वर्ष बाद	341.911 करोड़ रु.	332.711 रु.

सीईए : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
एफएफपी : निर्धारित वित्तीय पैकेज
जीटी : गैस टरबाइन
सीसीपीपी : संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना
डीजीपीपी : डीजल जनरेटर विद्युत परियोजना
एसटी : भाप टरबाइन
एफसी : वित्तीय समापन
एसएमएचपीसीएल : श्री महेश्वर जल विद्युत कारपोरेशन लि.

[अनुवाद]

कोयले के कारण उत्पन्न पर्यावरण संबंधी समस्याएं

201. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ राज्यों में कोयले के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न समस्याओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयले के उपयोग से उत्पन्न पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निवारणार्थ कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयला उपयोग से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

- एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें पिटहैड से 1000 कि.मी. दूर स्थित अथवा पिटहैड से दूरी का ध्यान किए बिना शहरी क्षेत्रों अथवा अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित ताप विद्युत संयंत्र 1.6.2001 से 34 प्रतिशत से कम राख के अंश वाले कोयले का इस्तेमाल करेंगे।

- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कोयला खनन, इस्पात और सीमेंट संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बॉयलरों में कोयला का उपयोग करने वाले अन्य उद्योगों के लिए पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

- प्रमुख रूप से कोयला इस्तेमाल करने वाले उद्योगों का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा नियमित मानीटरन किया जाता है और दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

- कोयला खानों के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानक और व्यवहार संहिता अधिसूचित की गई है।

- पर्यावरण सुरक्षा के लिए, ऊपरी मृदा संरक्षण के लिए और भूमि पर कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली उड़न राख फेंकने को रोकने तथा उसका निपटान करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सहायता

202. श्री होलखोमांग होकिप : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण, चौड़ीकरण और विकास के लिए राजमार्ग–वार कितनी वित्तीय सहातया उपलब्ध कराई गई हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के जिलावार ब्यौरे नहीं रखे जाते। राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं—

राज्य	रा.रा. लंबाई कि.मी. में
अरुणाचल प्रदेश	392
असम	2836
मणिपुर	954
मेघालय	717
मिजोरम	857
नागालैंड	439
सिक्किम	62
त्रिपुरा	400
कुल	6657 कि.मी.

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और इनके लिए राज्य सरकारों को धनराशि राज्यवार जारी की जाती है न कि राजमार्गवार। इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं—

राज्य	9वीं योजना (1997–2001) में अब तक आबंटित धनराशि (करोड़ रु.)	
	विकास	अनुरक्षण
अरुणाचल प्रदेश*	–	–
असम	146.15	100.85
मणिपुर	36.67	23.42
मेघालय	58.84	29.16
मिजोरम	15.00	10.50
नागालैंड	26.00	12.83
सिक्किम*	–	–
त्रिपुरा*	–	–
कुल	282.66	176.76

*अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी आर डी बी) के पास हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 9वीं योजना के दौरान अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 352.30 करोड़ रु. और अनुरक्षण के लिए 24.81 करोड़ रु. सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) को आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

उत्तरी बिहार में बागवानी, मत्स्य-पालन आदि में निवेश

203. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में कृषि के साथ–साथ बागवानी, मत्स्य–पालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं में भी अधिक मात्रा में निवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) और (ख) भारत सरकार बिहार सहित देश में बागवानी, मात्स्यिकी, डेयरी तथा खाद्य प्रसंस्करण के विकास के लिए विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। बिहार राज्य के लिए अलग से कोई कार्य योजना नहीं है।

[अनुवाद]

बाढ़/चक्रवात के कारण जन-धन की हानि

204. श्री सत्पाल चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अक्तूबर, 2000 तक बाढ़/चक्रवात/अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्यवार और वर्षवार हुई जन–धन की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बाढ़ और अन्य आपदाओं से बचाव के लिए राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को कितनी निधियां आबंटित की गईं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को वर्षवार कितनी राशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं का सामना करने हेतु बड़ी आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और योजनाएं बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) विवरण–I संलग्न है।

(ख) और (ग) बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत एवं पुनर्वास उपायों की मूल जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केंद्रीय सरकार तुरंत राहत उपाय करने के लिए आपदा राहत निधि में से धनराशि जारी करके राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। गंभीर किस्म की प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्यों को 1995–2000 के दौरान तत्कालीन आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता भी दी गई थी। पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 2000–2001 के दौरान राज्यों के लिए आपदा राहत निधि में केंद्रीय अंश के आबंटन संबंधी जानकारी संलग्न विवरण–II तथा III में दी गई है। वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्यों को जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है। (राष्ट्रीय आपदा राहत कोष 1.4.2000 से बंद कर दिया गया है।)

(घ) और (ङ) पंचवर्षीय आधार पर नियुक्त वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार गंभीर किस्म की प्राकृतिक आपदाएं आने पर

उनसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से सहायता एकत्र तथा समन्वित करके राज्य सरकारों के साथ निकटस्थ समन्वय के माध्यम से निपटा जाता है। ऐसी आपदाएं आने पर राज्यों में चलाई जा रही केंद्रीय सरकार की प्लान स्कीमों से भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्यों को 2555.28 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। ग्यारहवें वित्त आयोग ने ऐसे मामलों में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से सहायता देने की सिफारिश की है।

विवरण-I

दक्षिण–पश्चिम मानसून, 1997 के दौरान भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात तथा भू–स्खलन के कारण हुई क्षति

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आपदा की अवधि	कुल जिले (सं.)	प्रभावित जिले (सं.)	प्रभावित गांव (सं.)	प्रभावित क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र (लाख है.)	क्षतिग्रस्त मकान/ झोंपड़ियां (सं.)	मृत व्यक्ति (सं.)	मृत पशु सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	23-26.9.97	23	9	1301	1.35	47.98	1.35	7725	40	93
अरुणाचल प्रदेश	14.6.97	12	9	66	नगण्य	0.14			8	
असम	6.6.97	23	6	439	0.41	1.00	0.07		1	
	8.7.97	23	17	3076	6.35	24.58	1.01	4770	14	
	16.9.97	23	3	341	0.21	13.08				
बिहार	13.7.97 सित. 97	55	25	6650	11.45	67.61	6.30	166390	155	151
गुजरात	23–26.6.97	19	17	2125	1.98	3.12	1.98	117500	219	9949
	26.7–26.8.97	19	11	1931	0.95	11.49	0.95	25319	66	979
हिमाचल प्रदेश	29.7, 11.8.97	12	12	1931	4.48	28.55	2.54	11067	223	4809
जम्मू व कश्मीर	अगस्त, 97	14	11	11935	0.08		0.08	20907	80	6682
कर्नाटक	जुलाई, 97	20	11	299	0.05		0.05	1641	66	82
केरल	9.6.97–23.9.97	14	14	1482	3.85	95.00	0.90	16109	143	183
महाराष्ट्र	1–30.6.97	31	21	1432	नगण्य		नगण्य	967	76	70
	1–31.7.97	31	18	265	नगण्य	नगण्य	नगण्य	406	14	18
	1–31.8.97	31	8	2419	0.49	7.95	0.49	33279	73	198
	1–31.9.97	31	15	55		0.02		382	36	32
1. मध्य प्रदेश	अगस्त, 97	45	4	748	0.22	4.56	0.22	47963	34	1263
2. उड़ीसा	जुलाई–अग., 97	30	19	9387	4.06	39.32	4.06	87678	29	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. पंजाब	25.7–31.8.97	17	12	3090	0.86		0.86	10685	22	75
4. राजस्थान	जून–सित., 97	30	11	385	नगण्य		नगण्य	10196	64	94
5. सिक्किम	7–9.6.97	4	4					3000	57	
	5–6.8.97	4	4	1						5
16. उत्तर प्रदेश	जुलाई–सित., 97	72	35	2284	3.49	10.21	1.55	5123	102	114
17. पश्चिम बंगाल	27–28.6.97	18	3		नगण्य	1.17	नगण्य	2000		
	22–24.7.97	18	6	881	1.93	12.36	1.93	38750	21	
	6.8.97	18	1			0.01		16	17	
			241	52523	42.21	368.15	24.34	611873	1560	24849

वर्ष 1998–1999 के दौरान भारी वर्षा/बाढ़, चक्रवात आदि के कारण हुई क्षति

क्र.सं.	राज्य	मृत व्यक्ति (संख्या)	मृत पशु (संख्या)	क्षतिग्रस्त मकान (लाख)	क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	239	सू.न.	0.31	13.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	23	16	नगण्य	नगण्य
3.	असम	159	7814	0.35	2.89
4.	बिहार	380	187	1.99	12.24
5.	गुजरात	1305	15647	2.73	2.27
6.	हरियाणा	सू.न.	सू.न.	सू.न.	7.40
7.	हिमाचल प्रदेश	71	221	0.05	2.35
8.	कर्नाटक	310	9562	1.28	6.07
9.	केरल	224	सू.न.	0.38	1.46
10.	महाराष्ट्र	537	2000	1.46	सू.न.
11.	मेघालय	3	सू.न.	नगण्य	0.04
12.	उड़ीसा	23	17	0.12	0.75
13.	पंजाब	46	72	नगण्य	0.84

1	2	3	4	5	6
14.	राजस्थान	12	51295	0.16	सू.न.
15.	सिक्किम	10	40	0.01	0.10
16.	त्रिपुरा	17	सू.न.	0.12	सू.न.
17.	उत्तर प्रदेश	1361	3399	3.85	14.15
18.	पश्चिम बंगाल	235	1642	1.98	4.47
	कुल	4955	91912	14.78	68.06

सू.न. = सूचित नहीं

वर्ष 1999–2000 के दौरान भारी वर्षा/बाढ़, चक्रवात आदि के कारण हुई क्षति

क्र.सं.	राज्य	मृत व्यक्ति (संख्या)	मृत पशु (संख्या)	क्षतिग्रस्त मकान (लाख)	क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)
1.	आंध्र प्रदेश	3	388	0.03	सू.न.
2.	असम	3	सू.न.	नगण्य	1.06
3.	बिहार	285	2020	2.49	3.44
4.	गुजरात	46	शून्य	सू.न.	सू.न.
5.	हिमाचल प्रदेश	30	129	0.02	सू.न.
6.	कर्नाटक	122	959	0.17	0.40
7.	केरल	152	सू.न.	0.21	सू.न.
8.	मध्य प्रदेश	27	654	0.29	0.62
9.	उड़ीसा	10100	455109	21.60	21.54
10.	पंजाब	11	सू.न.	नगण्य	0.02
11.	राजस्थान	46	सू.न.	सू.न.	सू.न.
12.	तमिलनाडु	103	573	0.36	0.20
13.	त्रिपुरा	16	82	0.04	0.05
14.	उत्तर प्रदेश	86	9	0.01	0.33
15.	पश्चिम बंगाल	79	सू.न.	5.76	0.34
	कुल	11109	459931	30.98	28.00

सू.न. = सूचित नहीं

दक्षिण–पश्चिम मानसून–2000 के दौरान भारी वर्षा, भू–स्खलन, बाढ़ तथा चक्रवात के कारण हुई क्षति

12.10.2000 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आपदा	कुल जिले (सं.)	प्रभावित जिले (सं.)	प्रभावित गांव (सं.)	प्रभावित क्षेत्र (लाख है.)	प्रभावित जनसंख्या (लाख)	क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र (लाख है.)	क्षतिग्रस्त फसल का अनुमानित मूल्य (करोड़ रु.)	क्षतिग्रस्त मकान/ झोंपड़ियां (सं.)(लाख)	क्षतिग्रस्त मकानों का अनुमानित मूल्य (करोड़ रु.)	मृत व्यक्ति (सं.)	मृत पशु (सं.)	टिप्पणी
1.	आंध्र प्रदेश		23	17	4522	–	29.35	4.22	0.95	1.04	963.64+7.76 बिलियन इंफ्रा	257	5368	
2.	अरुणाचल प्रदेश		12	4	–	–	–	सू.न.	–	सू.न.	–	26	सू.न.	
3.	असम		23	18	3474	4.43	36.09	2.24	250–300	सू.न.	–	32	सू.न.	
4.	बिहार		53	33	11559	5.98	78.74	3.90	222.81	2.81	117.56	273	1815	
5.	गुजरात		25	10	389	–	4.08	सू.न.	सू.न.	0.24	2.64	116	406	
6.	हिमाचल प्रदेश		12	3	–	–	–	सू.न.	सू.न	सू.न.	–	100	सू.न.	
7.	कर्नाटक			सू.न.				0.57		0.55	—	152	690	
8.	केरल		14	14	109	–	–	सू.न.	27.43	0.9	5.59	75	सू.न.	
9.	मध्य प्रदेश		61	6	459	–	–	नगण्य	–	0.3	–	13	147	
10.	पंजाब		17	7	40	–	–	सू.न.	नगण्य	35	–	7	सू.न.	
11.	उत्तर प्रदेश		83	39	2427	–	4.16	4.35	–	0.34	–	400	871	
12.	पश्चिम बंगाल		17	9	1412	–	204.12	19.20	1500.00	21.95	400	1320	83630	100 मिसिंग
13.	सिक्किम		4	1	–	–	–	सू.न.	–	नगण्य	–	11	सू.न.	
	कुल		344	161	24391	10.41	356.54	34.48		63.13		2782	92927	

सू.न. = सूचित नहीं

विवरण-II

वर्ष 1995–2000 के दौरान जारी आपदा राहत निधि का केंद्रीय अंश

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–00	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11119.50	6985.50	12411.50	7747.50	10769.00	49033.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	498.00	528.00	557.00	586.00	610.00	2779.00
3.	असम	3540.00	3751.00	3958.00	4160.00	4337.00	19746.00
4.	बिहार	3678.00	3897.00	4112.00	4322.00	3378.75	19387.75*
5.	गोवा	76.00	80.00	85.00	89.00	93.00	423.00
6.	गुजरात	9882.00	10470.00	11048.00	11612.00	12105.00	55117.00
7.	हरियाणा	1774.00	1879.00	1983.00	2084.00	2173.00	9893.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1908.00	2021.00	2133.00	2242.00	2337.00	10641.00
9.	जम्मू व कश्मीर	1395.00	1478.00	1559.00	1639.00	1709.00	7780.00
10.	कर्नाटक	2962.00	3139.00	3312.00	3481.00	3629.00	16523.00
11.	केरल	5999.50	2077.50	4385.00	4608.00	4804.00	21874.00
12.	मध्य प्रदेश	3616.00	3831.00	4042.00	4249.00	4429.00	20167.00
13.	महाराष्ट्र	4828.00	5115.00	5398.00	5673.00	4435.50	25449.50*
14.	मणिपुर	176.00	186.00	196.00	206.00	161.25	925.25*
15.	मेघालय	197.00	209.00	221.00	232.00	242.00	1101.00
16.	मिजोरम	90.00	95.00	100.00	105.00	110.00	500.00
17.	नागालैंड	120.00	128.00	135.00	141.00	147.00	671.00
18.	उड़ीसा	4388.00	2757.00	4898.25	3057.75	4250.00	19351.00
19.	पंजाब	3833.00	4061.00	4286.00	4504.00	4696.00	21380.00
20.	राजस्थान	12674.00	13428.00	14170.00	14892.00	15525.00	70689.00
21.	सिक्किम	333.00	353.00	373.00	494.00	306.00	1859.00
22.	तमिलनाडु	4201.00	4451.00	4697.00	4937.00	5147.00	23433.00

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	318.00	337.00	356.00	374.00	390.00	1775.00
24.	उत्तर प्रदेश	8857.00	9384.00	9902.00	13119.50	8137.50	49400.00
25.	पश्चिम बंगाल	3633.00	3849.00	5129.25	3201.75	4450.00	20263.00
	कुल	90096.00	84490.00	99447.00	97756.50	98371.00	470160.50
	टीएफसी आबंटन	84771.00	89815.00	94778.00	99611.00	103844.00	472819.00
	अग्रिम निर्मुक्ति	5325.00	0.00	4669.00	2814.50		

*आपदा राहत निधि के गठन तथा उक्त निधि केंद्रीय तथा राज्य का अंशदान जमा किए जाने संबंधी जानकारी के अभाव में बिहार, महाराष्ट्र तथा मणिपुर को क्रमशः 1126.25 लाख रुपये, 1478.50 लाख रुपये तथा 53.75 लाख रुपये की चौथी त्रैमासिक किस्त जारी नहीं की गई।

विवरण-III

वर्ष 2000–2001 के लिए आपदा राहत निधि के केंद्रीय अंश की राज्यवार निर्मुक्ति

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल आबंटन	केंद्रीय अंश	निर्गमित केंद्रीय अंश
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	198.06	148.54	148.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.02	9.02	4.40
3.	असम	101.49	76.12	15.66
4.	गोवा	1.24	0.93	0.34
5.	गुजरात	161.40	121.05	131.14
6.	हरियाणा	81.30	60.98	15.69
7.	हिमाचल प्रदेश	43.49	32.61	8.44
8.	जम्मू व कश्मीर	34.90	26.18	6.17
9.	कर्नाटक	74.57	55.93	13.11
10.	केरल	67.24	50.43	17.34
11.	मध्य प्रदेश	90.10	67.58	31.99
12.	मणिपुर	2.87	2.15	1.56
13.	मेघालय	3.94	2.95	1.76
14.	मिजोरम	2.97	2.23	0.80
15.	नागालैंड	1.96	1.47	0.53
16.	उड़ीसा	109.47	82.10	30.70
17.	पंजाब	122.72	92.04	16.95
18.	राजस्थान	207.00	155.25	168.18
19.	सिक्किम	6.91	5.18	2.95
20.	तमिलनाडु	102.64	76.98	18.59
21.	त्रिपुरा	5.20	3.90	1.41
22.	उत्तर प्रदेश	178.64	133.98	99.18
23.	पश्चिम बंगाल	101.10	75.83	32.13
24.	बिहार	123.66	92.74	–
25.	महाराष्ट्र	157.20	117.90	–
	कुल	1992.10	1494.07	707.56

टिप्पणी : आपदा राहत निधि खाते में पिछले वर्ष निर्गमित राशि जमा किए जाने की पुष्टि के अभाव में बिहार तथा महाराष्ट्र को केंद्रीय अंश की कोई किस्त जारी नहीं की गई।

विवरण-IV

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 1995–96 से 1999–2000 के दौरान जारी धनराशि

31.8.2000 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष					कुल
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	1995-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	163.00	42.00	26.50	75.36	306.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	13.00	0.00	13.47	0	26.47
3.	असम	0.00	21.00	0.00	59.90	0	80.90
4.	बिहार	0.00	28.00	10.00	11.45	38.18	87.63
5.	गुजरात	0.00	0.00	86.90	55.35	54.58	196.83
6.	हरियाणा	39.41	0.00	0.00	13.27	0	52.68
7.	हिमाचल प्रदेश	12.49	10.56	24.80	0.00	0	47.85
8.	जम्मू व कश्मीर	18.17	0.00	0.00	0.00	73.42	91.59
9.	कर्नाटक	0.00	0.00	22.00	49.98	17.09	89.07
10.	केरल	0.00	0.00	12.91	0.00	0	12.91
11.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	67.76	35.00	38.86	148.62
12.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	4.93
13.	मेघालय	0.00	10.00	0.00	0.00	0	10.00
14.	मिजोरम	4.79	0.00	0.00	0.00	6.00	10.71
15.	उड़ीसा	25.75	55.00	4.00	0.00	828.15	912.90
16.	पंजाब	16.16	0.00	0.00	0.00	0	16.16
17.	राजस्थान	0.00	21.00	0.00	21.98	102.93	145.91
18.	सिक्किम	0.00	5.52	7.00	7.67	0	20.19
19.	तमिलनाडु	0.00	25.00	0.00	0.00	0	25.00
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	5.05	5.34	10.39
21.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	131.15	16.68	147.83
22.	पश्चिम बंगाल	0.00	21.00	0.00	66.33	29.52	116.85
	कुल	116.69	373.08	277.37	497.10	1291.04	2555.28

[हिन्दी]

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन

205. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर, 2000 के 'दैनिक जागरण' में 'कृषि मंत्रालय में संसाधनों की बरबादी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में चल रही 150 केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की जगह बहुत कम संख्या में ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं पर भारी खर्च करने के बावजूद भी पिछले एक दशक के दौरान कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन योजनाओं के जरिए हासिल की गई उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। कृषि एवं सहकारिता विभाग 36 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिनमें से 27 स्कीमों को अब एकल सूक्ष्म प्रबंधन स्कीम के तहत मिला दिया गया है ताकि राज्य को और अधिक अधिकारिता प्रदान की जा सके और वे अपने प्राथमिकता वाले विशिष्ट क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान दे सकें।

(ग) जी, नहीं। पिछले दशक में कृषि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। मुख्य फसलों की उत्पादकता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियां/प्रगति का लगातार मानिटरन कर रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उपज (किग्रा./प्रति है.)

फसल	1990–91	1999–2000
1	2	3
1. गेहूं	2281	2707
2. चावल	1740	1964
3. ज्वार	814	844
4. बाजरा	658	663
5. मक्का	1518	1762
6. चना	712	795
7. मूंगफली	904	807
8. सरसों	904	929
9. सोयाबीन	1015	1135
10. कपास	225	232
11. पटसन व मेस्ता	1634	1822
12. गन्ना	65395	74640

[अनुवाद]

मेजिया ताप विद्युत परियोजना

206. श्री सुनील खां : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेजिया ताप विद्युत परियोजना की चौथी इकाई के निर्माण कार्य को आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस परियोजना पर कार्य के कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) जी, हां। योजना आयोग ने दामोदर वेली कारपोरेशन (डी.वी.सी.) की मेजिया ताप विद्युत स्टेशन के विस्तार हेतु प्रारंभिक कार्य के लिए वर्ष 2000–2001 के बजट अनुमान में 5 मिलियन रुपये का प्रावधान किया है। परियोजना की अनुमानित लागत 617.33 मिलियन रुपये की आई.डी.सी. समेत 6082.37 मिलियन रुपये है। विभिन्न स्वीकृतियों जैसे तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति, कोयला लिंकेज और वित्तीय सुनिश्चितता आदि के अध्याधीन नौवीं योजना अवधि के दौरान कार्य आरंभ होने की संभावना है।

[हिन्दी]

बिहार में कृषि विकास योजनाएं

207. श्री राम टहल चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कृषि विकास के लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं से प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो समीक्षा के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस परिणाम के आधार पर क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) बिहार में कृषि विकास के लिए निम्नलिखित मुख्य स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं–

1. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
2. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
3. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
4. जैव–उर्वरकों के विकास और प्रयोग के लिए राष्ट्रीय परियोजना
5. विदेशी सहायता प्राप्त क्षारीय भूमि सुधार परियोजना और
6. वृहत प्रबंधन।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत कृषि विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

वर्ष	धनराशि (लाख रु.)
1997–98	1198.82
1998–99	591.46
1999–2000	519.65

(ग) से (ङ) स्कीमों के पुनरीक्षण से पता चला है कि बिहार में कई स्कीमों के मामले में धन उपयोग की स्थिति बहुत खराब रही है। उन्हें स्थिति को सुधारने की सलाह दी गई है।

नदियों से रेत निकालने पर प्रतिबंध

208. डा. बलिराम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने नदियों से रेत निकालने पर प्रतिबंध लगाने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी और दिल्ली की यमुना नदी से अवैध तरीके से रेत निकालने की गतिविधियां स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से अभी भी चल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) नदियों के रेत के खनन की अनुमति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। अवैध खनन के मामले में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है। केंद्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी और दिल्ली की यमुना नदी में रेत के किसी प्रकार के अवैध खनन की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

दूरसंचार सुविधा

209. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में संचार/टेलीफोन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दी गई प्राथमिकता और ग्रामीण टेलीफोन केंद्र खोलने तथा सभी गांवों व पंचायतों को एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ नेटवर्क से जोड़ने हेतु आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) गांवों में ऐसे कनेक्शन दिए जाने संबंधी नीति को क्रियान्वित करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर राज्य

की स्थिति को देखते हुए वहां प्राथमिकता के आधार पर सभी गांवों व दूर–दराज क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 13.79 लाख डीईएल (सीधी एक्सचेंज लाइनें) प्रदान करने के लिए 25.08 लाख लाइनों की स्विचन क्षमता वाले तथा शहरी क्षेत्रों में 39.30 लाख डीईएल प्रदान करने के लिए 41.2 लाख लाइनों की स्विचन क्षमता वाले 3331 एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना बनाई है।

विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक्सचेंजों की संस्थापना के लिए एक्सचेंज उपकरणों तथा पावर प्लांट, बैटरी, एमडीएफ और भूमिगत केबलों आदि जैसी अन्य अनिवार्य मदों की सप्लाई के लिए सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई की है। ये एक्सचेंज गांवों और पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन, वीपीटी, एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ सुविधा प्रदान करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्कता उपयुक्त प्रौद्योगिकी और आवश्यक अवसंरचना अर्थात् उपयुक्त स्थान, विश्वसनीय इलेक्ट्रिक सप्लाई, सुगम परिवहन आदि की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जिससे कुछ मामलों में इनकी व्यवस्था करने में समय लग रहा है।

(घ) और (ङ) जम्मू–कश्मीर के दूर–दराज क्षेत्रों सहित सभी गांवों में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने का सरकार का प्रस्ताव है। 31.10.2000 तक 6764 गांवों में से 3865 गांवों को दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है। दूर–दराज के क्षेत्रों में इनमारसेट मिनी–एम–उपग्रह टर्मिनल प्रदान करने में जम्मू–कश्मीर सर्किल को विशेष प्राथमिकता प्रदान की गई है। जम्मू–कश्मीर राज्य के शेष सभी गांवों को मार्च 2002 तक कवर किए जाने की योजना है।

(च) उपर्युक्त पैरा (घ) और (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेल संस्थान

210. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एक खिलाड़ी पर औसतन कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(ख) 'राष्ट्रीय खेल संस्थानों' की कुल संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) ओलंपिक में खराब प्रदर्शन करने के क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) सीनियर खिलाड़ियों जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के समय अभिजात खिलाड़ी भी कहलाते हैं, पर लगभग 10,000/– रुपये प्रतिमास व्यय होता है। जबकि, भारतीय खेल प्राधिकरण खेल संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत जूनियर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए औसतन व्यय 2,000/– रुपये प्रतिमास है। यह व्यय मुख्यतः भोजन, आवास, प्रशिक्षण, किट, चिकित्सा व्यय आदि के लिए है।

(ख) देश में केवल एक राष्ट्रीय खेल संस्थान है जो 1961 से पटियाला में कार्य कर रहा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी खेल संवर्धन योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता, सेना बाल खेल कम्पनी, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्रों, उत्कृष्टता केन्द्रों, विशेष क्षेत्रीय खेलों तथा खेल अकादमियों के अन्तर्गत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये खेल केन्द्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित हैं जिनमें खिलाड़ियों को सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के सात क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से उपरोक्त योजनाओं की निगरानी की जाती है जो क्षेत्रीय स्तर पर उत्कृष्टता विकास के लिए खेल अवस्थापना और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में शामिल हैं। केन्द्रों और भारतीय खेल प्राधिकरण खेल अवस्थापना के रख–रखाव सहित इन योजनाओं को चलाने पर होने वाला व्यय भारतीय खेल प्राधिकरण के बजट में से किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों पर किया गया व्यय निम्नलिखित है–

1997–98	–	1,84,90,416.22	रुपये
1998–99	–	2,32,90,980.10	रुपये
1999–2000	–	3,21,86,184.00	रुपये

(ग) सिडनी ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था, यद्यपि, पिछले ओलंपिक खेलों की तुलना में यह बेहतर था। यह पहला मौका था जब भारत ने महिला भारोत्तोलन में एक कांस्य पदक प्राप्त किया और 6 अन्य खिलाड़ियों/टीमों ने प्रथम 10 में स्थान प्राप्त किया। एथलीटों का प्रदर्शन अपेक्षाओं से नीचे था और यह उनके अगस्त, 2000 में जकार्ता में आयोजित एशियाई ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता में शिखर में रहने के कारण था। ये ओलंपिक्स

तक अपने शिखर स्थान को कायम नहीं रख सके। तथापि, मुक्केबाजी, महिला भारोत्तोलन और निशानेबाजी में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित भावपूर्ण प्रदर्शन से भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिला है और यदि इन खेल विधाओं में अधिक प्रयास किए जाएं तो भारत भविष्य में निश्चित रूप से अपनी पदक तालिका में सुधार करेगा।

[अनुवाद]

क्विलोन उप-मार्ग का निर्माण कार्य

211. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान विशेषकर तीसरे और चौथे सेक्टर में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर क्विलोन उप–मार्ग के निर्माण–कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) निर्माण–कार्य को पूरा करने के लिए कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) रा.रा.–47 पर क्विलोन बाइपास का निर्माण चार चरणों में करने का प्रस्ताव है। चरण–I और चरण–II के तहत क्विलोन बाइपास का कार्य (कुल लम्बाई 4.79 कि.मी.) आर.ओ.बी. (रेल ओवर ब्रिज) को छोड़कर अगस्त, 1999 में पहले ही पूरा किया जा चुका है। रेलवे प्राधिकारियों ने आर.ओ.बी. संबंधी कार्य के लिए अक्तूबर, 2000 में निविदाएं आमंत्रित की हैं और कार्य शुरू हो गया है। क्विलोन बाइपास के चरण–III और चरण–IV (कुला लम्बाई 8.35 कि.मी.) का निर्माण कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) स्कीम के तहत शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए तकनीकी–साध्यता अध्ययन को परामर्शदाताओं और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिकित्सा केन्द्र

212. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहत केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने चिकित्सा राहत केन्द्र स्थापित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) से (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

कृषि विकास दर में वृद्धि

213. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का 29.4 प्रतिशत और श्रम शक्ति का 64 प्रतिशत व्यय किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से विकास दर बढ़ाने का प्रयास किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान के अनुसार 1999–2000 के दौरान कृषि तथा इससे सम्बद्ध क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद में 25.5 प्रतिशत का योगदान रहा है। हालांकि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित "न्यू सिरीज आन नेशनल एकाउण्ट्स स्टेटिस्टिक्स" के अनुसार 1.10.93 की स्थिति के अनुसार कृषि में 64 प्रतिशत श्रमिक लगे हुए थे।

(ख) विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली दृष्टिकोण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम आदि चला रही है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को उत्पादक किस्मों के बीजों का प्रयोग करने, समेकित कीट प्रबन्ध को लागू करने, वैज्ञानिक जल प्रबन्ध का प्रचार–प्रसार करने जिसमें लघु सिंचाई और उन्नत फार्म उपस्कर शामिल हैं, के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी के कुशल अंतरण के लिए किसानों के खेतों में क्षेत्रीय प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। इन प्रदर्शनों में किसानों और कृषि मजदूरों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा, फलों और सब्जियों के विकास के लिए भी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम चलाई जा रही है। इस फल योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता रोपण सामग्री का वितरण, क्षेत्र विस्तार अग्रणी प्रदर्शन, रुग्ण

बागानों के पुनरुद्धार कृषक प्रशिक्षण, रोग पूर्वानुमान इकाइयों की स्थापना, बागवानी यंत्रीकरण के लिए नर्सरियां और टिशू कल्चर इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता दी जा रही है। समेकित सब्जी विकास स्कीम के अन्तर्गत पादप रोपण एवं विशेषकर प्याज और आलू पर, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, प्रौद्योगिकी के अन्तरण, फसलोपरीत रखरखाव और सूचना प्रणाली के विकास पर बल दिया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय कॉल क्षेत्र का निजीकरण

214. श्री वी. के. पार्थसारथी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कॉल क्षेत्र के निजीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निर्णय लेते समय राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय वॉयस टेलीफोनी सेवा में 31.3.2002 तक वी.एस.एन.एल. का एकाधिकार बना रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

नारियल का उत्पादन

215. श्री जार्ज ईडन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999–2000 के दौरान देश में राज्यवार नारियल का कुल कितना उत्पादन हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : वर्ष 1999–2000 के दौरान नारियल का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

वर्ष 1999–2000 के दौरान नारियल के राज्यवार उत्पादन का आकलन

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन (मिलियन गिरियों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1051.8
2.	असम	149.9
3.	गोवा	121.5
4.	कर्नाटक*	1495.1
5.	केरल*	6672.0
6.	महाराष्ट्र*	226.8
7.	उड़ीसा*	795.1
8.	तमिलनाडु*	3096.7
9.	त्रिपुरा*	6.1
10.	पश्चिम बंगाल	324.3
11.	अंडमान और निकोबार द्वीप*	87.5
12.	लक्षद्वीप*	27.7
13.	पांडिचेरी	29.6
	समस्त भारत	14084.1

*1998–99 से संबंधित।

[हिन्दी]

राजस्थान में सोयाबीन फसल की बर्बादी

216. श्री जसवंत सिंह यादव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में सोयाबीन की फसल अच्छी नहीं हुई है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तथ्य की जांच के लिए किसी समिति का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने उन किसानों को जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं, अनुदान के रूप में राहत मुहैया कराई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक) : (क) और (ख) वर्तमान वर्ष के दौरान सूखे जैसी स्थितियों के कारण

राजस्थान राज्य में सोयाबीन समेत खरीफ फसलों को कुछ क्षति पहुंची है। इसके अतिरिक्त, राज्य ने खरीफ 2000 के दौरान सोयाबीन फसल पर तम्बाकू कैटरपिल्लर कृमि आक्रमण की सूचना भी दी है तथा भारत सरकार ने फसल को बचाने के लिए कीट नियंत्रण उपायों के वास्ते राज्य को 95 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। राज्य ने सूचित किया है कि वर्तमान वर्ष के दौरान सोयाबीन समेत खरीफ तिलहन की कुल हानि 26 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) सूखे के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए राज्य में एक दल भेजने का निर्णय लिया गया है।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार के आपदा राहत कोष से राज्य सरकार को 168 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। किसानों को हुई फसल हानि के लिए इस राशि से आदान राजसहायता वितरित किया जाना अपेक्षित है। केन्द्र सरकार ने फसल बीमा योजना भी शुरू की है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में नैपथा पर आधारित विद्युत परियोजना

217. श्री जी. एस. बसवराज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नांजनगुड, हासन और माण्ड्या में नैपथा आधारित तरल ईंधन वाली विद्युत परियोजना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकर ने स्वीकृति हेतु इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सी.ई.ए. ने हासन एवं नांजनगुड परियोजनाओं के लिए तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टी ई सी) प्रदान करने हेतु विचार किया पर टी ई सी संबंधी निर्णय को स्थगित करना पड़ा क्योंकि केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) ने इसके लिए स्वीकृति देने में असहमति जताई थी, इसका कारण यह था कि बेसिन राज्यों के बीच जल हिस्सेदारी विवाद निर्णय हेतु कावेरी जल विवाद प्राधिकरण (सी डब्ल्यू सी) के समक्ष विचाराधीन था। माण्ड्या परियोजना संबंधी प्रस्ताव को सी ई ए ने वापस कर दिया है क्योंकि इसके लिए कावेरी जल के उपयोग हेतु सी डब्ल्यू सी की स्वीकृति समेत अनेक निवेश/स्वीकृति सुनिश्चित नहीं किए गए थे। अभी तक सी ई ए ने लम्बित निवेशों/स्वीकृतियों की वजह से तीनों में से किसी भी परियोजना के लिए तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान नहीं की है। सी ई ए द्वारा निवेश/स्वीकृति के अभाव में टी ई सी हेतु लम्बित इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है–

परियोजना/विद्युत उत्पादन कम्पनी का नाम	क्षमता (मे.वा.)	महत्वपूर्ण लम्बित निवेश/ स्वीकृति
नांजनगुड सीसीपीपी (मै. आईपीएस पावर कं.)	96.7	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल उपलब्धता का अन्तःराज्यीय दृष्टि से निपटान।
हासन सीसीपीपी (मै. हासन पावर सप्लाई कं. लि.)	189	केन्द्रीय जल अयोग द्वारा जल उपलब्धता का अन्तःराज्यीय दृष्टि से निपटान।
माण्डया सीसीपीपी (मै. माण्डया पावर पार्टनर्स प्रा. लि.)	164.4	विस्तृत परियोजना 1.5.2000 को वापिस की गई क्योंकि अनेक निवेश/स्वीकृति सुनिश्चित नहीं किएं गए थे।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त स्कीमों को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए पुनः तभी विचार किया जा सकता है जब कावेरी जल के उपयोग संबंधी मामले का निपटान हो जाए एवं संबंधित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अन्य निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित कर लिया जाए।

ग्राहक सेवा में सुधार

218. श्री टी. गोविन्दन् : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र का निगमीकरण करने के बाद इसकी ग्राहक सेवा आदि के संबंध में सुधार लाने के लिए इसके कार्यकरण में कोई परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 1.10.2000 से दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन

विभाग का निगमीकरण हो जाने के परिणामस्वरूप भारत संचार निगम लि. ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीफोन कनेक्शन शिफ्ट करने तथा शिफ्टिंग आदेश के शीघ्र निष्पादन करने से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभिन्न आवेदनों को सरल बनाने तथा उपभोक्ता को उसकी इच्छानुसार यथासमय यथापेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए कॉल केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रभारों में कमी करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। उक्त प्रभार शहरी क्षेत्रों में 3000/– रु. से 2000/– रु. तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000/– रु. से 500/– रु. कर दिए गए हैं। निःशुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध कराने, सीटीओ तथा डीटीओ में शनिवार और रविवार को चेक के जरिए टेलीफोन बिल जमा कराने तथा टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने के कारण जिनके कनेक्शन कट जाते हैं, भुगतान के बाद उनकी शीघ्र बहाली के भी आदेश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

ड्रिप सिंचाई योजना

219. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री राजो सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ड्रिप सिंचाई योजना को प्रोत्साहन दे रही है और इसके लिए अधिकतम राजसहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में राज्यों को दी जा रही राजसहायता बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान सरकार टपका सिंचाई के लिए कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत छोटे, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को टपका प्रणाली की कुल लागत की 90 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों के किसानों को लागत की 70 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान कर रही है। नौवीं योजना के दौरान वर्ष 2000–2001 से टपका सिंचाई के लिए छोटे, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को कुल लागत की 50 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों के किसानों को लागत की 35 प्रतिशत की दर से सहायता दी जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को प्रदत्त राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा टपका सिंचाई के लिए राजसहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

प्लास्टीकल्चर स्कीम के तहत प्रदत्त राज्यवार सहायता

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1070.00	1410.75	1277.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	46.00	34.62
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	3.00	19.00	7.00
6.	गुजरात	100.00	141.49	230.20
7.	हरियाणा	44.00	155.42	61.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	570.00	262.00	236.07
10.	कर्नाटक	2234.00	2995.00	2372.45
11.	केरल	304.00	415.65	364.12
12.	मध्य प्रदेश	80.00	183.10	221.10
13.	महाराष्ट्र	2447.00	3194.13	2704.75
14.	मणिपुर	24.00	63.00	30.00
15.	मेघालय	0.00	45.00	0.00

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	38.00	88.00	38.00
17.	नागालैंड	70.00	96.60	41.80
18.	उड़ीसा	125.00	0.00	214.80
19.	पंजाब	0.00	93.00	30.00
20.	राजस्थान	287.00	270.00	310.77
21.	सिक्किम	38.00	45.32	43.00
22.	तमिलनाडु	515.00	1095.00	1052.25
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	115.59	234.57
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
26.	दादरा नगर हवेली	8.50	0.00	0.00
27.	दमन और दीव	8.50	5.00	0.00
28.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	4.50	5.00	3.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
31.	अंडमान निकोबार	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
	कुल	7970.5	10744.05	9510.00

किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराना

220. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को कृषि के साथ–साथ अन्य सहायक गतिविधियों को शुरू करने के उद्देश्य से उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कदमों से राज्य–वार कितने प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार की कार्यनीति कृषि का अन्य सहायक क्षेत्रों में विविधीकरण करने की है ताकि इससे और अधिक प्रतिफल तथा आय प्राप्त की जा सके। ये क्षेत्र हैं–पशुपालन, बागवानी, सिंचित तथा असिंचित दोनों, रेशम कीट पालन, मात्स्यिकी, वानिकी आदि। वर्षा आधारित क्षेत्रों का पनधारा के आधार पर सुधार करने से शुष्क भूमि की उर्वरता को बढ़ाने से अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। उपर्युक्त कदमों के लाभ का मूल्यांकन अभी संभव नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है जिसमें उपर्युक्त पहलुओं को कवर किया गया हो।

[अनुवाद]

कृषि विकास दर

221. श्री महबूब जहेदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास की दर पहले 4.2 प्रतिशत निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि विकास की दर अभी 1.3 प्रतिशत है;

(ग) क्या कृषि विकास में इस गिरावट के कारण तिलहन, खरीफ और गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं। नौवी पंचवर्षीय योजना में वानिकी को छोड़कर कृषि के सकल मूल्य में 4.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) जी, हां। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (1993–94 के स्थिर मूल्य पर) के अनुसार वर्ष 1999–2000 के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों की वृद्धि दर गिर कर 1.3 प्रतिशत हो गई है।

(ग) वर्ष 1998–99 की तुलना में 1999–2000 के दौरान तिलहन, गन्ने तथा चावल के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(मिलियन मीटरी टन)

फसल	1998–99	1999–2000 (अग्रिम अनुमान)
तिलहन	25.21	21.18
चावल	86.00	88.25
गन्ना	295.73	309.31

(घ) सरकार विभिन्न फसल आधारित स्कीमों और गुणवत्ता आदानों के प्रावधान संबंधी स्कीमों, साथ ही भूजल उपलब्धता में सुधार करने के लिए छिड़काव सिंचाई, ड्रिप सिंचाई प्रणाली तथा रोक बांधों के निर्माण जैसी इस्टतम जल उपयोग की स्कीमों को बढ़ावा दे रही है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त दूरसंचार नेटवर्क

222. श्री राजो सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी.एस.ए.टी., वायरलैस लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) आधारित टेलीफोन और आप्टीकल फाइबर केबल को प्रयुक्त करके अतिरिक्त दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सरकार को बिहार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बिहार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं–

(i)	एमसीपीसी वी–सेट	12 अदद
(ii)	ग्रामीण टेलीफोनी के लिए डब्ल्यूएलएल मैक्रो सेल्यूलर	बीएससी–020 अदद बीएस–190 अदद
(iii)	शहरी टेलीफोनी के लिए डब्ल्यूएलएल माइक्रो सेल्यूलर	4के
(iv)	ओएफ केबल	5000 कि.मी.

उपर्युक्त उपस्कर प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है बशर्ते कि उपस्कर तथा धनराशि उपलब्ध हो जाए।

[अनुवाद]

जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस और डाइविंग को प्राथमिकता

223. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत, चीन, कोरिया और अन्य देशों में खेलों पर प्रति व्यक्ति व्यय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस और डाइविंग जैसे क्षेत्रों में बड़ी धनराशि और अधिक शारीरिक क्षमता और शारीरिक ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती;

(ग) यदि हां, तो इन खेलों को अधिक प्राथमिकता न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में चीन और कोरिया की उपलब्धियों पर विचार करते हुए इन विभागों में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) जी, हां। कुछ अन्य खेलों की तुलना में, इन खेलों में बड़ी धनराशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तथापि, जहां तक शारीरिक बल और कद का संबंध है, इन खेलों के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है।

(ग) जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस तथा तैराकी को पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

224. श्री मानसिंह पटेल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने गत तीन वर्ष के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1997–98, 1998–99, 1999–2000 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में विदेशी निवेश वाली 52 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार, कार्यान्वित परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में कार्यान्वित विदेशी निवेश वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7
2.	गुजरात	4
3.	हरियाणा	3
4.	कर्नाटक	4
5.	केरल	3
6.	मध्य प्रदेश	3
7.	महाराष्ट्र	12
8.	उड़ीसा	1
9.	पंजाब	2
10.	राजस्थान	2
11.	तमिलनाडु	7
12.	उत्तर प्रदेश	2
13.	पश्चिम बंगाल	2

[अनुवाद]

नन्दन कानन प्राणी उद्यान में शेरों और बाघों की मौतें

225. **श्रीमती रेणुका चौधरी :**
श्री राम जीवन सिंह :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री के. येरननायडू :
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के आरम्भ में नन्दन कानन प्राणि उद्यान में बड़ी संख्या में शेरों और बाघों की मौतों से संबंधित जांच रिपोर्ट के अनुपालन में उस प्राणि उद्यान से शेरों और बाघों को दूसरे प्राणि उद्यानों में स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के प्रकाश में की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;

(ग) क्या उनको अन्यत्र पहुंचाने और पुनर्वास के दौरान शेरों/बाघों की मौत की कोई और घटना हुई;

(घ) क्या हाल ही में एक वर्ष की मादा बाघ को मारा गया और उसकी खाल नेहरू प्राणि उद्यान पार्क, हैदराबाद में उतारी गई;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) अन्य प्राणि उद्यानों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) जांच रिपोर्ट में निहित सिफारिशों और केन्द्र सरकार तथा उड़ीसा राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के अनुसरण में नन्दन कानन चिड़ियाघर से 15 शेरों और 15 बाघों को देश के अन्य चिड़ियाघरों में स्थानान्तरित करने पर सहमति हुई थी ताकि चिड़ियाघरों में जानवरों की भीड़भाड़ को कम किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा अभी तक नन्दन कानन चिड़ियाघर से 7 शेरों और 7 बाघों को आन्ध्र प्रदेश के अन्य चिड़ियाघरों में स्थानान्तरित किया जा चुका है। जानवरों को नन्दन कानन चिड़ियाघर से अन्य राज्यों को भेजे जाने के विरोध स्वरूप स्थानीय लोगों द्वारा चिड़ियाघर का घेराव किए जाने के कारण जानवरों को अन्यत्र भेजे जाने का काम रोक दिया गया है।

(ग) एक शेर की नन्दन कानन चिड़ियाघर से इन्दिरा गांधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम ले जाते समय मौत हो गई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) राज्य सरकार ने मामले की जांच का काम राज्य के सी आई डी विभाग को सौंप दिया है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए सरकार के राजस्व विभाग में प्रधान सचिव को भी नियुक्त किया गया है।

(च) चिड़ियाघरों में विशेषकर रात के समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और रिक्त पड़े पदों को भरने के बारे में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

बीजों का उत्पादन

226. श्री जोरा सिंह मान :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बीजों के उत्पादन में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में बीजों के उत्पादन में कितने और कौन–कौन से उपक्रम लगे हुए हैं;

(ग) इन उपक्रमों द्वारा बीजों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(घ) इन उपक्रमों की कुल उत्पादन क्षमता की तुलना में बीजों का उत्पादन कितना प्रतिशत है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। चालू वर्ष में केन्द्र सरकार के दो प्रतिष्ठान और राज्य सरकारों के 12 प्रतिष्ठान बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। इनके नाम हैं : राष्ट्रीय बीज निगम लि., भारतीय राज्य फार्म निगम लि., आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लि., महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लि., मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, गुजरात राज्य बीज निगम लि., राजस्थान राज्य बीज निगम, हरियाणा बीज विकास निगम लि., पंजाब राज्य बीज निगम लि., उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम लि., पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम लि., असम राज्य बीज निगम लि. और कर्नाटक राज्य बीज निगम लि.।

(ग) और (घ) बीज निगमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजों के वार्षिक औसत उत्पादन और इन प्रतिष्ठानों के बीज उत्पादन का प्रतिशतता और उनकी कुल क्षमता को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

बीज निगमों का औसत वार्षिक बीज उत्पादन कुल उत्पादन क्षमता में इस उत्पादन की प्रतिशतता का ब्यौरा

मात्रा क्विंटल में

क्र. सं.	निगम का नाम	बीज का औसत वार्षिक उत्पादन	कुल बीज उत्पादन क्षमता	कुल उत्पादन में बीज उत्पादन की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.	3,89,016	4,13,875	94
2.	भारतीय राज्य फार्म निगम लि.	1,89,370	2,81,000	68
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लि.	2,11,973	2,90,000	79
4.	पंजाब राज्य बीज निगम लि.	1,35,666	2,50,000	52
5.	राजस्थान राज्य बीज निगम	1,96,856	2,50,000	78.7
6.	उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम लि.	10,04,335	9,50,000	105
7.	आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लि.	6,10,028	5,11,500	119
8.	कर्नाटक राज्य बीज निगम लि.	1,64,065	2,00,000	82
9.	महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लि.	9,45,000	6,68,000	141
10.	गुजरात राज्य बीज निगम लि.	87,794	1,17,502	75
11.	उड़ीसा राज्य बीज निगम लि.	3,00,000	4,50,000	66.66
12.	असम राज्य बीज निगम लि.	16,500	20,000	82.5

1	2	3	4	5
13.	पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम लि.	1,00,000	1,20,000	83.3
14.	मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम	6,07,876	6,96,000	87

[अनुवाद]

तार के पहुंचने में लगने वाले समय में सुधार

227. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तार वितरण कार्य में सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिक प्रक्रिया व मशीनें देश में शीघ्र तार पहुंचाने में कहां तक उपयोगी हैं; और

(ग) तार पहुंचने में लगने वाले समय में सुधार लाने के लिए डाक विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) देश में तार वितरण में सुधार आया है। दिन के 12 घंटों के भीतर वितरित टेलीग्रामों के प्रतिशत के रूप में मापी गई टेलीग्राफ–सेवा की गुणवत्ता में 1991–92 के दौरान 88.38 प्रतिशत से 1999–2000 के दौरान 96.3 प्रतिशत तक सुधार आया है।

(ख) माइक्रो प्रोसेसर्स पर आधारित इलैक्ट्रानिक मैसेज–प्रणालियां मार्गस्थ विलम्ब को कम करने के लिए टेलीग्रामों के पारेषण के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं। माडर्न टेलीग्राफ मैसेज स्विचिंग नेटवर्क के विकास से काफी सीमा तक विलम्ब में कमी आई है।

(ग) तार सेवाएं भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रचालित की जाती हैं, न कि डाक विभाग द्वारा। सेवा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। तारों के वितरण समय में सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग

228. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग 40 ऐसे कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है जो विश्व के अन्य देशों में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कीटनाशकों के आयात को रोकने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (घ) लगभग 33 कीटनाशी जो विश्व के अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं, के उपयोग पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा प्रतिबंध/उपयोग को सीमित करने संबंधी कार्रवाई स्थानीय कृषि मौसमीय तथा पर्यावरण स्थितियों के आधार पर की जाती है। सरकार विशेष विशेषज्ञ समितियों अथवा पंजीकरण समिति के गठन के माध्यम से इन कीटनाशियों के उपयोग को जारी रखने अथवा न रखने के बारे में समय–समय पर समीक्षा करती है जिन पर विश्व के अन्य देशों में रोक है/सख्ती से प्रतिबंधित हैं। इन समीक्षाओं के आधार पर कुल 23 कीटनाशियों/कीटनाशी फार्मूलेशनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में जो कीटनाशी प्रतिबंधित नहीं हैं, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों की शर्त पर उनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है।

राज्य की अधिक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

229. श्री अधीर चौधरी :
श्री अनन्त नायक :
श्री तिरूनावक्करसू :
श्री अरूण कुमार :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में और अधिक राज्यों की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की

गई राज्य की सड़कों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कुल कितना निवेश किया गया;

(ङ) क्या सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए उपयुक्त हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 12.10.2000 को कुछ राज्यीय सड़कों जिनकी कुल लम्बाई लगभग 5694 कि.मी. है, को संलग्न विवरण–I में दिए गए ब्यौरों के अनुसार नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है।

(ग) इन नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्गों को अभी भारत सरकार द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया है। अतः उनके लिए अभी तक कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(घ) हाल में घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव के लिए निधियों का आबंटन राष्ट्रीय राजमार्गवार नहीं बल्कि राज्यवार किया जाता है जिसे मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्यों पर खर्च करना होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव और मरम्मत के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आबंटन के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है :

(लाख रु.)

	1997–98	1998–99	1999–2000	1999–2000 (एस.आर.पी.)
विकास	55124.00	79213.01	108462.00	–
रख–रखाव और मरम्मत	49750.00	54980.00	68758.00	48307.72

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख–रखाव एक सतत प्रक्रिया है और उपलब्ध संसाधनों से उन्हें यातायात योग्य स्थिति में रखने के प्रयास किए जाते हैं।

विवरण-I

दिनांक 12.10.2000 को हाल में घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	219	150
2.	अरुणाचल प्रदेश	153	40
3.	असम	153, 154	130
4.	बिहार	98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 75 का विस्तार	1376
5.	गुजरात	8ई	220
6.	जम्मू एवं कश्मीर	1बी का विस्तार	85
7.	कर्नाटक	218	176
8.	केरल	220	210
9.	मध्य प्रदेश	12ए, 59ए, 86 का विस्तार, 216, 217, 75 का विस्तार	1243
10.	मिजोरम	154	70
11.	उड़ीसा	217	438

1	2	3	4
12.	पंजाब	95	225
13.	राजस्थान	90	100
14.	तमिलनाडु	220	55
15.	उत्तर प्रदेश	91, 92, 93, 94, 96, 97, 75 का विस्तार	1176
		जोड़	5694

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	63, 202, 205, 214, 219 और 9 का विस्तार	1150
2.	अरुणाचल प्रदेश	52ए का विस्तार और 153	62
3.	असम	61, 62, 151, 152, 153, 154, 52ए, 52बी और 54 का विस्तार	540
4.	बिहार	30ए, 57, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 75 का विस्तार	2678
5.	चण्डीगढ़	कोई नहीं	—
6.	दिल्ली	कोई नहीं	—
7.	गोवा	17बी	40
8.	गुजरात	6–विस्तार, 8ए, 8डी, 8ई और 59	830
9.	हरियाणा	21ए, 65, 71, 71ए, 72, 73 और 64 का विस्तार	663
10.	हिमाचल प्रदेश	21ए, 70, 72 और 88	334
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1सी और 1बी का विस्तार	175
12.	कर्नाटक	रा.रा. 13 का विस्तार, 63, 206, 207, 209, 212 और 218	1574
13.	केरल	208, 212, 213, 220	500
14.	मध्य प्रदेश	12ए, 59, 59ए, 69, 75, 75 का विस्तार, 76, 78, 79, 86, 86 का विस्तार, 200, 216, 217, 92 और 202	3471
15.	महाराष्ट्र	रा.रा. 6 का विस्तार, 69, 204 और 211	708

1	2	3	4
16.	मणिपुर	150	523
17.	मेघालय	62, 62 का विस्तार, 40 का विस्तार	245
18.	मिजोरम	44ए, 150 और 154	376
19.	नागालैंड	61 और 150	256
20.	उड़ीसा	60, 200, 201, 203, 215 और 217	1652
21.	पांडिचेरी	66 और 45ए का विस्तार	30
22.	पंजाब	64, 64 का विस्तार, 70, 71, 95 और 72	661
23.	राजस्थान	65 का विस्तार, 76, 79, 89, 90 और 65	1550
24.	सिक्किम	कोई नहीं	–
25.	तमिलनाडु	45ए का विस्तार, 45बी, 66, 67, 67 का विस्तार, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	1862
26.	त्रिपुरा	44, 44ए और 44 का विस्तार	200
27.	उत्तर प्रदेश	24ए, 25, 25ए, 56ए, 56बी, 58, 72, 73, 74, 75, 75 का विस्तार 76, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 96, 97 और 2ए	3046
28.	पश्चिम बंगाल	60, 60 का विस्तार, 80, 81	313
		जोड़	23,406

वनभूमि का अपयोजन

230. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वारंगल जिले में नहरों की खुदाई हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से 53,404 हेक्टेयर वनभूमि के अपयोजन का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय की ओर से दिए गए सुझावों के अनुसरण में नहर की चौड़ाई कम करके वन क्षेत्र को 53,506 हेक्टेयर से 39,322 हेक्टेयर तक सीमित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उग्रवाद प्रभावित पिछड़े जिले वारंगल में 89,000 एकड़ में नहर के अन्तर्गत योजना–बद्ध सिंचाई का लक्ष्य हासिल करने के लिए 33.22 हेक्टेयर वनभूमि की अनुमति देने के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं। तथापि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत जुलाई, 1999 में आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से डी बी एम 48 तथा इसकी माइनर्स की खुदाई के लिए 53,406 हेक्टेयर वनभूमि के वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) प्रस्ताव की व्यापक जांच करने के पश्चात् केन्द्र सरकार ने 8.10.1999 को प्रस्ताव अनुमोदित करने के लिए अपनी असमर्थता जताई थी और राज्य सरकार को यह बताया था कि यदि प्रयोक्ता एजेंसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था (नहर की चौड़ाई कम करने सहित) सुझाती है जिससे वन की क्षति को न्यूनतम किया जा सके तो इस प्रस्ताव पर उपयुक्त विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने 24.60 हेक्टेयर वनभूमि के

वनेत्तर प्रयोग का एक संशोधित प्रस्ताव नहर की चौड़ाई कम करने के पश्चात् 24.10.2000 को भिजवाया था। प्रस्ताव पर वन परामर्श समिति ने अपनी 31.10.2000 को हुई बैठक में विचार–विमर्श किया था। निर्णय विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मंगलवार, 21 नवम्बर, 2000 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21, नवम्बर, 2000/30 कार्तिक, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/11/1/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।